खण्ड-379, अंक-7
मंगलवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1908
(10 मार्च, 1987 ई0)

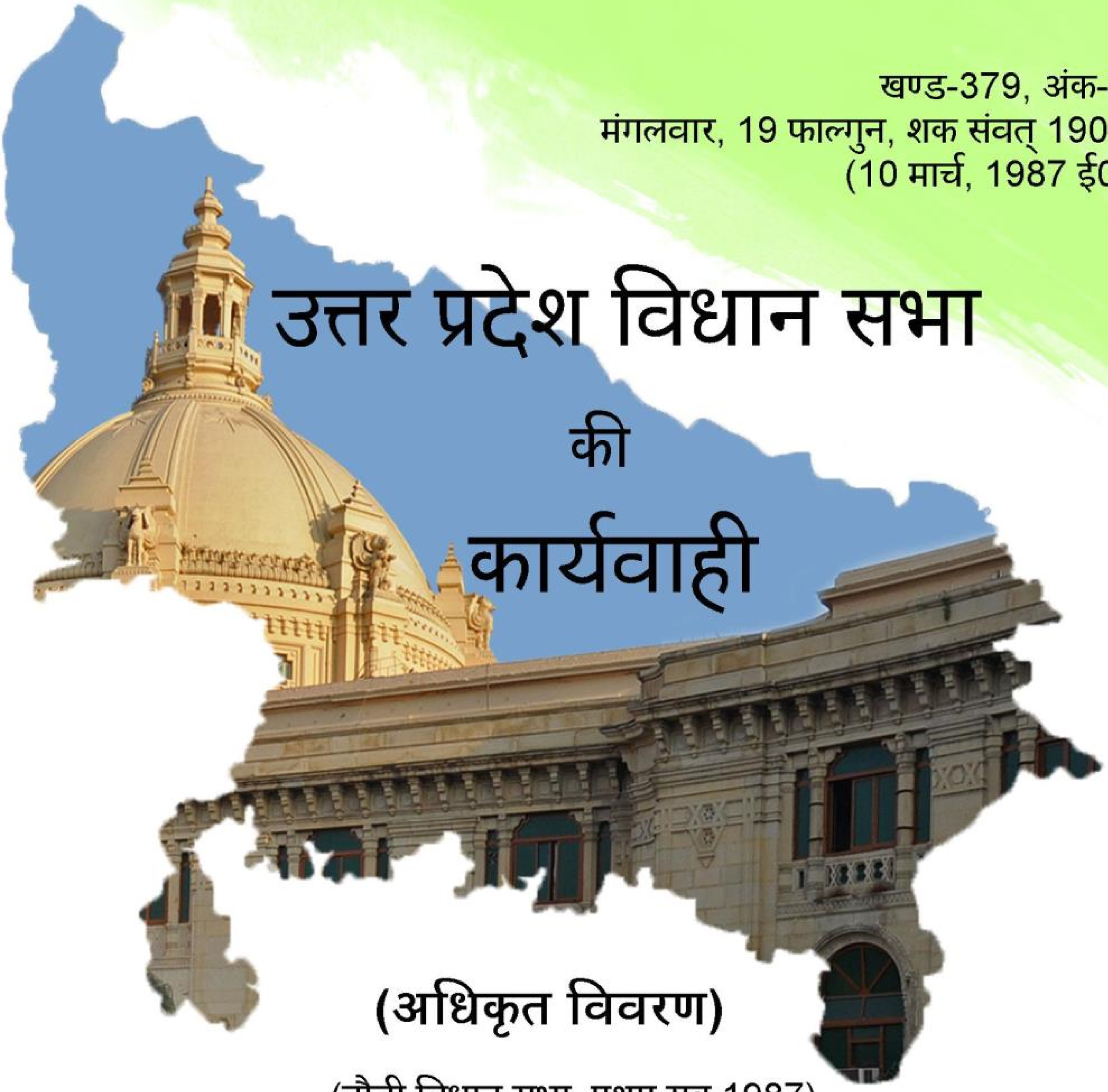

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1987)

खण्ड 379 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

	पृष्ठ संख्या
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 1984–85 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया) ..	95
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1984–85 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	95
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (छठा संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	95
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	95
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति 1986–87 का 49वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	95
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति 1986–87 का पन्द्रहवां विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	95
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	96
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	97–108
वित्तीय वर्ष 1986–87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा ..	108
1986–87 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान और खनिज) (स्वीकृत) ..	132
अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	132
अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ..	132
अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ..	132
अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ..	133
अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..	134
अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ..	134
अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ..	134
अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ..	135
अनुदान संख्या 17—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ..	135

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	135
अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)	135–136
अनुदान संख्या 20—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या 23—खेल विभाग (स्वीकृत)	136–137
अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	137–138
अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	138
अनुदान संख्या 29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	138
अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	138
अनुदान संख्या 32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 33—चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 34—चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 35—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या 40—नियोजन विभाग (स्वीकृत)	140–141
अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग (स्वीकृत)	141
अनुदान संख्या 43—परिवहन विभाग (स्वीकृत)	141
अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	141
अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	141
अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत)	142
अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	142
अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	142
अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	142–143
अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	143

	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 52—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	143
अनुदान संख्या 53—वन विभाग (स्वीकृत)	143
अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	143–144
अनुदान संख्या 56—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	144
अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	144
अनुदान संख्या 60—विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	144
अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	144–145
अनुदान संख्या 63—विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग (स्वीकृत) ..	145
अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ..	145
अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ..	145
अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ..	145–146
अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	146
अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ..	146
अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ..	146
अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	146–147
अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)	147
अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)	147
अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	147
अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ..	147–148
अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ..	148
अनुदान संख्या 79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) (स्वीकृत) ..	148
अनुदान संख्या 80—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	148
अनुदान संख्या 81—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	148–149
अनुदान संख्या 82—सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ..	149
अनुदान संख्या 83—सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	149
अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	149
अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	149–150
अनुदान संख्या 87—सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	150
अनुदान संख्या 88—सूचना विभाग (स्वीकृत)	150
अनुदान संख्या 89—सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	150
अनुदान संख्या 90—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	150–151

	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (1986–87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 (पारित)	151–158
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित)	159
विशेषाधिकार हनन् तथा सदन की अवमानना के मामलों में श्री अध्यक्ष के निर्णय	159
वित्तीय वर्ष 1987–88 का आय-व्ययक एवं एक भाग के लिए लेखानुदान (स्वीकृत)	160–166
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 (पारित)	167–177
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	178
सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	178
नतिथां	180–190

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदश विधान सभा

दिनांक 10-3-1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
औसान सिंह, श्री	इटावा
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
काशी सिंह एरी, श्री	पिथौरागढ़
किशन लाल, श्री	पीलीभीत
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद
खुरशेद अहमद, श्री	बहराइच
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धनराज यादव, श्री	बस्ती
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
परमाई लाल, श्री	हरदोई
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बालेश्वर, श्री	देवरिया
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद

मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर — झांसी
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मैनेजर सिंह, श्री — बलिया
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) — मुरादाबाद
मोहम्मद उमर, डा0 — गोण्डा
मोहम्मद वसीम अंसारी, श्री — रायबरेली
रघुवर दयाल वर्मा, श्री — आगरा
रणजीत, श्री — देवरिया
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री — एटा
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री — फैजाबाद
राकेशधर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री — वाराणसी
राज बहादुर, श्री — जौनपुर
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
राम अौतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री — बाराबंकी
राम जनम, श्री — आजमगढ़
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती — फर्रुखाबाद
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
रामनाथ मुन्शी, श्री — गाजीपुर
राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम लक्षन, श्री — गोरखपुर
राम सजीवन, श्री — बांदा
राम शरण दास, श्री — सहारनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
रेवती रमण सिंह, कुंवर — इलाहाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री — बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती — बलिया
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर
विष्णु देव, श्री — आजमगढ़
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — एटा
शारदानन्द अंचल, श्री — बलिया
शिव बालक पासी, श्री — रायबरेली
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्री प्रकाश, श्री — आजमगढ़
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री — बांदा
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
सैयद सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री — बस्ती
हर्ष बर्धन, श्री — गोरखपुर
हृदय नरायन दीक्षित, श्री — उन्नाव

नोट:—श्री अम्मार रिजवी तथा श्री अरूण कुमार सिंह माननीय मंत्री तथा श्री निसार अहमद अंसारी व कु0 सरस्वती अम्माल माननीय राज्य मंत्री भी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सभी कृषकों को फसल बीमा का लाभ देने के आश्वासन की मांग

***1—श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्ही किसानों की फसलों का बीमा होता है जो सहकारी समितियों अथवा बैंकों से फसल ऋण लेते हैं अन्य कृषकों की फसलों का नहीं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी केन्द्र सरकार से बातचीत करके सभी इच्छुक कृषकों की फसलों का बीमा कराने का आश्वासन देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जी हां ।

प्रदेश में लागू व्यापक फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना है जिसमें भारत सरकार की अनुमति के बिना अपेक्षित आश्वासन दिया जाना सम्भव नही है । शासन को उपलब्ध जानकारी के अनुसार योजना में परिवर्तन पर विचार हेतु भारत सरकार ने एक समिति गठित की है जिसकी संस्तुतियों के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह फसल बीमा योजना उन्हीं किसानों के लिए होती है जो सहकारी समिति से या बैंक से लोन लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह कोई फसल बीमा योजना नहीं है बल्कि सरकार ने जिन्हें कर्ज दिया है, उसे वसूल करने के लिए यह योजना है । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना का नाम फसल बीमा योजना के बजाय कर्ज बीमा योजना क्यों नहीं रखा जाता । जब तक आपको इसकी स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक इस फसल बीमा योजना को रखने का क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय श्री बरार जी का यह कहना सही है कि यह योजना आम किसान के फायदे के लिये नहीं है बल्कि जो लोन लेते हैं, उन्हीं को इस योजना से फायदा होता है । माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इससे केन्द्र सरकार को अवगत करा दूंगा और माननीय सदस्य की भावनाओं को केन्द्र सरकार तक पहुंचा दूंगा ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, हमारे जिले में और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 2 महीने पहले ओला वृष्टि पड़ने से फसल की क्षति हो गई थी । उस फसल की क्षति के संबंध में जब हम किसानों को लेकर डी0 एम0 के पास गये तो उन्होंने कहा कि यह अप्लीकेशन ए0 आर0 के पास जायेगी । अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फसल की क्षति होने पर फसल बीमा के भुगतान हेतु कौन अधिकारी निर्देशित करेगा या आदेश देगा । क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह स्पष्ट करने के लिए पूरे प्रदेश में एक सर्कुलर जारी करेंगे या विज्ञापन जारी करेंगे कि फसल बीमा का भुगतान किसानों को फलां काउन्टर से होगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह तो जनरल इनश्योरेन्स के जरिये से किया जाता है और वे ही इसे तय करते हैं । तहसील से उसकी रिपोर्ट जाती है। कहने का मतलब यह है कि साधारण बीमा निगम के अधिकारी इसे तय करते हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो यह फसल बीमा की योजना है इसमें राज्य सरकार का भी अंशदान होना है । तो फिर कौन सी ऐसी दिक्कत है कि केन्द्र सरकार से इस बीमा योजना को सभी वर्गों के लिये लागू कराया जाय और माननीय मंत्री जी इसे कब तक लागू करा देंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह केन्द्र सरकार की योजना है और हम उसे कार्यान्वित करते हैं । माननीय सदस्य ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उससे हम केन्द्र सरकार को अवगत करा देंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे जानकारी है कि एक बोरी खाद देने पर जो कर्जा दिया जाता है, 3-4 रु0 बीमे के लिये भी काट लिया जाता है, लेकिन आज तक जहां सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गयी. किसी को भी बीमे की राशि से पैसा नहीं मिला । क्या मा0मंत्री जी इस प्रकार की जांच पूरे प्रदेश में करायेंगे कि जहां इस प्रकार की दैवी आपदा हुई है, उनको बीमे का रुपया मिला या नहीं? यदि नहीं, तो किसान से कर्जे के साथ जो बीमे का रुपया लिया जाता है, उसकी रसीद भी दी जाया करे जिससे कि वे सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर सकें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सम्मानित सदस्य पाण्डेय जी का यह कहना सही नहीं है कि इससे किसानों की कोई मदद नहीं हो रही है । पिछले साल 18,42,000 रुपया किसानों का जो डैमेज हुआ था, उसकी अदायगी हुई है । इसमें किसान भी जिनका बीमा किया गया 11 लाख 63 हजार हैं और जो मुआवजा दिया गया वह 30 तहसीलों में दिया गया। ऐसा नहीं है कि न मिलता हो, दिया जाता है लेकिन चूंकि वह योजना अभी व्यापक नहीं है, अतः इस योजना को व्यापक बनाने की जरूरत है तब वह किसानों के हित में होगी ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी मुख्य मुख्य फसलें हैं, जिनका बीमा किया गया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कई फसलें हैं जिनका बीमा किया जाता है जैसे रबी में गेहूं है, तिलहनी और दलहनी फसलें हैं, धान है, मक्का है, इन फसलों का बीमा किया जाता है।

श्री विजय सिंह राणा–

मंत्री जी ने इस बात से सहमति जाहिर की है कि केन्द्र की रिपोर्ट भेजेंगे और जो किसान ऋणी हैं उनकी फसल के बीमे के बजाय केन्द्र से सिफारिश करेंगे कि सभी किसानों की फसल का बीमा हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कोई प्रारूप तैयार किया है? यदि हां, तो वह क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने निवेदन किया कि अभी जो योजना है यह आम किसान के लिये नहीं है बल्कि जो कर्जा लेते हैं उन्हीं के लिये है, इसे व्यापक बनाने की जरूरत है। मैंने यह नहीं कहा कि हम ऐसा

करा देंगे। जो आपकी भावनायें हैं उससे भारत सरकार को अवगत करा देंगे और आपकी भावना वहां तक पहुंचा देंगे।

श्री राम नरेश यादव–

अभी मा0 मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि सचमुच जो फसल बीमा योजना लागू की जा रही है, यह जो उसका वास्तविक अर्थ है, उससे मेल नहीं खाती है। यह सरकार प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना के नाम पर गुमराह कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब से सरकार इस योजना का प्रसार और प्रचार कि सरकार फसल बीमा योजना कर रही है, इस प्रकार से करना बन्द करेंगे? दूसरी बात क्या मा0 मंत्री जी ने बैठकर सरकारी अधिकारियों के स्तर से इस बात का कोई आकलन निकाला कि यदि पूरे प्रदेश के किसानों के लिये फसल बीमा योजना लागू की जाय तो कितना व्यय पड़ेगा? तीसरी बात यह है कि क्या सरकार अपनी तरफ से केन्द्र सरकार को लिखने का कष्ट करेगी कि यह योजना बिल्कुल ही किसानों के हित में नहीं है, अतः इस योजना को पूर्ण रूप से प्रदेश स्तर पर, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, लागू करने का कष्ट करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, राम नरेश जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि इससे किसानों का कोई हित नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो किसान बैंक से कर्जा लेते हैं उनके लिये यह बीमा योजना हितकर है लेकिन यह सही है कि आम किसानों के लिये इसका व्यापक प्रभाव जो होना चाहिए, वह नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही केन्द्र सरकार की बात की कि इस पर विचार करना चाहिए। तो इसके लिये हमारे यहां बराबर विचार हो रहा है और हम दिखवा रहे हैं कि इसे किस तरीके से और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाय और इसे किस तरीके से और अधिक व्यापक बनाया जाय। इस पर विचार हो रहा है और बराबर इस पर एक्सरसाइज हो रही है।

श्रीमती विमला सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष किसानों को कितना रुपया दिया गया है और उनसे उसका कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1985-86 में रु0 11,63,487 का किसानों का बीमा किया गया था जिसमें बीमा की धनराशि थी 1 करोड़ 50 लाख 86 हजार रु0 और जो दिया गया है वह कम है यह सही बात है। 17 लाख 42 हजार रु0 दिया गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

लीजिये यह भी अच्छा धन्धा बना लिये हैं, ये किसानों को खुले आम लूट रहे हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

किसानों के जितने हमदर्द आप हैं, उतने ही हमदर्द हम भी हैं। मैंने तो यहां वस्तुस्थिति बतलायी, मैंने किसी तथ्य को छिपाने की बात नहीं की है। यह सही है कि फसल बीमा योजना का लाभ आम किसान तक नहीं पहुंचता है, जहां नुकसान होगा वहां उसको मुआवजा दिया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि 17 लाख का भुगतान हुआ और इस तरह से किसानों से अधिक वसूली की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि वर्ष

1985–86 में महाराष्ट्र में किसानों से 2 करोड़ का प्रीमियम लिया गया और उनसे उन्हें 22 करोड़ रु0 का भुगतान दिया गया। इसी तरह से कर्नाटक में 4 करोड़ रु0 का प्रीमियम प्राप्त हुआ जबकि उन्हें 15 या 16 करोड़ रु0 का भुगतान किया गया। अपने उत्तर प्रदेश में जबकि दैवी आपदाओं से किसानों का जो भारी नुकसान होता है, तो क्या उनका विभाग किसानों की कोई ऐसी मदद भी करता है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिये वह क्लेम कर सके? क्या यह उनके विभाग के ऊपर टिप्पणी नहीं है? जबकि दूसरे प्रदेशों में यहां की अपेक्षा कितना अधिक भुगतान हुआ है?

दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि फलों की खेती में जो कि साल में केवल एक बार ही होती है, दैवी आपदा का प्रकोप हो जाता है जिससे कि पूरे वर्ष के लिये फलों की फसल बेकार हो जाती है। तो क्या मंत्री जी केन्द्र सरकार के माध्यम से फलों के बागों की भी फसल बीमा योजना आरम्भ कराने के लिए विचार करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने जो पहले ही निवेदन किया था बीमा की धनराशि 1 करोड़ 50 लाख की बीमा की धनराशि थी और प्रीमियम प्राप्त हुआ है।

30 लाख 8 हजार 58 रु0 जिसमें से 17 लाख 42 हजार रु0 किसानों को दिया गया है और अब जो श्री बरार जी ने प्रश्न किया है तो फलों को भी उस योजना में शामिल किया जाय तो यह सुझाव भी अच्छा है हमने एक पत्र लिखा है भारत सरकार को कि फलों को भी शामिल किया जाये। सेव, आलू और आम के लिये लिखा है कि इन्हें भी शामिल किया जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जितना प्रीमियम जमा हुआ है, उससे बहुत कम राहत किसानों को दी जा रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यहां पर जो कोई इकाई मानी गयी है, वह तहसील मानी गयी है, तहसील को यूनिट माना गया है। सामान्य पैदावार में कमी होती है, तो जितना प्रतिशत तहसील में कम होता है, उसके आधार पर छूट दी जाती है, क्या यह भी सही है कि इसी कारण से ओले से जो क्षति होती है, ओले से गांव का एक हिस्सा प्रभावित होता है, 2-4 गांव प्रभावित होते हैं, सूखे से तहसील के 4-6 गांव प्रभावित होते हैं पूरी तहसील बराबर प्रभावित नहीं होती है और तहसील को इकाई माने जाने के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों को जो ऋण का भुगतान है, वह नहीं किया जा रहा है, क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जो भी भुगतान किया जाता है, उसको सहकारी समितियों के सचिव किसानों को नहीं बताते हैं कि उनका ऋण उनके प्रीमियम से हो गया है और किसानों से अलग से रुपया वसूल किया जाता है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने तो स्पष्ट बता दिया है कि इस योजना से सभी किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। इस पर भारत सरकार काफी गम्भीरता से विचार कर रही है और उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया है जो इसके सभी पहलुओं पर विचार करेगी कि किस प्रकार से इसको प्रभावशाली बनाया जाये। जो यूनिट है वह तहसील है और पूरी तहसील में बराबर क्षति नहीं होती है और उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है, तो इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं

उनके सम्बन्ध में हमारे यहां से लिखा गया है और अन्य राज्यों से भी सुझाव आये हैं और इन पर विचार करके कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तब उस पर विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य आलू की बात कह रहे थे तो मैं बताना चाहता हूं कि वह इसमें नहीं है। जहां तक आलू का सम्बन्ध है, वह एक महत्वपूर्ण फसल है और हम चाहते हैं इसका फसल बीमा हो और उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने किसानों ने प्रीमियम जमा करके अपना बीमा कराया है और उनको कितना भुगतान किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कम से कम कितना रुपया किसानों को दिया गया और अधिक से अधिक कितना दिया गया और इस को तय करने का आधार क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कम से कम कितना दिया गया, इसकी जानकारी इस समय नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको जानकारी करा दी जायेगी।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगी रोक से उत्पन्न बेरोजगारी की रोकथाम हेतु शासन की नीति

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त सचिव की ओर से अभी हाल में ही शासन के सभी विभागाध्यक्षों को इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि सभी चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल रोक दी जाय तथा रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तत्कालिक प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया जाय और रिक्त पदों को भरा न जाय? यदि हां, तो इससे उत्पन्न बेरोजगारी की रोकथाम हेतु शासन की नीति क्या है?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी हां।

वर्ष 1986-87 की विषम आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त कर न लगाना पड़े इस कारण प्रशासनिक व्यय में बचत का प्रयास करना आवश्यक हो गया था। दैनिक वेतन पर नियुक्ति काम चलाने की सामयिक व्यवस्था है जो बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से नहीं की जाती। बेरोजगारी की वास्तविक रोकथाम विकास कार्यों द्वारा होती है जिसके लिए शासन पूर्णतः सजग है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

निजी, सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर बकाया किसानों के गन्ने की कीमत का भुगतान एवं उस पर देय ब्याज दर

*1–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों तथा सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र में चलने वाली चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का कितना मूल्य 1 जनवरी, 1987 तक बकाया है ? क्या भारत सरकार ने उसका भुगतान ब्याज सहित करने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो ब्याज का प्रतिशत क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक 1 जनवरी, 1987 को देय अवशेष गन्ना मूल्य की स्थिति निम्नांकित थी:–

क्षेत्र	अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रु0 में)
1. निजी क्षेत्र	2535.71
2. सरकारी मिलें	1415.98
3. सहकारी मिलें	1502.82
	5454.51

भारत सरकार के शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर 1966 के प्राविधानों के अनुसार 14 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने पर, अवशेष धनराशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सरकार को नुकसान एवं उनकी मांगों पर विचार

*2–श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री राम नरेश यादव, डा0 दिनेश जौहरी तथा

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत नवम्बर, 1986 में राज्य कर्मचारियों ने 19 दिन की हड़ताल की ? यदि हां, तो हड़ताल के पूर्व राज्य कर्मचारियों की मांगें क्या थी और उन पर शासन ने उसी दौरान क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों और हड़ताल से शासन को कितना नुकसान हुआ ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने 15 प्रतिशत अन्तरिम सहायता धनराशि राजकीय कोष के किस मद से प्राप्त की और यह अन्तरिम सहायता कर्मचारियों की नोटिस और हड़ताल के मध्य के समय में क्यों नहीं दी ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

कतिपय मांगों जिनमें मुख्यत: केन्द्रीय कर्मचारियों से वेतन समानता की मांग है, के लिए प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा माह नवम्बर, 1986 में हड़ताल की गयी थी।

कर्मचारियों की उक्त मुख्य मांग को स्वीकार करने में वित्तीय भार अधिक था जिस पर राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए गहराई से ही विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकता था लेकिन कर्मचारियों ने विचार-विमर्श के रास्ते को त्यागते हुए तत्काल आन्दोलन का रास्ता अपना लिया । राज्य सरकार ने हड़ताल के दौरान भी बातचीत का दरवाजा खुला रखा और कर्मचारी समूह के हित को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम सहायता देने का भी निर्णय लिया था।

हड़ताल के कारण शासन को कितनी हानि हुई अथवा नहीं, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

पुन: शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अन्तरिम सहायता की धनराशि कुछ बढ़ाते हुए 15 प्रतिशत कर दी गई और इस अन्तरिम सहायता को पहले से विद्यमान "अन्तरिम सहायता" मानक मद से वहन किया जा रहा है। विभिन्न विभाग इस व्यय को या तो पुनर्विनियोजन द्वारा अन्यत्र होने वाली बचतों से वहन कर रहे हैं अथवा द्वितीय अनुपूरक मांगों से व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, 19 दिन तक हड़ताल चली। सारे विभागों के और सारे विकास के कार्य ठप रहे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी विभाग की तरफ से यह छानबीन की गई अथवा सरकार की तरफ से कोई निर्देश जारी हुआ कि 19 दिन तक जो सारे विकास के काम रुके रहे उससे कितने रुपये की क्षति हुई? अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने जानबूझकर इसका पता लगाने की कोशिश नहीं की ।

दूसरी बात यह है कि जो 15 प्रतिशत अन्तरिम सहायता दी गई है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उससे कुल कितने रुपये का व्यय भार पड़ा है और किन सूत्रों से इस व्यय भार को पूरा करने की कोशिश की गई है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का मैं पहले उत्तर देना चाहता हूं कि 170 करोड़ रूपये का व्यय भार इससे सरकार पर आयेगा । अगर माननीय सदस्य मेरे उत्तर को पढ़ते तो शायद इस प्रश्न को करने की उन्हें जरूरत न पड़ती । मैंने उसमें कहा है कि इस अन्तरिम सहायता को पहले से विद्यमान अन्तरिम सहायता मानक मद से वहन किया जा रहा है । इसमें 170 करोड़ रूपये का व्यय भार आया ।

जहां तक सम्मानित सदस्य के पहले प्रश्न की बात है कि उसमें कितना नुकसान हुआ है । जब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गये तो नुकसान हुआ है । क्योंकि जैसे कोई नहर चल रही थी उसमें कहीं पानी चला कहीं नहीं चला । तो इसको नापने के लिये कौन सा मानक निकाला जाय । हम कहते हैं कि नुकसान हुआ है लेकिन यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि कितना नुकसान हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो हड़ताल हुई थी उसका आधार यह था कि केन्द्र के समान राज्य कर्मचारियों का भी वेतन हो । इस मांग को क्या राज्य सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए 15 प्रतिशत अन्तरिम सहायता की घोषणा की थी और अन्तरिम राहत की घोषणा भी निश्चित अवधि के अन्दर उसे पूरा करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो इस दिशा में शासन की ओर से क्या प्रगति हुई है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही निवेदन किया है कि 15 प्रतिशत अन्तरिम सहायता दी गई। मुख्य मांग कर्मचारियों की यह थी कि केन्द्र के कर्मचारियों के समान जो वेतन उन्हें वहां पर मिलता है, उसी के हिसाब से वेतनमान दिया जाय । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास में लेते हुए बहुत ही अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार इस समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ हमारे सामने अपने कर्मचारियों की जो मांगें हैं उनको मान लेना उचित समझते हैं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 12-14 लाख कर्मचारियों की इस मांग को लेकर 12 करोड़ जनता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। हमें दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है। इसलिये हमने उनके साथ बातचीत के दरवाजे खोल

रखे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के कार्यों को रोककर किसी बात को नहीं माना जायेगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1986 में राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो उस समय राज्य सरकार और कर्मचारियों के दरम्यान एक महायदा हुआ था और उसमें एक बात तय हुई कि वेतन समिति बैठेगी जिसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का जज होगा लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया तो उसकी क्या वजह है तथा उनकी यह भी मांग थी कि विधान सभा सचिव वेतन समिति के सदस्य हों। तो क्या सरकार अपने उस वायदे को पूरा करेगी?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य की यह मांग हो सकती है कि न्यायाधीश अध्यक्षता करें लेकिन कर्मचारियों के साथ जो समझौता हुआ उसमें कहीं यह मुद्दा नहीं था कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अध्यक्षता करे । हमने जो अध्यक्ष नियुक्त किया है वह बहुत ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और किसी कर्मचारी संगठन ने उस पर आपत्ति भी प्रकट नहीं की है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि कुछ लाख कर्मचारियों के पीछे उत्तर प्रदेश की जनता की गरदन नहीं कसी जा सकती। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों की ओर से खुली सड़कों पर नारे लगाये गये और जो तथ्य रखे गये जिनके आधार पर सरकार अपने खर्च में कमी करके उनकी मांगें पूरी कर सकती है और प्रदेश की जनता का भी हित हो सकता है तो उन तथ्यों को सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार का निश्चित रूप से यह इरादा है जहां भी मितव्ययिता बरती जा सकती है बरती जाय । लेकिन सड़कों पर क्या नारे लगाये गये उनका जिक्र न करें तो अच्छा है उसमें आपके लिये और हमारे लिये भी क्या कहा गया उनका जिक्र न करें तो अच्छा है। उनकी जो उचित मांगें थीं उनको पूरा करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे और उसके लिये समिति बैठा दी गयी है । हम उचित अवसर पर उचित कदम उठायेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं जानना चाहता हूं कि जो इतने दिनों तक आन्दोलन चला उसमें उनकी मुख्य मांग यह थी कि केन्द्रीय सरकार के बराबर वेतन मान कर दिये जायं । तो क्या शासन ने इस बात का अनुमान लगाया है कि केन्द्र सरकार के बराबर वेतनमान देने में उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना व्यय भार पड़ेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह जो समिति गठित की गयी है वह इसका भी विस्तार से पता लगायेगी कि कितने कर्मचारी हैं और कितना उनका वेतन है उसी के अनुसार यह तय होगा कि कितना उनको मिलेगा । लेकिन विभाग से तो मुख्यतौर पर अनुमान लगाया है उसमें लगभग 6 सौ करोड़ रुपया व्यय भार सरकार पर आयेगा ।

श्री फजलुल बारी–

यह जो पे कमेटी बैठाने की बात की है इसमें बताने की कृपा करेंगे कि इसका गठन कब तक हो जायेगा और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और कब तक उसमें अमल दरामद हो जायेगा?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य लगता है लखनऊ में नहीं रहते हैं और समाचार

पत्र नहीं पढ़ते हैं इस वेतन समिति का गठन हो गया और उसे काफी दिन हो गये हैं और यह तेजी से काम कर रही है और यथाशीघ्र समिति रिपोर्ट दे देगी और वह सदन के सामने प्रस्तुत हो जायेगी ।

*3—श्री जौहरी लाल द्विवेदी—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पत्रकारों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा किये गये उपाय

*1—श्री हृदय नरायन दीक्षित (अनुपस्थित)—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की स्वतंत्रता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों को भारतीय दण्ड विधान में उल्लिखित लोक सेवक का दर्जा देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तम्भ पत्रकारों की आजादी को अक्षुण्ण रखने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)—

जी नहीं ।

प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उपाय किये गये हैं ।

जनपद बाराबंकी की तह0 हैदरगढ़ के ग्राम मकरई के नागरिकों को स्वच्छ जल व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*2—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि गृह मंत्री को श्री नन्द राम भू0 पू0 विधायक बरेली का कोई पत्र जो ग्राम मकरई, तह0 हैदरगढ़, थाना सुवेल, जिला बाराबंकी के नागरिकों के स्वच्छ जल व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में है, दिनांक 30-7-85 को मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

[मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ स्थित महानगर आवास योजना में अवरुद्ध सड़क के निर्माण की योजना

*1—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—(अनुपस्थित)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अर्जन किये जाने में क्या-क्या कठिनाइयां आयीं और उन कठिनाइयों का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? क्या मौजूदा 12 फीट चौड़ी सड़क जो स्व0 श्री सुबराती के प्रश्नगत प्लाट के आगे अवरुद्ध हो गयी है, को और चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वहां के स्थानीय निवासियों ने भूमि अर्जन के संबंध में जारी की गई नोटिस के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जो आबादी होने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत हुयी तथा अर्जन से संबंधित जारी की गई नोटिसें रद्द कर दी गई ।

जी नहीं ।

उक्त सड़क को आबादी के बाहर घुमाकर फातिमा अस्पताल के निकट स्थित 100 फुट चौड़ी सड़क में मिला दिया गया है ।

सादाबाद (मथुरा) पुलिस द्वारा मारे गये छात्र राम प्रकाश पुत्र भरत सिंह चौहान निवासी बेदई की स्कूल रजिस्टर व पुलिस द्वारा दर्शायी गई उम्र में अन्तर एवं हत्या की सी0 आई0 डी0 जांच की मांग

*2–श्री सरदार सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 7/8 अप्रैल, 86 की रात्रि को सादाबाद (मथुरा) पुलिस द्वारा मारे जाने वाले छात्र राम प्रकाश पुत्र भरत सिंह चौहान निवासी बेदई की स्कूल रजिस्टर व पुलिस द्वारा दर्शायी गयी उम्र में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है ? क्या प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र माह अप्रैल में मुख्य मंत्री सचिवालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य शिकायती बिन्दु क्या थे और शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या एस0 पी0 मथुरा ने उक्त काण्ड की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक राम प्रकाश के जूनियर हाई स्कूल के रिकार्ड के अनुसार जन्म तिथि 11-12-73 है, किन्तु पोस्ट मार्टम रिपोर्ट/पंचायतनामा में मृतक की आयु करीब 19 वर्ष अंकित की गई है । आयु के अन्तर का कारण जांच के पश्चात ही स्पष्ट होना सम्भव है । माननीय प्रश्नकर्ता का पत्र शासन को प्राप्त हुआ । इसमें मुख्यतः फर्जी मुठभेड़, डाक्टर द्वारा मृतक की आयु का गलत अंकन और पुलिस द्वारा अधजली लाश को यमुना नदी में फेंकने के आरोप लगाये गये हैं । पुलिस अधीक्षक मथुरा ने इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराने की संस्तुति नहीं की, किन्तु शासन द्वारा पूरे प्रकरण पर विचार कर जांच अपराध अनुसन्धान शाखा को अभिदिष्ट की जा चुकी है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने मारा और फर्जी मुठभेड़ दिखाई, इसकी जांच ए0 डी0 एम0 (एफ0 आर0) मथुरा ने की, तो क्या मंत्री जी ए0 डी0 एम0 (एफ0 आर0) द्वारा तैयार रिपोर्ट को भी सी0आई0डी0 के जांच अधिकारी को निर्देशित करेंगे कि उस जांच रिपोर्ट को देख लें और शामिल कर लें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, अवश्य कर देंगे ।

मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लखनऊ के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग की शिकायत

*3–श्री रमेश यादव तथा श्री मयंकर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी

हैं कि मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र लखनऊ पिछले 15 वर्षों से लखनऊ में ही तैनात हैं तथा वे जल निगम प्रशिक्षण केन्द्र में 150/- प्रतिमाह पर किराये पर रहते हुए अपने पद प्रभाव से लखनऊ स्थित अपने निजी मकान को जल निगम के अधिशासी अभियन्ता शाखा कार्यालय हेतु 3500 रुपये प्रतिमाह किराये पर उठा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इसी अधिकारी द्वारा जनपद फैजाबाद हेतु करोड़ों रुपये की सामग्री बिना अध्यक्ष जल निगम की अनुमति प्राप्त किये खरीद कर अपने पद का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम उक्त पद पर दिनांक 19 जुलाई, 1983 से कार्यरत हैं तथा वह लखनऊ में विभिन्न पदों पर लगभग 10 वर्षों से तैनात हैं । वह जल निगम, प्रशिक्षण केन्द्र में रु0 280/- प्रतिमाह किराये पर रह रहे हैं । उनका निजी मकान जल निगम ने अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय हेतु रु0 2818/- मासिक किराये पर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अनुमोदित दर पर एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी, मुख्य अभियन्ता (प्रकल्प नियोजन) की स्वीकृति से ले रखा था, जो अब खाली कर दिया गया है। इसमें मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) द्वारा अपने पद प्रभाव उपयोग करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि भवन उचित दर पर लिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) ने जनपद फैजाबाद हेतु कोई सामग्री नहीं क्रय की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्रमणि, सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद् पर परिषद् की जीप गायब कराने का आरोप

*4–श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि राजस्व परिषद् की जीप संख्या–यू0 एच0 एफ0–8662 श्री इन्द्रमणि, सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद् ले गये थे और वह जीप मध्य रात्रि में दिनांक 21-5-86 को शीशमहल, लखनऊ से गायब हो गयी थी? यदि हां, तो इसके लिए श्री इन्द्रमणि के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

राजस्व परिषद् की जीप संख्या–यू0 एच0 एफ0 8662 से श्री इन्द्रमणि, सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ दिनांक 21-5-86 को शासकीय कार्य से सचिवालय गये थे व सरकारी कार्य करने के पश्चात् ड्राइवर के न होने के कारण उन्होंने जीप लालबाग काम्पलेक्स स्थित अपने निवास स्थान पर पार्क कर दी। उक्त जीप शीशमहल, लखनऊ से गायब नहीं हुई थी वरन् 21/22-5-86 की रात्रि में लालबाग काम्पलेक्स से चोरी चली गयी ।

प्रथम दृष्टतया श्री इन्द्रमणि का कोई दोष न पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसकी एफ0 आई0 आर0 कब कराई गयी और वह रिपोर्ट क्या है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, श्री इन्द्रमणि, सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त ने दिनांक 22-5-86 को सचिव को लिखा है, जो इस प्रकार है—

कल दिनांक 21-5-86 को मैं सचिवालय में एक आवश्यक बैठक में भाग लेने के लिये परिषद् की जीप सं0 यू0 एच0 एफ0–8662 में बैठकर उप भूमि व्यवस्था आयुक्त श्री दुबे के साथ सचिवालय गया था जिसको श्री चन्द्र कुमार ड्राइवर चला रहा था। सचिवालय में देर रात तक तथा अन्य राजकीय कार्य के सिलसिले में रुकना पड़ा रात को लगभग 8 बजे मैं वापस आ गया और उपरोक्त गाड़ी लालबाग आफीसर्स काम्पलेक्स के अन्दर खड़ी कर दी गयी। सुबह देखा तो गाड़ी काम्पलेक्स के अन्दर मौजूद नहीं थी। मैं काफी देर तक इधर-उधर तलाशता रहा परन्तु लगता है कि गाड़ी गायब कर दी गयी है। इस घटना की मौखिक सूचना मैं आपको दे चुका हूं और एस0 पी0 सिटी से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा इत्तला कर दिया हूं।

अतएव गाड़ी के विवरण सहित पुलिस में विधिवत एफ0 आई0 आर0 लिखाने का कष्ट करें ताकि पुलिस तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर सके।

इसी को एस0 ओ0 हजरतगंज को जांच हेतु श्री आर0 पी0 सिन्हा, सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू, लखनऊ ने अग्रसारित दिनांक 22-5-86 को कर दिया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जिस अधिकारी का इसमें वर्णन है वह बहुत बड़ा कलाकार है। मेरे यहां तहसील में ग्राम समाज की जमीन को लिखवा कर हड़प लिया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री इन्द्रमणि अपने पद से कब सेवा मुक्त कर दिये गये थे और बाद में सरकार ने उनको कब सेवा में रखा? मान्यवर, यह बड़ा ही खुराफाती अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य जब भी जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई अधिकारी नहीं हो सकता है और जब वह किसी अधिकारी का जिक्र करते हैं तो उसी को भ्रष्ट बताते हैं। मान्यवर, जहां तक प्रश्न यह था कि जीप चोरी हो गयी तो उसकी पूरी तैयारी करके मैं आया था। अगर उसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न करते हैं तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं। वह अधिकारी कब मुअत्तल किया गया और कब फिर सेवा में लिया गया अगर इसके बारे में अलग से प्रश्न कर लें तो उत्तर दे दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जीप आज तक मिली है या नहीं। दूसरी बात यह है कि मेरी स्पष्ट जानकारी है कि वह जीप चोरी नहीं गयी है बल्कि उसने खुद बेच डाली है। क्या इन तथ्यों की जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जीप अभी तक मिली नहीं है। पुलिस जांच कर रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से करवाने की कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है, कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी

है । यह न्यायालय में है अब सी0 आई0 डी0 को कहां सौंप दिया जाय।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि चार्जशीट किसके विरुद्ध लगायी गयी है।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि सिर्फ आप अपनी बात रखना चाहते हैं, दूसरे की बात न सुनी जाय । यह अनुचित बात है। आप प्रश्न कर लीजिये । यह तरीका कई रोज से अपनाया जा रहा है कि किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी बताया कि चार्जशीट लग चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि चार्जशीट किसके विरुद्ध गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अन्तिम रिपोर्ट जो है, चार्जशीट अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जो पुलिस ने व्यवस्था दी है न्यायालय उस पर निर्णय करेगा कि उसको स्वीकार किया जाय या नहीं।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि चार्जशीट किसके खिलाफ लगायी गयी है उसका नाम बताने का कष्ट करें?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो भी पुलिस की रिपोर्ट है जब तक वह स्वीकार न कर ली जाय तब तक मैं क्या कह सकता हूं। यह प्रकरण न्यायालय में गया है, न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक जीप की चोरी का सम्बन्ध है उसमें उनकी लापरवाही भी हो सकती है। यह भी हो सकता है उन्होंने खुद चोरी कर ली हो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । लेकिन किसी भी स्थिति में, कहीं भी इस अधिकारी को बचाने का सरकार प्रयास नहीं करेगी, यह मैं आश्वासन देता हूं। साथ ही साथ अगर इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की जानकारी में कोई तथ्य हों वह मुझे दे दें। जांच हो रही है उसमें प्रस्तुत कर दिये जायेंगे । अगर कोई अधिकारी दोषी है तो किसी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जायगा, यह मैं आश्वासन देता हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस अधिकारी के विषय में चर्चा हो रही है उस अधिकारी की सेवा समाप्त कर दी गयी थी और हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था ? मैं जानता हूं कि सरकार में कोई अधिकारी बेइमान नहीं है क्योंकि सरकार का वही रुख है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ इस सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने माननीय विधायक से बहुत ही नम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि इस अधिकरी के खिलाफ वह जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत देंगे, और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित एक भी बिन्दु इस अधिकारी के खिलाफ पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, डुमरियागंज प्रापर में जिसमें तहसील बनी हुई है, इस अधिकारी ने ग्राम समाज की जमीन रुपया ले करके बड़े आदमियों के नाम बिना पत्रावली के अमल दरामद करा दिया। मान्यवर, इस कारण से तथा अन्य कई कारणों से यह अधिकारी सेवा मुक्त हो गया।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कोर्ट में जब चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो क्या माननीय मंत्री जी उक्त चार्जशीट अदालत से मंगा कर इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, चार्जशीट अभी अदालत में सब्मिट नहीं हुई है। मान्यवर, जब भी कोई रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाती है, और न्यायालय अगर संतुष्ट होते हैं, तो उसे स्वीकार कर लेते हैं और अगर नहीं संतुष्ट होते हैं, तो उसे अस्वीकार कर देते हैं। यह प्रकरण न्यायालय में जा चुका है।

(घोर व्यवधान)

उ0 प्र0 राज्य लाटरी निदेशालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या एवं प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टि/ अनुशासनात्मक कार्यवाही

*5–श्री सुन्दर लाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य लाटरी निदेशालय में ऐसे कितने तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं जो 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या जिन्होंने प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियां पायी हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग प्रत्येक छः माह में करती है ? यदि हां, तो पिछली दो स्क्रीनिंग कब की गयी थीं और कब तक के लिए कर्मचारियों की सेवा बनाए रखने की संस्तुति की गयी थी ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी निदेशालय के तृतीय श्रेणी में केवल एक कर्मचारी है जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तथा चरित्रपंजी में वर्ष 1985-86 में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है। प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित करने के लिए उक्त कर्मचारी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

यद्यपि वर्तमान आदेशानुसार 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था है और यह स्क्रीनिंग वर्ष में एक बार नवम्बर माह तक हो जानी चाहिये परन्तु उक्त कर्मचारी का मामला स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष गत वर्ष क्रमशः 21-4-86 व 29-11-86 को प्रस्तुत हुआ था। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उक्त कर्मचारी को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के योग्य नहीं पाया गया।

श्री सुन्दर लाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाटरी निदेशालय में एक उप निदेशक हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं और वह स्क्रीनिंग के सिलसिले में 12 साल से अपने जिले में हैं, जिसके कारण स्क्रीनिंग की कार्यवाही सही नहीं हो पा रही है ? तो क्या माननीय मंत्री जी इसके खिलाफ जांच कराकर कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, इस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में न तो माननीय

सदस्य का कोई शिकायती पत्र और न ही किसी अन्य व्यक्ति का कोई शिकायती पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि आप इसके सम्बन्ध में कोई सूचना देंगे, तो उसकी जांच अवश्य करवा लूंगा ।

श्री सुन्दर लाल–

मान्यवर, मैंने स्वयं उस उप निदेशक के खिलाफ माननीय मंत्री जी के कार्यालय में शिकायती पत्र दिया था। मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे उस शिकायती पत्र को अपने कार्यालय में ढुंढवा लें और उस उप निदेशक के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं अपने कार्यालय में इसकी छानबीन करवा लूंगा और उक्त शिकायती पत्र उपलब्ध हो जाने के उपरान्त, उसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही की जायगी ।

प्रदेश की महापालिकाओं, नगर पालिकाओं, टाउन एरिया व स्थानीय निकाय की इकाइयों में पंचवर्षीय कर निर्धारण हेतु गाइड लाइन्स की मांग

*6–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 1985 में प्रदेश की महापालिकाओं, नगर पालिकाओं, टाउन एरिया आदि स्थानीय निकाय की इकाइयों को पंचवर्षीय कर निर्धारण की कुछ गाइड लाइन्स (नीति निदेशक बिन्दु) जी0 ओ0 के तहत अग्रसारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है और क्या संदर्भित अधिकारियों ने इस गाइड लाइन्स के अनुसार ही कर निर्धारण किया है ? यदि नहीं, तो क्या समूची निर्धारण की प्रक्रिया को पुन: गाइड लाइन्स के अनुसार करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

पंचवर्षीय मूल्यांकन के संबंध में गाइड लाइन्स शासनादेश दिनांक 8-10-85 तथा शासनादेश दिनांक 27-12-85 में निर्गत की गई है। इन गाइड लाइन्स के अनुसार:-

(1) जिन भवनों का वार्षिक मूल्यांकन 360 रु0 या इससे कम है और ऐसे भवन अथवा भूमि के स्वामी को संबंधित स्थानीय निकाय में कोई अन्य भवन या भूमि नहीं है तो उस पर कर आरोपण नहीं किया जायेगा।

(2) जो भवन रेन्ट कंट्रोल एक्ट की परिधि में आते हैं और जिनका मानक किराया रेन्ट कन्ट्रोल प्राधिकारी द्वारा तय किया गया है वहां कर निर्धारण के पूर्व रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उनका स्टैन्डर्ड किराया निर्धारित किया जाय और इस प्रकार किये गये मूल्यांकन पर कर निर्धारण किया जाय। शासनादेश दिनांक 27-12-85 में रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि में आने वाले भवनों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि रेन्ट कन्ट्रोल के स्वनिवासित भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में सामान्यत: कोई वृद्धि नहीं की जायेगी । यदि उनमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया गया है तब उसका कर निर्धारण सामान्य भवनों की भांति किया जायेगा । रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के जिन भवनों में किरायेदारी है उनका कर निर्धारण वास्तविक किराये के आधार पर किया जाएगा।

(3) जो नये भवन निर्मित किये गये हैं पर उस क्षेत्र के समकक्ष भवनों से होने वाली आय किराये की आमदनी के अनुरूप करारोपण किया जायेगा ।

(4) ऐसे बड़े भवन जिनकी वर्तमान में अनुमानित कीमत दो लाख

रुपये या उससे अधिक है, उन सभी मामलों की जांच किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा स्वयं की जाएगी और इस आशय का उल्लेख जांच आख्या में किया जाएगा।

(5) गृह स्वामियों के निजी अध्यासन के भवनों के कर निर्धारण में पूर्ववत 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जाएगी।

(6) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण की नियमित एवं आकस्मिक जांच की जाएगी।

संबंधित नगरपालिकाओं/नगरमहापालिकाओं से सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शासन द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 1986 को प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, प्रशासक नगर महापालिकाओं को यह आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसे सभी वार्षिक मूल्यांकन के प्रकरणों जिनमें नियमानुसार कर निर्धारण न किये जाने की शिकायतें मिली हों या जिनमें वर्तमान वार्षिक मूल्यांकन निर्धारण में पूर्व निर्धारित रेन्टल वेल्यू में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है या किसी मामले में अन्याय हुआ या आधार रहित कार्य हुआ है तो ऐसे प्रकरणों को खोलकर पुनः निर्णय लिया जाय। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक से नगर विकास परियोजनाओं हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये भी यह शर्त है कि सम्बन्धित निकाय द्वारा गृहकर निर्धारण को पूर्ण किया जाए।

कालीदास मार्ग लखनऊ, स्थित श्री राम दुलारे यादव के भवन को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा गिरा देने के कारण मुआवजे की मांग

*7—श्री शारदा प्रताप
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक तथा
श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 6 अक्टूबर, 1986 को राज्य सम्पत्ति विभाग ने कालिदास मार्ग स्थित मुख्य मंत्री आवास के बाहर 60 वर्ष से रह रहे श्री राम दुलारे यादव का 4 कमरों का पक्का मकान बिना कोई नोटिस दिए गिरा दिया है? क्या सरकार राम दुलारे यादव को इस नुकसान के बदले मुआवजा या फ्रि-आफ कास्ट मकान या जमीन देने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

दिनांक 6 अक्टूबर, 1986 को श्री राम किशोर यादव पुत्र श्री राम दुलारे यादव (कार्यवाही श्री राम दुलारे के विरुद्ध न होकर श्री राम किशोर यादव के विरुद्ध की गई थी जो श्री राम दुलारे के पुत्र है) का मकान जो कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के पूर्व तथा पूर्व-दक्षिण की तरफ अनधिकृत रूप से बनाया गया था, विहित प्राधिकारी न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बेदखल करके गिराया गया।

श्री राम किशोर यादव ने इस भवन के सम्बन्ध में नगर महापालिका में पहली बार वर्ष 1985 में कर निर्धारण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था इस लिये यह कथन कि वह 60 वर्ष से रह रहे थे, सत्य प्रतीत नहीं होता।

श्री राम किशोर यादव ने इस कार्यवाही के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जो निरस्त हो चुकी है और अब उन्होंने विहित प्राधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के यहां अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

अवैध अध्यासी को नियमानुसार कोई मुआवजा या जमीन इत्यादि देने का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि यह मामला न्याया-

लय में विचाराधीन है, अतः इसके गुण-दोष पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है वह सर्वथा सत्य से परे है। मान्यवर, मैंने अपने सवाल में पूछा था कि क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 6 अक्तूबर, 1986 को राज्य सम्पत्ति विभाग ने कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर 60 वर्ष से रह रहे श्री राम दुलारे यादव का 4 कमरों का पक्का मकान बिना कोई नोटिस दिये गिरा दिया है? क्या सरकार श्री राम दुलारे यादव को इस नुकसान के बदले मुआवजा या फ्री आफ कास्ट मकान या जमीन देने की व्यवस्था करेगी?

मान्यवर, आपने राम दुलारे यादव जिनका 4 कमरों का पक्का मकान था उनके बारे में कुछ नहीं कहा। आपने राम किशोर यादव जिनका मकान अलग था, उसका जवाब दिया। इसी संदर्भ में मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि श्री राम दुलारे यादव जिसका उक्त भवन आपके द्वारा गिराया गया है, नजूल विभाग के खाता सं0 126 एस0एम0 पुस्तक नम्बर 282 के क्रम सं0 70 दिनांक 11-2-77 को आवंटित किया गया था, यदि आवंटित किया गया था तो वह आवंटन आदेश जो 11-2-77 को हुआ था किस अधिकारी के द्वारा रद्द किया गया और क्या उसकी विधिवत् सूचना श्री राम दुलारे यादव को दी गयी, इसके बारे में माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसके सम्बन्ध में व अवैध अध्यासन के बारे में जो है, वह कार्यवाही की गयी थी। नियमानुसार नोटिस देकर न्यायालय में कार्यवाई की गयी, वहीं से उसका फैसला हुआ और फैसले के अनुसार बेदखल की कार्यवाई की गयी थी। न्यायालय में यह सभी प्रक्रिया अपनाने के बाद 18-8-86 को यह आदेश पारित किया गया, 29-9-86 को अधिशासी अभियन्ता के न्यायालय द्वारा बेदखल करने का आदेश दिया गया था और उसके फलस्वरूप उनको 6-10-86 को बेदखल किया गया था। इसके अलावा माननीय सदस्य जिस आवंटन की बात कर रहे हैं, वह जो जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में तो अलग से छानबीन करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उसमें मान्यवर, इस तरह के 13 अवैध अध्यासी थे और इन 13 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाई हुई थी जिसमे से केवल एक व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की थी और याचिका खारिज होने पर अब उन्होंने अपील दायर की है, बाकी 12 लोगों ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की थी। इसलिए यह कहना कि 4 कमरों का पक्का मकान था, वह 60 वर्ष से रह रहे थे, यह सही नहीं है। इन्होंने सन् 85 में पहली बार नगर महापालिका में कर निर्धारण के लिए दरख्वास्त दी और अभिलेखों में अवैध रूप से नाम दर्ज करवाने का प्रयास भी किया था।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी को अधिकारियों ने गुमराह कर दिया है और इसीलिए माननीय मंत्री जी सदन को भी गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि 2 व्यक्ति हैं एक है राम किशोर और एक है राम दुलारे, दोनों के नाम जमीन आवंटित है, दोनों मकान का किराया दे रहे हैं। अलग-

अलग व्यक्ति 2 हैं, दोनों ने अपना पक्का मकान बनाया था और इसी आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि श्री राम दुलारे ने अपने आवास का किराया रु0 70.45 नगर महापालिका, लखनऊ में दिनांक 30-9-86 तक रसीद सं0 27, पुस्तक संख्या 1074 द्वारा जमा किया था तथा श्री राम किशोर यादव ने अपने आवास का किराया रु0 60.30 दिनांक 30-9-86 तक रसीद सं0 26 पुस्तक सं0 1074 द्वारा जमा किया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राम दुलारे को नोटिस कब दी गयी है ? यह सारा मामला रामदुलारे का नहीं बल्कि रामकिशोर का है और रामकिशोर के नाम पर यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जो मेरे पास जानकारी है, उसके आधार पर हमने उत्तर दिया है। माननीय सदस्य ने जो और जानकारी दी है उसको मान्यवर, मैं अलग से दिखवा लूंगा ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, कालिदास मार्ग-4 बहुगुणा जी से लेकर तमाम मुख्य मंत्री रहे लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी को पता नहीं कौन सा खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने जो नजूल विभाग के आवंटी थे रामदुलारे और जिन्होंने अपना चार कमरों का पक्का मकान बनवा लिया था उसे गिरवा दिया गया। मान्यवर, यह बात बिल्कुल सही है, मैंने स्वयं मौके पर जाकर देखा था । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आवंटन की कार्यवाही हुई, उसके सन्दर्भ में आपको नालेज है अथवा नहीं ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, आवंटन के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके बारे में मैं अलग से छानबीन करवाकर जानकारी करा दूंगा ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने माननीय मंत्री जी को गलत सूचना दी और सदन को गुमराह किया है, क्या आप जांच करवाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और श्री राम दुलारे यादव को कोई रिलीफ देने का आश्वासन देंगे?

श्री अध्यक्ष–

वह जांच की जैसी रिपोर्ट आयेगी, वैसी कार्यवाही करेंगे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि प्राविधान है कि यदि दुर्बल वर्ग के लोगों की जमीन ली जाती है या मकान गिराया जाता है तो उन्हें अन्यत्र आवास की व्यवस्था की जाती है तो क्या जिस व्यक्ति का मकान गिराया गया है, उसके आवास की आप व्यवस्था करेंगे?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैंने पहले उत्तर में ही कहा था कि अवैध अध्यासियों को मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है इसलिए इसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा निवृत्त सफाई कर्मचारी श्री सोने लाल पुत्र श्री बल्देव बाल्मीक टाउन एरिया बेवर, जनपद मैनपुरी को पुनः सेवा में लिये जाने की मांग

*8–श्री बाबू राम यादव (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री सोने लाल पुत्र श्री बलदेव बाल्मीक टाउन

एरिया बेवर, जनपद मैनपुरी में सन् 1983 तक सफाई कर्मचारी था ? यदि हां, तो इसको सेवा से क्यों पृथक किया गया ? क्या यह सही है कि निहित स्वार्थी अधिकारियों ने इसे 41 वर्ष की उम्र में ही 60 वर्ष का घोषित कर सेवा-निवृत्त कर दिया जबकि इसका बड़ा भाई अभी सेवा में है ? क्या सरकार ऐसे अन्यायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा श्री सोने लाल को पुनर्पदारूढ़ करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

सेवा से पृथक नहीं किया गया अपितु दिनांक 20 मार्च, 1983 को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के कारण दिनांक 31 मार्च, 1983 को सेवा निवृत्त किया गया ।

सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 20 मार्च, 1923 अंकित होने के कारण नियमानुसार सेवा निवृत्त किया गया । श्री सोने लाल का एक भाई जिसकी जन्म तिथि 11 सितम्बर, 1933 है, अभी सेवा में है।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। नियमानुसार श्री सोने लाल को पुनः पदारूढ़ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

*9–श्री राजित प्रसाद यादव–

[4थे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*10–श्री काशी सिंह एरी–

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

होमगार्ड संगठन के अन्तर्गत ब्लाक आर्गनाइजर पद के चयन हेतु गठित लिखित/साक्षात्कार परीक्षा में की गई धांधली की जांच

*11–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या होम गार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में होमगार्ड संगठन के ब्लाक आर्गनाइजर पद के लिये चयन हेतु गठित बाह्य परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार कमेटियों में ऐसे अधिकारी नियुक्त किये गये जिन पर राजकीय धन के गबन के मुकदमें सी0 आई0 डी0 जांच के उपरान्त दर्ज कराए जा चुके हैं ? क्या यह सही है कि मंत्री जी ने बहुत सी प्राप्त शिकायतों के आधार पर महानिदेशक, होमगार्ड से जांच प्रारम्भ कराई है ? क्या यह सही है कि महानिदेशक, होमगार्ड ही सारे प्रसंग के लिए जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो क्या इस सारे मामले की जांच किसी अन्य एजेन्सी से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

वर्ष 1986 में होमगार्ड्स संगठन के ब्लाक आर्गनाइजर पद के लिए चयन हेतु बाह्य परीक्षा एवं लिखित परीक्षा कार्य में तथा साक्षात्कार कमेटी में विभाग में उपलब्ध अधिकारी ही नियुक्त किये गये थे। होमगार्ड्स मुख्यालय की जानकारी में यह नहीं था कि किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध राजकीय धन के गबन के मुकदमें सी0 आई0 डी0 जांच के उपरान्त दर्ज कराये गये थे । ब्लाक आर्गनाइजर के चुनाव में अनियमिततायें बरतने की शिकायत कानपुर के एक साप्ताहिक समाचार पत्र "मिशन" के दिनांक 5-11 जुलाई, 1986, के अंक में प्रकाशित हुई थी, जिसकी

जानकारी होते ही महा समादेष्टा, होमगार्ड्स को इसकी जांच कराने के आदेश दिये गये थे। मामले की जांच संयुक्त निदेशक, नागरिक सुरक्षा, जो पुलिस उप महा-निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, से कराई गयी है। तत्कालीन महा-निदेशक, होमगार्ड्स, इस प्रसंग के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जांच पूरी हो चुकी है। अब किसी अन्य एजेंसी से पुनः जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो समिति बनी थी बाह्य परीक्षा और लिखित परीक्षा के लिये, उसमें जो अधिकारी थे वह किस स्तर के थे? उनको डी0 जी0 होमगार्ड ने नियुक्त किया था, कौन-कौन से ऐसे थे जिनके खिलाफ सी0 आई0 डी0 जांच चल रही थी, उन्हें चयन समिति में रखा गया?

श्री हुकुम सिंह–

इसमें तीन अधिकारी थे श्री प्यारे मोहन श्रीवास्तव, उप महासमादेष्टा होमगार्ड, श्री पुत्तू लाल, श्री ललित मोहन सिंह कमान्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान। यह समिति थी। इसमें किसी के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 की जांच नहीं हो रही है और न ही कोई मुकदमा कायम है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं जानना चाहता हूं कि जब उनके खिलाफ कोई बात नहीं थी तो कौन सी अनियमिततायें थी जिनके खिलाफ जांच करा दी और रिपोर्ट प्राप्त कर ली। क्या डाइरेक्टर जनरल इस समिति में थे उसकी जांच डी0 आई0 जी0 से करवाई गई और और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें क्या आया है?

श्री हुकुम सिंह–

जो जांच रिपोर्ट आई है उसका परीक्षण करायेंगे जो दोषी अधिकारी है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ब्लाक आर्गनाइजर के लिये परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा हो चुकी है, इन्टरव्यू भी हो चुका है, उसका परिणाम नहीं निकला इसका परिणाम कब तक निकल जायेगा?

श्री हुकुम सिंह–

जांच रिपोर्ट के परीक्षण के बाद यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मा0 मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, आपने फरमाया कि जांच रिपोर्ट आ गई है, परीक्षण चल रहा है। तो क्या बतायेंगे कि जांच रिपोर्ट कब आई, परीक्षण कब तक पूरा हो जायगा और क्या परीक्षण पूरा होने की तिथि तथा जांच रिपोर्ट को सदन के सामने रखेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

प्रशासनिक रिपोर्ट है। इसको सदन के सामने रखने का औचित्य नहीं है। जांच रिपोर्ट आई है उसका परीक्षण पूरा हो जायगा।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

कब आई है?

श्री हुकुम सिंह–

इसकी निश्चित जानकारी नहीं है, कब आई है। आ गई है, परीक्षण चल रहा है।

नैनीताल अथवा पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के किनारे लाल राजस्थानी मकराना पत्थरों की दुलान सहित कीमत

*12–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया

बतायेंगे कि जनपद नैनीताल अथवा पर्वतीय क्षेत्र में हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़कों में जो मैटलिंग (कोलतार) करवायी जा रही है उन मार्गों के किनारे पर लम्बे-लम्बे लाल राजस्थान मकराना पत्थर खड़े गाड़ कर उनमें नम्बर लिखे गये हैं ? यदि हां, तो प्रति पत्थर ढुलान सहित क्या कीमत है ? क्या यह पत्थर या इसका विकल्प बहुत ही सस्ती कीमत पर पर्वतीय क्षेत्र में ही नहीं ढूंढा जा सकता था ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सीताराम निषाद–

जी नहीं ? राजस्थान के लाल मकराना पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि लेबिल पिलर हेतु सस्ते पत्थर आगरा से प्राप्त किये गये हैं और इन्हें आवश्यकता समाप्त होने पर बारबार उखाड़ कर दूसरी जगह प्रयोग में लाया जा रहा है ।

राजस्थान के मकराना पत्थरों की ढुलान सहित कीमत का प्रश्न नहीं उठता है वरन् आगरा के इन पत्थरों की मैदानी क्षेत्र में प्रति पत्थर ढुलान सहित लागत रु0 13·90 पैसे है तथा पर्वतीय क्षेत्र में अतिरिक्त ढुलाई के कारण लागत रु0 19·95 पैसे प्रति पत्थर आई है । पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय पत्थर अथवा बौन्ड स्टोन उपयुक्त आकार के उपलब्ध नहीं है और यदि आर0 सी0 सी0 बौन्ड स्टोन तैयार कराया भी जाय तो लागत अपेक्षाकृत अधिक बैठेगी। जो मैदानी क्षेत्र में 17 रुपया तथा पर्वतीय क्षेत्र में 27 रु0 प्रति पत्थर आने का अनुमान है । इसी दृष्टिकोण से मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये आगरा से पत्थर प्राप्त किये गये ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कहा गया कि पहाड़ जो खुद पहाड़ों से से बने हैं वहां पत्थर एवेलबिल नहीं है, आगरे से पत्थर मगाने पड़े । बहुत ही अस्वाभाविक बात है । एक पत्थर की लागत ढुलाई समेत (19·90 पै0) आई है । मेरी निश्चित जानकारी है कि वह डेढ़ फुट के पत्थर जिनकी आगरा में कीमत एक सवा रुपया है, मंत्री जी उसकी कीमत पहाड़ पर 19·90 पैसे बता रहे हैं । मंत्री जी ने कहा कि आर0सी0सी0 बौन्ड स्टोन अगर पहाड़ पर तैयार कराये जायं तो उसकी लागत 27 रुपये आयेगी । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में गढ़वाल में यह आर0 सी0 सी0 बौन्ड स्टोन तैयार किये गये हैं जिनकी लागत 5-6 रुपये आयी है अगर कुमायूं में यह पत्थर तैयार कराये जायं तो 5-6 रुपये से अधिक की लागत नहीं आयेगी । मान्यवर यह पहाड़ के विकास के नाम पर खुली लूट अधिकारियों द्वारा की जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में ही पत्थर तैयार करायें और जो अधिकारी इस प्रकार की लूट कर रहे हैं उन्हें दण्डित करें। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की जो सड़कें हैं, उनको रोकने के लिये वाल बनाई जाती है, उसको बनाने के लिये पत्थर कहां से आता है । सब पहाड़ के ही पत्थर है। आर0 सी0 सी0 बौन्ड स्टोन वहीं पर तैयार कराये जायं ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय सदस्य ने जो साइज बताया डेढ़ फुट वह नहीं है, उन पत्थरों की साइज है 90×10×10 से0 मी0 । इस माप के वह पत्थर है। मान्यवर, पहाड़ पर पत्थरों की बड़ी-बड़ी चट्टाने है । यह पत्थर पर्तदार चट्टानों से बनते हैं । अगर पहाड़ की चट्टानों को काटकर इसको बनाया जाय तो मजदूरी अधिक लगेगी । विभाग ने प्रयास किया था लेकिन लागत अधिक होने के कारण आगरा से मंगाना पड़ा ।

श्री नरेन्द्र देव–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 27 रुपये पत्थर तैयार करने पर लागत आयेगी, माननीय सदस्य ने कहा 5-6 रुपये आयेगी। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं। पत्थरों को गढ़कर ही आर0सी0सी0 बौन्ड स्टोन तैयार किये जाते हैं, मेरी निश्चित जानकारी है कि यदि इनको पहाड़ पर तैयार कराया जाय तो निश्चित ही इसकी लागत कम आयेगी। मान्यवर, यह सदन को गुमराह करने की कोशिश में क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है मैं एक विशेषज्ञ तैनात करके इसकी जांच करा लूंगा । परीक्षण में अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, यह प्रकरण उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है, इस सन्दर्भ में मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि आज पर्वतीय अंचल की कोई ऐसी सड़क नहीं है, जहां आगरे के पत्थर न पहुंच गये हों, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आगरे से तो हर एक को मोह है। मैं माननीय मंत्री जी से जो बात कहना चाहता हूं वह यह कि यदि एक ही साईज में ढलकर पहाड़ में पत्थर गये हों, यदि इसे माननीय मंत्री जी साबित कर दें तो मैं एम0 एल0 ए0 शिप से इस्तीफा दे दूंगा और यदि यह साबित न कर सके तो इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए । मान्यवर, जिन पत्थरों की कोई कीमत नहीं है, इनके अधिकारी उन पत्थरों को भी वह पहाड़ में 27-27 रुपयों में पहुंचा रहे हैं जबकि उन पत्थरों के वहां आज नाम-व-निशान भी नहीं है क्योंकि पहाड़ के ही पत्थरों को आगरे के पत्थर के नाम से आज पहाड़ों में पत्थर पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भविष्य में आगरा के पत्थरों को इन पहाड़ों में जाने से रोका जाए और जिस अधिकारी ने इस प्रकरण का निर्णय अब तक लिये हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आप करने की कृपा करेंगे ताकि इस प्रकार की अव्यवस्था पुनः न हो सके ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नौटियाल जी, यदि वह पत्थर संगमरमर के हों, तब तो आपको कोई आपत्ति न होगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, वह पत्थर संगमरगर के नहीं हैं इसी सम्बन्ध में तो मैंने चैलेन्ज दिया है कि यदि यह साबित न हो सके तो मा0 मंत्री जी इस्तीफा अपने पद से दे दें वरना मैं एम0 एल0 ए0 शिप से इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस सिलसिले के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे पूरा परीक्षण करा लिया जायेगा और उसके बाद इसमें कार्यवाही की जायेगी और यदि पहाड़ के पत्थरों को ही इस्तेमाल काटकर किया जा सकता है और यदि वह सस्ते पड़ेंगे तो अवश्य ऐसा किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग कृपया बैठ जायं और जिन्हें मैं बुलाऊंगा, वही बोलेंगे ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, खुदा को देखा नहीं किसी ने लेकिन उसे पहचाना है और समझा है। माननीय मंत्री जी को जो कुछ अधिकारीगण प्रश्न के उत्तर में दे देते हैं, उसे ही मा0 मंत्री जी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मान्यवर, बड़े दुख की बात यह है कि यदि माननीय मंत्री जी अपने विवेक से कुछ काम किए होते तो अधिकारियों द्वारा दिए गये उत्तर को उसी रूप में न दोहराते। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को सदन की प्रश्न समिति के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि स्पष्ट बात सामने आ सके।

श्री अध्यक्ष–

सदन की भावनाओं के प्रति मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

जनपद उन्नाव के कतिपय जूनियर हाई-स्कूलों को भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

*13–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल गौरा, प्राइमरी स्कूल रामपुर, खरही विकास खण्ड सुमेरपुर तथा प्राइमरी स्कूल रुद्रपुर, प्राइमरी स्कूल भैरमपुर, प्राइमरी स्कूल त्रिलोकपुर विकास खण्ड बीघापुर के निर्माण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कब-कब और कितनी-कितनी धनराशि इन स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गयी और इन स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्य किस-किस तिथि से प्रारम्भ हुआ और इनमें से कितने स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कितने का शेष है? और शेष निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री सीताराम निषाद–

प्रश्नगत पांच स्कूल भवनों के निर्माण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा स्कूलवार अलग-अलग धनराशियां सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गई हैं अपितु संगत योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कुल परिषदीय स्कूलों के भवन निर्माण हेतु एक मुश्त धनराशियां निक्षेप मद में दी गई हैं। निर्माण कार्य के प्रारम्भ, पूरा या शेष होने आदि का विवरण संलग्नकों में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 180 पर)

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी सदन को इस बात से आश्वस्त करने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूलों के भवन निर्मित नहीं हुए हैं और जिनका इस समय निर्माण कार्य जारी है, उनका काम आगामी नये शिक्षा सत्र के शुरू होने के पहले अर्थात 30 जून, 1987 तक पूरा हो जायेगा।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, पांच स्कूलों के निर्माण का कार्य, जिसमें जूनियर हाई स्कूल, गौरा, विकास खण्ड सुमेरपुर का काम भी है, उसका काम जून, 1987 तक पूरा हो जायेगा। प्राइमरी स्कूल रामपुर खरही का काम फरवरी, 1987 में पूरा हो गया है। प्राइमरी स्कूल रुद्रपुर में जमीन नहीं उपलब्ध हो पायी है, जिसकी वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया है, इसलिये इसमें जब तक जमीन उपलब्ध नहीं हो जायगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक काम पूरा हो सकेगा। प्राइमरी स्कूल भैरमपुर के लिये जनवरी, 1987

में भूमि प्राप्त हो गयी है और सितम्बर, 1987 तक इसका काम पूरा कर दिया जायगा। प्राइमरी स्कूल त्रिलोकपुर का काम जून, 1987 तक पूरा कर दिया जायगा।

उद्योगों से उत्पन्न भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार की प्रदूषण सम्बन्धी नीति

*14. कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा श्री बदन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न होने वाले भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार की प्रदूषण सम्बन्धी नीति क्या है ?

श्रीमती दीप्ता—

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भूमिगत जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है। स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों को इन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही शुद्धीकरण की व्यवस्था के उपरान्त उत्प्रवाह का निस्तारण किया जाना होता है। अनुपालन न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध उल्लिखित अधिनियम के अधीन अभियोजनात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में यह साफ जानकारी चाही थी कि भूगर्भ के जल के प्रदूषण को रोकने के लिये प्रदेश सरकार की क्या नीति होगी, लेकिन माननीय मंत्रीजी ने इसका उत्तर सही न दे करके उन्होंने 1974 के अधिनियम का हवाला दिया है और कहा है कि भूमिगत जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिये मानकों का निर्धारण कर दिया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उन्होंने क्या मानक जल प्रदूषण को रोकने के लिये निर्धारित किये हैं।

श्रीमती दीप्ता—

मान्यवर, यह जो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 है, यह निरोधात्मक है, जिसमें हमारे मानक बने हुए हैं कि पहले हमसे कन्सेन्ट लेनी पड़ती है, उसके बाद यदि कोई उसे नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होती है। अगर जो धारा 33 है, उसके अनुसार अनुपालन नहीं होता है तो उसके लिये और भी नियम बने हुए हैं। इसी तरह से अधिनियम के अन्तर्गत तमाम प्वाइन्टस आते हैं, ये जानकारी चाहते हैं तो मैं बता देती हूं। इस पर बहुत कार्यवाही हुई है और पूरे प्रदेश के अन्दर जो उद्योग हैं, वे 10 हजार हैं उनमें से एक हजार प्रदूषणकारी हैं। इनमें से 71 में संयंत्र लग गए हैं और 67 में संयंत्र का निर्माण होना है। जिसमें संयंत्र प्रस्तावित है वे 51 हैं।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, जो मेरे प्रश्न की मंशा थी, उसको देखते हुए कोई उत्तर नहीं दिया गया है और न दिया जा रहा है। इन्होंने अपने उत्तर में केवल कहा है कि शुद्धिकरण की व्यवस्था के संदर्भ में उत्प्रवाह का निस्तारण किया जाता है। मान्यवर, उत्प्रवाह का निस्तारण बिल्कुल नहीं हो रहा है और प्रदेश में भूमिगत जल प्रदूषित होता हुआ चला जा रहा है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के चौथाई भाग का पानी खारी हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री बदन सिंह–

स्विटजरलैण्ड की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी यही व्यवस्था करेगी कि पहले प्रदूषण के लिये वह प्लांट्स लगवा दिये जायं उद्योग शुरु होने से पहले-पहले वह आवश्यक प्लांट्स लगवा लें तब ही सरकार उन्हें अपना उद्योग चलाने की अनुमति देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्विटजरलैण्ड नहीं है, यह हिन्दुस्तान है और गरीब देश है । जब हम कोई बात करें, तो यह सारी बातों को देखते हुए कोई बात कहनी चाहिए । हमें देखना है कि जो हमारे उद्योग हैं, उनसे प्रदूषण नहीं होना चाहिए । जिन उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । यह आदेश दे दिए गए हैं कि जिन उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है, उनको रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाय । जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है । मान्यवर, इस आदेश के बाद स्थिति यह है कि काफी प्रदूषण रुक गया है । जहां रह गया है, जल्दी से जल्दी वहां प्रदूषण रोकने के लिए जो भी उपचार आवश्यक है, वह किया जा रहा है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, पिछले दिनों मोहन मीकिन्स फैक्ट्री के कारण गोमती नदी, लखनऊ में काफी प्रदूषण फैला, जिसके कारण गोमती का जल प्रदूषित हुआ और उससे काफी संख्या में वहां मछलियां मरीं । उस फैक्ट्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय सदस्य को भी मालूम है कि उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, जांच के आदेश हुए । जांच के आदेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जांच के आदेश कब दिये गये और सम्प्रति की क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय अनुग्रह नारायण जी, आप बैठें । मैंने दिवाकर विक्रम जी को बुला लिया है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो यह फैक्ट्रियां हैं, उससे प्रदूषण को रोकने के लिए प्लांट्स लगवाये जा रहे हैं । माननीय बदन सिंह जी ने एक प्रश्न किया, इनके सिद्धांतों के अनुसार यह स्विटजरलैण्ड नहीं हिन्दुस्तान है । लेकिन, यहां भी जो प्रदूषण रोकने के लिये प्लांट्स लगवायेंगे, वह चाहे उद्योग चलने के बाद लगवायें या उद्योग शुरू होने से पहले लगवायें, खर्चा तो उसमें उतना ही आता है । जो फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही हैं, उन पर बार-बार सरकार यह निर्देशित करती है और नोटिस दिए जा रहे हैं, प्रदूषण रोकने के लिए और प्लांट्स लगवाने के लिये । लेकिन बार बार यह फैक्ट्रियां शासन के निर्देश का उल्लंघन कर रही हैं। माननीय बदन सिंह जी ने जो तथ्य रखे, उसी के संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के जो मालिकान हैं, वह जानबूझकर सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं । उन पर मुकदमा कायम करना पड़ रहा है और तमाम कार्यवाही करनी पड़ रही है, फिर भी वे लोग बाज नहीं आ रहे हैं । इस तथ्य को देखते हुए, भविष्य में जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज लगें, जिनके उत्प्रवाह से प्रदूषण होने की संभावना है, यह निर्णय लिया जाय और उन्हें

यह निर्देश दिए जायं कि उत्प्रवाह को शोध करने के लिये प्लांट लगवा लें, तब ही उनको इन्डस्ट्री चलाने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, अब नयी पालिसी हो गयी है, जो नये उद्योग लगें, उसमें प्रदूषण रहित करने के लिए जो व्यवस्था करनी है, उस प्लांट का उसमें प्राविजन करना पड़ेगा । जब तक यह नहीं होगा, तब तक स्वीकृति नहीं दी जायेगी । यह जो पुराने उद्योग हैं, उनके लिये कुछ समस्या पैदा हो रही है । जो ऐसे उद्योग अभी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है उन्हें निर्देश दिये गए हैं कि प्लान्ट का प्राविजन करें ताकि प्रदूषण न होने पाये । इसमें आवश्यक कार्यवाही भी हो रही है ।

जनपद फतेहपुर के गांवों में खारे पानी की समस्या एवं उसका समाधान

*15–श्री अचल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के 745 गांवों में खारे पानी का सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया गया है एवं 14 गहरे नलकूप खारे पानी के कारण असफल हो गये हैं ? यदि हां, तो शासन इस संबंध में क्या कदम उठा रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

जिलाधिकारी ने जनपद फतेहपुर में 1192 ग्राम नये समस्याग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में सूचित किये हैं, जिनमें से 181 ग्रामों को खारे पानी की श्रेणी में घोषित किया गया है । जल निगम द्वारा पाइप द्वारा दी जाने वाली पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत कोई भी गहरा नलकूप (ट्यूबवेल) खारे पानी के कारण असफल नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में अकोहरी मवई सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर हुआ व्यय

*16–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में अकोहरी मवई सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर प्रति कि0 मी0 कितना खर्च हुआ है ? क्या यह सही है कि मार्ग नहर की सर्विस रोड पर बना है और नवनिर्मित सड़क की नाप में नहर की सर्विस रोड व इससे मिला हुआ डौला भी जोड़ दिया गया है और इस डौला को भी पी0 डब्लू0 डी0 ने स्वयं के द्वारा बनवाया हुआ लिखकर सड़क में नापा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

26,000/- प्रति कि0मी0

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के गन्ना किसानों की बकाया अवशेष धनराशि का भुगतान

*17–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बकाया धनराशि में से कुल कितना रुपया वर्ष 84-85 में भुगतान किया गया है और कुल कितना रुपया भुगतान के लिए शेष है ? इसका भुगतान कब तक हो जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का सीजन 1984-85 में कुल 329.21 करोड़

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

रुपया गन्ना मूल्य देय हुआ, जिसके विरुद्ध दिनांक 31-1-87 तक कुल रुपया 328.88 करोड़ का भुगतान किया गया तथा केवल 33 लाख रुपया अब शेष है।

अवशेष धनराशि में से लगभग 32 लाख रु0 दि रत्ना शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, शाहगंज (जौनपुर) तथा दि बस्ती शुगर कम्पनी लिमिटेड, वाल्टरगंज (बस्ती) के विरुद्ध जारी किए गए वसूली प्रमाण-पत्रों में निहित हैं। अतः भुगतान हेतु कोई निश्चित समय देना सम्भव नहीं है।

जनपद बरेली एवं पीलीभीत के तराई क्षेत्र में छिपे उग्रवादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग

*18—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली एवं पीलीभीत से लगे तराई क्षेत्र में उग्रवादी भारी मात्रा में छिपे हुए हैं और इस वर्ष 1986 के अप्रैल माह में जनपद नैनीताल के नानकमत्ता के समीप के जंगलों से पंजाब के दो उग्रवादियों को पाकिस्तान निर्मित हथियारों सहित बन्दी बनाया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने इस क्षेत्र के उग्रवादियों का सफाया करने हेतु कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत तराई क्षेत्र में उग्रवादियों के भारी संख्या में छिपे होने की बात की पुष्टि नहीं हो पायी है। यह सही है कि अप्रैल, 1986 में जनपद नैनीताल के नानकमत्ता के समीप के जंगलों से पंजाब के दो व्यक्तियों को पाकिस्तान एवं अन्य विदेशी निर्मित हथियारों सहित बन्दी बनाया गया था।

सम्पूर्ण प्रदेश में, विशेषरूप से तराई क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाते रहे हैं और उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है।

जिला सहकारी बैंक लि0, बहराइच के आडिट में गबन की अनियमिततायें

*19—श्री धनराज यादव—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच के वर्ष 1981-82 के आडिट के दौरान पाई गई गबन, अनियमितताओं के सम्बन्ध में रु0 2379519.10 की स्पेशल आडिट रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई? यदि प्राप्त हुई तो किस तिथि को ? यदि नही प्राप्त हुई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, किन्तु वर्ष 1981-82 के आडिट के दौरान पाई गई अनिस्तारित गम्भीर अनियमितताओं, जिसमें 23,00,757 रु0 की धनराशि निहित थी, को वर्ष 1982-83 के विशिष्ट प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया था जो दिनांक 25-2-84 को निर्गत किया गया। वर्ष 1981-82 के विशिष्ट प्रतिवेदन को निर्गत न करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को कठोर चेतावनी दी जा चुकी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु पूर्वांचल विकास प्राधिकरण के गठन की मांग

*20—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो एक पिछड़ा हुआ

क्षेत्र है के विकास के लिए सरकार पूर्वांचल विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी नहीं ।

क्योंकि पूर्वी क्षेत्र के बहुमुखी विकास हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय विकास निगम पहले से ही गठित है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार के मंत्रियों/अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्रा पर व्यय हुई धनराशि

1–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार के किन-किन मंत्रियों व अधिकारियों ने किस उद्देश्य से विदेश यात्रा की थी ? इस हेतु प्रत्येक मंत्री/अधिकारी को क्रमशः किस दर से कितने रुपयों का यात्रा भत्ता व अन्य संबंधित भत्ते भुगतान किए गए ? इन वर्षों में क्रमशः कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ? सरकार ने इन खर्चों में नियंत्रण हेतु क्या-क्या कदम उठाए हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा चमू की भूमि को नदी/नालों के कटाव से बचाने के उपाय

2–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को मुख्य मंत्री जी के पत्रांक एम-1-कु/161-1/सी0 एम-2/85 दिनांक 31 दिसम्बर, 85 की पावती द्वारा, सचिव पर्वतीय विकास को भेजे पत्रांक एम-1-कु/164-1/सी0एम-2/85 से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 के पत्र द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा चमू की भूमि को वहां नदियों/नालों द्वारा लगातार कटाव द्वारा हानि पहुंचायी जा रही है ? यदि हां, तो इसके बचाव के लिये दि0 30-1-86 तक व उसके बाद क्या-क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत ग्राम चमू विकास खण्ड कनालीछीना में भूमि कटाव की सूचना जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1986 द्वारा शासन को प्राप्त हुयी है और उक्त स्थल का सर्वेक्षण करवाकर बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

टोल गार्ड श्री कल्याण चन्द्र ग्राम व पो0 थल, जनपद पिथौरागढ़ को पेंशन भुगतान

3–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सा0 नि0 मंत्री को दिनांक 27 जनवरी, 1986 को प्रश्नकर्ता द्वारा मा0 मुख्य मंत्री को लिखे पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि श्री कल्याण चन्द्र ग्राम व पत्रालय थल, जनपद पिथौरागढ़ जो सा0 नि0 वि0 लोहाघाट, जनपद पिथौरागढ़ में कार्यरत थे, को बहुत लम्बे समय से पेंशन नहीं मिली है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? श्री चन्द्र को कब तक नियमित पेंशन मिलनी प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री कल्याण चन्द्र की नियुक्ति टोल गार्ड के पद पर दिनांक 2-4-63 को हुई

थी । टोल गार्ड के फालतू होने के कारण आदेश दिनांक 12-1-81 द्वारा इनकी नियुक्ति अस्थाई खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चम्पावत में चपरासी के पद पर की गयी थी । श्री कल्याण चन्द्र दिनांक 30-6-82 को सेवा से निवृत्त हुए । यह न तो टोल गार्ड के पद पर और न ही चपरासी के पद पर स्थायी थे। इन्हें नियमानुसार केवल ग्रेच्युटी ही देय थी, जिसका भुगतान किया जा चुका है। श्री कल्याण चन्द्र का स्थायीकरण/पेंशन के प्रश्न पर मुख्य अभियन्ता, कुमायूं क्षेत्र द्वारा नियमानुसार विचार किया जा रहा है ।

टाउन एरिया पुरवा, जनपद उन्नाव के टैक्स क्लर्क द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने की जांच

4—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया पुरवा जिला उन्नाव के टैक्स क्लर्क के द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी करने का कोई मामला दि0 1-7-85 के पत्र द्वारा राजकुमार सोनकर, महामंत्री समाजवादी युवजन सभा उ0 प्र0 द्वारा उनकी जानकारी में लाया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी ।

कस्बा मौरावां की टाउन एरिया धनराशि का फर्जी बाउचरों द्वारा दुरुपयोग किये जाने की शिकायत

5—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा मौरावां की जलपूर्ति ठप्प होने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 10-1-86 को उन्हें मिला है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र में मौरावां कस्बे की टाउन एरिया धनराशि को फर्जी बाउचरों द्वारा दुरुपयोग किये जाने की शिकायत भी थी ? यदि हां, तो फर्जी बाउचरों की जांच की दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच की जा रही है ।

जनपद उन्नाव की टाउन एरिया पुरवा व मौरावां में सफाई कर्मचारियों की संख्या

6—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के क्रमशः टाउन एरिया पुरवा व मौरावां में सफाई कर्मचारियों की कितनी संख्या है ? क्या यह आबादी के हिसाब से निर्धारित मानक के अनुसार है ? यदि नहीं, तो सफाई कर्मचारियों की संख्या मानक के अनुसार कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उन्नाव जिले की टाउन एरिया पुरवा व मौरावां में सफाई कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 18 व 10 है ।

नगर विकास विभाग द्वारा प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी में सफाई कर्मचारियों के न्यूनतम पांच पदों का मानक निर्धारित किया गया है जिससे अधिक पद सृजित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रकारों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की योजना

7—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि पत्रकारों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब से शुरू हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां । लखनऊ नगर की गोमती नगर योजना में पत्रकारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रकारपुरम् नामक एक योजना बनाई गई है । इस योजना में पत्रकारों के लिए 100 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है । प्रत्येक भवन की भूमि के मूल्य पर सरकार द्वारा 40% अनुदान दिया गया है । योजना दिनांक 14-10-86 को प्रारम्भ की गई है ।

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों के आश्रितों को लाभ दिये जाने की मांग

8–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों के आश्रितों को भी सरकार वही लाभ देने जा रही है जो उनके पुत्रों के आश्रितों को है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नियमावली अथवा इस सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के अन्तर्गत केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्य को ही सुविधायें अनुमन्य हैं । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्रों के आश्रितों को कोई लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

9–श्री यदुनाथ सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम जगन्नाथ प्रसाद में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय

10–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 697 आफ 1980 आयुक्त बिक्रीकर बनाम जगन्नाथ प्रसाद में निर्णय 22-12-80 को दिया है और आयुक्त बिक्रीकर के रेफरेंस प्रार्थना-पत्र को खारिज किया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1812 दिनांक 19-8-85 इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है क्या वह उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं किन्तु मा0 विधायक का पत्र संख्या 1812 दि0 6-8-85 मा0 राज्य वित्त मंत्री जी को अवश्य प्राप्त हुआ है । राज्य वित्त मंत्री जी के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एस0 टी0-2-8184/दस-9 (170)/85, दि0 5-2-87 द्वारा उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री पारस नाथ, बिक्रीकर अधिकारी, बहराइच तथा श्री एस0 एस0 चौबे उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच

11–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पांचवें शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपायुक्त के विरुद्ध जांच किस अधिकारी ने की थी और किन-किन

आधारों पर आरोप निराधार पाए गए तथा अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

तत्कालीन उपायुक्त के विरुद्ध तत्कालीन अपर आयुक्त बिक्रीकर ने जांच की थी । लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

विभागीय कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नाका हिन्डोला, लखनऊ भांग का ठेका चुन्नी लाल के नाम पंजीयन एवं राजस्व वसूली

12–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 104 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आरोपित कर 51,090/- में से कितनी धनराशि वसूल हुई ? कितनी वसूली होने की आशा है और इस फर्म की वसूली पर विभाग का कितना खर्च हुआ ? राजस्व की हानि के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? उसके प्रति क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रु0 51,090/- में से रु0 696,20 वसूल हुआ है ।

अनुमान देना संभव नहीं है ।

किसी विशिष्ट मामले में वसूली की कार्यवाही पर कुल कितना व्यय हुआ इसका हिसाब न तो रखना सम्भव है और न रखा ही जाता है ।

राजस्व हानि हुई या नहीं अभी कहना सम्भव नहीं है ।

अतएव प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्री कर विभाग में प्रदेश के बाहर से लखनऊ को मंगाई गई कन्सेशनल रेट की विज्ञापन सामग्री

13–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0प्र0 सं0 97 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारी के स्पष्टीकरण पर क्या निर्णय हुआ तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अधिकारी को अनियमितता के लिए निन्दित किया गया ।

बिक्रीकर विभाग का मुख्यालय बटलर पैलेस में रहने तथा अपना निजी भवन न बनाने का औचित्य

14–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 64 के उत्तर के संदर्भ में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 290 दिनांक 6-11-85 मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में ता0 6-11-85 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । किन्तु पत्र दिनांक 5-11-85 का है ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है:–

1–वस्तुविद से नक्शा बनवाकर इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग से स्वीकृत करा लिया गया नगरपालिका से पास नहीं कराया गया ।

2—प्रश्नगत भवन राजकीय निर्माण था तथा इसका नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग से स्वीकृत करा लिया गया था ।

3—समस्त कार्य आयुक्त बिक्रीकर ने कराया था, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पत्र दिनांक 21-6-78 द्वारा छोटे कार्य करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी ।

4—विभिन्न तिथियों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियरों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गये । यह हस्ताक्षर अपठनीय है । भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से किया गया।

5—जी नहीं शामिल नहीं है ।

6—दस वर्ष से पूर्व के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण निर्माण राशि अलग से बताया जाना सम्भव नहीं है ।

7—दस वर्ष पुराने अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण यह सूचना नहीं दिखाई जा सकी । इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम अशोक ग्लास वर्क्स फिरोजाबाद में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा देय निर्णय

15—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 153 आफ 1982 आयुक्त बिक्रीकर बनाम अशोक ग्लास वर्क्स फिरोजाबाद में निर्णय दिनांक 29-7-82 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 262 दिनांक 2-11-85 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या वह उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं किन्तु माननीय विधायक का 6-8-85 का पत्र संख्या-261 लो0 ल0 85 प्राप्त हुआ । इस पत्र का उत्तर राज्य वित्त मंत्री जी द्वारा दे दिया गया है ।

पी0 सी0 एफ0 लखनऊ के ऊपर बकाया बिक्रीकर की धनराशि

16—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 1548 में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह क्या दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । पत्र संख्या-1548 में उल्लिखित बिन्दुओं पर आयुक्त बिक्रीकर से जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है । प्राप्त होने पर माननीय विधायक को उत्तर भेज दिया जायगा ।

17—श्री यदुनाथ सिंह—

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ व कानपुर कार्यालय से एस0 टी0 ओ0 एस0 आई0 बी0 आलमारी की चोरी

18—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 संख्या-96 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 321 दिनांक 8-11-85 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र संख्या 1001 व 321 में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह

क्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सही है किन्तु पत्र संख्या 321 दिनांक 7-11-85 का है ।

पत्र संख्या 1001 व 321 में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह संलग्न † की जा रही है ।

बिक्रीकर विभाग में लम्बित आडिट आपत्तियों के बारे में जानकारी की मांग

19–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्न-कर्ता का पत्र सं0 307 दिनांक 7-11-85 महालेखाकार द्वारा बिक्री विभाग में वर्ष 79-80से82-83 तक लम्बित आडिट आपत्तियों के बारे में मुख्य मंत्री जी को ता0 7-11-85 को मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

वर्ष 79-80 से 82-83 तक हर परिक्षेत्र से संबंधित आडिट आपत्तियां छूटों की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दरों का लगाना, ब्याज अथवा अर्थदण्ड का न लगाना अथवा कम लगाना, माल का गलत वर्गीकरण टर्नओवर का कर निर्धारण से बच जाना अतिरिक्त कर न लगाना व कम लगाना, गणना में भूलों के कारण कम करारोपण विषयक थी। उक्त आपत्तियों में से केवल 130 को छोड़कर शेष सभी आपत्तियां 15-4-84 तक दूर कर दी गयी। इनमें से 15-10-85 को 121 आपत्तियां लम्बित थीं ।

92 अधिकारी दोषी पाये गए। 164 को चरित्र पंजिका से चेतावनी, दो को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि, 8 को निन्दित तथा 15 को सचेत किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किए गए एवं एक अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकी गयी।

राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के बिक्रीकर अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

20–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि राबर्ट्सगंज मिर्जापुर के बिक्रीकर अधिकारी श्री चन्द्रगुप्त जायसवाल के भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में शासन के पत्र संख्या एस0 टी-2-18/दस-11(1)/83 दिनांक 28-1-83 द्वारा आयुक्त बिक्रीकर से पूछा गया है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुक्त बिक्रीकर ने आरोपों की जांच करके अपनी रपट शासन को कब भेजी और जांच रपट में क्या पाया ? क्या उक्त अधिकारी को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

आयुक्त बिक्रीकर से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करके मामले में पुनः जांच करके रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम मारवाड़ी स्टोर्स में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा देय निर्णय

21–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 81 आफ 1984 आयुक्त बिक्रीकर बनाम मारवाड़ी स्टोर्स में निर्णय दिनांक 7-12-84 को दिया है? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 3 दिनांक 17-10-85 मुख्य

† छापी नहीं गयी ।

मंत्री जी को दिनांक 17-10-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो अब कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं। तथापि माननीय विधायक का पत्र संख्या-3/लो0द0/85, दिनांक 1-7-85 मुख्य मंत्री कार्यालय में कदाचित् दिनांक 18-10-85 को प्राप्त हुआ था। उसका उत्तर राज्य वित्त मंत्री द्वारा दे दिया गया है।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम जे0 जे0 इण्टरप्राइजेज में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय

22–श्री यदुनाथ सिंह

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 445, 446, 447 व 448 आफ 1980 वर्ष 69-70 व 70-71 आयुक्त बिक्रीकर बनाम जे0 जे0 इंटरप्राइजेज में निर्णय दिनांक 6-3-71 को दिया था? यदि हां, तो वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 324 दिनांक 9-10-85 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 9-10-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है, क्या वह दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं। किन्तु माननीय विधायक का दिनांक 29-7-85 का पत्र संख्या 324/लो0 द0/85 अवश्य प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर वित्त राज्य मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं0 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये निर्णय

23–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 226 आफ 1978 आयुक्त बिक्रीकर बनाम टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं0 में निर्णय दिनांक 28-8-80 को दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1978 दिनांक 29-8-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 29-8-85 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है, क्या वह दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं। तथापि मा0 विधायक का पत्रांक-1978/लो0द0/85 दिनांक 19-8-85 मुख्य मंत्री कार्यालय में 30-8-85 को प्राप्त हुआ था।

उक्त पत्र का उत्तर राज्य वित्त मंत्री जी द्वारा दे दिया गया है।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम बंकित ब्रेक लाइनिंग्स देहरादून के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय

24–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 636 आफ 1979 आयुक्त बिक्रीकर बनाम बर्कित ब्रेक लिलिम्स देहरादून में निर्णय दिनांक 5-12-79 को दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 80 दिनांक 10-9-85 मुख्य मंत्री जी को

ता0 10-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है, क्या वह दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां तथापि व्यापारी का सही नाम बंकित ब्रेक लाइनिंग्स है।

जी नहीं । किन्तु माननीय विधायक का पत्र संख्या 80 लो0 द0/85 दिनांक 5-9-85 अवश्य प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर राज्य वित्त मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम भृगु प्रसाद मल्ल बाबू में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय

25–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 273 आफ 1979 आयुक्त बिक्रीकर बनाम भृगु प्रसाद मल्ल बाबू में निर्णय दिनांक 16-1-80 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 84 दिनांक 10-9-85 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 10-9-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है, क्या वह दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं । तथापि पत्र संख्या-84/लो0द0/85, दिनांक 5-9-85 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 12-9-85 को प्राप्त हुआ था। पत्र का उत्तर राज्य वित्त मंत्री जी के पत्र द्वारा दिया जा चुका है।

करमचन्द थापर बनाम आयुक्त बिक्रीकर में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय

26–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 979 आफ 1978 करमचन्द थापर बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दि0 30-7-79 को दिया है? यदि हां, तो क्या सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 31 दिनांक 6-9-85 मुख्य मंत्री जी को ता0 6-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त पत्र का उत्तर माननीय विधायक को राज्य वित्त मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम फर्म जे0 जे0 इण्टरप्राइजेज में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय

27–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 215 आफ 1981 आयुक्त बिक्रीकर बनाम फर्म जे0 जे0 इण्टर प्राइजेज वर्ष 71-72 में निर्णय दिनांक 16-11-81 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1961 दिनांक 29-8-85 मुख्य मंत्री को दिनांक 29-8-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं किन्तु माननीय विधायक का 16-6-85 का पत्र संख्या–1961/लोद/85 अवश्य प्राप्त हुआ, जिसका उत्तर वित्त राज्य मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम नन्द मोहन मदन मोहन में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा देय निर्णय

28–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 4 आफ 1983 आयुक्त बिक्री कर बनाम नन्द मोहन मदन मोहन में निर्णय दिनांक 8-12-83 को दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 452 दिनांक 2-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 2-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं अपितु दिनांक 2-12-85 का माननीय विधायक का पत्रांक 452 दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र का उत्तर माननीय विधायक को राज्य वित्त मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम अशोक कुमार पाण्डे में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा देय निर्णय

29–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 363 आफ 1963 आयुक्त बिक्रीकर बनाम अशोक कुमार पाण्डे में निर्णय दिनांक 21-9-84 दिया है ? यदि हां, तो मा0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 448 दिनांक 2-12-85 मुख्य मंत्री जी को 2-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं किन्तु माननीय विधायक का पत्र संख्या 448/लो0द0/85 दिनांक 11-11-85 मुख्य मंत्री कार्यालय में 2-12-85 को अवश्य प्राप्त हुआ पत्र का उत्तर राज्य वित्त मंत्री जी द्वारा दे दिया गया है ।

आयुक्त बिक्रीकर, श्री गणेश के कार्यों की व 19वें सूत्र की अवहेलना करने के सम्बन्ध में पत्र

30–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1379 दिनांक 16-7-85 तत्कालीन आयुक्त बिक्रीकर श्री गणेश के कार्यों की व 19वें सूत्र की स्पष्ट अवहेलना के बारे में ता0 16-7-85 को मिला है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 16 में कोयला के व्यापारियों का पंजीयन

31–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 16 में वर्ष 82-83 व 83-84 में कोयला के व्यापारियों

के पंजीयन के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 619 दि0 28-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दि0 28-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, स्थिति से मा0 सदस्य को शासन के पत्र संख्या बि0 क0-4-160/दस-ए0क्यू0 10 (88) 86 दिनांक 25-2-87 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

जनपद बरेली के पूर्व बिक्रीकर अधिकारी श्री अमरनाथ अग्रवाल के बारे में जानकारी की मांग

32–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बरेली में 81-82 में तैनात बिक्रीकर अधिकारी श्री अमरनाथ अग्रवाल के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 578 दि0 19-12-85 मा0 मुख्य मंत्री को ता0 19-12-85 को मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या उपरोक्त जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर स्थित बिक्रीकर कार्यालय के भवन का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिहायशी प्रयोग

33–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि स्वरूप नगर, कानपुर में स्थित बिक्रीकर कार्यालय के एक भवन को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिहायशी प्रयोग में लाने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 616 दि0 28-12-85 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 28-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, श्री डी0 आर0 मेहता, सेवा निवृत्त उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर कानपुर ने दिनांक 10-8-76 से दिनांक 5-6-79 तक उक्त भवन का रिहायशी के रूप में उपयोग किया था तथा उक्त अवधि के लिये विभाग द्वारा उनसे किराया वसूल किया जा चुका है।

जनपद अल्मोड़ा के जल निगम विभाग में विभागीय कार्यों के भुगतान की भिन्न-भिन्न दर

34–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम में जनपद अल्मोड़ा में वित्तीय वर्ष 83-84, 84-85 में विभागीय कार्यों का भुगतान भिन्न-भिन्न दरों से किया गया तथा विभागीय दरों में टी0 एण्ड0 पी0 का मूल्य भी सम्मिलित था ? यदि हां, तो उक्त अवधि में कुल कितने मूल्य की टी0 एण्ड पी0 सामग्री किस अधिकारी द्वारा किस फर्म से खरीदी गयी और इसका औचित्य क्या था ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जल निगम, जनपद अल्मोड़ा में वित्तीय वर्ष 83-84, 84-85 में विभागीय कार्यों का भुगतान भिन्न दरों से नहीं किया गया तथा विभागीय दरों में टी0 एण्ड पी0 का मूल्य भी सम्मिलित नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता है।

मुख्यमंत्री के "विवेकाधीन कोष" से देय अनुदान का मानक

35—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "विवेकाधीन कोष" से अनुदान देते समय कौन से मानक अपनाये जाते हैं? क्या मा0 मुख्यमंत्री जी को उन्नाव जिले की तहसील पुरवा के ग्राम रम्भाखेडां में हुए भीषण अग्निकाण्ड जिसमें मुख्यतया हरिजनों के ही मकान जले हैं, ग्राम बसनोहा में हुए अग्निकाण्ड जिसमें जानवरों के साथ एक औरत भी जल मरी है, के पीड़ितों को "विवेकाधीन कोष" से अनुदान दिये जाने का प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 25 अप्रैल, 86 पत्रांक 276/86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली के अनुसार मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सामान्यतया निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है :—

(1) असहाय व्यक्तियों को,

(2) विकलांग व्यक्तियों को,

(3) दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को,

(4) सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों में रत संस्थाओं को,

(5) बीमारी से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को,

(6) निराश्रित विधवाओं/बालकों आदि को,

(7) अन्य ऐसे व्यक्तियों को जो मुख्य मंत्री जी के विवेकानुसार इस कोष से सहायता के पात्र हों।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1986 प्राप्त नहीं हुआ है अतः इस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक प्राकृतिक आपदाओं, अग्निकाण्ड आदि का प्रश्न है, इस संबंध में आवश्यक सहायता राजस्व विभाग द्वारा दी जाती है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर में पेय जल संकट से निपटने हेतु अस्थाई व्यवस्थाओं में व्यय धनराशि

36—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के विकास खण्ड बामौर में वर्ष 1985-86 में पेय जल संकट से निपटने हेतु अस्थाई व्यवस्थाओं में शासन द्वारा किस मद में कितना धन व्यय किया गया? क्या यह भी बतायेंगे कि किन ग्रामों में टैंकर द्वारा पेय जल उपलब्ध कराया गया और प्रत्येक पर क्या व्यय आया?

श्रीमती पद्मा सेठ—

विकास खण्ड बामौर में वर्ष 1985-86 में पेयजल संकट से निपटने हेतु अस्थाई व्यवस्थाओं में परिवहन मद में कुल 13,000,00 व्यय किये गये।

ग्राम पहरा, धनौरा एवं गरौठा हाट पर 2 टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक टैंकर पर रुपये 3,300.00 व्यय हुआ।

37—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

38—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बिक्रीकर अधिकारी बाराबंकी द्वारा राजस्व हानि के बारे में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

39—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 698 दिनांक 7-1-86 बाराबंकी के बिक्रीकर अधि-

कारी द्वारा राजस्व की हानि के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 7-1-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, क्या वह जानकारी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां

2–माननीय विधायक को स्थिति से शासकीय पत्र दि0 4-11-86 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

फर्म पंजाब ज्वेलर्स बनाम आयुक्त बिक्रीकर में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय

40–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 927 आफ 1978 फर्म पंजाब बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 29-10-79 को दिया है और करदाता के रिवीजन को स्वीकार करके हर्जा-खर्चा के 300/- दिलाए हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 700 दिनांक 7-1-86 इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 7-1-86 को मिला है? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त जानकारी कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं किन्तु माननीय विधायक का पत्र संख्या 700 लो0 द0 । 86 दिनांक 1-1-86 अवश्य प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र का उत्तर राज्य वित्त मंत्री द्वारा दिया जा चुका है ।

जनपद इलाहाबाद के बिक्रीकर अधिकारी श्री एस0 एम0 जमाल के विरुध राजस्व हानि की शिकायत

41–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 883 दिनांक 3-2-86 इलाहाबाद के बिक्रीकर अधिकारी श्री एस0 एम0 जमाल के द्वारा राजस्व हानि के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 3-2-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, किन्तु पत्र दिनांक 1-2-86 का है । उक्त पत्र पर उपायुक्त स्तर से आवश्यक जांच कराने के फलस्वरूप आरोप प्रमाणित नहीं हो पाये ।

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा राम सागर मिश्र नगर में भवनों के पंजीयन हेतु रूपया निकालने की शिकायत

42– श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्न कर्ता का पत्र संख्या 1470 दिनांक 1-8-84 आयुक्त बिक्रीकर द्वारा 1978 में राम सागर मिश्र नगर में भवनों के पंजीयन हेतु नकद रुपया निकालने के बारे में ता0 2-8-84 को मिला है? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, किन्तु पत्र 28-7-84 का है ।

2–वस्तु स्थिति से माननीय सदस्य को अलग से पत्र द्वारा अवगत करा दिया जाएगा ।

श्री बद्रीनाथ/श्री केदार नाथ मन्दिर में यात्रियों हेतु सुविधायें

43—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री द्वितीय सत्र 85 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 161 व 162 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कथित मन्दिरों के प्रबन्ध मंडल ने यात्रियों की सुविधा एवं ज्ञानवृद्धि व शोध को ध्यान में रखते हुए सर्व साधन सम्पन्न धर्मशालाओं और नवीनतम स्तर के धार्मिक पुस्तकालय बनाने के लिये 1 मई, 1986 तक कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या इस संदर्भ में सरकार विशिष्ट प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति, (जिसका कार्यकाल दि0 3 जून, 1986 को समाप्त हो चुका है) के द्वारा यात्रियों को सुविधा एवं ज्ञान वृद्धि व शोध को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है—

(1) ऋषिकेश में चन्द्रभागा पुल के पास 14 कक्षों के यात्री निवास एवं प्रचार कार्यालय की स्थापना ।

(2) ऋषिकेश में बस स्टेशन के पास 200 यात्रियों के धर्मशाला का निर्माण ।

(3) श्री नगर में 100 यात्रियों, रूद्रप्रयाग में 150 यात्रियों, गुप्तकाशी में 30 यात्रियों, सोन प्रयाग में 50 यात्रियों, गौरी कुण्ड में 300 यात्रियों, श्री केदारनाथ में 400 यात्रियों, चमोली में 50 यात्रियों, पीपलकोटी में 100 यात्रियों तथा श्री बद्रीनाथ में 2000 यात्रियों के पूर्व से निर्मित धर्मशालाओं/विश्रामगृहों को आधुनिकीकरण कर सुसज्जित करना ।

(4) श्री केदारनाथ धाम में जनता विश्राम गृह, सराफ विश्राम गृह तथा अग्रवाल विश्राम गृह निर्माधीन है, जिनकी शयन क्षमता 550 यात्रियों तक की है ।

(5) श्री बद्रीनाथ धाम में एक तीन मंजिला धर्मशाला निर्माणाधीन है, जिसकी शयन क्षमता 500 यात्री की है ।

मंदिर समिति द्वारा प्रचार, प्रसारण एवं धार्मिक पुस्तकालयों के प्रकाशन हेतु "श्री बद्री केदारदर्शन" नामक पुस्तक एवं अन्य प्रचार साहित्य यात्रियों के मार्ग दर्शनार्थ प्रकाशित किये गये हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि मंदिर समिति को पर्यटन उद्योग ऋण उपादान योजना के अन्तर्गत वित्तीय संसाधन के रूप में ऋण/अनुदान पर्वतीय क्षेत्र के संबंधित जिलाधिकारी द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से स्वीकृत किया जाय, ताकि यात्रियों को और अधिक लाभ मिल सके। मंदिर समिति द्वारा श्री बद्रीनाथ वेद-वेदांग महाविद्यालय, जोशीमठ एवं श्री केदारनाथ सनातम धर्म संस्कृत महाविद्यालय विद्यापीठ गुप्तकाशी के पुस्तकालयों में धार्मिक पुस्तकें संग्रहीत हैं । मंदिर समिति द्वारा शोध एवं पुरातत्व संस्थान की स्थापना की योजना अलग से नहीं बनायी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम फर्तोला के निवासियों की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही

44—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स0 निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट वाराकोट मोटर मार्ग के 1972-73 में निर्माण के समय फर्तोला के निवासियों

के कुल कितने क्षेत्रफल खेत व बगीचे में क्षति हुई ? इस निर्माण में दिनांक 1 मई, 86 तक किस दर से कुल कितने प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इसका तुरन्त सावधि जमा ब्याज सहित भुगतान करने हेतु क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में 1972-73 में लोहाघाट बाराकोट मार्ग के निर्माण के समय ग्राम फर्तोला के निवासियों की कुल 97 नाली 13 मुट्ठी भूमि की क्षति हुई । मार्ग में कोई पेड़ नहीं था । अतः बगीचे का कोई प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया है । वर्ष 1975 से 1977 तक क्षतिग्रस्त भूमि के प्रतिकर का, तालाब भूमि 250 रू0 प्रति नाली, अव्वल भूमि 200 रु0 प्रति नाली तथा दोयम भूमि 75 रु0 प्रति नाली के दर से आकलन किया गया । इस प्रकार आकलित प्रतिकर रुपया 19453.12 तथा ब्याज रु0 5835.95 कुल 25,289,07 में से 864 रू0 को छोड़कर शेष धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । ग्राम फर्तोला में उक्त 864 रु0 के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान मार्ग के निर्माण के कारण नहीं किया जाना है । इस धनराशि के भुगतान हेतु समाचार-पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कराई गई है परन्तु भूस्वामी उसे प्राप्त करने हेतु उपस्थित नही हुए ।

उन्नाव जनपद के कस्बा पुरवा व मौरावां की सड़कों/मार्गों के निर्माण में व्यय धनराशि

45–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा व मौरावां कस्बों की सड़कों व मार्गों पर वर्ष 85-86 में कितनी धनराशि खर्च होनी थी और कितनी खर्च हुई है? क्या यह सही है कि पुरवा व मानक से कम चौड़ी सड़क बनाकर मिट्टी डाल दी गई है एवं इस आशय की शिकायत प्रशासक, टाउन एरिया, पुरवा व मौरावां की जनता व प्रतिनिधियों द्वारा माह अप्रैल, 86 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1985-86 में उन्नाव जिले की टाउन एरिया पुरवा व मौरावां को क्रमशः रु0 1,20,000 व रुपये 1,05,000 सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया तथा उनके द्वारा क्रमशः 1,30,568/- व 86,332/- व्यय किया गया ।

जी हां, इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी ।

जांचोपरान्त शिकायतें सही नहीं पायी गयीं ।

श्रीमती महादेवी पत्नी स्व0 ऊधो को पेंशन भुगतान करने की मांग

46–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती महादेवी पत्नी स्व0 ऊधो पुलिस कर्मी को पेंशन देने विषयक श्री राम चन्द्र शर्मा स0 पुलिस महानिरीक्षक, उ0 प्र0 के पत्र सं0 डी0 जी0-चार-1015(181)-85 दि0 लखनऊ, सितम्बर 20, 1985 पर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक), उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्रीमती महादेवी पत्नी स्व0 ऊधो पुलिसकर्मी को पेंशन देने विषयक श्री राम चन्द्र शर्मा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक डी0 जी0 चार-105(181)/85

दिनांक 20-9-85 पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में प्राप्त होने पर यह प्रकाश में आया कि पुलिस कर्मी ऊधो जनपद रायबरेली से वर्ष 1964 में सेवानिवृत्त हुए थे। श्री ऊधो के पक्ष में पेंशन भुगतानादेश निर्गत कराने के उपरान्त पत्रावली वर्ष 1965 में बन्द कर दी गई और शासनादेशानुसार सम्बन्धित पत्रावली 10 वर्ष बाद नष्ट कर दी गई। श्री ऊधो का स्वर्गवास मार्च, 1983 में हो गया।

शासनादेश संख्या सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 8-8-1986 में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 1-4-65 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के परिवारों को दिनांक 1-5-86 से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। चूंकि स्व0 श्री ऊधो 1-4-65 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए थे और उनकी पत्नी श्रीमती महादेवी का स्वर्गवास भी दिनांक 13-8-86 को हो चुका है, अतः नियमानुसार श्रीमती महादेवी के उत्तराधिकारी को दिनांक 1-5-86 से 13-8-86 तक पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती महादेवी की मृत्यु के समय उनके कोई अवयस्क बच्चे नहीं थे, अतः अब अन्य किसी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन देय नहीं है।

उन्नाव कानपुर लिंक मार्ग पर व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा

47—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव शहर में उन्नाव कानपुर लिंक मार्ग के कि0मी0 2.620 से 2.750 के मध्य कुछ असरदार लोगों ने सा0 नि0 वि0 की जमीन पर अवैध कब्जा करके दुकान खोल ली है? क्या इसी सम्बन्ध में डी0 एम0 उन्नाव को दि0 15-1-86 को श्री राम किशोर द्विवेदी का शिकायती पत्र मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री राम किशोर द्विवेदी का पत्र दिनांक 15-1-86 जिला अधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में उन्नाव कानपुर लिंक मार्ग के कि0मी0 2.620 से 2.750 के मध्य श्री मुख्तार अहमद द्वारा श्री द्विवेदी के घर के सामने लकड़ी की दुकान रखकर लाउड-स्पीकर आदि का काम करने की शिकायत की गई है। जिला अधिकारी, उन्नाव ने उक्त शिकायत की जांच अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराई। स्थानीय जांच से लाउडस्पीकर आदि की दुकान अथवा मार्ग पर अन्य कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

थाना मधुवन, जनपद आजमगढ़ के सहायक थानेदार श्री विष्णु कान्त पाण्डेय व पाल मुंशी के विरुद्ध आरोपों की जांच

48—श्री विष्णु देव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मधुवन, जनपद आजमगढ़ के सहायक थानेदार श्री विष्णु कान्त पाण्डेय व पाल मुंशी की धांधली, भ्रष्टाचार व अत्याचार के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दि0 10-1-86 उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

विवेचना से उप निरीक्षक विष्णु प्रकाश पाण्डेय तथा कां0 मुंशी दीनानाथ पाल पर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

जनपद आजमगढ़ के थाना घोसी के ग्राम गलेरीकोट निवासी श्री राम अवध लोहार के घर चोरी व नामजद अभियुक्तों तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कृत कार्यवाही

49–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना घोसी के ग्राम गलेरीकोट में श्री रामअवध लोहार के यहां चोरी की गम्भीर वारदात हुई? क्या यह सत्य है कि नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस ने पैसा लेकर नहीं की ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि नामजद अभियुक्तों की राह पर ता0 3-1-86 को घोसी थाने के सहायक थानेदार श्री परशुराम गिरि व सत्येन्द्र राम सिपाही ने क्या श्री चन्द्रभान चौहान व रामबचन चौहान, ग्राम गलेरीकोट को अनियमित रूप से पकड़ा और डेढ़-डेढ़ सौ रुपया लिया ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी को चन्द्रभान चौहान आदि का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 10-1-86 के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

श्रीमती बदामी देवी पत्नी श्री राम अवध लोहार सा0 मलेरीकोट, थाना घोसी की सूचना पर मु0 अ0 सं0–226/85 अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। वादिनी का संदेह उसी गांव के परसाद, राम जनम, नन्दू एवं चिरकुट पर था । विवेचनोपरान्त माल व मुल्जिम का पता नहीं चला । अतएव अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 31-12-85 को न्यायालय भेजी गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा पैसा लेकर न किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ । दिनांक 1/2-1-86 की रात्रि में चिरकुट व उसके भाई रमाशंकर के घर में चोरी की घटना के सम्बन्ध में अभियोग अप0 सं0–3/86 अन्तर्गत धारा 380 भा0 द0 वि0 दिनांक 2-1-86 को पंजीकृत किया गया और इस अभियोग की भी विवेचना उप निरीक्षक परशुराम गिरि द्वारा की गई और अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 11-1-86 को देते हुए जांच समाप्त की गई । इस अभियोग में नामजद चन्द्रभान चौहान आदि पांच व्यक्तियों से रुपया लेने के सन्दर्भ में चन्द्रभान चौहान के शिकायती पत्र दि0 6-1-86 पर जांच के परिणामस्वरूप उपनिरीक्षक गिरि व कांस्टेबिल सत्येन्द्र राय के विरुद्ध धारा 323/161/5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना कोतवाली, आजमगढ़ में पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, सगड़ी द्वारा कराई जा रही है। उप निरीक्षक का स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा कांस्टेबिल निलम्बित है।

जनपद आजमगढ़ के थाना मधुबन, ग्राम दरियाबाद के कपड़ा दुकानदार श्री रामवृक्ष मौर्य के यहां हुई चोरी तथा सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

50–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना मधुबन के ग्राम दरियाबाद के कपड़ा दुकानदार

रामबृक्ष मौर्य के यहां दि0 2-1-86 को सरे आम चोरी हुई ? यदि हां, तो क्या 3-1-86 को रामबृक्ष मौर्य और उनके गवाह अच्छेलाल चौरसिया व राम-अवध मौर्य को चोरी के अभियुक्तों से पैसा लेकर धारा 51 में झूठा बन्द किया और मारा पीटा ? क्या इसी प्रकार ग्राम कतकौली के श्री मनकधारी मौर्य व मानिक चन्द के साथ भी किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या मुख्य मंत्री जी को श्री राम अवध मौर्य एवं श्री मनकधारी मौर्य का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दि0 10-1-86 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

श्री रामबृक्ष मौर्य की दिनांक 3-1-86 लिखित सूचना पर थाना मधुबन में विवेचना की गयी। तथ्य प्रमाणित न होने पर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। विवेचना के दौरान वादी व प्रतिवादी आपस में मारपीट करने लगे अतः धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल भेजे गये । दिनांक 4-1-86 ग्राम कटकौली निवासिनी श्रीमती कला-वती पत्नी श्री गयाराम मिश्र की लिखित सूचना पर अपराध थाना मधुबन पर पंजीकृत करके विवेचना की गई, जिसके फलस्वरूप दिनांक 14-1-86 को अभियुक्त मनकधारी मौर्य, चन्द्रिका मौर्य, श्री सवर व मानिक चन्द के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया । अतः कार्य-वाही समय से की गई ।

जनपद आजमगढ़ की ग्राम कस्बा घोसी (कटरा) निवासिनी श्रीमती जानकी देवी की भूमि पर अवैध कब्जा हटाए जाने की जांच

51–श्री विष्णु देव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-11-85 को उत्तर प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष श्री राम नरेश कुशवाहा की तरफ से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को एक प्रार्थना-पत्र जो श्री द्वारिका प्रसाद थानेदार थाना सिंगहाई, जिला प्रतापगढ़ द्वारा अपने रिश्तेदार कस्बा घोसी के श्री बुद्धिसागर, बाबूलाल पुत्रगण मुरली व अन्य लोगों द्वारा प्रार्थिनी के जमीन पर जबरदस्ती अवैध निर्माण करा देने के संबंध में था ? श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री मुन्नूराम ग्राम कस्बा घोसी (कटरा), जिला आजमगढ़ को भेजा गया था ? यदि हां; तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

श्री रामनरेश कुशवाहा के पत्र दिनांक 8-11-85 पर जांच कराई गई । जांच से यह पाया गया कि श्रीमती जानकी देवी पत्नी मुन्नूराम ग्राम कस्बा घोसी (कटरा) जिला आजमगढ़ तथा उसी कस्बे के निवासी श्री बुद्धिसागर, बाबूलाल पुत्रगण मुरली एवं अन्य में मकान संबंधी आपसी विवाद था ।

तत्कालीन उप निरीक्षक पशुपति नाथ पाण्डे एवं श्री द्वारिका प्रसाद थाना सिंगही जनपद प्रतापगढ़ पर लगाए गए आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री राम अवध मौर्य आदि को जनपद आजमगढ़, थाना मधुबन के थानाध्यक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाना

52–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अवध मौर्य, सामाजिक कार्य-कर्ता ग्राम दरियाबाद, थाना मधुबन, जन-पद आजमगढ़ को 3-1-86 को सहायक थानेदार श्री विष्णु कान्त पाण्डेय व पाल मुंशी द्वारा थाने की हवालात में जूता डंडा, लात, मुक्के द्वारा मारे जाने व 4-1-86 को श्री मनकधारी मौर्य व मनिक चन्द मौर्य को थाने में बन्द करके डण्डों से

पीटने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-1-86 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

श्री राम अवध मौर्य को दिनांक 3-1-86 को धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । श्री मनकधारी मौर्य व श्री मानिकचन्द्र मौर्य नामजद अभियुक्तों को दिनांक 4-1-86 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था । कार्यवाही न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्व0 नि0 वि0 के अन्तर्गत मुख्यालय एवं विभिन्न जनपदों में की गई वर्कचार्ज वर्ग की नियुक्तियां

53–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1984 एवं 1985 में वर्कचार्ज वर्ग में विभिन्न जनपदों एवं मुख्यालय पर कितनी नियुक्तियां की गईं ? क्या इन नियुक्तियों में मुख्य अभियन्ता उ0 प्र0 द्वारा जारी पत्र सं0 1729/डब्लू0 सी0 दिनांक 13 मई, 1977 का अनुपालन किया गया ? यदि हां, तो छंटनी शुदा कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां हुईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत अवधि में वर्कचार्ज वर्ग में कुल 1094 नियुक्तियां की गईं ।

मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी, मुख्य अभियन्ता, दक्षिणी मध्य क्षेत्र, कानपुर, 25 व 39वां वृत्त लखनऊ तथा राष्ट्रीय मार्ग के कतिपय वृत्त/खण्ड की सूचना प्रतीक्षित है ।

जी हां ।

उक्त नियुक्तियों में 40 छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्तियां की गईं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर मुख्यालय में आयुक्त स्तर पर दक्षतारोक/प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन के लम्बित निर्णय

54–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री की जानकारी में है कि बिक्रीकर मुख्यालय में आयुक्त के स्तर पर दक्षता रोक अथवा प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध अनेक प्रत्यावेदन काफी लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए हैं ? जिससे संबंधित अधिकारियों में असंतोष है ? यदि हां, तो इन प्रत्यावेदनों की संख्या क्या है ? और कब तक इन पर निर्णय कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

असंतोष का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन मामलों में कार्यवाही चल रही है । प्रत्यावेदनों की कुल संख्या-43 है जिनका शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है ।

महानगर पुरानी आबादी के कथित निवासियों को बेदखली की नोटिस/न्यायालयी निर्णय

55–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री सरदार सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूची नं0 एक तथा दो में जो नाम समान हैं, उनकी वल्दियत सहित पते क्या हैं ?

सहित पते क्या हैं?

सूची नं0 1 व 2 में तीन नाम समान हैं, जिनके वल्दियत सहित पते इस प्रकार हैं :–

1. श्री सिद्दीकी पुत्र श्री नवाब
2. श्री सुबराती पुत्र श्री हुसैनी

3. श्री हुसैनी पुत्र श्री गणेश
समस्त निवासी, महानगर वार्ड पुलिस स्टेशन हसनगंज-लखनऊ ।

55 (अ)—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मकान गिराने वालों की जो सूची नं0 दो प्रस्तुत की गई है उसमें सूची नं0 1 में अंकित किसी वादी को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में हुआ था ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

सूची नं0-2 में अंकित व्यक्तियों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है, जबकि मा0 न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन एक्ट के प्राविधानों के अंतर्गत भूमि अधिग्रहीत करने पर रोक लगायी गयी है। दोनों कार्यवाहियां एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए इसके लिए किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी हेतु आवंटित धनराशि

56—श्री रणजीत—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में सन् 1985-86, 1986-87 में सामाजिक वानिकी के लिये किन-किन स्थानों पर कितना-कितना धन अवमुक्त किया गया है तथा उससे वन विभाग ने कितने क्षेत्रफल में कितने पेड़ लगाये हैं तथा उसके रख रखाव पर कितना धन किस-किस मद पर व्यय किया गया है? क्या इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

देवरिया वन प्रभाग में देवरिया जनपद के लिये वर्ष 1985-86 में सामाजिक वानिकी की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 84.67 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा वर्ष 1986-87 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अभी तक 130.186 रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है । वर्ष 1985-86 में कुल 894.53 है0 क्षेत्र में 17.87 लाख पौधों का, वर्ष 1986-87 में 900 है0 क्षेत्र में 18 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वृक्षारोपण क्षेत्रों की सूची एवं रोपण पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण क्रमशः संलग्न† तालिका 1 तथा 2 में दर्शाया गया है। रिपोर्ट उपरोक्तानुसार संलग्न है।

मथुरा शहर एवं देहात के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रस्तावित योजनायें

57—श्री सरदार सिंह—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर एवं देहात के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन-कौन सी योजनायें प्रस्तावित हैं और उन पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1982-83 से विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली की नवीन व्यवस्था लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सापेक्ष मथुरा जनपद की आबादी एवं पिछड़ेपन की स्थिति के अनुरूप जिलों को प्रति वर्ष जिला परि-

†छापी नहीं गयी।

व्यय आवंटित किया जाता है। जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पृथक से कोई योजना लागू किया जाना प्रस्तावित नहीं है। स्थानीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जिला समिति स्वयं आवंटित परिव्यय के अन्दर योजना बना सकती है। अतः पृथक से कोई योजना प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर महापालिकाओं/नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों का नियमितीकरण/प्रोन्नति

58—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिकाओं/नगर पालिकाओं के कितने अधिशासी अधिकारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है और उसमें से कितने को प्रोन्नति दे दी गयी है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

77 अधिशासी अधिकारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है। और उनमें से 46 अधिशासी अधिकारियों को प्रोन्नति कर दी गयी है।

केन्द्रीय सेवा के कर अधीक्षक/सहायक अधीक्षकों का नियमितीकरण

58 (अ)—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सेवा के कितने अधीक्षक/सहायक अधीक्षकों का नियमितीकरण कर दिया गया है और उन्हें भी प्रोन्नति दे दी गयी है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

22 कर अधीक्षक तथा 13 सहायक कर अधीक्षकों को नियमित कर दिया गया है।

जी नहीं, ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है।

कुमाऊं मंडल विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों का मूल पद पर स्थानान्तरण

59—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुमाऊं मंडल विकास निगम में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति में रखे गए हैं? कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अपना प्रतिनियुक्ति काल पूर्ण कर लेने पर भी उनके मूल स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया गया है तथा ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें अपने से सम्बद्ध कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही उन पदों पर बनाये रखा गया है जबकि प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी उन पदों पर कार्य करने को उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों का जिन्होंने अपना प्रतिनियुक्ति काल पूर्ण कर लिया है या जो सम्बद्ध कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं, को अविलम्ब स्थानान्तरित कर उनके मूल विभागों में भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुमाऊं मण्डल विकास निगम में चार अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। केवल एक अधिकारी ऐसे हैं जिसे प्रतिनियुक्ति काल पूर्ण होने पर मूल विभाग को वापस नहीं किया गया है।

ऐसे कोई भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं जिन्हें अपने से सम्बद्ध कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना ही उस पद पर बनाये रखा गया है। कथित एक अधिकारी जिसका प्रतिनियुक्ति काल पूर्ण हो चुका है उसे उसके मूल विभाग को वापस किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु विधायक श्री जसवन्त सिंह विष्ट का पत्र

60—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री को विधायक (रानीखेत) श्री जसवन्त सिंह विष्ट का 31-10-84 का पर्वतीय विकास पर आधारित 9 मुद्दों पर केन्द्रित खुला पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त मुद्दों में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उठाये गये मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभागों को उचित परिपालन एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये थे।

जनपद मथुरा की तहसील मांट में आवास विकास परिषद् द्वारा एस0 डी0 ओ0 कम्पलैक्स की बिल्डिंग का निर्माण

61—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि मथुरा जनपद की मांट तह0 में आवास विकास परिषद् मथुरा द्वारा एस0 डी0 ओ0 कम्पलैक्स की बिल्डिंग बनाई गई है ? यदि हां, तो दो साल से यह पूर्ण होने के बावजूद आज तक हैंड ओवर क्यों नहीं की गई है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

मथुरा जनपद की तहसील मांट में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा परगनाधिकारी न्यायालय/वृत्ताधिकारी कार्यालय भवनों का कब्जा दिनांक 9-9-86 को तथा 15 अन्य भवनों का कब्जा दिनांक 3-3-86, 1-4-86, 30-5-86 एवं 9-9-86 को दिया जा चुका है । शेष 10 भवनों का कब्जा प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी मथुरा ने तहसीलदार मांट को निर्देश जारी कर दिया है ।

जनपद मथुरा के थाना बाह अन्तर्गत नैकसा उर्फ सुरेन्द्र सिंह की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु एवं उससे बरामद लाइसेंसी हथियार की जांच

62—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि सन् 84 में बाह थाना, जनपद मथुरा में नेक्सा उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुलिस द्वारा मारा गया था? यदि हां, तो उस पर कौन सा हथियार बरामद हुआ था, बरामदशुदा हथियार क्या किसी लाइसेंसी का था? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना 1984 में नहीं, 1983 में थाना बाह, जिला आगरा में हुई थी, जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ में नैकसा उर्फ सुरेन्द्र कुमार मारा गया था। नैकसा के कब्जे से 12 बोर की एकनाली फैक्ट्री निर्मित बन्दूक और 21 कारतूस बरामद हुये थे। बाद में बन्दूक के लाइसेंस धारक स्वामी श्री हर गोपाल, निवासी कान्धरपुरा, थाना जैतपुर प्रमाणित हुये। इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसन्धान शाखा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण में नियुक्त सहायक अभियंताओं द्वारा आवंटित क्षेत्रों में अवैध निर्माण

63—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण में कितने सहायक अभियंता नियुक्त हैं? वर्ष 1985 में इनको आवंटित क्षेत्रों में कितने-कितने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1985 में मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण में चार सहायक अभियंता कार्यरत रहे। इनमें से तीन सहायक अभियन्ताओं के पास अवैध निर्माण संबंधी कार्यवाही किए जाने के अलग-अलग क्षेत्र आवंटित किए गए थे। इनके द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं के चालान किए जाने का विवरण निम्न प्रकार है:–

नाम सहायक अभियंता	संख्या चालान
1–श्री एस0 के0 भाटिया	108
2–श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी	177
3–श्री राजवीर सिंह धेनुवा	245
	530

सार्वजनिक पजा स्थल के निर्माण हेतु जिलाधिकारियों द्वारा नक्शा पास कराने सम्बन्धी विधेयक पर विचार

64–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत किसी भी स्थान पर नए सार्वजनिक पूजा स्थल के निर्माण हेतु उसका नक्शा जिलाधिकारी से पास कराकर तथा अनुमति लेकर ही उसका निर्माण कराया जा सकेगा ? यदि हां, तो क्या इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार तत्काल पुराने पूजा स्थलों की थानावार विवरण, जिसमें पूजा स्थल की सीमाओं इत्यादि का भी पूरा विवरण हो, शीघ्र तैयार कराने की कृपा करेगी ताकि साम्प्रदायिक तत्व पुराने पूजा स्थलों का बहाना लेकर नए तनाव न खड़े कर सकें? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, " दि उत्तर प्रदेश रिलीजस बिल्डिंग एण्ड प्लेसेज" विधेयक अभी परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मो0 सिद्दीक पुत्र स्व0 श्री सुबराती पुराना महानगर घोसियाना लखनऊ निवासी को निरालानगर डी-65 ए के बगल में आवन्टित रिक्त भूमि का कब्जा दिलाने की मांग

65–श्रीमती कमला साहनी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो0 सिद्दीक पुत्र स्व0 श्री सुबराती निवासी पुराना महानगर घोसियाना को संयुक्त सचिव, सम्पत्ति, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 10-2-86 के द्वारा कुतुबपुर इरादत्त नगर योजना के अंतर्गत निराला नगर डी-65, ए के बगल में खाली पड़ी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1774 वर्ग फुट है, आवंटित किया गया था?यदि हां, तो किन शर्तों एवं मूल्य पर, उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है? क्या आवंटित किए गए प्लाट पर आवंटी को कब्जा दिला दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

श्री मो0 सिद्दीक को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कुतुबपुर इरादत नगर योजना (निराला नगर) में भूखण्ड संख्या डी-65 के बगल में खाली पड़ी 1774 वर्ग फुट भूमि का आवंटन दिनांक 10-2-86 को किया गया।

इसका प्रीमियम रुपया 31222·40 पैसा तथा वार्षिक किराया रुपया 312·25 पैसा प्रतिवर्ष बनता है। पट्टा विकास प्राधिकरण के वर्तमान समय में प्रचलित सामान्य शर्तों पर दिया जायगा।

नहीं, भूखण्ड पर आवंटी को कब्जा पट्टे की विधिवत् रजिस्ट्री होने के बाद ही दिया जायगा।

66—श्रीमती कमला साहनी—

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव (सम्पत्ति) लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या 1628/जे एस II, दिनांक 1-3-86 द्वारा अधिशासी अभियंता खण्ड 4 को यह निर्देश दिया था कि कुतुबपुर इरादत नगर योजना के अंतर्गत निराला नगर डी-65 ए के बगल की खाली भूमि पर से अवैध कब्जा तुरन्त हटा दिया जाय? यदि हां, तो कब्जा न हटाये जाने का क्या कारण है और इस कब्जे को कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं, संयुक्त सचिव सम्पत्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-1628 जे0 एस0-2 दिनांक 1-3-86 के द्वारा अधिशासी अभियंता-4 को श्री सिद्दीक के पक्ष में हुये उक्त आवंटन की सूचना देते हुये भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनधिकृत निर्माण पर रिपोर्ट मांगी गई थी।

पट्टे की विधिवत् रजिस्ट्री होने के बाद अग्रेतर कार्यवाही होगी।

67—श्री भगवती सिंह विशारद—

[दिनांक 4-3-87 को अता0 प्र0 सं0 171 द्वारा उत्तरित]

बिक्रीकर मुख्यालय द्वारा समस्त बिक्रीकर जांच चौकियों को प्रपत्र 34 खारिज करने के निर्देश तथा बिक्रीकर जांच चौकी नौबतपुर का भौतिक सत्यापन

68—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त बिक्रीकर जांच चौकियों को बिक्रीकर मुख्यालय ने यह निर्देश दिया है कि प्रपत्र 34 खारिज करते समय जहां तक सम्भव हो वाहन का भौतिक सत्यापन किया जाय? यदि हां, तो बिक्रीकर जांच चौकी नौबतपुर, वाराणसी पर वर्ष 1985-86 के दौरान ढिल्लन ट्रांसपोर्ट कम्पनी/एजेंसी से संबंधित कुल कितने प्रपत्र 34 इस जांच चौकी पर खारिज किए गए, और कितने वाहनों का भौतिक सत्यापन किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बिक्रीकर मुख्यालय द्वारा बिक्रीकर जांच चौकियों पर प्रपत्र-34 खारिज करते समय जहां तक सम्भव हो वाहन का भौतिक सत्यापन किये जाने के आदेश किये गये हैं। प्रपत्र—34 वाहन मालिक के नाम से परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीयन पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है। इस प्रकार वाहन मालिकों के नाम को ही आधार माना जाता है न कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी को। अतः ढिल्लन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के सम्बन्ध में सूचना दिया जाना कठिन है।

69—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से 1982 के मध्य कुल कितने कार्यालय अभिलेख जो बिक्रीकर जांच चौकी नौबतपुर, वाराणसी द्वारा फार्म 34 खारिज होने के संदर्भ में थे, सत्यापन कक्ष वाराणसी में नष्ट हो गये हैं? क्या बिक्रीकर मुख्यालय ने इस मामले की जांच कराई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1980 से 1982 के मध्य बिक्रीकर जांच चौकी नौबतपुर, वाराणसी द्वारा फार्म-34 खारिज होने के संदर्भ में अभिलेख नष्ट होने की कोई सूचना नहीं है।

बिक्रीकर प्रशिक्षण संस्थान इन्दिरा नगर, लखनऊ में बिक्रीकर अधिकारी संघ की बैठक की शासकीय अनुमति

70—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बिक्रीकर प्रशिक्षण संस्थान इन्दिरा नगर लखनऊ में बिक्रीकर अधिकारी संघ की एक बैठक दिनांक 8-2-86 को हुई थी? क्या संघ ने इस आदर्श संस्थान की बैठक करने हेतु बिक्रीकर मुख्यालय से अनुमति ली ? यदि हां, तो किन नियमों के अधीन ली ? क्या शासन इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई कड़ा कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, हां ।

जी, हां । बिक्रीकर सेवा संघ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है जिसे ऐसी सुविधा अनुमन्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर अधिकारी खण्ड प्रथम, आजमगढ़ द्वारा अस्थाई कर निर्धारण से राजस्व क्षति

71—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि बिक्रीकर अधिकारी खंड 1 आजमगढ़ ने वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितने अस्थायी कर निर्धारण बिक्रीकर एक्ट की धारा 7 (3) में कर दिया, जिसे नियमतः बिक्रीकर एक्ट की धारा 4 (5) में होना चाहिये था ? इससे कुल कितने राजस्व की क्षति पहुंची ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बिक्रीकर अधिकारी खंड-1 आजमगढ़ ने वर्ष 1985-86 के दौरान 65 अस्थायी कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 7 (3) के अंतर्गत पारित किया था। नियम 41 (5) के स्थान पर धारा 7 (3) का लिखा जाना एक तकनीकी त्रुटि है। इन आदेशों से राजस्व की हानि नहीं हुई क्योंकि इन में से कोई भी आदेश अपील में निरस्त नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त जब अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है तो अस्थायी कर निर्धारण आदेश स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जो मांग अन्तिम कर निर्धारण आदेश द्वारा सृजित होती है, उसे ही करदाता जमा करता है ।

सहायक आयुक्त प्रशासन बिक्रीकर गोरखपुर द्वारा बिक्रीकर अधिकारी खण्ड प्रथम आजमगढ़ को अस्थाई कर निर्धारण नियमों के अंतर्गत ही पारित करने का निर्देश

72—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर अधिकारी खंड-1 आजमगढ़ ने वर्ष 1985-86 के दौरान अस्थायी कर निर्धारण बिक्रीकर एक्ट के विपरीत किया था तथा इसे सहायक आयुक्त प्रशासन बिक्रीकर गोरखपुर ने अपनी जांच के दौरान पकड़ा और मामले को बिक्रीकर मुख्यालय लखनऊ भेजा है ? यदि हां, तो शासन ने इस मामले पर इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बिक्रीकर अधिकारी, खंड-1 आजमगढ़ ने वर्ष 85-86 के दौरान 65 अस्थाई कर निर्धारण आदेश नियम 41 (5) के स्थान पर धारा 7 (3) के अंतर्गत पारित किया है । यह एक तकनीकी त्रुटि है । इस त्रुटि की जानकारी सहायक आयुक्त (शा0) बिक्रीकर गोरखपुर को उनके निरीक्षण के दौरान हुई । अंतिम कर-निर्धारण आदेश पारित किए जाने के बाद अस्थाई कर निर्धारण आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है

और करदाता को अंतिम कर निर्धारण आदेश में सृजित मांग ही जमा करनी होती है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त कोई अस्थाई कर-निर्धारण आदेश अपील से निरस्त नहीं हुए फलस्वरूप बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। किन्तु सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर गोरखपुर ने संबंधित बिक्रीकर अधिकारी, को भविष्य में अस्थाई कर निर्धारण आदेश नियम 41 (5) के अंतर्गत ही पारित करने का निर्देश दे दिया है।

विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद् के निदेशक पद पर स्थायी नियुक्ति की मांग

73—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

प्रथम सत्र 86 के पहले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 112 के उत्तर के संदर्भ में क्या मान0 मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक विज्ञान एवं प्रद्योगिक परिषद् के पद पर डा0 ए0 एन0 पाठक को 24 जनवरी, 1982 को नियुक्ति पत्र स्थाई नियुक्ति हेतु दिया गया अथवा परिवीक्षा पर कार्य करने हेतु नियुक्ति पत्र दिया गया ? यदि इनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से की गयी थी तो परिवीक्षाकाल में कब बदला गया ? इस पद के चयन हेतु जो विज्ञापन प्रसारित किया गया था उसमें योग्यता तथा उम्र क्या लिखी गई थी और चयन किये जाने के समय क्या डा0 पाठक शैक्षिक योग्यता तथा उम्र का मानक पूर्ण करते थे ?

श्रीमती दीपा—

निदेशक, विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद् के पद पर डा0 ए0 एन0 पाठक की नियुक्ति हेतु 24 जनवरी, 1982 को कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे। विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद् के कार्यालय ज्ञाप संख्या—सी0एस0टी0/डी—3169/जन-71, दिनांक 24 जनवरी, 1983 द्वारा डा0 पाठक की नियुक्ति अस्थाई रूप से की गई थी। विभागीय मंत्री जी ने आदेश दिया था कि चूंकि परिषद् का कार्य चलना है डा0 पाठक को स्थाई व्यवस्था होने तक परिवीक्षा पर कार्यभार ग्रहण करने दिया जाय। परिषद् द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञाप में डा0 पाठक को अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया।

पद के लिये जारी विज्ञापन में यह योग्यता रखी गई थी कि अभ्यर्थी इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिग्री अथवा एप्लाईड साइंस में डाक्ट्रेट हो, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थान में उत्तरदायी पद पर 15 साल का अनुभव रखता हो और उसकी आयु 40 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। डा0 पाठक शैक्षिक योग्यता रखते थे परन्तु 15 वर्ष का अनुभव नहीं रखते थे और चयन के समय वे 40 वर्ष के भी नहीं थे। परिषद् द्वारा डा0 पाठक की अस्थाई नियुक्ति का आदेश किन परिस्थितियों में जारी किया गया इसकी जांच कराई जा रही है।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मलवां/देवमई में शुद्ध पेय जल हेतु जल निगम की टंकियों द्वारा जलापूर्ति

74—श्री अचल सिंह—

क्या सरकार जनपद फतेहपुर विकास खण्ड मलवां व देवमई में जहां अत्यधिक खारा पानी पीने के लिए है, वहां शुद्ध पानी पीने के लिए जल निगम विभाग द्वारा टंकियों के माध्यम से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मलवां एवं देवमई विकास खण्ड के खारे पानी वाले ग्राम जो नये समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित हैं, के लिए वैकल्पिक पाइप पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा विरचन किया जा रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वियन के पश्चात् टंकियों के माध्यम से शुद्ध पानी उपलब्ध हो सकेगा।

टंकियों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना विचाराधीन है।

जनपद उन्नाव थाना असोहा के ग्राम कालूखेड़ा निवासी श्री राम चरण वर्मा (हरिजन) को पुलिस कर्मियों द्वारा मारने-पीटने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

75–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के ग्राम कालूखेड़ा थाना असोहा निवासी रामचरन वर्मा पुत्र श्री सुखलाल (हरिजन) का दो पुलिस सिपाहियों के विरुद्ध मारपीट की रपट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर, 86 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उन्नाव को पीड़ित ने स्वयं मिलकर दिया है? क्या ऐसा ही प्रार्थना पत्र पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 को भी दिनांक 3 अक्टूबर, 86 को उक्त पीड़ित हरिजन ने मारपीट की डाक्टरी रिपोर्ट सहित मिलकर दिया है? यदि हां, तो सिपाहियों पर रपट दर्ज न किए जाने का क्या कारण है? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम चरण वर्मा का प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 के माध्यम से प्राप्त हुआ।

इस प्रार्थना पत्र के आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, पुरवा से कराई गयी। जांच से मामला आपसी पार्टी बन्दी का मारपीट का पाया गया। पुलिस द्वारा धारा 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दोनों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जांच में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया।

तुलसीदास स्मारक समिति, हनुमान फाटक वाराणसी द्वारा हनुमान मंदिर को स्पर्श करने वाली सड़क का नाम "महाकवि तुलसीदास मार्ग" रखने का प्रस्ताव

76–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीदास स्मारक समिति, हनुमान फाटक वाराणसी का दिनांक 12 जून, 86 तथा इसी संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-7-86 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

प्रश्नगत पत्रों में बालरूप श्री हनुमान मंदिर को स्पर्श करने वाली सड़क को पुनर्निर्मित करके उसका नाम "महाकवि तुलसीदास मार्ग" करने की मांग की गयी है।

प्रश्नगत मार्ग का जो भाग इस समय मरम्मत योग्य है उसका व्ययनुमान रु0 2,23,025 है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया जाना संभव नहीं है।

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मार्गों के नामकरण पर निर्णय, नगर महापालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आने पर ही लिया जाना है।

श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 सूर्यमनि उपाध्याय ग्राम बहेड़ुआ तहसील मड़ियाहूं जिला जौनपुर की भूमि का फर्जी बैनामा करा लेने की जांच

77—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 सूर्यमनि उपाध्याय ग्राम-बहेड़ुआ तहसील मड़ियाहूं, जिला-जौनपुर का जिलाधिकारी जौनपुर तथा तहसीलदार मिडियाहूं, जिला जौनपुर को सम्बोधित रजिस्टर्ड पत्र सं0 क्रमशः 932 तथा 933 दिनांक 7-4-84 का मिला है, जिसमें श्रीमती मीना देवी की अमीन का एक गिरोह बंद आदमी द्वारा फर्जी बैनामा एक अन्य औरत द्वारा फर्जी अगूंठा निशानी लगवाकर कर दिये जाने की शिकायत की है? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 सूर्यमनि उपाध्याय के कथित रजिस्टर्ड पत्र सं0 932-933 दिनांक 7-4-1984 सब-रजिस्ट्रार, मड़ियाहूं को प्राप्त हुआ था जिसमें श्रीमती मीना देवी ने अपने पति की कृषि भूमि ग्राम जीतापुर तथा बहेड़ुवा तहसील मड़ियाहूं की जमीन का किसी अन्य स्त्री को खड़ा करके बैनामा कराये जाने की योजना बनाये जाने की शिकायत की थी। दो गाटों में से एक गाटा सं0 355/1-32 श्रीमती मीना कुमारी द्वारा बैनामा श्रीमती प्रतीमा देवी तथा श्री बबऊ प्रसाद को किया गया। उप निबंधक के समक्ष श्रीमती मीना कुमारी की शिनाख्त श्री समरजीत पुत्र जानकी तथा श्री रणबहादुर सिंह, एडवोकेट, तहसील मड़ियाहूं ने की थी। निबंधन दिनांक 19-1-1985 को किया गया।

इस समस्त प्रकरण की अलग से जांच निबंधक महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश से करायी जा रही है।

जनपद बरेली स्थित आवास विकास योजना में स्कूलों हेतु भूमि का आवंटन

78—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली स्थित आवास विकास की योजना नम्बर-1, 2-ए व 3 में कुछ भूखण्ड स्कूलों के लिये गत दस वर्षों से आवंटन हेतु पड़े हुए हैं, जिससे एक ओर सरकार को राजस्व की हानि हो रही एवं दूसरी ओर इस क्षेत्र में स्कूलों के भवन के निर्माण हेतु भूमि नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त स्कूलों को भूमि आवंटन के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

योजना संख्या-2 व 3 में शिक्षण संस्थाओं हेतु कुल 3 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध थे, जो वर्ष 1984 में विकसित किये गये थे। शिक्षण संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करके तथा स्थानीय समिति बरेली की संस्तुति प्राप्त करके उक्त भूखण्ड दिनांक 16-2-87 को आवंटित कर दिये गये हैं।

योजना संख्या—1 में ऐसा कोई भूखण्ड नहीं है।

79—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[दिनांक 6-3-87 को अता0 प्र0 सं0 85 के द्वारा उत्तरित]

जनपद बहराइच के अधिशासी अभियंता श्री हुजूर अहमद अन्सारी के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

80—श्री मयंकर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में प्रान्तीय खण्ड के अधि-

शासी अभियंता श्री हुजूर अहमद अन्सारी के विरुद्ध दिनांक 3-2-86 को मुकदमा अपराध संख्या 38 धारा 166/409/420 के अन्तर्गत कोतवाली नगर बहराइच में कायम हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

विवेचना से आरोप गलत पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 21-8-86 को प्रेषित की गई, जो न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कोडार-मुखेम मोटर मार्ग पर व्यय धनराशि

81—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्वीकृत कोडार-मुखेम मोटर मार्ग कितना किलोमीटर बना है? क्या इस मार्ग पर मोटर गाड़ियां चलाई जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी गढ़वाल जनपद में स्वीकृत प्रश्नगत कोडार-मुखेम मोटर मार्ग 4.00 कि0 मी0 बना है और इस पर माह 12/86 तक 18.76 लाख रु0 व्यय हो चुका है। इस मार्ग के कि0 मी0 2 में त्रुटिपूर्ण कार्य होने के कारण मोटर गाड़ियां नहीं चलाई जा रही हैं।

अकबरपुर के शाहजादपुर मोहल्ले में बाबूलाल सिपाही द्वारा अनियमित टूरिंग टाकिज चलाया जाना

82—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि अकबरपुर के शाहजादपुर मोहल्ले में बाबू लाल नामक सिपाही कृष्ण बिहारी टूरिंग टाकिज के नाम से सिनेमा चला रहा था जिसके बारे में दिनांक 9-5-85 को पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के आदेश से फैजाबाद कैण्ट थाने में मुकदमा अपराध संख्या 102 अन्तर्गत धारा 406 आई0 पी0 सी0 पंजीकृत कराया गया था लेकिन आज तक उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो बाबू लाल सिपाही द्वारा नियम विरुद्ध सिनेमा चलाने और इसी प्रकार के अन्य पुलिस कर्मियों के अनियमित कार्यों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं। कृष्णा टूरिंग टाकीज बाबू लाल सिपाही नहीं चला रहा था बल्कि जाहिर नामक व्यक्ति चला रहा था। यह सिनेमा अब बन्द है। इस संबंध में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश से दिनांक 8-5-85 को मु0अ0सं0-194/85 धारा 406 भा0द0वि0 का पंजीकृत किया गया था। विवेचनोपरान्त उक्त अभियोग में दिनांक 23-10-85 को विवेचना समाप्त कर दी गई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद के विधान सभाई क्षेत्र कटेहरी स्थित तिवारीपुर मिझौड़ा नन्सा बाजार के सम्पूर्ण मार्ग पर तारकोल की पेन्टिंग कराने की मांग

83—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित तिवारीपुर, मिझौड़ा नन्सा बाजार मार्ग पर सेनपुर चौराहा से मिझौड़ा के बीच में सीलिंग और मिट्टी कुटाई का काम पूरा हो चुका है और क्या यह भी सही है कि यदि शीघ्र ही उक्त सड़क के इस भाग पर लेपन (तारकोल) की (प्रिन्टिग) स्तर तक की कार्यवाही पूरी न की गयी तो सीलिंग का

ईंट और गिट्टियां उखड़ जायेगी और सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जायेगी? यदि हां, तो सड़क के उक्त भाग पर तारकोल की पेन्टिंग स्तर तक की कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद ब्लाक भीटी अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलियों के निर्माण की मांग

84–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में निर्माणाधीन सभिया चौराहा से चमरा का बांध मार्ग पर कुल कितनी पुलियों का निर्माण किया जाना है और उनका अभी तक निर्माण न कराये जाने के लिये कौन दोषी हैं और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कुल 5 पुलियों का निर्माण किया जाना है ।

कोई नहीं ।

पुलियों का कार्य जून, 1987 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रदेश में पेंशन प्राप्त स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों की संख्या एवं इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन में वितरित चादरें

85–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की कुल संख्या कितनी है और इलाहाबाद में दिनांक 18-19 नवम्बर, 1985 को होने वाले सम्मेलन में कितने स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने भाग लिया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की कुल संख्या लगभग 21037 है । विलम्बतम प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद में दिनांक 18-19 नवम्बर, 1985 को आयोजित सम्मेलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की संख्या लगभग 14,790 है।

86–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त इलाहाबाद सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को देने के लिए कुल कितनी ऊनी चादरों की व्यवस्था हुई थी, उनमें कितनी बट गई, कितनी शेष हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक सम्मेलन में किन्हीं कारणों से सम्मिलित नहीं हो सके थे उन्हें कब तक चादरें भेज दी जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उक्त सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को देने के लिए कुल 25,000 ऊनी चादरों की व्यवस्था हुई थी । उनमें से 14,792 चादरें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भेंट की गयीं तथा शेष चादरें यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन को वापस कर दी गयीं । कोई ऊनी चादर शेष नहीं है । उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था चादरें देय नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष रामकोला, जनपद देवरिया के अत्याचारों की जांच

87–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1986 से लेकर 26 फरवरी, 1986 तक थाना रामकोला, जिला

देवरिया के थानाध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह के अत्याचारों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक देवरिया जिलाधिकारी देवरिया और मुख्य मंत्री उ0 प्र0 को एक दर्जन से अधिक जो शिकायतें की गयी उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार विभिन्न श्रोतों से प्राप्त पांच शिकायती-पत्रों पर क्षेत्राधिकारी, हाटा से जांच करायी गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

88–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि मौजूदा थानाध्यक्ष रामकोला, जिला देवरिया के अध्यक्ष श्री रामधारी शास्त्री व महामंत्री श्री राणा प्रताप सिंह द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सैनिक श्री सत्य नारायण प्रताप निवासी ग्राम ऊरदहा थाना रामकोला, को प्रताड़ित करने के विरुद्ध जनवरी, 86 में आई0 जी0 पुलिस गोरखपुर गृह सचिव, लखनऊ व गृह मंत्री उ0 प्र0 के पास शिकायतें भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत शिकायती पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी हाटा द्वारा कराई गयी । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

मौराना गंगा सहकारी चीनी मिल मुजफ्फरनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार/गन्ना किसानों की मांगे

89–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि मौरना गंगा सहकारी चीनी मिल मुजफ्फरनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा और वहां पर किसानों का आन्दोलन भी महीनों चला ? यदि हां, तो वहां के प्रबन्धक के विरुद्ध उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं ? क्या इस मिल का आडिट विशेष आडिट सेल से सरकार करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारी चीनी मिल मौरना, मुजफ्फरनगर में वर्ष 1985-86 में 1 करोड़ 11 लाख रुपये का नकद घाटा, इस क्षेत्र के कृषकों द्वारा हड़ताल किये जाने तथा पायरिला के प्रकोप के कारण 14 लाख कुन्तल अनुमानित गन्ने के विरुद्ध मात्र 4.75 लाख कुन्तल गन्ने की प्राप्ति के कारण हुआ ।

उक्त चीनी मिल में दिसम्बर, 1985 से कुछ कर्मचारियों एवं गन्ना उत्पादकों द्वारा तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध आन्दोलन चलाया जा रहा था। इन लोगों की मांगे निम्नलिखित थी:–

(अ) जिन 34 कर्मचारियों की तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक द्वारा सेवायें समाप्त कर दी गयी थी उनको मिल समिति में पुन: सेवा में लगाना ।

(ब) जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दिया जाना ।

मौरना चीनी मिल सीमति की विशेष आडिट सेल द्वारा आडिट कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री सच्चिदानन्द तिवारी ग्राम बसन्तपुर, पो0 सोहांव, जनपद बलिया को स्वीकृत राजनैतिक पेंशन

90–श्री गौरी शंकर भैया–

क्या मुख्य मंत्री तथा राज्य मंत्री राजनैतिक पेंशन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 30-10-1986 प्राप्त हुआ है जिसमें श्री सच्चिदानन्द तिवारी पुत्र श्री तपसी तिवारी,

ग्राम बसन्तपुर, पो0 सोहांव, जनपद बलिया को राजनैतिक पेंशन प्रदान करने की बात कही गयी है तथा क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उपरोक्त श्री तिवारी के रजिस्टर्ड पत्र संख्या 1017 दिनांक 30-8-86 को अनुसचिव गृह सामान्य अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन को भेजा गया है अब तक कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा पेंशन कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का उल्लिखित पत्र दिनांक-30-10-86 शासन को प्राप्त हुआ था तथा श्री सच्चिदानन्द तिवारी को राज्य स्वतंत्रता संग्राम पेंशन स्वीकार की जा चुकी है ।

थानाध्यक्ष भीमपुरा, जिला बलिया को गृहसचिव के स्थानान्तरण आदेश

91–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में गृह सचिव द्वारा थानाध्यक्ष भीमपुरा जिला बलिया के स्थानान्तरण का आदेश देने के बाद भी उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वर्ष 1986 में गृह सचिव महोदय द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि यदि श्री एस0 बी0 सिंह थानाध्यक्ष भीमपुरा जनपद बलिया अपने गृह जनपद से सटे हुए जनपद में तैनात हैं तो उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाय। चूंकि श्री सिंह का गृह जनपद बलिया से सटा हुआ नहीं है अतः उन्हें बलिया से स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

92–श्री शारदानन्द अंचल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

93–श्री शारदानन्द अंचल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद गोरखपुर के झंगहा राजधानी मार्ग को पक्का कराने की मांग

94–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर का झंगहा राजधानी मार्ग करीब 8 कि0मी0 जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है ? क्या सा0 नि0 वि0 उक्त मार्ग को जनहित की दृष्टि से अविलम्ब पक्का करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

झंगहा से राजधानी मार्ग की कुल लंबाई 8 कि0मी0 है । प्रथम 3 किमी0 (300 मीटर विवादग्रस्त लम्बाई को छोड़कर) लेपन स्तर तक तथा आगे का 3 किमी0 खड़न्जा स्तर तक सा0 नि0 विभाग के अन्तर्गत पूर्ण है ।शेष 1.2 किमी0 कच्चा है ।

3 किमी0 तक के खड़न्जा स्तर तक के मार्ग को लेपन स्तर तक निर्माण करने तथा 2 किमी0 कच्चे मार्ग को पक्का कराने की कोई स्वीकृति नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों को निर्मित/पक्का कराने की मांग

95–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के नई बाजार के बोहावार मार्ग व नई बाजार सेइटोवाघाट से गजपुर मार्ग व झगहां बाजार से बरही बोहावार मार्ग व गोरखपुर देवरिया सा0 नि0 वि0 मार्ग पर चौटी राजकीय नलकूप से हरैया मार्ग को पक्का कराये जाने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 85 से 20

जुलाई, 86 तक प्रश्नकर्ता के कितने पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्गों में से केवल (1) नई बाजार से बोहावार मार्ग तथा (2) नई बाजार से इटौवाघाट मार्ग को पक्का कराने हेतु एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

उपरोक्त 2 मार्गों के संबंध में आख्या मांगी गई है । यह मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत आते हैं । अतः जिला समिति का अनुमोदन तथा जिला योजना में धन की उपलब्धता पर ही इन मार्गों की स्वीकृति दिया जाना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

96–श्रीमती शारदा देवी–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर के गौरीघाट पर पक्का व इटौवा घाट पर पीपे का पुल बनाए जाने की मांग

97–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के गौरीघाट पर सा0 नि0 वि0 द्वारा पक्का पुल निर्माण कराए जाने व इटौवा घाट पर पीपे के पुल बनाए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा 15 अप्रैल, 85 से 20 जुलाई, 86 तक कितने पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गौरीघाट पर पक्के पुल के संबंध में केवल एक पत्र प्राप्त हुआ है । विभाग को उपलब्ध सीमित परिव्यय के कारण एवं पुल की उच्च प्राथमिकता न होने के कारण इस पुल की स्वीकृति दिया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

इटौवाघाट पर पीपे के पुल के संबंध में 15 अप्रैल, 85 से 20 जुलाई, 86 तक प्रश्नकर्ता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । पीपे के पुलों का निर्माण जिला सेक्टर के कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा विचार किया जाता है ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लखनऊ के मुख्यालय पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा धरना एवं उनकी मांगों की पूर्ति

98–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय मजदूर संघ लखनऊ द्वारा 25 जुलाई, 1985 को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, लखनऊ के मुख्यालय पर 5 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु धरना दिया गया था ? यदि हां, तो मांग पत्र में उल्लिखित मांगें क्या हैं तथा शासन द्वारा मांगों की पूर्ति हेतु 30 दिसम्बर, 1985 तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिनांक 25-7-85 को उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम, लखनऊ के मुख्यालय पर 5 सूत्रीय मांग विषयक एक ज्ञापन दिया गया था । मांग पत्र में उल्लिखित मांगों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों के श्रमिकों के भविष्य निधि के समस्त बकाया धन को खाते में जमा करना,

(2) निगम द्वारा अधिग्रहीत मिलों में श्रमिकों के वेतन, बोनस, ओवरटाइम, ग्रैच्युटी आदि का श्रमिकों का बकाया होने के कारण श्रमिकों में क्षोभ एवं भुगतान होने की अनिश्चितता के कारण निगम द्वारा तुरन्त पहल करने की आवश्यकता,

(3) निगम द्वारा संचालित मिलों में श्रमिकों की आवासीय सुविधाएं, आवास भत्ता आदि उपलब्ध कराना,

(4) ठेके पर लगे श्रमिकों/कर्मचारियों को फैक्ट्री का कर्मचारी मानकर सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(5) 15 जुलाई, 1982 को प्रकाशित राजाज्ञा का निगम द्वारा अनुपालन कराया जाना श्रमिकों को रु0 1.65 प्रति अंक की दर से वर्ष 1983 से परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिया जाना ।

उक्त मांगों की जानकारी होने पर शासन द्वारा उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं ।

नील गायों की हत्या के विरोध में कानपुर देहात स्थित थाना मंगलपुर के ग्राम जौदा निवासी श्री हर नारायण बाजपेयी द्वारा आत्मदाह

99—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला कानपुर देहात स्थित थाना मंगलपुर के ग्राम जौदा में श्री हर नारायण बाजपेयी तथा उनके भाई ने अप्रैल, 86 में अथवा उसके आस-पास कभी सार्वजनिक रूप में इस मांग को लेकर आत्मदाह कर लिया कि नील गायों की हत्या पर रोक लगाई जाय ? यदि हां, तो आत्म हत्या क्यों करने दी गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार नील गायों के शिकार के विरोध में श्री हर नारायण बाजपेयी ने दिनांक 11-5-83 को आत्मदाह कर लिया था । इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है ।

हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों की देखभाल/बेहतर प्रबन्ध हेतु सरकारी विभाग के गठन की रूपरेखा

100—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों के बेहतर प्रबंध और उनकी देखभाल के लिए अलग से एक पृथक सरकारी विभाग कायम किया गया है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा क्या-क्या काम सौंपा गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

धर्मार्थ कार्य विभाग के नाम से सृजित इस विभाग को, मुख्य मंत्री के नियंत्रणाधीन तथा मुख्य सचिव शाखा के अन्तर्गत सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है ।

केवल शासन स्तर पर गठित इस विभाग को मुख्य रूप से धर्मार्थ संदान अधिनियम, उ0 प्र0 हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, धर्मार्थ संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं एवं मंदिरों की व्यवस्था आदि से संबंधित कार्यों के निष्पादन का काम सौंपा गया है ।

101—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

102—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

वाराणसी ट्राफिक पुलिस के टी0 एस0 आई0 श्री रामदास को सी0 ओ0 सिटी प्रथम श्री अग्रवाल द्वारा प्रताड़ित करने की जांच

103—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी ट्राफिक पुलिस विभाग में

कार्यरत टी0 एस0 आई0 श्री राम दास के साथ दिनांक 23-5-86 को वाराणसी के सी0 ओ0 सिटी प्रथम श्री अग्रवाल द्वारा की गई घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने एवं जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उक्त राम दास का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-5-86 गृह सचिव, पुलिस निरीक्षक आई0 जी0 पुलिस गोरखपुर जोन, उपमहानिरीक्षक पुलिस वाराणसी, एवं मुख्य मंत्री को उनके दि0 1-6-86 के वाराणसी आगमन पर राम दास के साथ घटी घटना के बारे में जनता के प्रतिनिधि मण्डल लल्लन प्रशान्त गौतम आदि द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिए ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो टी0 एस0 आई0 राम दास के मामले में क्या कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए । अत: अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

लखनऊ प्राणि उद्यान में उद्यान पर्यवेक्षक द्वारा क्रय किए सामान का सत्यापन

104–श्री जगमोहन सिंह यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ प्राणि उद्यान में गत 5 वर्षों में उद्यान पर्यवेक्षक ने क्या-क्या सामान क्रय किया ? क्या उनके द्वारा क्रय किए गए सामान का कभी सत्यापन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हुआ तो क्या वह क्रय किया गया सभी सामान सुरक्षित दशा में मिला ?

श्री जफर अली नकवी–

लखनऊ प्राणि उद्यान में उद्यान पर्यवेक्षक द्वारा (1981-82 से 1985-86) तक क्रय किए गए उपभोग्य (कन्ज्यूमेबुल) एवं अउपभोग्य (नान-कन्ज्यूमेबुल) सामानों की मुख्य-मुख्य श्रेणीवार सूची निम्न प्रकार है :–

(क) उपभोग्य सामान–विभिन्न प्रजातियों के बीज तथा पौधे, स्टेशनरी, बिजली का छोटा-मोटा सामान, कीटनाशक दवाएं पुताई एवं रंगाई का सामान, रस्सी, सुतली इत्यादि ।

(ख) अउपभोग्य सामान–पानी की पाइप लाइन का सामान, साइन बोर्ड, पंखे, ताले, कृषि संयंत्र, तार की जाली, छत की चादरें, किताबें तथा सिंचाई का सामान इत्यादि ।

उद्यान पर्यवेक्षक द्वारा क्रय किए गए सामान का सत्यापन कर लिया गया है । उपभोग्य सामान का उपयोग किया जा चुका है तथा भण्डार में नहीं है । अउपभोग्य सामान विभिन्न कर्मचारियों को कार्य-संचालन हेतु जारी किया जा चुका है और उसकी प्राप्ति भण्डार पंजी पर अंकित है।

जनपद देवरिया के थाना खामपार में दर्ज अपराध की भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच

105–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के थाना खामपार में दर्ज अपराध संख्या 16/1985 धारा, 395, 323 भारतीय दण्ड विधान के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत गृह सचिव को की गई थी ? जिस पर गृह सचिव द्वारा जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंप दी गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो जांच में विलम्ब का कारण क्या है और कब तक जांच पूरी करा ली जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच पूर्ण हो गई है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

लाटरी निदेशालय में लम्बी अवधि से कार्यरत उपनिदेशकों के स्थानान्तरण की मांग

106–श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाटरी निदेशालय में कितने उपनिदेशक के पद हैं, उनमें से कितने उपनिदेशक 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं और अभी तक उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी निदेशालय में उप निदेशक के दो पद सृजित हैं। इनमें से एक पद पर लाटरी निदेशालय के एक विभागीय अधिकारी 5 वर्ष से अधिक समय से लाटरी निदेशालय में कार्यरत हैं । चूंकि यह पद जिस पर विभागीय अधिकारी कार्यरत हैं, निदेशालय में ही है, अतएव उसके धारक को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दादरी, जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा शाहिदा नामक युवती की गिरफ्तारी

107–श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने शाहिदा नामक युवती को 26-2-86 को किस अपराध में पकड़ा और पकड़ने के बाद कितने घण्टे शाहिदा को दरोगा एस0 सारस्वत ने थाने में रखा और दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

इस घटना की जांच विशेष अनुसंधान शाखा (एस0आई0एस0) द्वारा की जा रही है।

जनपद मथुरा के गन्ना अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

108–श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4-9-86 को गन्ना अधिकारी, मथुरा के विरुद्ध अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायती पत्र उन्हें दिया गया था ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । शिकायती पत्र की जांच गन्ना आयुक्त द्वारा गठित जांच दल से कराई गई। जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हो सकी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दीना नाथ, परसपुर, गोण्डा के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

109–श्री विजय सिंह राणा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1986 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 113 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इतनी अधिक रिपोर्ट्स दर्ज होने के बावजूद भी कथित बदमाश के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐसे शातिर बदमाश के विरुद्ध तुरन्त कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्री दीनानाथ पुत्र राम लखन सा0 शिवदीन चौबेपुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा का चालान दिनांक 23-4-86 को मु0 अ0 सं0–166/86 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना परसपुर, गोण्डा हो चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

दिनांक 20-12-86 को मु0 अ0 सं0-228/86 धारा 110 दं0 प्र0 सं0 का केस थाना परसपुर, जनपद गोण्डा में दर्ज हुआ जिसके अधीन दीना नाथ को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

110—श्री राम सजीवन—

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रभागीय लौगिंग मैनेजर, वन निगम, कर्वी, बांदा व उसके रिश्तेदारों द्वारा पन्द्रह लाख रुपये की हेराफेरी

111—श्री राम सजीवन—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रेम नारायण पाण्डे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मऊ कार्यालय, जिला बांदा ने 3-7-86 को रीजनल मैनेजर वन निगम, इलाहाबाद को एक शिकायती पत्र भेजकर सूचित किया है कि प्रभागीय लौगिंग मैनेजर, वन निगम करवी, बांदा के रिश्तेदारों तथा उन्हीं के द्वारा पक्षपातपूर्ण ढंग से नियुक्त इकाई इंचार्ज व फण्ड मुंसियों (स्केलरों) की सांठ गांठ से करीब पन्द्रह लाख रुपयों की चोरी व हेराफेरी की गई तथा मजदूरों की मजदूरी भी हड़पी गई है ? बोरों में बंडलों की संख्या कम रखी गई और विभाग को घाटा कराया गया ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री प्रेम नारायण पाण्डे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मऊ कार्यालय का एक शिकायती पत्र दिनांक 10-7-86 को क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। शिकायती पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जांच कराई गई तथा शिकायत सही नहीं पाई गई।

जनपद बांदा के करवी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत हेतु नवसृजित पद पर शासकीय फौजदारी अधिवक्ता की नियुक्ति

112—श्री राम सजीवन—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक अतिरिक्त शासकीय फौजदारी अधिवक्ता का पद काफी अर्से से सृजित किया गया है? यदि हां, तो अभी तक पूर्णकालिक नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन आदि की कारवाई न किये जाने के क्या कारण हैं?

न्याय राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी हां । बांदा स्थित कर्वी में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) का एक पद सृजित किया गया था । जिलाधिकारी से इस पद पर नियुक्ति का जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ वह नियमानुकूल नहीं था। इस कारण पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की जा सकी । यह ज्ञात हुआ है कि जिलाधिकारी ने नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशों को संकलित करने के पश्चात विज्ञापन आदि की कार्यवाही किया जिसमें समय लगा ।

देवरिया में राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार योजनान्तर्गत निर्मित हरपुर खैरटिया मार्ग के मस्टररोल मजदूरों का भुगतान

113—श्री रणजीत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में हरपुर खैरटिया मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत मस्टररोल पर कराया गया था

जिसका भुगतान मजदूरों को अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा 1985 में हरपुर खैरटिया मार्ग पर जो टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच करायी गयी क्या इसकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–
जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग पर अस्थायी मस्टर रोलों पर कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान फरवरी, 1985 में कर दिया गया था। वर्ष 1985 में हरपुर-खैरटिया मार्ग की प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा जांच की गयी थी। उक्त जांच के आधार पर अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। अतः जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

जिला वन अधिकारी, इटावा द्वारा नाजायज तरीके से वन कटवाने के संबंध में कार्यवाही

114–श्री राम शरण दास–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वन अधिकारी, जनपद इटावा में ही जिला मुख्यालय पर तैनात एक वन दरोगा की सांठ-गांठ से हजारों रुपये का नाजायज तरीके से वन कटाव करवाकर विभाग को खोखला करवा रहे हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इनके विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता।

थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर निवासी श्रीमती प्रकाशी को नसबन्दी के दौरान जेवरों की चोरी

115–श्री राम शरण दास–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 20-11-85 को थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर में प्रकाशी पत्नी धर्म सिंह निवासी नौरंगपुर द्वारा कोई लिखित एफ0 आई0 आर0 नसबन्दी कैम्प में उसके जेवरात एवं कपड़े चुरा लिए जाने के बारे में दिया है जिस पर परगनाधिकारी, सहारनपुर ने भी जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा था, जो जनकपुरी थाना में दिनांक 21-11-85 को समय 14 बजे मु0 अ0 सं0 111 धारा 406 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–
जी हां ।

जांचोपरान्त यह ज्ञात हुआ कि श्रीमती प्रकाशी के जेवर एवं साड़ी स्वयं श्रीमती प्रकाशी ही ने नर्स सुधा को दिया था । बाद में नर्स सुधा ने सब सामान श्रीमती प्रकाशी की भाभी श्रीमती लता पत्नी श्री प्रकाश चन्द, निवासी नन्दपुर, थाना रामपुर को लौटा दिया था और बाद में उनकी भाभी ने उनको (प्रकाशी को) सब सामान लौटा दिया था। दिनांक 24-1-86 को इस अभियोग की अन्तिम आख्या संख्या–6 मय जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो दिनांक 20-8-86 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री नजमुल हक सिद्दीकी, लिपिक, नगर पालिका नकुड, जनपद सहारनपुर का निलम्बन/बहाली

116—श्री राम शरण दास—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री नजमुल हक सिद्दीकी लिपिक को प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, नकुड़, जनपद सहारनपुर ने दिनांक 15-3-79 को निलम्बित किया था और उन्हें 28-1-84 को बहाल भी कर दिया गया ? यदि हां, तो सिद्दीकी को निलम्बन काल का भत्ता न देने का क्या कारण है और उन्हें कब तक निलम्बन काल का भत्ता दिला दिया जायेगा ? क्या यह भी सत्य है कि प्रभारी अधिकारी नकुड़ ने श्री सिद्दीकी को दिनांक 28-1-84 को मूल पद पर बहाल किया था ? यदि हां, तो उन्हें नायब मोहर्रिर का वेतन क्यों दिया जा रहा है तथा उनकी 20 वर्ष की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन तथा इन्क्रीमेन्ट लगाने के निदेश करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

इस मामले में जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

जी हां, प्रभारी अधिकारी ने उन्हें लिपिक के मूल पद पर बहाल किये जाने के आदेश दिये थे। जांचोपरान्त इस मामले में उपयुक्त निर्णय लिया जायगा।

117—श्री पूरन सिंह माहरा—

[दिनांक 4-3-86 को अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर में लम्बी अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत सा0 नि0 वि0 के अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

118—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जो विगत 7-8 वर्ष से एक ही स्थान पर हैं ? क्या उनका स्थानान्तरण शासनादेश के अनुरूप किया था ? यदि हां, तो कार्यभार से मुक्त क्यों नहीं किये गये और ऐसे अवर अभियन्ताओं के नाम क्या हैं ? क्या शासनादेश के अनुसार जिनको 7, 8 वर्ष एक ही स्थान पर हो गया है उन्हें तत्काल स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग में केवल ऐसे तीन अवर अभियन्ता हैं जो विगत 7-8 वर्ष से एक स्थान पर कार्यरत हैं।

जी हां ।

शासन द्वारा विशेष परिस्थितियों में इनके सम्बन्ध में स्थगन आदेश दिये गये थे ।

ऐसे अवर अभियन्ताओं का नाम श्री राज किशोर शुक्ला, श्री रमाशंकर यादव तथा श्री शेषनाथ शर्मा हैं।

इन अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया जा चुका था, जो विशेष परिस्थितियों में स्थगित किया गया । स्थगन की अवधि समाप्त होने पर इन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ।

119—श्री मुहम्मद आजम खां—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

महानगर योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में देय प्रतिकर का भुगतान

120—श्री राम आसरे वर्मा—

द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0—

16 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्जित भूमि के अभिनिर्णय के अनुसार 363 खातेदारों में प्रत्येक खातेदार को (नाम पिता/पति के नाम तथा खाता संख्या सहित) कितनी-कितनी धनराशि प्रतिकर के रूप में वितरित की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

वांछित सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उपलब्ध करा दी गई है।

संजाफी सिंह बेवा सत्य नरायन सिंह, ग्राम रघुनाथपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ द्वारा पुलिस महानिदेशक को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

121—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजाफी सिंह बेवा सत्य नरायन सिंह, ग्राम रघुनाथपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ का शिकायती प्रार्थना-पत्र जो दिनांक 4-3-86 को मुख्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक आदि को भेजा गया है उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

इस शिकायती पत्र के पूर्व दिनांक 2-2-86 को प्रार्थिनी के विपक्षीगण रेखई आदि के विरुद्ध 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गई थी, जो अब दाखिल दफ्तर हो गई है। शिकायती पत्र की घटनाओं की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई। जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

सचिवालय के "नीलम काण्ड" में निलम्बित कर्मचारियों की सेवा बहाली की मांग

122—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1982 में तथाकथित "नीलम काण्ड" के अन्तर्गत सचिवालय के 17 कर्मचारियों को बिलम्बित किया गया था ? क्या उनमें से 13 कर्मचारियों के मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय कर लिया गया है; किन्तु शेष 4 कर्मचारियों में से दो (श्री मुनि चन्द्र शर्मा एवं श्री राम नाथ तिवारी) की जांच रिपोर्ट शासन को लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व प्राप्त हो जाने पर भी अब तक निर्णय न लिये जाने का क्या कारण एवं आधार है ? शासन इन दो कर्मचारियों के मामले में कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। शेष दो कर्मचारियों के विषय में अन्तिम जांच आख्या प्राप्त न होने के कारण श्री मुनि चन्द्र शर्मा एवं श्री राम नाथ तिवारी के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर निर्णय लिये जाने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

अशोका गार्डेन कालोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ के अधिग्रहण का आधार

123—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन किन नीतियों एवं नियमों के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करती है? उक्त नीतियों के अन्तर्गत क्या पूर्ण विकसित कालोनी जिसका ले-आउट

---

†छापी नहीं गयी।

शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके आधार पर उक्त कालोनी में एक भवन चित्र की स्वीकृति भी दी जा चुकी है और जहां पर आठ पक्के मकान बने हों, ऐसी कालोनी का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो अशोका गार्डन कालोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ का अधिग्रहण किस आधार पर किया गया है ? क्या भूमि अधिग्रहण की जो नीतियां शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनकी एक प्रति सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

शासन द्वारा भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिधियम, 1894 के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त अधिधियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार की भूमि और उस पर स्थित सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। सुनियोजित विकास के अधीन अशोका गार्डन कालोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ का अधिग्रहण किया गया है। चूंकि शासन द्वारा भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत किया जाता है जो एक केन्द्रीय अधिनियम है, अतएव इस सम्बन्ध में प्रदेश शासन द्वारा नीति बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

टैक्निकल एसोसियेट्स फैजाबाद रोड की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखने की शर्तें

124–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टैक्निकल एसोसियेट्स फैजाबाद रोड की भूमि को किन शर्तों पर अधिग्रहण से मुक्त करने के आदेश किये गये थे? उन्हीं शर्तों पर अशोक गार्डन कालोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ के भूखण्डों को अधिग्रहण से मुक्त करने में शासन को क्या आपत्ति है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मेसर्स टैक्निकल एसोसियेट्स फैजाबाद रोड की भूमि को इस शर्त पर मुक्त करने के आदेश दिये गये थे कि वे उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी स्पेशल लीव पिटीशन वापस ले लेंगे तथा डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान प्राधिकरण को करेंगे।

अशोका गार्डन कालोनी जिस क्षेत्र में स्थित है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर व्यावसायिक योजना तैयार की गयी है। यह क्षेत्र टाउन सेन्टर के अन्तर्गत आता है। अतः व्यवसायिक क्षेत्र में आवासीय भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना सुनियोजित विकास के हित में सम्भव नहीं है।

फैजाबाद तथा बाराबंकी को मिलाने वाले अपूर्ण मार्ग को पूरा कराने की मांग

125–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के जनपद फैजाबाद तथा बाराबंकी को मिलाने वाली प्रस्तावित निर्माणाधीन मार्ग रुदौली अमानीगंज गइदापुर तरौली कुचैरा बीकापुर तारुन होकर गोसाईगंज जौनपुर के निर्माण कार्य को अधूरा पड़ा होने पर पूर्ण कराये जाने विषयक पत्र दिनांक 19-6-85 के क्रम में राज्य मंत्री सा0 नि0 विभाग के पत्र दिनांक 27 जून, 1985 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा प्रगति आख्या क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 75.5 कि0मी0 है जिसमें से निम्नलिखित भाग

में लेपन-स्तर की स्वीकृति प्राप्त नहीं है :-

1—खड़ंजा से लेपन	19.3	कि0मी0
2—मिट्टी से लेपन	4.7	कि0मी0
3—नवनिर्माण लेपन	2.3	कि0मी0
योग	26.3	कि0मी0

उपर्युक्त कार्य जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आता है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

126-127—श्री मैनेजर सिंह—

[दिनांक 6-3-87 को अता0 प्र0 सं0 161-162 के द्वारा उत्तरित]

जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल में हुई हड़तालें

128—श्री रमेश यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल में दिनांक 24 अप्रैल, 1982 से अब तक विभाग में कुल कितने दिनों तक कर्मचारियों का हड़ताली दिवस रहा ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन समस्त निगमों की अपेक्षा जल निगम में हड़ताल एवं असन्तोष की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही ? यदि हां, तो क्यों? क्या इसके सम्पूर्ण कारणों की जांच कराकर जनहित में वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को हटाने पर सरकार विचार करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उत्तर प्रदेश जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक दिनांक 26 अप्रैल, 1983 से इस पद पर कार्यरत हैं । उक्त अवधि में जल निगम में विभिन्न संवर्गों की जो हड़ताल हुई, उसका विवरण निम्नानुसार है —

1. अवर अभियन्ताओं की दिनांक 23 अप्रैल, 1985 से 30 अप्रैल, 1985 तक 8 दिन की हड़ताल ।

2. कार्यालय कर्मचारियों की दिनांक 29 अक्टूबर, 1985 से 8 नवम्बर, 1985 तक 11 दिन की हड़ताल जो मुख्यालय पर पूर्ण तथा क्षेत्रों में आंशिक थी ।

3. राज्य कर्मचारियों तथा समस्त निगमों के कर्मचारियों की दिनांक 14 नवम्बर, 1986 से 29 नवम्बर, 1986 तक प्रदेश व्यापी हड़ताल के साथ जल निगम के कर्मचारियों की भी हड़ताल रही ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, जल निगम, फैजाबाद द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

129—श्री रमेश यादव—

विधान सभा के वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (निर्माण खण्ड) जल निगम, फैजाबाद वर्ष 1970 से 1980 के मध्य कुछ वर्षों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे ? यदि हां, तो उन्होंने कितने समय तक कार्य किया तथा उनके जल निगम में वापसी का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उनकी वापसी कुछ वित्तीय अनियमितताओं के लिए उनके दोषी पाये जाने के कारण हुई थी तथा उस समय के प्रशासक द्वारा की गई प्रतिकूल प्रविष्टि

के प्रतिकूल उनको जल निगम में वर्तमान पद पर शासन द्वारा नियुक्त किया गया? यदि हां, तो पूरे मामले की पुनः जांच करके इन्हें तथा इनके पदोन्नति के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कठोर कार्यवाही करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

अधीक्षण अभियन्ता, अस्थायी निर्माण मण्डल, जल निगम, फैजाबाद, लखनऊ नगर महापालिका में नगर अभियन्ता (विकास) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर 8 वर्ष 8 माह 24 दिन रहे। प्रतिनियुक्ति अवधि 5 वर्ष से अधिक होने के कारण वह अपने पैतृक विभाग में वापस हो गये।

जी नहीं। बल्कि उनके प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल से सम्बन्धित तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा हुई थी। सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या एवं उस पर न्याय विभाग के परामर्श तथा लखनऊ नगर महापालिका से प्राप्त किये गये संगत अभिलेखों के विश्लेषणोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता अस्थाई निर्माण मण्डल दोषी नहीं पाये गये। चरित्र-पंजिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं दी गयी थी। किन्तु सतर्कता जांच के दौरान अधीक्षण अभियन्ता अस्थायी निर्माण मण्डल को असंवेदनशील पद पर रखने हेतु आदेश दिये गये थे। जांच के सम्बन्ध में उन्हें असंवेदनशील स्थान पर रखने का प्रतिबन्ध सतर्कता विभाग द्वारा हटा लिया गया, जिसके कारण उनको वर्तमान पद पर नियुक्त किया गया।

चूंकि उक्त अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध जांच के उपरान्त कोई आरोप नहीं निकला, अतः प्रसंगत मामले की पुनः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है एवं पदोन्नति के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

भारत पाक सीमा पर शहीद स्व0 हवलदार चन्द्रदेव यादव की स्मृति में वाराणसी में मार्ग के निर्माण की मांग

130–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना में उत्कृष्ट कार्य करते हुए भारत पाक सीमा पर शहीद स्व0 हवलदार चन्द्रदेव यादव की स्मृति में सा0 नि0 विभाग-11 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 7698 (1) ई/23 सा0 नि0 वि0-11, दिनांक 21-9-77 द्वारा वाराणसी के जनपद के चन्दौली से इलिया चकिया मार्ग को ग्राम गसौनी तक निर्माण की अपेक्षा की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां।

यह मार्ग इस समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता में नहीं आता है, जिसके कारण इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

लखनऊ सुभाष मार्ग स्थित फर्म कृष्ण किराना स्टोर के रिफण्ड बाउचर का आदेश

131–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ की सुभाष मार्ग पर स्थित फर्म कृष्ण किराना स्टोर को ता0 2-7-83 को वर्ष 77-78 के लिए 10862/- का रिफण्ड बाउचर दिया गया? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिफण्ड का आदेश किस अधिकारी ने किस तारीख को पारित किया? क्या इस रिफण्ड पर करदाता को ब्याज ड्यू हो गया था? यदि हां, तो कितना रुपया ब्याज ड्यू हो गया? क्या इस ड्यू ब्याज करदाता को दे दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नांकित फर्म को वर्ष 77-78 के बाद में देय रिफण्ड रु0 10,862.00 का वाउचर सं0 69 दिनांक 5-7-83 फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री लाल चन्द्र रस्तोगी द्वारा दिनांक 18-7-83 को प्राप्त किया गया है।

रिफण्ड उपायुक्त (अपील) बिक्रीकर इलाहाबाद द्वारा पारित अपीलीय निर्णय दिनांक 8-3-83 के आधार पर दिया गया है। उक्त आदेश कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 29-4 को प्राप्त हुआ था। अतः बिक्रीकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई ब्याज देय नहीं होता।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में एस0 आई0 वी0 की आलमारी काटकर चोरी

132–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में एस0 आई0 वी0 की आलमारी काट करके पकड़े गए दोहरे बही खाते गायब करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 757 उनको ता0 8-12-83 को मिला है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

133–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

फर्म सीकरी ब्रादर्स एण्ड कम्पनी बनाम आयुक्त बिक्रीकर में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा देय निर्णय

134–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उच्च न्यायालय लखनऊ के निर्णय दिनांक 2-5-79 सेल्स टैक्स केस सं0 35 आफ 1977 फर्म सीकरी ब्रादर्स एण्ड कम्पनी बनाम आयुक्त बिक्रीकर में दिया है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 4 मुख्य मंत्री को ता0 17-10-85 को मिला है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां।

जी हां। पत्र का उत्तर विधायक को राज्य मंत्री जी की ओर से दिया जा चुका है।

135–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बस्ती ब्लाक खैसरहा के ग्राम प्रधान कंचनपुर द्वारा जल निगम सुपर वाइजर के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

136–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीया नगर विकास राज्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र संख्या 444/लो0 द0/86 दिनांक 5-4-86 ग्राम प्रधान कंचनपुर विकास खण्ड खैसरहा जनपद बस्ती के पत्र के साथ जो उक्त गांव में जल निगम द्वारा लगाए गए चापाकल में सुपरवाइजर द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी, हां।

जांच करायी जा रही है।

बस्ती जनपद में अठदमा-सगरा मार्ग का निर्माण

137–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद् गोविन्दनगर (वाल्टरगंज) जनपद बस्ती

द्वारा रुदौली डुमरियागंज मार्ग से अठदमा सगरा मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ? इसके प्रथम किलोमीटर के लेपन का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गन्ना विकास परिषद् गोविन्द नगर (वाल्टरगंज), जनपद बस्ती द्वारा रुदौली डुमरियागंज मार्ग से अठदमा सगरा मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 4-3-81 से प्रारम्भ कराया गया था ।

इस सड़क के प्रथम किलोमीटर के लेपन का कार्य दिनांक 31-1-87 को पूर्ण कराया जा चुका है ।

श्री आदित्य कुमार गुप्त तत्कालीन अनुभाग अधिकारी उ0 प्र0 सचिवालय के विरुद्ध जांच

138–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 83 एवं 84 में श्री आदित्य कुमार गुप्त तत्कालीन अनुभाग अधिकारी खाद्य तथा रसद अनुभाग-9 के विरुद्ध अथवा उनके परिवाद पर लोकल इन्टिलिजेन्स यूनिट एवं सतर्कता विभाग विधान भवन तथा विभाग के द्वारा जांच सम्पादित की गई थी ? यदि हां, तो जांच आख्याएं क्या हैं ? क्या श्री गुप्त की पदोन्नति भी जांच आख्याएं प्राप्त होने के बाद की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास परिषद्, बस्ती द्वारा रुद्रनगर-साडी मार्ग का निर्माण

139–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद्, बस्ती द्वारा रुधौली बखिरा मार्ग से रुद्र नगर साड़ी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया और प्रथम 1/2 कि0 मी0 का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ ? क्या मंत्री जी को इस मार्ग के सम्बन्ध में श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य, विधान सभा का कोई शिकायती-पत्र वर्ष 1985 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गन्ना विकास परिषद्, बस्ती द्वारा प्रश्नगत मार्ग का कार्य दिनांक 25-11-80 से प्रारम्भ किया गया और प्रथम 1/2 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कार्य परिषद् की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र वर्ष 1985 में प्राप्त हुआ जिस पर जांच कराई गयी। जांचोपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद की पुलिस चौकी के भवन का निर्माण

140–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद की पुलिस चौकी मुहम्मदाबाद में किस स्थान पर स्थित है और जिस भवन में पुलिस चौकी है वह भवन किस सरकारी विभाग का है तथा कितनी अवधि से उक्त स्थान पर पुलिस चौकी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुलिस चौकी किस सन् में खोली गयी और मुहम्मदाबाद में किन

स्थानों पर कितने समय तक स्थापित रही ? क्या मंत्री जी पुलिस चौकी की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर कोई जमीन इसकी स्थापना हेतु अधिग्रहीत करके कुछ फंड की व्यवस्था करके इसके भवन का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद की पुलिस चौकी मुहम्मदाबाद तहसील मुहम्मदाबाद के खाली भवन में स्थित है। यह भवन राजस्व विभाग का है जिसमें दिनांक 17-8-86 से प्रश्नगत चौकी अस्थायी तौर से कार्यरत है। उक्त चौकी अस्थायी तौर से वर्ष 1930 में स्थापित की गयी थी तथा वर्ष 1930 से 1962 तक यह थाना मुहम्मदाबाद के भवन में एवं उसके बाद 1980 तक डा0 नवीउल्ला, कस्बा मुहम्मदाबाद के भवन में और तत्पश्चात् दिनांक 16-8-86 तक तहसील मुहम्मदाबाद के सामने सड़क के किनारे स्थित नजूल भूखण्ड पर कार्यरत रही एवं दिनांक 17-8-86 से तहसील मुहम्मदाबाद के खाली भवन में कार्यरत है। उक्त चौकी अभी शासन द्वारा अनुमोदित नहीं है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसके लिए ग्राम समाज की बंजर भूमि की व्यवस्था करने का अनुरोध परगना अधिकारी, मुहम्मदाबाद से किया गया है ।

गाजीपुर की नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी

141–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेल्थ मैनुअल के अनुसार जनसंख्या के आधार पर की जाती है ? यदि हां, तो 1981 की जनगणना के आधार पर जनपद गाजीपुर की नगरपालिका, मुहम्मदाबाद में सफाई कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए ? क्या वर्तमान समय में उक्त नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है ? यदि हां, तो कितनी और नियुक्तियां कब तक कर ली जायेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

हेल्थ मैनुअल के हिसाब से कम है।

नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति असन्तोषजनक होने के कारण नये पदों के सृजन पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगा हुआ है अतः और नियुक्तियां किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की भरतपुर सहकारी समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

142–श्री राम सजीवन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशाल पुत्र टिकवा हरिजन निवासी मुकुन्दपुर चौकी शिवरामपुर, थाना करवी, बांदा ने 2-7-86 को पुलिस अधीक्षक, बांदा को एक शिकायती-पत्र भेजकर सूचना दी कि भरतपुर सहकारी समिति के कर्मचारीगण उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में घुसकर औरतों की बेइज्जती की तथा पांच सौ रुपये नकद तथा सामान उठा लाये हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित श्री विशाल का दिनांक 2-7-86 का शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त होना नहीं पाया गया । सन्दर्भित पत्र में अंकित घटना की जांच कराने पर आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

बांदा जिले के ग्राम गहौरा निवासी प्यारे-लाल के यहां पड़ी डकैती की विवेचना

143—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 46 के उत्तर के सन्दर्भ में बांदा जिले के रैपुरा थाने के अन्तर्गत ग्राम गहौरा निवासी प्यारेलाल पुत्र बोधन धोबी (हरिजन) के ऊपर 18-10-84 में पड़ी डकैती की घटना सही पाये जाने पर थानाध्यक्ष, करवी को पुनः विवेचना के लिए सौंपी गयी थी ? क्या न्यायालय से विवेचना पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करके निष्पक्ष रूप से विवेचना की गयी? अग्रिम कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? गलत विवेचना के लिए दोषी थानाध्यक्ष रैपुरा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

पुनः विवेचना हेतु निरीक्षक प्रभारी थाना कर्बी ने न्यायालय से अनुमति मांगी लेकिन न्यायालय ने अनुमति नहीं प्रदान की क्योंकि न्यायालय द्वारा अन्तिम रिपोर्ट पूर्व ही स्वीकृत की जा चुकी थी। अतः पुनः विवेचना नहीं की जा सकी।

इस प्रकरण में उप निरीक्षक कृष्ण कुमार शुक्ला जो घटना के समय 18-10-84 को थानाध्यक्ष रैपुरा थे, को दोषी पाया गया । इस हेतु उनके विरुद्ध यथा-नियम कार्यवाही झांसी में की जा रही है ।

143(अ)—श्री राम सजीवन—

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी में सतरिख नाले की दीवार गिरने की जांच

144—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी नगर में मुख्य राज मार्ग लखनऊ फैजाबाद रोड के किनारे वर्ष 85-86 में पानी निकास के लिए नाका पैसार से नाका सतरिख तक पक्के नाले का निर्माण कराया गया था ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त नाला की दीवालें कई स्थानों पर पहली वर्षा में ही गिर गयी हैं ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-7-86 सचिव सार्व0 निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ ? इस सम्बन्ध में क्या जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

दीवालें नहीं गिरी हैं।

जी हां ।

जी हां ।

जांच में यह पाया गया कि नाली के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ है।

जनपद फैजाबाद के कुमारगंज मिल्कीपुर में फायर स्टेशन की मांग

145—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के जनपद फैजाबाद के कुमारगंज मिल्कीपुर या कृषि विश्वविद्यालय परिसर के किसी क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने विषयक पत्र दिनांक 26-4-86 के क्रम में संयुक्त सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-8 द्वारा प्रेषित अर्द्ध

शासकीय पत्र संख्या-वि0 10(1)/आ0 8-86-40/86 दिनांक 31 मई, 1986 के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जनपद फैजाबाद के कुमारगंज मिल्कीपुर या कृषि विश्वविद्यालय परिसर के किसी क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव पर पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन सेवा उ0प्र0 की आख्या प्राप्त की गयी। परीक्षणोपरान्त उपरोक्त में से किसी स्थान पर फायर स्टेशन स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

146–श्री मित्रसेन–

[1ले गुरुवार में अता0प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरमहापालिका फैजाबाद में जल कल प्रतिष्ठान में पदों के सृजन का प्रस्ताव

147–श्री मित्रसेन–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के नगरपालिका फैजाबाद में जल कल प्रतिष्ठान हेतु कतिपय पदों का सृजन विषयक पत्र दिनांक 2-9-85 के क्रम में राज्य मंत्री नगर विकास उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 3877/वाई आई पी/रा0 म0 न0 वि0/85 दिनांक 11-9-85 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

श्रीमती उदा विधवा श्री भगवानदीन स्वतंत्रता सेनानी को पारिवारिक पेंशन न मिलना

148–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती उदा उर्फ सुखरानी उर्फ सुशीला विधवा श्री भगवान दीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम जयसुख पुरवा, पोस्ट पतरिया, जिला उन्नाव को पारिवारिक पेंशन अब तक न दिये जाने का क्या कारण है? इन्हें पेंशन प्रदान करने के आदेश कब पारित कर दिये जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

चूंकि श्रीमती उदा उर्फ सुखरानी उर्फ सुशीला स्वर्गीय श्री भगवानदीन की विधिक पत्नी नहीं है अतएव नियमानुसार उन्हें पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है। उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है।

149–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या मुख्य मंत्री अम्बिका प्रसाद मिश्र सचिव गृह सामान्य अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक 43/11 सा0 नि0 जेड0 6/84-334-ए 73 दिनांक 18-7-85 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती उदा उर्फ सुखरानी उर्फ सुशीला को पेंशन देने के सम्बन्ध में भारत सरकार गृह मंत्रालय स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग लोक नायक भवन खान मार्केट नयी दिल्ली को पत्र लिखने के क्या कारण है? क्या राज्य सरकार इस मामले में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो श्रीमती उदा उर्फ सुखरानी उर्फ सुशीला को अब तक पेंशन प्रदान न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य सरकार के न्याय विभाग ने परामर्श दिया था कि चूंकि श्रीमती उदा उर्फ सुखरानी उर्फ सुशीला स्वर्गीय श्री भगवानदीन की विधिक पत्नी नहीं है अतः नियमानुसार राज्य पारिवारिक पेंशन पाने की पात्रा नहीं है। परन्तु चूंकि भारत सरकार ने उन्हें केन्द्रीय आश्रित पेंशन स्वीकृत कर दी थी, अतः भारत सरकार को न्याय विभाग की राय से अवगत करा

कर उनकी प्रक्रिया की जानकारी चाही गई। किन्तु अभी तक भारत सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार मामले में निर्णय लेने के लिये सक्षम है और न्याय विभाग की राय के अनुसार श्रीमती ऊदा उर्फ सुखरानी उर्फ सुशीला की राज्य पारिवारिक पेंशन की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है।

फर्रुखाबाद के ग्राम गूजरपुर, हुसैनपुर के नाले पर पुल निर्माण की मांग

150—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री महरम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के सम्बन्ध में क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुल का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो चुका है? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पुल का निर्माण सितम्बर, 1986 से प्रारम्भ हो गया है।

अलीगढ़ में ग्राम लोधा से गोंडा रोड पर मण्डी समिति द्वारा अधूरे निर्माण कार्य पी0 डब्लू0 डी0 से कथित स्थानान्तरण

151—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक लोधा कौल अलीगढ़ में ग्राम लोधा से गोंडा रोड वाया बाढौन करीब 12 कि0 मी0 वर्ष 1977 में मण्डी समिति द्वारा निर्मित हुई थी जो कि पी0 डब्लू0 डी0 में चली गई है उस पर करीब 5 कि0मी0 खड़ंजा का कार्य हो चुका है ? वह अभी भी छिन्न-भिन्न दशा में पड़ी है? यदि हां, तो अर्थ वर्क और खड़ंजा का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है । अतः इस मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

152—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक धनीपुर कौल अलीगढ़ में अलीगढ़ छावनी से शहवाजपुर वाया गड़राना करीब 13 कि0मी0 कच्ची सड़क जिस पर अर्थवर्क हो चुका है, 1977 में निर्माण हुआ था और जो अब पी0 डब्लू0 डी0 में चली गई है ? यदि हां, तो खड़ंजा कार्य को पूरा होने में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है । अतएव इस मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित पदों को उ0 प्र0 पालिका सेवा में केन्द्रीयित

153—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों में राजस्व निरीक्षक, सहायक कर अधीक्षक विभागीय मुख्य लिपिक के पद शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 410/11-4-80-113-ईओ-76, दिनांक 3-5-83 के द्वारा केन्द्रीयकृत किए गए थे ? यदि हां, तो इसका परिपालन क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

शासकीय अधिसूचना संख्या—410/11-4-80-113ई0ओ0/76, दिनांक 3-5-83 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के निम्नलिखित अकेन्द्रीयित पदों को उत्तर

प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में केन्द्रीयित किया गया :—

1—प्रथम श्रेणी के नगरपालिका बोर्ड के सहायक कर अधीक्षक ।

2—महापालिकाओं के राजस्व/कर निरीक्षक ।

3—द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका/बोर्ड के कर अधीक्षक ।

4—तृतीय वर्ग की नगरपालिका/बोर्ड के कर अधीक्षक ।

5—प्रथम तथा द्वितीय वर्ग की नगरपालिका के कर/राजस्व निरीक्षक ।

6—तृतीय श्रेणी के म्युनिसिपल बोर्डों के राजस्व/कर निरीक्षक ।

7—महापालिकाओं के लेखा परीक्षक।

8—महापालिकाओं के जनसम्पर्क अधिकारी ।

9—महापालिका तथा प्रथम वर्ग की नगर पालिकाओं के अनुभागीय/विभागीय प्रधान लिपिक ।

10—द्वितीय वर्ग की नगरपालिका बोर्डों के प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक।

11—तृतीय वर्ग की नगरपालिका/बोर्डों के प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक।

12—द्वितीय श्रेणी नगरपालिका के लेखाकार ।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेशों के कारण ।

जनपद बस्ती में मेंहदावल—लोहरसन मार्ग का निर्माण एवं अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान

154—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे बस्ती जनपद के मेंहदावल-लोहरसन मार्ग जिसका निर्माण कार्य वर्ष 1982 में पूर्ण हो गया था विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, गोरखपुर ने अन्य संबंधित काश्तकारों का भुगतान मार्च, 1983 में कर दिया था परन्तु किन कारणों से डा0 सर्वजीत लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री महोबल लाल, ग्राम गनवरिया के चक नम्बर 5 तप्पा बेलहर तहसील बांसी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बस्ती में मेंहदावल लोहरसन मार्ग का निर्माण प्रथम सतह लेपन स्तर तक मार्ग 1982 में एवं द्वितीय सतह लेपन स्तर तक मार्च, 1983 में पूर्ण हो गया था । उक्त मार्ग हेतु ग्राम गनवरिया में अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान मार्च, 83 में किया गया था । अर्जन प्रस्ताव में डा0 सर्वजीत लाल श्रीवास्तव का चक नं0 5 सम्मिलित न होने के कारण अर्जित नहीं हुआ था । अतः उसके प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है । इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद लखनऊ से स्थानान्तरित अधिकारियों के विरुद्ध अनधिकृत अध्यासन की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन

155—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण लखनऊ से अन्यत्र हो गया है फिर भी वह लखनऊ में सरकारी आवास को छोड़े नहीं है? ऐसे लोगों पर कुल कितना किराया बाकी है तथा उसको वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार 24 अधिकारी ऐसे हैं, जिनका लखनऊ से स्थानान्तरण हो चुका है फिर भी वह लखनऊ में सरकारी आवास को छोड़े नहीं हैं। स्थानान्तरण के एक माह की अवधि के

पश्चात् ऐसे अध्यासियों का अध्यासन अनधिकृत हो जाता है, इसलिये उनसे अनधिकृत अध्यासन की अवधि का किराया लेने का प्रश्न नहीं उठता । उनसे क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कार्यवाही विहित प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में शास्त्री-बाजार, चन्द्रशेखर बाजार और लोहा मण्डी, स्थित नगरपालिका की दुकानों का नियमानुसार आवंटन

156—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में वर्ष 1985 के प्रारम्भ में नगरपालिका फिरोजाबाद के अधिकारियों द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए शास्त्री बाजार, चन्द्रशेखर बाजार और लोहा मंडी में स्थित नगरपालिका की दुकानों के ऊपरी छतों के हिस्सों को बिना नीलाम और प्रीमियम के लिए आवंटित किया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगरपालिका फिरोजाबाद ने वर्ष 1985 में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के परामर्शानुसार भूतल के किराये के आधार पर, जो पूर्व वर्षों में कई बार की गयी नीलामी के आधार पर निर्धारित हुआ था, प्रथम तल की दुकानों का किराया निर्धारित किया। इन ऊपर की दुकानों का निर्माण भू-तल के दुकानदारों ने नगरपालिका की अनुमति लेकर स्वयं कराया था। उस समय नगरपालिका की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने संसाधनों से प्रथम तल की दुकानों का निर्माण करा पाती। निर्माणोपरान्त उन दुकानों पर दुकानदारों का कोई स्वत्व, स्वामित्व व अधिकार किसी तरह का नहीं रह गया यह नगरपालिका की सम्पत्ति हो गयी। दुकानदार मात्र किरायेदार रहे सभी से जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) ने अनुबन्ध लिखा कर किराया लेना शुरू किया गया जिससे नगरपालिका फिरोजाबाद को रु0 58,240 की वार्षिक आय हो रही है।

जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के पेय जल व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायती ज्ञापन की जांच

157—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में पेयजल हेतु उपलब्ध नलों की टोटी से दिनांक 1-5-85 को मुहल्ला हनुमानगंज में केचुंए निकाले तथा मोहल्ला पमेश्वरगेट हुन्डवाला बाग में पेयजल के नलों की टोटी में कीचड़ मैला निकला? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इस प्रदूषित पेयजल के कारण शहर फिरोजाबाद में पेट में कीड़े पड़ने आदि की बीमारी फैली है ? यदि हां तो सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं। मा0 सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा को दिये गये ज्ञापन पर जांच करायी गयी। जांच में नगर के किसी भी भाग में पेयजल टोटियों से पेयजल में केंचुए निकलने की बात प्रमाणित नहीं पायी गयी।

ऐसी कोई शिकायत नगर पालिका, फिरोजाबाद में प्राप्त नहीं हुई है।

नगर पालिका फिरोजाबाद (आगरा) में शहर की सफाई हेतु उपकरण

158—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की नगरपालिका

फिरोजाबाद में शहर की सफाई और स्वच्छता के लिए उपलब्ध सफाई उपकरण ट्रैक्टर 10 हैं और मैला ढोने वाली भैंसा-गाड़ी 62 हैं तथा कूड़ा उठाने वाले हाथ ठेला 100 हैं? यदि हां, तो क्या 4 ट्रैक्टर 5 ट्राली और 35 मैला ढोने वाली गाड़ी टूटी हैं तथा 60 हाथ ठेला टूटे वर्कशाप में बेकार पड़े हैं? यदि हां, तो शहर को स्वच्छ बनाने की सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका, फिरोजाबाद में शहर की सफाई व्यवस्था के लिये 11 ट्रैक्टर हैं, एक मिनी ट्रक है, मैला ढोने वाली भैंसा गाड़ी 62 हैं तथा कूड़ा उठाने वाले हाथ ठेला 100 हैं।

4 ट्रैक्टर 5 ट्राली और केवल 6 मैला ढोने वाली गाड़ी खराब हैं। 50 हाथ ठेला खराब थे जिनमें केवल 15 ही बेकार पड़े हैं तथा शेष को मरम्मत कराकर वार्डों में भेजा जाता है।

नगर की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से की जा रही है। शासन द्वारा दिये गये अनुदान से इसी वित्तीय वर्ष में पालिका ने एक मिनी ट्रक, प्रताप ट्रैक्टर खरीदे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो वाहन खराब हो जाते हैं, उन्हें भी शीघ्र मरम्मत करा-कर कार्य पर भेजा जाता है।

ग्राम रूपपुर, जनपद आगरा के निवासी श्री राम सनेही कुम्हार के छप्पर में आग लगने की घटना

159–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के ग्राम रूपपुर में दिनांक 20-6-85 को श्री राम जी लाल, राम सनेही कुम्हार के छप्पर में बेगार न करने के कारण कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने आग लगा दी? यदि हां, तो उनके द्वारा थाने में दर्ज रपट पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्री राम सनेही का एक प्रार्थना-पत्र इस प्रकार की शिकायत का क्षेत्राधिकारी को प्राप्त हुआ। तारीख 22-6-85 को थाना फतेहाबाद में श्री अयोध्या प्रसाद आदि 7 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के बाद अभियुक्तों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद की खुखुन्दू थाने की पुलिस द्वारा श्री आनन्द यादव की गिरफ्तारी

160–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे देवरिया जनपद की खुखुन्दू थाने की पुलिस द्वारा आनन्द यादव निवासी खुखुन्दू को दिनांक 10 जून, 1986 को 25 आर्म्स एक्ट के तहत बुरी तरह से घायल कर जेल भेज दिया था तथा क्या यह सत्य है कि पुलिस उन्हें घर से पकड़ कर लायी थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिनांक 17 जून, 86 का जिलाधिकारी देवरिया उप पुलिस महानिरीक्षक गोरख-पुर को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-86 का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

दिनांक 10-6-86 को थाना खुखुन्दू जिला देवरिया में प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष खुखुन्दू एक उप निरीक्षक, तीन कांस्टेबिल तथा मुखबिर एवं गवा-हान के साथ आनन्द यादव को गिरफ्तार करने हेतु श्री श्याम नारायण की दुकान के पास पहुंचे। वहां से आनन्द कुमार यादव निवासी खुखुन्दू भागा। पुलिस

द्वारा पीछा किये जाने व ललकारे जाने पर आनन्द कुमार यादव ने कट्टे से फायर किया जिससे पुलिस दल बच गया, और उसे मार पीट कर काबू किया। गिरफ्तारी के दौरान उसे चोटें आयीं जो रोजनामचा आम में दर्ज की गईं और विवेचनोपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 25/7 शस्त्र अधिनियम एवं 307 भा0 द0 वि0 न्यायालय को भेजा गया। प्रश्नगत शिकायती पत्र जिलाधिकारी, देवरिया, उप पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन मोहन शर्मा का उनके निजी व्यय पर स्थानान्तरण

161—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जल निगम के प्रबन्ध निदेशक ने मदन मोहन शर्मा का स्थानान्तरण वर्ष 1983-84 में रुड़की से चम्बा (टिहरी) तथा चम्बा से नरेन्द्र नगर, नरेन्द्र नगर से हरिद्वार (अपने जनपद में) कराया था? यदि हां, तो क्या शासन सरकारी धन के दुरुपयोग करने के विषय में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रबन्ध निदेशक ने श्री मदन मोहन शर्मा का कोई स्थानान्तरण नहीं कराया।

सभी स्थानान्तरण श्री शर्मा के स्वयं के प्रार्थना पर उनके निजी व्यय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये थे। अतः सरकारी धन के दुरुपयोग तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नव ज्योति शिक्षण संस्थान सुरेन्द्र नगर हजपुरा, अकबरपुर के प्रबन्ध समिति के चुनाव कराने हेतु आदेश

162—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव ज्योति शिक्षण संस्थान सुरेन्द्र नगर हजपुरा परगना व तह0 अकबरपुर के प्रबन्ध समिति के चुनाव कराने हेतु दिनांक 29-5-84 को निबन्धक सोसायटीज फर्म तथा चिट्स उत्तर प्रदेश द्वारा कोई आदेश किया गया था? यदि हां, तो उक्त आदेश के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। चुनाव कराने के लिये तहसीलदार, अकबरपुर को निबन्धक द्वारा अधिकृत किया गया है। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा श्री नवाब हुसैन पुत्र सिफेत निवासी ग्राम हजपुरा तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद तथा श्री लाल जी, कालातीत अध्यक्ष, नव ज्योति शिक्षण संस्थान, सुरेन्द्र नगर, हजपुरा फैजाबाद को प्रबन्ध समिति के चुनाव के संबंध में अर्ह सदस्यों की सूची के अंतिमीकरण हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया था। दोनों पक्षों ने अलग-अलग सदस्यों की सूची दाखिल की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सूची पर आपत्ति की है। सदस्यों की अर्हता को सिद्ध करने के लिए यथेष्ट प्रमाण दोनों पक्षों से मांगा गया है। साक्ष्य हेतु अगली तिथि दिनांक 4 मार्च, 1987 निश्चित है।

प्रश्न नहीं उठता।

163—श्री विष्णु देव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

164—श्री विष्णु देव—

[दिनांक 9-9-86 को अता0 प्र0 सं0 160 द्वारा उत्तरित]

165—श्री विष्णु देव—

[दिनांक 9-9-86 को अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित]

प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

166—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री अरुण कुमार द्विवेदी अध्यक्ष, राष्ट्रीय शर्करा उद्योग कामगार संघ छितौनी जनपद देवरिया ने प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लखनऊ को दिनांक 30-5-86 व 22-7-86 तथा इसके पूर्व भी पत्र देकर कतिपय अधिकारियों के स्थानान्तरण और उनके विरुद्ध जांच की मांग की है? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अरुण कुमार द्विवेदी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शर्करा उद्योग कामगार संघ, छितौनी का एक शिकायती पत्र दिनांक 22-7-86 उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम में प्राप्त हुआ था। श्री द्विवेदी ने अपने पत्र में कुछ अधिकारियों की छितौनी इकाई से स्थानान्तरण तथा जांच की मांग की थी लेकिन प्रशासनिक हित में उन अधिकारियों का स्थानान्तरण करना उचित नहीं पाया गया और जांच से आरोपों की पुष्टि भी नहीं हुई।

जिला स्तरीय चयन समिति गोरखपुर द्वारा टंकक के पद पर चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया

167—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-9-85 को जिला स्तरीय चयन समिति गोरखपुर द्वारा टंकक पद हेतु सामान्य वर्ग के कितने और किन अभ्यर्थियों का चयन किस वरिष्ठता क्रम से किया गया था और अभी तक किस क्रम तक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गयी है? सूची के क्रम 13 पर अंकित श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री पद्म सिंह की नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 28-9-85 को जिला स्तरीय चयन समिति गोरखपुर द्वारा टंकक के पद हेतु किसी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया वरन् दिनांक 19-9-85 को टंकक पद हेतु सामान्य वर्ग के 34 संलग्न सूची में वरिष्ठता क्रम से अंकित, अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिसमें से क्रमांक 1 से 12, 14, 17, 19, 20, 22 से 29 तथा 31 एवं 32 पर अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक हो चुकी है। सूची के क्रमांक-13 पर अंकित श्री सुरजीत सिंह का नाम सूची में उनकी वरिष्ठता क्रम के अनुसार पहले बिक्रीकर अधिकरण गोरखपुर पीठ, गोरखपुर के कार्यालय में टंकक/लिपिक पद हेतु भेजा गया। परन्तु उक्त रिक्ति की पूर्ति नियोजक द्वारा विभागीय प्रोन्नति द्वारा कर दी गई। तत्पश्चात् श्री सुरजीत सिंह का नाम उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण तथा जिलाधिकारी, गोरखपुर के कार्यालयों में टंकक/लिपिक पद हेतु भेजा गया। परन्तु उक्त दोनों नियोजकों द्वारा रिक्तियां निरस्त कर दी गयीं। उपरोक्त कारणों से श्री सुरजीत सिंह की नियुक्ति नहीं हो सकी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 181 पर)

परगनाधिकारी सलेमपुर, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच कार्यवाही

168—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया के अंतर्गत सलेमपुर तहसील में परगनाधिकारी सलेमपुर द्वारा पांच दस पच्चीस, पच्चास व एक सौ रुपये के कूपन छपवाकर 14 नवम्बर, 85 को स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू के अनावरण के अवसर पर तहसील प्रांगण में एक कवि सम्मेलन व मुशायरा का आयोजन कराया गया था तथा सभी व्यय किये गये खर्चों के बाद रु0 7200/- की बचत धनराशि को परगनाधिकारी द्वारा सलेमपुर टाउन एरिया पुस्तकालय को देने हेतु सार्वजनिक घोषणा की गयी थी? क्या इस संबंध में भूतपूर्व विधायक श्री हरिकेवल प्रसाद का पत्र दिनांक 29-4-86 का माननीय मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

कथित कवि सम्मेलन व मुशायरा में सभी व्यय के उपरान्त 7000/- रु0 की धनराशि टाउन एरिया सलेमपुर के फन्ड में दि0 14-7-86 को जमा की जा चुकी है। श्री हरिकेवल प्रसाद के शिकायती पत्र दिनांक 29-4-86 में परगनाधिकारी सलेमपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु परिवाद कर्ता के सहयोग की अपेक्षा जिला प्रशासन ने की है। उनकी सुनवाई के उपरान्त जांच को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

169—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी सलेमपुर, जनपद देवरिया के विरुद्ध 7200/-रुपये हड़प लेने के संबंध में 3 मई, 1986 को उच्च-स्तरीय जांच का निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परिवाद कर्ता श्री हरिकेवल प्रसाद के उपलब्ध न होने के कारण जांच आख्या अभी पूर्ण नहीं हुई है।

जनपद मुरादाबाद में लगाये गये हैण्ड पम्प एवं उनका व्यय विवरण

170—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जनपद मुरादाबाद में पेयजल योजना के अन्तर्गत किस-किस विकास क्षेत्र में कितने-कितने हैण्ड पम्प लगाये गये तथा प्रति विकास क्षेत्र में उन हैण्ड पम्पों पर कितनी लागत आयी तथा सरकार द्वारा भविष्य में हैण्ड पम्प लगाने की योजना पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जनपद मुरादाबाद में लगाये गये हैण्ड

पम्पों एवं उनपर हुए व्यय का विवरण विकास खण्डवार निम्नानुसार है:

सं0	विकास क्षेत्र	लगाये गये हैण्ड पम्पों की कुल सं0	औसत लागत लाख रुपये में
1	2	3	4
1.	अमरौधा	95	8.04
2.	जोया	166	14.03
3.	छजलैट	143	12.08
4.	बिलारी	121	10.22
5.	बनिया खेड़ा	132	11.16
6.	डींगरपुर	83	7.00
7.	मुरादाबाद	59	5.00
8.	मून्डपाण्डे	41	3.46
9.	भगतपुर टांडा	42	3.55
10.	हसनपुर	149	12.60
11.	गंगेश्वरी	108	9.12
12.	गजरौला	91	7.68
13.	धनौरा	82	6.93
14.	सम्भल	67	5.67
15.	असमोली	126	10.64
16.	पवांसा	71	6.00
17.	बहजोई	70	5.92
18.	ठाकुरद्वारा	107	11.77
19.	डिलारी	123	13.40
		1876	164.27

भविष्य में अवशेष 614 समस्याग्रस्त ग्रामों में 12.0 हैण्ड पम्प अगले तीन वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार लगाया जाना प्रस्तावित है।

करहना काण्ड की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली बार इस सदन में करहना काण्ड पर चर्चा हुई थी। तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्य मंत्री जी से बात की थी और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच कराकर जब सितम्बर में सत्र चलेगा तो हम पहले दिन ही इसे सदन के पटल पर रख देंगे। आज हम लोग अनिश्चितकाल के लिए उठ जायेंगे। रिपोर्ट वहां तैयार भी हो चुकी है। मेरी निश्चित जानकारी है कि पुलिस कर्मी उसमें दोषी पाये गये हैं। पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए शासन स्तर पर उसमें हेराफेरी की जा रही है। इसी कारण, आप उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना चाहते हैं। आपने वायदा किया था कि नहीं। यदि आप कह देंगे कि मैंने वायदा नहीं किया था तो मैं चुप हो जाऊंगा। अब जब पूरी जांच आख्या तैयार हो गई है तो उसे सदन के पटल पर आप क्यों नहीं रख रहे हैं?

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जब तक पूरे आरोप साबित नहीं हो जाते हैं तब तक उसके खिलाफ एक्शन लेना उचित नहीं होता है। हमने कहा कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इस बारे में किसी भी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं

खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । गणतंत्र की मर्यादा रखें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 34 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 10 सूचनायें स्वीकार की गई हैं। शेष सभी को अस्वीकार किया गया है ।

(लोकदल (अ) के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर यह कहा कि अन्तिम दिन तो 301 की सारी सूचनायें स्वीकार कर ली जाती हैं, इसलिए सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिया जाय।)

श्री अध्यक्ष–

10 सूचनायें स्वीकार की गई हैं । यदि आप कहें तो इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(कोई आपत्ति न होने पर)

(निम्न सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल, मुरादाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

[महोदय, सम्भल, जिला मुरादाबाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा है यहां की आबादी लगभग डेढ़ लाख है जिसमें एक ही महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल, जिला मुरादाबाद है । इस महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल, जिला मुरादाबाद में वर्ष 1984 से निरन्तर उर्दू, हिन्दी आदि विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के खोले जाने के लिए सरकार को लिखा जा रहा है किन्तु सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे वहां की जनता व छात्रों में काफी रोष व्याप्त है। इससे भविष्य में उपरोक्त विषय को आधार मानकर छात्रों द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात की मांग करता हूं कि उपरोक्त विद्यालय में तुरन्त उर्दू, हिन्दी आदि विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं को खोलने की अनुमति प्रदान करें।]

थानाध्यक्ष, थाना सोजना, ललितपुर द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

देवेन्द्र कुमार सिंह–

[मान्यवर, जनपद ललितपुर में थाना-सोजना में दिनांक 8-3-87 को थानाध्यक्ष द्वारा वीरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री कपूर सिंह चौहान नि0 सिमिरया, थाना-बानपुर को थाने में बन्द करके भीषण मार-पीट कर मार डाला । जिसके कारण जनता में भारी आक्रोश व भय व्याप्त है। जनता तथा पुलिस के बीच स्थिति विस्फोटक है तथा कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। उक्त हत्यारे के विरुद्ध जिला तथा पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि हत्या का मामला थाने में दर्ज हो चुका है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि उक्त दरोगा को जेल भेजा जाय तथा जनता में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने हेतु समुचित कार्यवाही की जाय।]

सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बस्ती जनपद में घाघरा नदी के कटान एवं बाढ़ से क्षति होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे–

[मैं सदन के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बस्ती जिले में घाघरा की कटान एवं बाढ़ प्रतिवर्ष भयंकर रूप से होती है जिसका नियंत्रण बाढ़ खण्ड फैजाबाद से होता था। विधायकों की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि विक्रमजोत से फैजाबाद की दूरी 16 कि0मी0 है इसलिये बाढ़ सुरक्षा कार्य का डिवीजन बस्ती जिले में खोलने के लिये शासन से अनुरोध किया गया। सिंचाई विभाग के राजनीतिक प्रभाव के कारण एक सहायक अभियन्ता को इंचार्ज अधिशासी अभियन्ता बनाने के उद्देश्य से फैजाबाद से स्थानान्तरण करके समस्त कार्य गन्डक डिवीजन 15 वां सर्किल गोरखपुर 120 कि0मी0 की दूरी पर कर दिया गया। हरैया विधान सभा क्षेत्र का बाढ़ सुरक्षा कार्य नवम्बर, 86 से द्वेष भावनाओं के कारण बिल्कुल ठप्प कर दिया गया। ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया। भ्रष्ट अधिकारियों का एक समूह चुने हुए ठेकेदारों के माध्यम से फर्जी कार्य दिखाकर भुगतान करने की साजिश में है। शासन की नीति है कि समय से पहले बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरा कर लिया जाय। हरैया क्षेत्र में ठोकर बंधा, पानी का निकास आदि कार्य ठप्प करके जनता में मुझे बदनाम करने की साजिश है। बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र के लाखों परिवार बाढ़ से तहस नहस हो जायेंगे। अतः सरकार से मांग करता हूं कि बाढ़ सुरक्षा कार्यालय गोरखपुर से बस्ती लाया जाय एवं अधिशासी अभियन्ता की स्थायी नियुक्ति की जाय। बाढ़ सुरक्षा कार्य युद्धस्तर पर कराया जाय। सिंचाई विभाग के भ्रष्ट एवं षडयन्त्रकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके इस क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की सुरक्षा की जाय।]

मेरठ माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट छात्रों के फार्म्स को अस्वीकार करने से सम्बन्धित छात्रों की शिक्षा प्रगति में व्यवधान होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह–

[मथुरा जनपद में जज हायर सेकेन्ड्री स्कूल एदलगढ़ी, हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा का वर्ष 1987 के लिए पंजीकृत केन्द्र निर्धारित किया गया था। 696 छात्र हाईस्कूल व 121 छात्र इण्टरमीडिएट कुल छात्र 817 ने इस केन्द्र से फार्म भरे। छात्रों ने समय से अपनी फीस बैंक में तथा फार्म विद्यालय में जमा कर दिये थे। प्रधानाचार्य ने उन फार्मों को अग्रसारित कर क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक परिषद्, मेरठ को भेज दिया। लेकिन मेरठ माध्यमिक परिषद् कार्यालय ने फार्मों को निरस्त कर दिया है जिससे छात्रों का भविष्य

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अंधकारमय हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ ने 25 फरवरी, 87 को यह माना है कि विलम्ब से फार्म माध्यमिक परिषद् में पहुंचने के कारण छात्रों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिये शिक्षण संस्थायें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न की तरफ शासन व सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि 817 छात्रों को व्यक्तिगत परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी जाय तथा फार्म को स्वीकृत किया जाय तथा प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये तिथि निश्चित कर दी जाय।]

बस्ती जनपद में बुनकरों को 'जनता धोती' के मूल्य के भुगतान में अप्रत्याशित विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुदौली, सोंधा तथा खेसरहा में सघन हथकरघा विकास निगम, उ0 प्र0 द्वारा बुनकरों से जनता धोती खरीदने हेतु ग्यारह क्रय केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इन सभी क्रय केन्द्रों पर बुनकरों से खरीदे गये माल का भुगतान 9-10 हफ्तों बाद किया जा रहा है। जिसके कारण तमाम बुनकरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही है। बार-बार सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी भुगतान में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। देश के अन्य तमाम प्रदेशों में बुनकरों से जो कपड़ा क्रय किया जाता है उसका नकद भुगतान उन्हें कर दिया जाता है। परन्तु उत्तर प्रदेश में यह प्रथा लागू न करके बुनकरों के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार किया जा रहा है।

अतः इस सम्मानित सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुधौली, सांथा तथा खेसरहा के बुनकरों को उनसे खरीदे गये माल का समस्त बकाया भुगतान तुरन्त कराया जाय और यह व्यवस्था की जाय कि भविष्य में इस तरह का बकाया न रहे तथा उ0 प्र0 में अन्य प्रदेशों की तरह नकद खरीद की व्यवस्था लागू की जाय ताकि बुनकरों की समस्याओं का निराकरण एवं उनकी गरीबी दूर हो।]

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की आरक्षण नियमावली के अधीन प्रोन्नति में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी भगवती प्रसाद–

[आपके माध्यम से उ0 प्र0 के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, के प्राध्यापकों को आदर्श क्रमावली (रोस्टर) के अनुसार डिग्री प्राचार्य एवं शिक्षा निदेशालय के अधीन पदों पर प्रोन्नति के सन्दर्भ में इसके लोक महत्व को देखते हुए आदरणीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रदेश में 49 राजकीय महाविद्यालयों, दो सम्भागीय शिक्षा अधिकारी (उच्च शिक्षा), एक उप शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) कुल 52 पद हैं इनमें से 19 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा 33 महाविद्यालय व समान स्तर के प्रशासनिक पद हैं।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासनादेश की रोस्टर नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित होने चाहिए लेकिन अब तक मात्र एक ही कार्यरत हैं। दूसरे स्तर में 33 महाविद्यालयों में से 15 रिक्त पदों पर शासनादेश संख्या–100/एस0 सी0/2-बी0-316-1964 दिनांक 15 मार्च, 1965 के अनुसार 3 पदों पर अनुसूचित जाति के कार्यरत प्राध्यापकों की प्रोन्नति न्याय संगत है। वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं जिससे अनुसूचित जाति के प्राध्यापकों में घोर असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अस्तु मान्यवर, आपके माध्यम से आदरणीय सदन एवं सरकार से अनुसूचित जाति के कार्यरत प्राध्यापकों को शासनादेश के अनुसार लाभान्वित कराने की मांग करता हूं। जिससे शासन की नीति का आदर एवं पालन हो सके।]

राजकीय जूनियर हाई स्कूल घरछुआ, घाटमपुर, कानपुर देहात में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फजलुल बारी–

[जनपद कानपुर देहात में राजकीय जूनियर हाई स्कूल घरछुआ, तहसील घाटमपुर की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। उक्त विद्यालय में आठ ग्राम सभाओं के लगभग चार सौ छात्र एवं छात्राएं वर्तमान समय में शिक्षा पा रहे हैं; लेकिन विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित मात्र तीन ही अध्यापक कार्यरत हैं। परन्तु उक्त विद्यालय में प्रारम्भ से ही विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। विज्ञान अध्यापक के अभाव में छात्र-छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय है जिसके कारण सभी छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों में घोर असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर मा0 शिक्षा मंत्री का ध्यान मा0 सदन के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा विपणन अधिकारी के पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लाल–

[दिनांक 1 से 14 मार्च, 1985 के रोजगार डाइजेस्ट में विपणन अधिकारियों के 10 पदों पर नियुक्ति हेतु मण्डी परिषद् द्वारा विज्ञापन दिया गया था। जिसकी परीक्षा भी 1 फरवरी, 1987 को हो चुकी है।

हम आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में नाना प्रकार की अनेकों चर्चाएं हैं। अब तक की चुनाव प्रक्रिया से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि उक्त हो चुकी परीक्षा के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को मनमाने लोगों की नियुक्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए परीक्षाफल को प्रकाशित करने से जानबूझकर रोका गया है तथा यह भी साजिश की जा रही है कि 10 पदों के बजाय 4 पदों पर ही नियुक्ति की जाय जिससे बाद में शेष पदों का विज्ञापन करके मनचाहे लोगों को नियुक्ति का अवसर दिया जा सके।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, आपके माध्यम से हम अपनी जनप्रिय सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि वह कृपा पूर्वक इस होने वाली परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं की छानबीन कराये तथा उन सभी अभ्यर्थियों को चयनित होने का अवसर दें जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है ताकि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को न्याय प्राप्त हो सके ।]

निर्वाचन क्षेत्र मेहनगर, आजमगढ़ में शारदा सहायक की पटरी को ठेकमा से गोंमाडीह तथा मेहनगर से बोंगरिया तक पक्की सड़क बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण–

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के सम्मुख लाना चाहता हूं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहनगर (आजमगढ़) के बीच से शारदा सहायक खण्ड 23 की ठेकमा-मेहनगर, रजबहा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है जो लगभग 30 कि0मी0 लम्बी है इसके बीच गोंमाडीह से मेहनगर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाई जा रही है परन्तु पश्चिम में गोंमाडीह से ठेकमा और पूरब में मेहनगर से बोंगरिया बाजार तक का भाग छूटा रह जाता है । यदि इसे भी सड़क का रूप दे दिया जाय तो मेरे क्षेत्र की जनता को ठेकमा से बोंगरिया तथा चिरैइया कोट से होकर गाजीपुर एवं चिरैइया कोट से जौनपुर इलाहाबाद आदि शहरों को जाने में लोगों को काफी सुविधा मिल जायेगी । बीच का भाग मात्र 9 कि0मी0 बनाया जा रहा है शेष छूटा हुआ भाग का बनाना नितान्त आवश्यक है । इसका प्रस्ताव मैंने जिला योजना आजमगढ़ को भेज दिया है तथा जिला स्तर से पारित हो गया है परन्तु उक्त नहर की पटरी होकर सड़क बनवाया और सम्पूर्ण खर्चा वहन करना जिला योजना की क्षमता के बाहर है ।

अतः हम शासन से प्रबल अनुरोध करते हैं कि उक्त शारदा सहायक ठेकमा रजबहा की नहर की पटरी को ठेकमा से गोंमाडीह तथा मेहनगर से बोंगरिया जिसकी कुल लम्बाई 21 कि0 मी0 है, को पक्की सड़क बनाने हेतु शासन स्तर से धन आवंटित करके सड़क बनवाया जाय ।

सचिवालय सुरक्षा दल के कर्मचारियों के लिए नियमावली में संशोधन करके प्रोन्नति में अधिक सुविधा की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

[उ0 प्र0 सचिवालय सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा नियमावली, 1980 का संशोधन वर्ष 1985 में किया गया है । जिसमें नियम 5 (क) उपनियम 3 (ख) तथा 4 (ख) में सचिवालय सुरक्षा दल की उपेक्षा करते हुए पुलिस बल प्रोन्नति में 60 प्रतिशत स्थान दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश में किसी भी सेवा संवर्ग के विपरीत है । पुलिस बल के लोग सचिवालय की गोपनीयता को भंग करते ही हैं सचिवालय की गरिमा को भी आघात पहुंचाते हैं । जिससे सचिवालय सुरक्षा कर्मियों के साथ ही साथ सचिवालय के समस्त कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हुए मांग करता हूं कि अविलम्ब नियमावली, 1985 का संशोधन कर पुलिस कर्मियों को उनके मूल विभाग में वापस कर सुरक्षा दल के बीच के लोगों को प्रोन्नति दी जायें ।]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं बड़े अदब से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज आखिरी दिन है तो हम खुशी के साथ जायं और वातावरण को खराब करें, यह मुनासिब नहीं है । मैंने बजाय 7 के 10 सूचनायें ले ली हैं।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी द्वारा बिना अनुमति के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, जब मैं बुलाऊं तब बोलें। नियम 300 के अन्तर्गत . . . .

(श्री किरन पाल सिंह तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा बिना अनुमति के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली, श्री हरिशंकर तिवारी की, दूसरी, श्री सुरेश चन्द्र की, तीसरी, श्री अर्जुन सिंह यादव की, चौथी, श्री फजलुल बारी की, पांचवी श्री विजय सिंह राणा की तथा छठी सूचना मा0 शतरुद्र प्रकाश जी की है, जिसमें श्री किरन पाल सिंह जी भी हैं तथा माता प्रसाद पाण्डेय जी भी हैं ।

जहां तक मा0 हरिशंकर तिवारी की सूचना के बारे में है, मुख्यमंत्री की ओर से उत्तर प्राप्त हो चुका है, मामले का परीक्षण किया जा रहा है, शीघ्र ही निर्णय दूंगा ।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी के बिना अनुमति के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठें ।

माननीया सुरेश चन्द्र और माननीय अर्जुन सिंह यादव जी की सूचनाएं हैं, इनमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, मैं इनको अस्वीकार करता हूं । अब श्री फजलुल बारी साहब बतायें, आपको क्या कहना है ?

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, जम्हूरियत में अखबारों का बहुत बड़ा रोल है और अखबारों की आजादी ऐसी है कि अगर उस पर किसी किस्म की रोक लगायी जायेगी तो जम्हूरियत, डिक्टेटरशिप में बदल जायेगी। ऐसा नजर आ रहा है कि पत्रकार जो हैं उनकी कलम की स्याही को निचोड़कर यह चाहते हैं कि जनता की आवाज इनके गुनाहों का परदाफाश न करे । हमारे जिले में 20–सूत्रीय कार्यक्रम के नाम पर सारी धोखाधड़ी थी और फर्जी आंकड़े थे । हमने प्रेस कान्फ्रेंस की और बताया कि ये बातें गलत हैं । चूंकि गलत थीं, इसलिये पत्रकारों ने अपने अखबारों में उन्हें छाप दिया । हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को ख्याल आया हो कि ऐसा हो गया। उन्होंने इन्क्वायरी शुरु करा दी और उन पत्रकारों को जो जनता की जुबान हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे एहसास की तरजुमानी करते हैं, उनको बुलाकर कहा गया कि अगर आइन्दा ऐसा छापोगे तो पुलिस से हाथ पैर तुड़वा देंगे। मैं चाहता हूं कि आप जम्हूरियत के रखवाले की कुर्सी पर हैं, आपका फर्ज है कि इस सिलसिले में सरकार को निर्देशित करें कि पत्रकारों की आजादी को बरकरार रखने के लिये हर मुमकिन कोशिश करें और वह अधिकारी जो पत्रकारों को धमकाने की कार्यवाही कर रहे हैं और पुलिस से उनके हाथ-पैर तुड़वाना चाहते हैं, उनको रोका जाय। जब पत्रकार ही जिन्दा नहीं रहेंगे तो जम्हूरियत मर जायेगी। मेरे जिले गोंडा में जो कुछ हो रहा है, उस पर सरकार को निर्देशित करें कि वह देखे।

श्री फजलुल बारी–

संविधान की वह धारायें जिनके तहत हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, उनका उल्लंघन न होने दिया जाय इसी के साथ मैं अपनी गुजारिश को आपके सामने पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कोई पत्रकार पर दबाव पड़े और वे अपने दायित्व का सही अंजाम न दें, तो वह पत्रकार नहीं हैं। पत्रकार तो निष्पक्ष बैठे हुए हैं, जो आप कह रहे हैं उसे वे लिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

माननीय विजय सिंह राणा की सूचना के सिलसिले में यदि किसी माननीय सदस्य को सन्तोष न हो तो वे उसे नियम 59 के अन्तर्गत उस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

नियम 59 नहीं बल्कि नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की जाती है।

श्री अध्यक्ष–

जी हां, वही नियम 49 के अन्तर्गत दे दें।

श्री विजय सिंह राणा–

नियम 49 के अन्तर्गत तो तब चर्चा के लिये मांग करेंगे जबकि सदन दो-चार दिन और चल रहा होता। हाउस तो आज ही समाप्त हो रहा है। इसलिये आप हमारी बात को सुन लें। आप निर्णय अपनी तरफ से दे दें, मैं आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 49 के अन्तर्गत आपको इसे देने का अधिकार है।

श्री विजय सिंह राणा–

वही तो मैं भी कह रहा हूं कि नियम 49 के अन्तर्गत मुझे चर्चा की मांग करने का अधिकार तो है लेकिन यह तभी सम्भव है जबकि सदन कम से कम दो-तीन दिन और चल रहा होता क्योंकि इसके लिये समय चाहिये, मैं दूंगा और उसके बाद छान-बीन होगी तो उसमें दो-तीन दिन का समय लग जाता है। हाउस तो इतने कम समय के लिये चलता है, इसलिये चर्चा की गुंजाइश बचती नहीं है?

श्री अध्यक्ष–

तो आप अनुरोध कर लीजिये कि इसे प्रश्न समिति को भेज दिया जाय।

श्री विजय सिंह राणा–

ठीक है, तो फिर यही कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, माननीय शतरुद्र प्रकाश तथा माननीय किरन पाल

सिंह ने जो सूचना दी है उसमें उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहा है कि उनके और छात्रों के बीच में क्या समझौता हुआ है?

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह नहीं जानना चाहते हैं। जब सदन चलता है तो जो नीति के सम्बन्ध में घोषणायें होती हैं, उसे सदन में किया जाना चाहिये। 8 तारीख को मा0 मुख्य मंत्री और छात्रों के बीच में जो बात हुई, वह अखबारों में आयी कि समझौता हो गया। समझौता नीति से सम्बन्धित बातों पर हुआ कि संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया जायेगा, प्रशासनिक सेवाओं में आयु की छूट दी जायेगी, बैंकों से 90 सैकड़ा कर्ज दिलायेंगे, पुलिस के अधिकारों में कटौती करेंगे। यह जो नीति वाली बातें हैं यह सारी की सारी नीतिगत बातें यदि सरकार ने सदन के बाहर कही हैं तो यह एक तरह से सदन की अवमानना है और यह सदन की उपेक्षा की गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि उन्होंने यह बातें नहीं कही हैं तो वे इसको यहां बतावें और यदि कही हैं तो उन बातों की सदन में घोषणा करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अभी नगर विकास अधिनियम को संशोधित कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

यह आप विषय से अलग बोल रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आप पहले सुन तो लीजिये। उस अधिनियम के तहत 31 दिसम्बर, 1987 तक प्रशासक का पद बना रहेगा। उस समझौते में यह बात आयी कि हम निर्वाचन करा देंगे। अगर यह बात समझौते में करनी थी तो चार, दस या बीस घण्टे पहले सदन में इसको रखने की क्या जरूरत थी? या तो माननीय मंत्री जी गलतबयानी कर रही हैं या फिर यह मुख्य मंत्री का समझौता गलत है, यह सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, यह नीतिगत प्रश्न है इसलिये इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर कार्यपालिका अनियंत्रित हो जायेगी तो विधायिका का जो कर्तव्य है, वह पूरा नहीं होगा।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी हरिद्वार गये थे और वहां पर उन्होंने तमाम घोषणायें कर दी हैं। उन्होंने यह भी घोषणा कर दी है कि मोदीनगर को तहसील बनाया जायेगा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

एक चीज मैं किरन पाल सिंह को बता दूं कि मोदीनगर में चुनाव नहीं हो रहा है। जो प्रश्न शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाये हैं, इन्होंने अपने भाषण में बहुत से अगर इस्तेमाल किये हैं, ऐसा अगर किया गया है, तो ऐसा होना चाहिये, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। मैं जानकारी के लिये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और जानकारी जो दी गयी है, कम से कम उसके आधार को तो उन्हें देख लेना चाहिये कि क्या है और क्या नहीं है। इसमें कोई नीतिगत बात नहीं कही गयी है। सदन के चलते दो पक्षों में बात चल सकती है और उसको सदन में नहीं लाया जा सकता है। समझौता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है और वह प्रदेश की जनता के हित में हुआ है। छात्रों और सरकार के बीच में हुआ है और सरकार ने अपने विवेक को इस्तेमाल किया है और जो स्थिति खराब थी उसको संभाल लिया है, तो यह प्रदेश के हित में है और उससे आपको प्रसन्न होना चाहिये और आप उसको औचित्य के प्रश्न के रूप में ला रहे हैं, तो यह कोई नीतिगत घोषणा नहीं है, जिसको सदन में लाना आवश्यक हो। छात्रों की कठिनाइयों को सुनकर उस पर कुछ निर्णय लिये गये, तो वह घोषणा के क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जो घोषणा की गयी है, वह आधारहीन है। अखबारों में छप गया है, कि छात्रों को रोजगार दिये जायेंगे, संस्कृत को अनिवार्य भाषा करेंगे, इसका मतलब है कि यह सारी बातें समझौते में नहीं हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

आपको मालूम नहीं है, मैं रोज बोलता हूं और आप रोज सुनते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग लगाये जायेंगे और उनका बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उसमें बहुत से नवजवानों को काम मिलने की गुंजाइश है। एक हजार करोड़ के छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायेंगे। उसमें नवजवान लगें और अपनी कोआपरेटिव बनाकर काम करें और रोजगार पायें, तो इसमें कौन सी बात नई हो गयी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, क्या मैं समझूं कि कोई समझौता नहीं हुआ है और जो अखबार निकला है सब निराधार है। नवभारत टाइम्स के फ्रन्ट पेज पर निकला है, क्या सब गलत है?

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, छात्रों की जो जो मांगे स्वीकार की गयी हैं, वह सब अखबार के फ्रन्ट पेज पर निकली हैं और विस्तार से लिखी गयी हैं और मुख्य मंत्री जी ने उनका खंडन नहीं किया है, तो क्या हम मान लें कि इस तरह का समझौता छात्रों और मुख्य मंत्री के बीच हुआ है। आप इसको बता दें।

श्री मुईद अहमद–

छात्रों में शान्ति आयी है, तो इनको कष्ट क्यों हो रहा है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आज भी छात्रों में आक्रोश है। इसका मतलब यह है कि समझौता झूठा है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह समझौता सही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई पालिसी स्टेटमेंट नहीं हुआ है लिहाजा मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

माननीय बरार जी ने 300 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। वह देर से मिला है। वे कृपया मेरे कक्ष में मुझसे मिल लें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्नों के संबंध में किसी भी समय नोटिस दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

नगर महापालिका, मेरठ चुंगी नियमावली, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

2605-बी/11-9-86-एम-8 (4)-85, दिनांक 27 मार्च, 1986 के साथ प्रकाशित नगर महापालिका, मेरठ चुंगी नियमावली 1985 को विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर महापालिका, बरेली चुंगी नियमावली, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 3141-बी/11-9-86-5 (3) बी-85, दिनांक 30 अप्रैल, 1986 के साथ प्रकाशित नगर महापालिका बरेली चुंगी नियमावली 1985 को विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 1986†

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा विभाग-10 की अधिसूचना संख्या 3584/10-10-86-351 (25)-81, दिनांक 30 जुलाई, 1986 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (पंचम संशोधन), नियमावली, 1986 को, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सिसंवा (बस्ती) की घटनाओं की जांच आयोग रिपोर्ट†

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

श्रीमन्, मैं, आपकी अनुमति से सिसवां (बस्ती) की घटनाओं की जांच आयोग की रिपोर्ट को ज्ञापन सहित कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस पर चर्चा का प्रस्ताव करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आगे जब कभी सदन चले तब आप इस पर चर्चा की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें।

एक सदस्य—

मैं बहुत समय से बोलने के लिये खड़ा हो रहा हूं. . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (भाग प्रथम एवं द्वितीय) वर्ष 1987-88††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (भाग प्रथम एवं द्वितीय) वर्ष 1987-88 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयीं।

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 1984-85 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 1984 85 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार, को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सर्तकता आयोग का वर्ष 1984-85 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सर्तकता आयोग का वर्ष 1984-85 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (छठा संशोधन) नियमावली, 1987††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 336 से सत्रह-1-87-78 से 86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (छठा संशोधन) नियमावली, 1987 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987†

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 जो विधान सभा द्वारा 4 मार्च, 1987 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 9 मार्च, 1987 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति 1986-87 का 49वां प्रतिवेदन†

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, सदस्य आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति (1986-87) का 49वां प्रतिवेदन, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन, सहकारिता तथा हरिजन समाज कल्याण विभाग के वर्ष 1977-82 के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति 1986-87 का पन्द्रहवां विशेष प्रतिवेदन †

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, मैं सदस्य आश्वासन समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति (1986-87) का पन्द्रहवां विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापी नहीं गयी।

†छापा नहीं गया।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मैं बहुत देर से आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आप सुन नहीं रहे हैं . .

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय गोपाल दास जी ने विशेषाधिकार की सूचना दी है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है जब समय आयेगा उस पर आऊंगा। नियमानुसार चलिये ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, टेलीफून विभाग ने मेरा टेलीफून काट दिया है । मेरे उपर कोई बकाया भी नहीं है । इसी तरह एक दूसरा मामला है बाबरी मस्जिद और राम जन्म-भूमि का ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे आपकी सूचना मिल गयी है मैं देख रहा हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मेरा टेलीफून महा प्रबंधक टेलीफून और जिला प्रबंधक टेलीफून की साजिश से काट दिया गया है मेरा कोई पैसा बकाया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे कहा सूचना प्राप्त हो गयी है आप कृपा करके बैठें

(व्यवधान)

आप अगर बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैं कह रहा हूं सूचना मिल गयी है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब मैं नियम 56 पर आऊंगा तब बोलियेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 9 मार्च, 1987 की अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

1–दिनांक 11 मार्च, 1987 को सदन की बैठक न हों ।

2–दिनांक 10 मार्च, 1987 को कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय:–

5 बजे अपराह्न तक

(1) वित्तीय वर्ष 1986-87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान और तत्संबंधी विनियोग, विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न से

वित्तीय वर्ष 1987-88 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण तथा

लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापना, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (हुकुम सिंह)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना अभी माननीय

अध्यक्ष ने सदन में दी है से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना अभी सदन में दी गई है और जिस पर संसदीय राज्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि राज्य मंत्री, श्री सीताराम निषाद की पत्नी के नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि एलाट कर दी गयी है ।

(व्यवधान)

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मैंने लिखकर सूचना दिया है उस पर आप अपना निर्णय दें, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे आपकी सूचना मिल गयी है, मैं उसे देख रहा हूं, हो सका तो आज निर्णय दे दूंगा । इसलिये आप बैठ जायं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अंतर्गत आज 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो क्रमशः निम्नलिखित माननीय सदस्यों की हैं:–

1–श्री शफीकुर्रहमान बर्क, और श्री फजलुल बारी की, 2-श्री बंगाली सिंह, 3-श्री दीपचन्द्र सोनकर, 4-श्री किरनपाल सिंह की सूचनायें एक ही विषय पर हैं।

5-श्री विजय सिंह राणा, श्री लक्ष्मी नारायण, श्रीमती सरोज वर्मा, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री कनक सिंह, श्री जगवीर सिंह की सूचनायें एक ही विषय पर हैं ।

छठी सूचना श्री शारदा प्रताप की है ।

सातवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री गोपाल दास यादव की है ।

आठवीं सूचना श्री बदन सिंह की है ।

9-श्री हरेन्द्र सिंह और श्री प्रभु दयाल की है ।

10-श्री चन्द्रभान मौर्य की सूचना है ।

11-श्री सुखपाल पाण्डे, 12-श्री अवधेश प्रसाद, 13-श्री मनोहर लाल, 14-श्री राम नरेश यादव, 15-श्री माता प्रसाद पांडे, 16-श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी और श्री जगवीर सिंह की है ।

17-श्री यदुनाथ सिंह, 18-श्री फजलुल बारी और 19वीं सूचना श्री सरदार सिंह की है ।

पहली सूचना से संबंधित माननीय सदस्यों में से जो बोलना चाहें, वह बोल लें ।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर सरकार द्वारा गठित वेतन समिति के अध्यक्ष के रुप में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति न होना इस संबंध में तारांकित आज ही प्रश्न था, मेरे ख्याल में एक दर्जन अनुपूरक प्रश्न पूछे गये और राज्य मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने उनके उत्तर दिये । इसलिये मेरा आग्रह है कि अब यह कार्य-स्थगन में विषय नही रह जाता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नियम 56 में भी आया है तो इस संबंध में आप सुनने के बाद ,

ग्राह्यता पर सुन रहे हैं और सुनने के बाद, अपना फैसला दें और फिर चाहे ग्राह्य करें या अग्राह्य करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि यह विषय तारांकित प्रश्न में उठाया जा चुका है, इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, 4 मार्च, को कर्मचारियों की एक मीटिंग हुई थी . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं । यह पहले प्रश्न उठ चुका है, इसलिये अनुरोध है कि आप बैठ जायं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आप प्रश्न के विषय को देख लें, वह अलग है और नियम 56 में जो दिया गया है वह अलग है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप लोग कृपया बैठें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, अभी आपने बर्क साहब से कहा कि आप जो कुछ कहना चाहते हों एक मिनट में कह दें। बर्क साहब आपकी इजाजत से खड़े हुए। मेरा अनुरोध है कि भले ही उसे आप ग्राह्य करें या न करें यह अलग बात है। वह आपसे अनुरोध कर रहे हैं तो एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय राज्य मंत्री जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया मेरी जानकारी में उस वक्त यह नहीं था। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश में सूखे के सम्बन्ध में है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, राणा जी फिजिकली यहां हैं लेकिन मेंटली आगरा में हैं ।

*श्री विजय सिंह राणा–

आपका भी मैं स्वागत करूंगा, मेरे साथ चलें ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अभी भयंकर सूखा पड़ा था जिसकी वजह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तबाही हुई थी। आगरा में केन्द्रीय सूखा कमेटी गयी थी जिसके सामने जिला प्रशासन ने कहा था कि जिले में 90 प्रतिशत सूखा है। कमेटी के सामने कमिश्नर ने खड़े होकर कहा था कि मीलों जहां तक नजर जाती थी खेतों में फसलें सूखी पड़ी थीं । आगरा में सूखे का भयंकर तांडव था । आगरा में ही नहीं बल्कि आगरा के पड़ोसी जिले मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि में भयंकर रूप से सूखा पड़ा । केन्द्रीय कमेटी के सामने जन प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्यायें रखी थीं । संयोग की बात है कि जब फसल उगने को आई तो अन्तिम बार बाई चांस इन्द्र भगवान की कृपा हुई और पानी बरसा वरना फसल की रोपाई सम्भव न हुई होती । अगर उस समय वर्षा न हुई होती तो किसान की फसल खेत में सूख जाती और किसान बीज भी नहीं डाल पाता । जब फसल खेत में आ गयी तो न तो नहरें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलीं और न नलकूप चले और न बिजली मिली। किसान की ऐसी दुर्गति रही है कि किसान रात भर फावड़ा लिये खेत में बैठा रहा लेकिन बिजली के कारण एक बूंद पानी खेत तक नहीं पहुंचा। दो बार वर्षा हो जाने से फसल को थोड़ी राहत पहुंची पर वह किसान, वह लोग जो भू-श्रमिक हैं, खेतों पर काम करते हैं उनकी समस्या अपनी जगह पर है। किसानों ने श्रम किया और जिस तरह से संभव हुआ फसल पैदा कर ली लेकिन भू-श्रमिकों को कोई काम नहीं मिला, किसान उसको काम नहीं दे सके और वह भू-श्रमिक बेकार बैठे हुये हैं। हम लोग अपेक्षा करते थे कि सूखा पीड़ित जिलों को राहत कोष से धनराशि भेजी जायगी लेकिन नहीं भेजी गयी। हम लोग आशा करते थे कि निर्माण कार्य शुरू किये जायेंगे, चाहे वह सड़कें बनाने का काम हो, चाहे नहर बनाने का काम हो, चाहे वह मछली पालने के लिये तालाब खुदवाने का काम हो, लेकिन काम शुरू नहीं किये गये। अगर यह काम जिलों में शुरू हो जाते तो कृषि श्रमिकों को काम मिलता। भू-श्रमिक जो किसान के सहयोगी के रूप में काम करते हैं उनको काम मिल जाता और उनकी जीविका चलती।

दुर्भाग्य की बात है कि अपने प्रदेश की सरकार ने आज तक किसी जिले में सूखा राहत कोष के अन्दर पैसा नहीं भेजा है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि सूखा राहत कोष में केन्द्र से जो पैसा मिला उसको जहां पर उप चुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। आगरा को 15 लाख मिला था लेकिन उसको हरिद्वार के हेड वर्क्स को दे दिया गया जहां पर मुख्य मंत्री का सगा सम्बन्धी ए0ई0 बना हुआ है। आगरा का 15 लाख रुपया मुख्य मंत्री जी ने अपने चहेते ए0ई0 को दे दिया है। यही नहीं मान्यवर, नरौरा हेड वर्क पर एक दूसरे असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जो मुख्य मंत्री जी से सीधे सम्बद्ध हैं। इस असिस्टेंट इंजीनियर की सम्बद्धता के कारण ही आगरा के सूखा राहत कोष में से 15 लाख रु0 हरिद्वार हेड वर्क को दिया गया है और 10 लाख रु0 नरौरा हेड वर्क को दिया गया है। मान्यवर, सूखा राहत कोष से हेड बदल कर बाढ़ कोष में परिवर्तित कर लिया गया है और इस धनराशि को रायबरेली, सुल्तानपुर (अमेठी) और गोरखपुर पर खर्च करना चाहते हैं।

मान्यवर, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है। वहां के भू-श्रमिक भूखों मरने की स्थिति में आ गये हैं। सूखा पड़ने के कारण किसानों के खेतों पर कृषि श्रमिकों के लिए काम नहीं निकल सका। एक बार वर्षा हो जाने से किसान ने एकदम ट्रैक्टरों को लगा कर अपनी जमीन को जोतवा लिया और अपनी फसल तैयार कर ली। उसमें कृषि श्रमिकों को काम नहीं मिल सका। हमने केन्द्रीय सूखा समिति के सामने यह समस्या रखी थी और कहा था कि शासन से शीघ्र सूखा राहत कोष दिलायें, जिससे कि भू-कृषि श्रमिकों को काम मिल सके। यदि सड़कें बनें, नहरों की पटरियों पर काम हो, मछलियों के तालाब बनाये जायें, या निर्माण के और काम कराये जायें, तो कृषि श्रमिकों को काम मिल जायगा,

किन्तु मान्यवर, सूखा राहत कोष के नाम पर एक पैसे की भी धनराशि अभी

तक हमारे आगरा, मथुरा, अलीगढ़ को नहीं दी गयी है। इसीलिए कृषि श्रमिक काम की तलाश में इधर-उधर घूम रहे हैं। भूखा किसान रोज हम लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है और काम मांगता है, किन्तु हम लोग विवश होकर उसकी दुर्दशा पर आंसू बहा कर रह जाते हैं।

मान्यवर, इस वर्ष जैसी भयंकर सूखा पड़ा है, वैसा सूखा गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पिछले 100 सालों में नहीं पड़ा था। यदि इन्द्र भगवान ने कृपा नहीं की होती और एक बार फसल की रोपाई के समय तथा दूसरी बार फसल की पकाई के समय बारिश न हो गयी होती, तो प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती और आदमी सड़कों पर खड़ा होकर आदमी का मांस खा जाते। यदि मान्यवर, सूखा की इस भयंकर स्थिति में भी सरकार प्रदेश की जनता को कोई सूखा राहत कोष नहीं देना चाहती, तो इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। यही नहीं, मान्यवर, दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूखा राहत कोष का सरकार उप चुनावों पर खर्च करके जनता को बहका रही है और जनता के वोट लूटने का प्रयास कर रही है। मुझे जानकारी मिली है कि आगरा और मथुरा के सूखा राहत कोष को हरिद्वार के उप चुनाव के ऊपर खर्च किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जनता के हित में आप सूखा-राहत कोष को जिलों में रिलीज करावें। हमारे आगरा जिले की एक भी पैसा सूखा-राहत कोष में अभी तक नहीं मिला है। मेरा आपसे निवेदन है कि आगरा को तुरन्त सूखा राहत कोष दिलावें और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन में दो घंटे की चर्चा कराने की व्यवस्था करें।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं माननीय राणा जी से कहना चाहता हूं कि जो भी सूखा से संबंधित, सड़कों से संबंधित, निर्माण आदि से संबंधित कार्य गांवों में हो रहे हैं, उसके लिए हमारे आदेश हैं कि वह तेजी से किये जायं और कुछ नये कार्य भी किये जायं। अब मैं नहीं जानता कि माननीय राणा जी के यहां पर क्या-क्या काम होने हैं। इन्होंने कभी हमसे बताया भी नहीं कि इनके यहां पर कौन-कौन से काम होने हैं। मान्यवर, मेरा एक भी असिस्टेंट इंजीनियर या इंजीनियर रिस्तेदार नहीं है और न ही होने वाला है। राणा साहब के इस प्रकार के रिस्तेदार हैं। ये अक्सर उनके लिए सिफारिश में आते हैं। मेरा कोई इस प्रकार का रिस्तेदार नहीं है।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी पैसा किसी जिले का काट कर कहीं पर नहीं दिया जाता है। किसी जगह का पैसा काट कर हरिद्वार को नहीं दिया गया। जो पैसा हमें भारत सरकार से मिला था, उसे हमने जगह-जगह पर भेजा है और पूरे प्रदेश में भेजा है। आगरा में भी पैसा गया है, इन्होंने देखा ही नहीं होगा। अगर कोई बात हो, तो वह मुझे बता दें। ऐसी बात नहीं है कि कहीं पर चुनाव हो रहा है, तो मैंने वहां पर पैसा भेजा है। कहीं पर कोई पैसा काट कर नहीं भेजा गया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने बड़े गुस्से में जबाब दिया। मान्यवर, माननीय राणा जी ने यह नहीं कहा कि फला इंजीनियर मुख्य मंत्री जी का रिस्तेदार है। उन्होंने यह बताया कि वह मुख्य मंत्री से सम्बद्ध है, वह अपने को इनका खास आदमी बताता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिला शाहजहांपुर के अन्दर जितना पैसा वर्ष 1986-87 में आपने सूखा के

लिए और बाढ़ पीड़ितो की सहायता के लिए दिया, उसका 3/4 पैसा परिवार नियोजन वालों को दिया गया है, जबकि वहां पर कोई न कोई बाढ़ आई है और न कोई सूखा पड़ा है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

किसी जिले का पैसा काट कर दूसरे जिले में नहीं भेजा जाता है। अगर किसी जिले में आवश्यकता होती है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

यह तो मान्यवर, हो ही नहीं सकता है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। यह मेरे पास सूचना है, इसको नोट कर लें, आगरा को एक पैसा भी सूखा राहत कोष के नाम पर नहीं दिया गया है और न ही मथुरा को दिया गया है। आप उल्टी बात कहने लगे, मैंने आपके रिश्तेदार की बात नहीं कही।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, सिफारिश करना कोई बात नहीं है। शायद इस सदन में कोई ऐसा आदमी न हो जो आदमी रिश्तेदार या सगे सम्बन्धी की सिफारिश न करता हो।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इस तरह से यह नियमों के अन्तर्गत आता ही नही है। स्पष्टीकरण होने के बाद सवाल नहीं किये जा सकते हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह मेरे पास सूचना है कि 15 लाख रुपया आगरा कैनाल विभाग को आवंटित हुआ और वह 15 लाख रुपया हरिद्वार के हेडवर्क को दिया गया है और 10 लाख रुपया नरौरा हेडवर्क को दिया गया है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, सन् 1973 में प्रदेश में 7 पालीटेक्निकों के माध्यम से कृषि इंजीनियरिंग का कोर्स प्रारम्भ किया गया जिस पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये। उस कृषि इंजीनियरिंग कोर्स में लगभग 1 हजार छात्र वहां से अब तक डिप्लोमा कोर्स पूरा कर चुके हैं और अभी भी और लोग निकल रहे हैं। मान्यवर, करीब 11 वर्षों के बाद सन् 1984 में सरकार ने उस पाठ्यक्रम में कुछ कमी बतायी और कमी बताने के बाद एक वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग कोर्स करने का आदेश कर दिया, उसमें भी करीब 150 छात्रों ने सिविल इंजीनियरिंग कोर्स पूरा कर लिया और अब भी कर रहे हैं। मान्यवर, अब समस्या यह है कि काफी लम्बे समय से यह जो कृषि इंजीनियरिंग छात्र हैं, यह यहां पर आन्दोलनरत हैं जिसमें उन्होंने अंकतालिका जलायी, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की। श्रीमन्, 20 फरवरी, 1987 को करीब 72 छात्र यहां से डिप्लोमा धारकों को कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण किया जाय। मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग में 80 जगहें खाली पड़ी हुई हैं उनमें कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को रखा जाय, उनमें तदर्थ नियुक्तियां दी जांय। जो 11 साल

से घूम रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी उम्र में कम से कम 5 साल की छूट दी जाय। श्रीमन्, यह मामला बहुत ही अहम है इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर, मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत देश और प्रदेश सरकार आये दिन भारतीय सभ्यता संस्कृति और परम्पराओं की स्थापना की दुहाई देती है। अपने देश में सामन्त-युग की ही कहावत है जर, जोरू, जमीन के लिए तमाम काम जायज है। इलाहाबाद नगर में हमारे यहां समय-समय पर नियुक्त करीब 35 राजस्व अधिकारियों ने अपनी जोरुओं के नाम लगभग 68 बीघा जमीन जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़, 59 लाख रु0 होती है, करवा ली है। इसके साथ ही साथ अपने अगल-बगल कई कालोनियां बसा दीं जिसमें हजारों मध्यम और दुर्बल वर्ग के लोग रहते हैं जिनके मकान तथा आवास की समस्या को हल करने का यह दावा करते हैं। वह जमीन लगभग 1420 बीघा है और उसकी कीमत लगभग एक अरब रु0 होती है। इस तरह से अपने दलालों के माध्यम से इन लोगों ने सार्वजनिक सम्पत्ति का घोटाला किया है। जिन अधिकारियों ने यह बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति पैदा की है जिनको हमारे देश और प्रदेश की जमीन को संरक्षित रखने का अधिकार है उन लोगों ने ही ऐसा काम किया है और इसमें ए0 डी0 एम0 और डिप्टी कलेक्टर आदि तमाम राजस्व अधिकारी शामिल हैं जैसे श्री दुबरी दुबे, ए0 डी0 एम0 श्री आर0 के0 दुबे, नगर मैजिस्ट्रेट, श्री राम इलोक मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर, श्री बनवारी लाल, रजिस्ट्रार कानूनगो, श्री आर0 के0 दुबे, डिप्टी कलेक्टर, श्री दीनानाथ श्रीवास्तव कलेक्टर, श्री राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, कलेक्टर, श्री श्यामा चरण मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री सुखमंगल सिंह, डिप्टी कलेक्टर, श्री विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, श्री टी0 एस0 सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर आदि इस तरह से लगभग 35 अधिकारी हैं। मान्यवर, यह जांच रिपोर्ट एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी द्वारा तैयार की गई है और ऐसे अधिकारी को पुरस्कृत करने के बजाय सचिवालय में बैठा दिया गया है।

मान्यवर, यह लोग निर्बल वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के आवास की व्यवस्था के लिये 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करते हैं, रोज समाचार-पत्रों, रेडियो और टी0वी0 में इस तरह के समाचार प्रकाशित और प्रसारित होते हैं लेकिन इलाहाबाद में 32 हजार लोगों को बेघर करने की योजना है। वहां पर इनका एक बुलडोजर चलता है जिस पर लिखा हुआ है कि मैं अंधा हूं। शासन ने इस संबंध में 16 अक्तूबर, 1986 को एक शासनादेश भी पारित किया है जिसके अनुसार अवैध पक्के निर्माणों को गिराना संभव नहीं है। विरोध में 23 दिसम्बर, 1986 को प्रदर्शन भी किया था तथा अभी 10 तारीख को हम लोगों ने आयुक्त के यहां भारी प्रदर्शन किया। यदि आप देखें तो इस प्रकार के तमाम मामले गम्भीर अनियमितता के सामने आयेंगे। राजस्व परिषद् द्वारा एक शासनादेश सं0 1695/II रा0 प0–7/73 दिनांक 14 जुलाई, 1975 के द्वारा 25 पैसे प्रति वर्ग गज की दर से उक्त अधिकारियों की 68 बीघा भूमि लगभग 38 हजार रु0 में विनियमित कर दी गई। दूसरी तरफ मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार.....

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इस प्रकार यह 68 बीघा जमीन जो अधिकारियों द्वारा हड़पी गई जब कि आम नागरिकों को 250 रु0 से 25 पैसे प्रति वर्ग गज की दर से लेकर 450 रु0 मांग की जा रही है इस संदर्भ से कई लोग गम्भीर रूप से बीमार हो गये हैं और उनकी हालत अत्यन्त दयनीय हो गई है । मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर सवाल है और मध्यम तथा निर्बल वर्ग के गंभीर उत्पीड़न और शोषण का मामला है। कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण न देकर आम नागरिकों के साथ समान परिस्थितियों में यह सरकार भेद-भाव कर रही है। हजारों लोग उजड़ गये हैं, हजारों बच्चे बेघर हो गये हैं, जिन अधिकारियों द्वारा यह किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें क्या बात है, जो आप कहना चाहते हैं । कौन सी नई बात आ गई ।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, स्थानीय निकाय का चुनाव न होने के कारण इलाहाबाद का प्रशासन तानाशाही रवैया अपना चुका है। विकास के नाम पर हरिजनों की आबादी में जहां दलित और शोषित लोग रहते हैं, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये पानी की व्यवस्था होनी चाहिये, उसको न करके हमारे क्षेत्र राजपुर बस्ती के मकान बुलडोजर द्वारा इलाहाबाद के प्रशासक द्वारा गिरवा दिये गये । यह भी नही सोचा कि यह बच्चे जाड़े में किस तरह से रहेंगे। गर्भवती महिलायें किस तरह कराह रही थीं प्रसव पीड़ा से । इलाहाबाद के प्रशासक ने वहीं पर किसी सरकारी अधिकारी का मकान था, जिसकी कीमत लाखों में होगी, नही गिरवाया । आप संविधान के अन्दर समता की बात कहते हैं । बिजली नहीं आती है, पानी की समस्या है, 9 बजे के बाद पानी नहीं आता--------

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठें ।

श्री गोपाल दास यादव पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इस ओर ध्यान न देकर हजारों आदमियों के मकान गिरा दिये गये इसलिये मैं कहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें। आतंक फैला है। वहां जो अधिकारी हैं वे दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं सरकार का ध्यान इस अहम् मसले पर आकर्षित करता हूं ।

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में लघु एवं सीमान्त किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिये उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये, उनकी समाज में इज्जत पैदा करने के लिये सरकार ने दो वर्षों से फ्री बोरिंग योजना चला रखी है । लेकिन मान्यवर, यह बोरिंग गरीब किसानों और सीमान्त किसानों की न होकर पुरानी बोरिंग को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नई बारिंग दिखाकर करोड़ों की रकम लघु सिंचाई विभाग में लूटी जा रही है। प्रति वर्ष इस योजना पर 100 करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है। लेकिन इस 100 करोड़ में से 25 प्रतिशत रु0 भी लघु एवं सीमान्त किसानों की उन्नति के लिये खर्च नहीं होता है। मुख्य अभियन्ता, विशेष सचिव लघु सिंचाई इस योजना से कमा रहे हैं। 19 क्षेत्रीय अभियन्ताओं के बीच में पैसा लूटा जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य अभियन्ता जो 31 जनवरी, 1987 को अवकाश ग्रहण करने वाले थे उस अवधि को 31 मार्च 1987 तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने में विशेष सचिव जिम्मेदार हैं। स्वयं विशेष सचिव जून, 87 में रिटायर्ड हो रहे हैं। दोनों ही अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं और 30 जून, 1987 को एक अवकाश ग्रहण करने वाले हैं, पैसा लूट रहे हैं। उनको इस योजना से अलग किया जाय और किसी ईमानदार अधिकारी के नियंत्रण में इस योजना को दिया जाय। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है मैं इस पद सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

शेष सूचनायें अस्वीकार। श्री सीताराम निषाद के ऊपर जो आरोप कुशवाहा ने लगाया है उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है।

श्री मनोहर लाल–

मैं चार दिनों से नियम-56 की सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सब अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

(सर्वश्री यदुनाथ सिंह, मनोहरलाल, अनुग्रह नारायण सिंह, गोपालदास यादव आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर चले आये।)

श्री अध्यक्ष–

सदन के फ्लोर पर आना कहां तक उचित है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

मेरे ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यह आरोप बिल्कुल असत्य एवं निराधार है। विचारित भूमि अर्थात् पट्टे वाली भूमि पी0 डब्लू0 डी0 की सम्पत्ति नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपनी सीट पर वापस जायें।

श्री सीताराम निषाद–

मैंने दो अधिकारियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिये हैं और जांच हो रही है। इसलिये उन्होंने मेरी छवि बिगाड़ने के लिये ही षडयन्त्र रचा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने खसरा एक्ट व खतौनी आदि सभी की नकलें आपको उपलब्ध करा दी हैं जिसमें स्पष्टतौर पर राजा जगदीश प्रसाद शाही के नाम से 972 नं0 दर्ज है जिसमें केवल दो बिस्वा नर्सरी स्कूल हेतु मेरी पत्नी के नाम का पट्टा है। इस लिए मान्यवर, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सारे के सारे आरोप निराधार हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 21 श्री शतरुद्र प्रकाश (घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, तीन हजार लोग अर्धनग्न अवस्था में मिर्जापुर के यहां आए हैं जो इस समय जी0 पी0 ओ0 पार्क में मौजूद हैं। मेरी बात को पहले सुन लीजिए। (यह कहते हुए श्री यदुनाथ सिंह फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, आप इन्हें (श्री यदुनाथ सिंह) समझाइए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इन्हें आप एक मिनट दे दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और समाज के ऐसे लोग जो कमजोर हैं, निर्बल व असहाय हैं, उन के घरों पर यह सरकार बुल्डोजर चला रही है और उन पर जुल्म कर रही है और हम लोग आंख बंद करके देखते रहें, यह नहीं हो सकता है मान्यवर। (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इन्हें (श्री यदुनाथ सिंह जी जो पहले से सदन के फ्लोर पर खड़े हुए थे) सुन लीजिए एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष–

इनकी बात को सुन लिया गया है । (श्री यदुनाथ सिंह जी को सम्बोधित करते हुए) आप कृपया मुझ से मेरे कमरे में मिल लीजिएगा, मैं इसको दिखवाऊंगा। (इस पर भी श्री यदुनाथ सिंह जी फ्लोर पर खड़े रहे)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी और राज्य नेता राजकीय जमीनों का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं सार्वजनिक सम्पत्ति हड़प रहे हैं और इस संबंध में हमारे कई माननीय सदस्यों ने आपके सामने बात रखी कि मा0 कुशवाहा जी ने फैजाबाद में. . . . . (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, आप कृपया अब बैठें वरना बाहर जाएं मैं आपकी बात को सुन चुका हूं । (घोर व्यवधान)

(उस पर अनुग्रह नारायण सिंह व गोपाल दास यादव सदन के फ्लोर पर आ गये यह बार-बार कहते हुए कि हां मान्यवर, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं तो सदन की सदस्यता से भी इस्तीफा देना चाहता हूं)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, गरीबों के घरों पर बुल्डोजर चलवाकर घरों को गिरवाने की कार्यवाही जारी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, सांसद अभिताभ बच्चन जो फिल्मी अभिनेता भी हैं, फिल्म सेंटर के नाम 600 एकड़ भूमि गाजियाबाद में कर दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाएं । यह जितनी बातें आप यहां कह रहे हैं मैंने सब सुन ली हैं, कृपया बैठ जाएं ।

एक सदस्य–

मान्यवर, इन्हें इंगित करके सदन से निकाल दिया जाए क्योंकि यह लोग बहुत शोर कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री यदुनाथ सिंह को सम्बोधित करते हुए) मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया कि आप मुझ से मेरे कमरे में मिल लें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

(फ्लोर पर खड़े रहते हुए) नहीं मान्यवर, 3 हजार लोग बिना कपड़े पहने हुए यहां आए हुए हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

यहां हम लोग अपनी सुविधा के लिये नहीं आए हैं । देश में जनतांत्रिक व्यवस्था कायम है, इसलिये यहां पर अपनी बात

रखने आए हैं । आज प्रदेश में जो सरकारी भूमि है, उसका यहां के बड़े राजनेता और अधिकारी मिलकर दुरुपयोग कर रहे हैं । इलाहाबाद के बारे में मैंने अभी बताया । इसी तरह फैजाबाद की बात आपके सामने आयी । गाजियाबाद में 600 **एकड़ भूमि सांसद श्री अमिताभ बच्चन को उनके नाम फिल्म सेन्टर के लिये दे दी** गयी है । वहां पर भी लोग आन्दोलन कर रहे हैं उसी में कब्रिस्तान भी है और ये ही अधिकारी मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के मकानों पर, उनकी जमीन पर बुलडोजर चलवा रहे हैं । यह भारतीय संविधान के **अनु0 14 का खुला उल्लंघन है। मेरी मांग** है कि इस पूरे मामले को सदन की प्राक्कलन समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जो भी यहां पर कहा गया, किसी के बारे में कोई शिकायत है, किसी जिले की कोई भी कम्प्लेन्ट है, खास तौर से इलाहाबाद के मामले में यह बहुत पुरानी बात है । यह 20 वर्ष पुरानी बात है । मैं इसकी जांच कराऊंगा और **जांच के बाद जो भी दोषी पाया जायेगा,** उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । यही तरीका होता है । मैं सीताराम जी के बारे में भी जांच करवा लूंगा । सीताराम जी तैयार हैं कि उस जमीन के बारे में कोई गलत बात पायी जाती है तो वे इस्तीफा दे देंगे ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, जबसे उत्तर प्रदेश की एसेम्बली बनी है, पहली बार मिर्जापुर जनपद से पांच हजार महिलाएं, पुरूष और बच्चे अर्द्धनग्न अवस्था में यहां आकर जी0 पी0 ओ0 में पड़े हैं और मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते हैं । मिर्जापुर जनपद के अधोरी, राबर्टसगंज क्षेत्र वाराणसी से 275 किलोमीटर पर हैं । लखनऊ भी वाराणसी से 275 किलोमीटर पर है । आज मिर्जापुर में जाएं तो लगेगा कि मध्य प्रदेश में चले गये । ये अधोरी, राबर्ट्सगंज और दुद्धी के लोग हैं । वहां ऐसा लगता है कि शासन नाम की कोई चीज नहीं है । पुलिस वाले मनमानी करते हैं । परियोजना के लोगों ने उनको हटा दिया है । वहां के आदिवासी बड़ी खराब स्थिति में हैं । इसलिये हम लोगों ने फैसला किया है कि जब तक अर्द्धनग्न अवस्था में नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह सुनने वाले नहीं हैं । ज्यादातर महिलाएं अर्द्धनग्न स्थिति में हैं, ऐसे तो गांधी जी भी नहीं रहते थे । सरकार उस प्रतिनिधि-मण्डल की बात सुने और सदन में आश्वासन दे कि उनकी बात सुनी जायगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं रोज सुबह अपने घर पर जो भी आता है उससे मिलता हूं । एक एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता है, जो मिले बिना चला जाय । ये किसी को अपने घर पर ले आएं और न बताएं तो कैसे पता लगेगा । ये खुद नंगे हो जाते हैं और **दूसरों को भी कर देते हैं।** दुद्धी के जो आदिवासी हैं, उनके लिये जो हमने बड़ी व्यवस्था की है, लाखों एकड़ जमीन जो उनके नाम से नहीं थी, हमने आदेश कर दिया है कि उनके नाम से सरह देखकर देने की कार्यवाही की जाय । करीब दो लाख एकड़ जमीन है । यह बहुत बड़ी बात है । आपने पहले ऐसा कभी नहीं किया । उनके लिये हम बहुत सी स्कीमें चलाने जा रहे हैं । वहां पर जो काम होगा वह उन्हीं के द्वारा कराया जायगा, किसी दूसरे ठेकेदार से नहीं कराया जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खुद मैं वहां के लिये चिंतित हूं कि वहां ज्यादा काम हो ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मिर्जापुर से जो 3000 लोग आये हैं उनसे मिलने का टाइम दे दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आप जब चाहेंगे मैं उनसे मिलने के लिये तैयार हूं ।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जनपद उन्नाव में पुलिस ज्यादतियों के बारे में मैं पिछले कई रोज से नियम 56 के अन्तर्गत सूचना देकर शासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं ।

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी हाईस्कूल फेल हैं या पास इसमें विवाद हो सकता है। औरत और आदमी में फर्क कर, विवाद हो सकता है । लेकिन, इसमें कोई विवाद नहीं है कि माननीय गृह मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र में पुलिस जुल्म अपनी पराकाष्ठा पर है । बांगरमऊ के हरईपुर गांव में दिनांक 12/13 जनवरी की रात्रि में दो सिपाहियों द्वारा 28 वर्षीय विधवा बांसती के साथ बलात्कार किया गया । मान्यवर, तमाम बातों के बाद जब इसकी रिपोर्ट हुई, तो वहां के थानाध्यक्ष ने 6 लोगों को फर्जी दफाओं के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया । मान्यवर, थाना असीवन के अन्तर्गत दसवीं क्लास के मनोज नाम के छात्र को पुलिस ने गोली मार दी और उसके पैर तोड़ दिये गये । उन्नाव में इस समय पुलिस जुल्म बहुत जोरों पर है । उन्नाव जनपद से ही माननीय दीक्षित जी, गृह मंत्री हैं । उन्नाव जनपद में बराबर पुलिस जुल्म बढ़ रहा है । थाना बांगरमऊ के अन्तर्गत घटना घटित हुई । थाना अचलगंज में बदरुद्दीन और छोटे लाल की मृत्यु हुई । इसमें श्री छोटेलाल के विषय में सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश हुए हैं। मान्यवर, हरईपुर गांव में बासंती नाम की विधवा के साथ दिनांक 12/13 जनवरी की रात को पुलिसजनों ने बलात्कार किया । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां के सी0 ओ0 श्री शर्मा ने 70 लोगों को मारा, वे लोग वहां से घर छोड़कर भागे हुए हैं । लकड़हा में पुलिस ने 8 लोगों को मारा, जिसमें 2 उन्नाव के ऑनरेबल शामिल थे । पुलिस का नरसंहार उन्नाव जनपद में बराबर बढ़ रहा है, गृहमंत्री जी के क्षेत्र से ही संबंधित कई मामले घटित हुए, लेकिन इनको अवसर ही नहीं मिलता वहां जाने का, वहां की स्थिति देखने का । मान्यवर, इस सूचना के द्वारा मैं आपसे मांग करता हूं कि इसमें आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सरकार को दें । जो भी व्यवस्था उचित समझें, दें । मान्यवर, जब से उन्नाव जनपद से गृह मंत्री जी हुए हैं, वहां पुलिस जुल्म बढ़ता ही चला जा रहा है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, सच बात तो यह है कि जब से श्रीमान जी उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं, कानपुर के निवासी होते हुए, तब से यह सब घटनाएं होने लगी हैं ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जब से मैं आया हूं, उन्नाव जनपद की अपराध स्थिति का मैंने सदन में खुलासा किया है । अगर इसमें तनिक भी कोई सच्चाई हो, तो या तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं, या माननीय गृह मंत्री जी इस्तीफा दें ।

मैं गृह मंत्री जी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब उनकी जुल्म और

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादती उन्नाव जनपद में नहीं चलेगी। पुलिसजनों के नरसंहार को वहां रोके जाने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाय, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उन्नाव जनपद में कोई भी पुलिस द्वारा जुल्म-ज्यादती की जायेगी, उसको सदन के संज्ञान में लाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें।

वित्तीय वर्ष 1986-87 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये के आस-पास का यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है कल यहां पर। मान्यवर, मैं जहां तक समझता हूं, यह अनुपूरक बजट पेश करने की जो प्रवृत्ति है, यह भी वित्तीय अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा की ओर चली जा रही है। इसके पहले जब करीब पांच हजार करोड़ रुपये का 1985-86 का बजट आया था, उसके बाद 1985-86 में तीन अनुपूरक बजट लाये गये थे। पांच सौ करोड़ रुपये, तेरह सौ करोड़ रु0, करीब दो हजार करोड़ रु0-पांच हजार करोड़ रुपया अनुपूरक बजट के रूप में लाये गये थे। बीस प्रतिशत अनुपूरक बजट से धनराशि मांगी गयी है। मैं समझता हूं कि यह सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीति पर सबसे बड़ा आघात है। इस सरकार की कोई आर्थिक नीति नहीं है।

इस सरकार में वित्तीय अनुशासन नाम की चीज नहीं रह गयी है। सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों में बजट सत्र चल रहे हैं, कई प्रदेशों में बजट प्रस्तुत कर दिये गये हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल ही नहीं रहा है। क्या कारण है इसके पीछे– राजनीतिक कारण है या आर्थिक कारण– मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिये कि जिस सूबे का वित्त सचिव डेढ़ महीने तक न हो, वहां पर वित्तीय अनुशासन और वित्तीय आधार पर प्रगति हुई कैसे कह सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि दीक्षित जी का देहान्त हो गया लेकिन उस कुर्सी पर उस पद पर आने के लिये डेढ़ महीना हो गया, जब कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला था। इसके अतिरिक्त दो-दो संयुक्त सचिव उस विभाग के नहीं हैं। जिस वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष में बजट पेश करना हो और वहां पर दो-दो संयुक्त सचिव न हों, सचिव न हों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वित्तीय स्थिति क्या है। इस समय दिसम्बर के महीने में जिलों को जो पैसा आवंटन हुआ था उसकी स्वीकृति दिसम्बर-जनवरी तक गयी है। मैं समझता हूं कि यह सरकार बजट में जो पैसा मांगती है उसको पूरी तरह खर्च भी नहीं कर पाती है। खर्च करने की स्थिति ही नहीं है। यह भी दुर्भाग्यजनक बात है कि कहां खर्च होता है पूरे साल में इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। मेरी जानकारी में कुल बजट का 20-25 से लेकर 30 प्रतिशत तक अपव्यय हो जाता है। बनारस में जनवरी में पैसा गया है विकास कार्यों का। इसी तरह से हर जिलों का है। इस समय जो वित्तीय स्थिति है उसका आकलन करके अगर नतीजा निकाला जाय तो ऐसा लगता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में यह सूबा जितना पिछड़ा था, उससे ज्यादा पिछड़ापन 1987 में आ गया और सन् 2000 तक आते-आते हमको लगता है कि यह हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ सूबा हो जायगा। मुझे जहां तक जानकारी है पहली पंचवर्षीय योजना के आस-पास प्रति व्यक्ति व्यय 25 रु0 इस सूबे का था और देश का 38 रु0 था, 1950 के आस-पास। 1984-85 के आस-

पास और छठी पंचवर्षीय योजना के पास जब कि पूरे देश का 750 रु0 प्रति व्यक्ति व्यय था उसके मुकाबले में इस प्रदेश में 550 रु0 औसत आमदनी थी यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 252 रु0 पूरे के पूरे देश की औसत आमदनी थी और प्रदेश की 245 रु0 थी यानी 3 प्रतिशत का फासला था और पूरे देश की औसत आमदनी प्रदेश से 3 प्रतिशत ज्यादा थी वर्ष 1950 में । आज 750 रु0 के मुकाबले 550 रु0 हो गयी है यानी 3 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में कमी । इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय 25 रु0 था देश में उस समय 38 रु0 था, छठी पंचवर्षीय योजना के बाद 872 रु0 हो गया पूरे देश में प्रति व्यक्ति परिव्यय और उत्तर प्रदेश का 662 रु0 हो गया यानी 210 रु0 कम। 1950 के आसपास करीब 60 रु0 की कमी थी और 1984-85 में आकर 210 रु0 की कमी आ गयी है । इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश तरक्की कर रहा है या पिछड़ रहा है । वर्ष 1986-87 में 6345 करोड़ रु0 का खर्चा था यानी पूरा बजट इतने का था और प्राप्तियां 6000 करोड़ रु0 की थीं यानी 344 करोड़ रु0 का घाटा था, जिसमें 255 करोड़ रु0 लोक लेखा से लेकर 88 करोड़ रु0 का घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया। और अब सरकारी कर्मचारियों की तन्ख्वाह बढ़ा दी । इधर 88 करोड़ का घाटा बजट में आ गया, यह घाटा सरकार कैसे पूरा करेगी, यह वह ही बतला सकती है । 6,345 करोड़ रु0 के नानप्लान बजट में **2100 करोड़ रु0 सरकारी कर्मचारियों की** तन्ख्वाह में चला जाता है । इसके अलावा 1,000 करोड़ ब्याज के रूप में आप केन्द्रीय सरकार को अदा करते हैं । मुझे तता नहीं है कि कितना कर्जा इन्होंने ले रखा है । केन्द्र से यदि इन्हें 6 प्रतिशत की दर पर भी कर्जा मिला है तो कम से कम 20 करोड़ रु0 इनके पास कर्जा है एक हजार रुपया प्रति वर्ष ब्याज के रूप में इनको देना पड़ता है ।

इसके अलावा चालीस, पचास जितने भी निगम हैं वे 500 करोड़ रु0 के हिसाब से प्रति वर्ष घाटे पर चल रहे हैं । एक करोड़ तीस लाख रुपए के आस-पास आपका प्रति दिन का घाटा है यानी कि 3500 करोड़ रु0 ब्याज का घाटा, सरकारी कर्मचारियों की तन्ख्वाह का घाटा, यह है नानप्लान बजट । इसके अलावा खर्चा कितना है ? प्राप्तियां कितनी हैं ? 1300 करोड़ रु0 कर-राजस्व के रूप में आपको मिलता है और प्राप्तियों में सरकार को **300 करोड़ रु0 के आस-पास मिलता है** मिश्रित राजस्व के अनुरूप राजस्व से । 1600 करोड़ रु0 साल भर राजस्व प्राप्तियों के रूप में मिलता है ।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

पूंजीगत लागत गत वर्ष 1600 करोड़ रु0 रही, इससे अन्दाज लगता है कि प्रदेश की सरकार कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक दिवालियेपन की शिकार हो गयी है । आमदनी की दृष्टि से प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख रु0 का प्रति दिन का घाटा है । 5.8 करोड़ रु0 प्रति दिन सरकार का वेतन में जाता है । 2.7 करोड़ रु0 प्रति दिन ब्याज का प्रदेश की सरकार को देना पड़ता है। 10 करोड़ रु0 प्रति दिन ब्याज के रूप में, घाटे के रूप में, वेतन को देने के रूप में सरकार का खर्च हो रहा है। 1600 करोड़ रु0 में प्राप्तियां प्रति दिन

के हिसाब से है साढ़े चार करोड़ रु0 है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह सरकार किस तरह से प्रदेश के विकास का कार्य कर पायेगी?

योजना में दो हजार करोड़ रु0 यानी कि 1993 करोड़ रु0। 1986-87 में योजनेतर में प्राविधान रखा गया है उसमें 16 प्रतिशत नान एक्सपेन्डीचर में, केवल तन्ख्वाह देने में चला जा रहा है। तो 300 करोड़ रु0, दो हजार करोड़ रु0 में से चला गया केवल तन्ख्वाह देने में, 17 करोड़ रु0 विकेन्द्रित योजना में तथा 25 सैकड़ा चला गया जिले में, तो इतना आपने खर्चा कर दिया। और 20 प्रतिशत लेप्स कर जाता है, चाहे किसी भी जिले में हो। इस प्रकार से 240 करोड़ रुपया लेप्स हो गया। तो मान्यवर, करीब 940 करोड़ रुपया नान एक्सपेन्डीचर में खर्च हो रहा है, तो इतने रुपये में कितना विकास कर पायेंगे और मान्यवर, वह भी पैसा समय से नहीं मिल रहा है, चाहे बनारस हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो या फतेहपुर हो, किसी भी जिले को पैसा नहीं मिल पा रहा है, समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में 5 प्रतिशत विकास की दर रखी गयी है, जो ग्रोथ रेट है वह 5 परसेंट है, लेकिन मेरी जानकारी है कि सेवेन्थ ड्राफ्ट प्लान में 7 से 10 प्रतिशत के विकास की दर को रखा गया है। मान्यवर, 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश की 15 वीं और 16वीं पोजीशन थी बिहार को छोड़कर, अब एकदम आखिरी में हो जायेगी। इस समय जो स्थिति है, वह जर्जर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट को समय से प्रस्तुत न करने का कारण यह दिया है कि योजना आयोग से या विकास समिति से धनराशि स्वीकार हो करके नहीं आयी है। तो मान्यवर, यह स्थिति तो अन्य प्रदेशों की भी है। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर राजनैतिक आधार पर बजट नहीं प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्य मंत्री 2 वर्ष से अधिक नहीं रहा है, अगर कोई मुख्यमंत्री दो वर्ष से अधिक टिक जाता है तो केन्द्र सरकार को खतरा उत्पन्न हो जाता है और मुख्य मंत्री को बदल दिया जाता है, इससे प्रदेश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसके विकास के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। अब चल रहा है कि वीर बहादुर सिंह को हटाया जा रहा है और दूसरे को लाया जायेगा। जब तक बजट सत्र चलेगा, तब तक मुख्य मंत्री को बदला नहीं जायेगा, अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिये यह बजट प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के जोड़ का का नतीजा है और उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, केन्द्र सरकार जो प्रदेशों को पैसा देती है, उसका आधार क्या है? हमारे प्रदेश में धन मांगा जाता है वह जनसंख्या और पिछड़ेपन को आधार मान कर मांगा जाता है, और केन्द्र सरकार इस आधार पर पैसा देती नहीं है। केन्द्र सरकार इस आधार पर पैसा देती है कि कौन राज्य कितना टैक्स देता है और उसी आधार पर पैसा आवंटित किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि योजना आयोग को यह माप दण्ड बदलना होगा और अगर नहीं बदला जाता है तो आर्थिक संचालन में बाधा उत्पन्न होगी और प्रदेश की हालत जर्जर हो जायेगी। उत्तर प्रदेश पूरे देश की जनसंख्या का 16 सैकड़ा है, लेकिन यहां पर जो धनराशि दी जाती है, आवंटित की जाती है, वह इस आधार पर नहीं आवंटित होती है। प्रदेश की हालत को देखने के लिये 1985 से 1987 तक प्रदेश के योजना आयोग का उपाध्यक्ष ब्रह्म दत्त को बनाया

गया था, लेकिन उनके चले जाने के उपरान्त आज तक वह पद भरा नहीं गया है। मान्यवर, उस पद पर दूसरे लोग हो सकते हैं, जनता पार्टी के श्री रवीन्द्र तिवारी हो सकते हैं, राजेन्द्र कुमार गुप्त हो सकते हैं इसी तरह कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष को तोड़ने का ही काम किया है।

...लेकिन विपक्ष में जो अच्छी प्रतिभायें हैं उनका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी में नहीं है। पवार को लिया, खत्म कर दिया, बनारसी दास जी को लिया कोई इस्तेमाल नहीं किया। श्यामधर मिश्रा को लिया, दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया...

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

और भी लोग आने वाले हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

और भी लोग आने वाले हैं और बहुत से लोग कांग्रेस से जाने वाले हैं, यह भी सही है। मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसने पूरी तरह से प्रदेश के आर्थिक तंत्र को झकझोर करके रख दिया है। आज विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। छोटी-छोटी नालियां और नलकूप लगाने के लिये इस सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये इस सरकार के पास पैसा नहीं है। विकास के नाम पर जनपदों से जो मांग आती है सरकार की तरफ से उनके बारे में जवाब दिया जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के आर्थिक स्तर का इस तरह से दिवाला निकल चुका है कि अगर यही स्थिति चलती रही तो आने वाले दिनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आर्थिक रूप से विकसित करने के लिये, आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिये इस सरकार का पतन जरूरी है। जब तक यह सरकार बनी रहेगी तब तक यह सूबा आर्थिक रूप से तरक्की नहीं कर पायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि यदि सूझबूझ से बजट प्रस्तुत किया गया होता तो इस अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी।

*श्री नरेन्द्र देव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज इस अनुपूरक बजट पर चर्चा के समय विपक्ष के लोग कितने गम्भीर हैं, कितने चिन्तामग्न हैं उत्तर प्रदेश के लिए, मैं समझता हूं मेरी जानकारी में यह पहला मौका होगा जब विरोधी दल के नेता स्वयं यहां पर मौजूद नहीं हैं और कोई अन्य सदस्य इस पर बोल रहे हैं...(व्यवधान)

(शर्म-शर्म की आवाजें)

आज प्रदेश के बारे में बड़ी चिन्ता प्रकट की गयी है आंकड़ों के हिसाब से। अगर इन्होंने विकासशील देश के अर्थशास्त्र को पढ़ा होता तो सम्भवतः इन आंकड़ों से इन्हें भ्रम पैदा न होता क्योंकि जो भी देश विकास शील अवस्था में रहता है तो वहां पर इस प्रकार की बातें स्वाभाविक होती हैं। मान्यवर, जब यह लोग सत्ता पक्ष के किसी अन्तर्द्वन्द के बारे में इंगित करते हैं तो मुझे याद आता है, लोग कहा करते हैं कि जब कोई एक उंगली किसी पर उठाता है तो उस पर तीन उंगलियां खुद उसी को इंगित करती रहती हैं। मान्यवर, आज विपक्ष ने अपनी भूमिका का कितना निर्वहन किया है इस प्रदेश में, इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदरणीय सदन में। जब उन्हें मेज पर चढ़ना होता है, आपके ऊपर कागज फाड़-फाड़ कर फेंकना होता है, राज्यपाल को काले झण्डे दिखाने होते हैं, सदन की अवमानना करनी होती है तो सारे के सारे विपक्ष के लोग आ जाते हैं लेकिन जब कभी उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है तो विपक्ष के अधिकांश सदस्य घर भाग जाते हैं।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, बजट के समर्थन में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। किस तरीके से इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। मान्यवर, कभी भी हमारी पोपुलेशन में वृद्धि के आंकड़े ये नहीं देंगे। प्रदेश के सामने जनसंख्या वृद्धि से जो परेशानी खड़ी होती है उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे, हमारे सामने न जाने कितने नये विकास के कार्यक्रम हैं, उनको पूरा करना है यह कोई फैक्ट्री, कारखाना या बनिये की दुकान नहीं है। आप केवल लाभ हानि के आंकड़े देकर विपक्ष की कार्यवाही पूरी कर रहे हैं। मुझे खुशी होती यदि विपक्ष किसी विकास के कार्यक्रम में दोष निकालता, विपक्ष के नेता के रूप में आज बदलते हुए किसी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की होती। 1977 के पहले जो विपक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम को फ्राड कार्यक्रम कहा करता था आज उसी माता इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में भाग लेने के लिये बार-बार जिद करता है कि उसमें हमें भी सदस्य बनाइये। मान्यवर, इनकी आलोचनाओं के बारे में कहने लगूं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा लेकिन मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि अगर पिछली कार्यवाहियों को पिछले अखबारों को उठाकर उनके बयानों को देखा जाय तो आपको इनके बयान और विचार बदलते नजर आयेंगे। अगर यह विचारों के आधार पर बंधे होते तो आज इनकी यह नौबत न होती कितना दिवालिया हो गया है इस देश का विपक्ष कि आज यह विचारों के आधार पर बंधे नहीं रह गये हैं एक सम्प्रदाय विशेष के सदस्य लोकदल के सदस्य हैं। जो ह्विप जारी होता है उसको मानना पड़ता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वे काला बोर्ड लेकर खड़े हो गये, नारे लगाये कि बाबरी मस्जिद वापस करो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो बाबरी मस्जिद वापस करो का बोर्ड माननीय सत्यपाल सिंह के हाथ में क्यों नहीं था। आखिर कोई दल विचारों के आधार पर बनता है अगर उसमें विचारों में भिन्नता है उस दल को तोड़ देना चाहिये। तो आपका दल वह दल है जिसमें साम्प्रदायिकता और धर्म के नाम पर लोग बटे हैं। मान्यवर, जिस दल ने बहिनों की साड़ियां खींची और जो आपस में लड़ रहे हों वह दल आज हमारे यहां अन्तरद्वन्द की बात करता है। आज माननीय वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यक्रमों में तेजी आयी है, आज यहां का शासन मजबूत हुआ है। आज इनके पास सिर्फ घबराहट के अलावा कोई चारा नहीं है केवल मात्र कुछ आंकड़े लेकर सदन में प्रस्तुत करें इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। लोकदल से अब यह "अ" हो गये हैं और "ब" हो गये हैं और जल्दी ही "स" और "द" हो जायेंगे।

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने ला-एण्ड आर्डर के बारे में सूचना दी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं यहां पर गृह विभाग के बारे में या ला एण्ड आर्डर

के बारे में बहुत सी बातें उठायी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जितनी चुनौतियां हैं इतनी पहले कभी नहीं थी। देश और प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर बोया जा रहा है। कहा जाता है कि लोगों के ताजिये सीधे चलेंगे दूसरी तरफ कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में नहीं फसेंगे पीपल के पत्ते-पत्ते में 36 करोड़ देवता रहते हैं अगर कोई पत्ता गिर गया तो आदमी की गरदन कटेगी। तो इस तरह के गंदे विचार सिर्फ इसलिये फैलाये जाते हैं कि उन्हें कुर्सी नहीं मिली है। उनको शासन नहीं मिला, उनको जनता ने नहीं चुना। मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने बड़े-बड़े सवाल हैं, उतने बड़े सवाल पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने नहीं रहे।

मान्यवर, ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था के प्रश्न पर मैं कहना चाहता हूं कि राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद, इस प्रकार की समस्यायें सिर्फ अपने आप में समस्यायें नहीं हैं। यह निश्चित रूप से विकासशील देश के सामने लाये जाने वाले रोड़े हैं और विकास को रोकने के लिए हैं। ऐसी समस्याएं सिर्फ इसलिये लायी जाती हैं कि दंगा-फसाद हो, खून-खराबा हो, देश की उन्नति रुके, भाई-भाई लड़ें, एक दूसरे से लड़ते रहें और देश उन्नति न कर सके। आज उत्तर प्रदेश शासन की यह सफलता बहुत है कि पूरे प्रदेश में छोटी मोटी बातों को लेकर कोई बड़ा दंगा या घटना नहीं हो सकी। आज इस चुनौती को, जितनी बड़ी चुनौती थी उसको, मैं अपने शासन की सफलता मानता हूं। आज प्रदेश में विरोधी दलों द्वारा कहा जाता है कि आज बहुत प्रदेश में अशांति है। छात्र आन्दोलन की बात उठायी जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मसले को लेकर कोई भी जब उठता है तो मुझे गम होता है। कोई विपक्षी नेता इस बात को अपने भाषण में नहीं जोड़ता कि 1983-84 से लेकर जब भी परीक्षाओं का समय आता है तो कुछ छात्र नेता आन्दोलन के नाम पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को क्यों बन्द कराना चाहते हैं और कौन सा ऐसा मसला आ जाता है जिससे 1983 में जिस लड़के को बी0 ए0 पास करना था वह आज 1987 में परीक्षा दे रहा है। मान्यवर, इनको कभी यह गम नहीं होता है कि जिस अभिभावक ने छात्र को विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजा है वह दो साल बाद स्नातक और स्नातकोत्तर हो जायेगा और बुढ़ापे में उसका रोजी-रोटी का सहारा बनेगा। तो इनकी केवल रुचि है कि वाइस-चांसलर के मुद्दे को लेकर, भाषा के मुद्दे को लेकर, धर्म के मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय और कालेजों को बंद कराने में। मैं इस सदन के माध्यम से इनसे अपील करना चाहता हूं कि बहुत हिस्सों में छात्रों ने विरोधियों को पहचान लिया है और इसलिये अपील के बावजूद छोटे-छोटे शहरों में छात्रों ने उनकी अपील को ठुकराया और कहा कि हमारे कंधे पर बन्दूक रखकर राजनीति न करो। और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के छात्रों ने सरकार से बिना किसी विपक्षी दल के नेता को आगे किये हुए उत्तर प्रदेश सरकार से बात किया और सम्मानजनक समझौता किया।

अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करना चाहते हो और विधायक चुने गये हैं, विपक्षी विधायक चुने गये हैं तो कम से कम इतने अहम मसले पर अपने घर में न बैठो, सदन में आकर कुछ बुद्धि की बात करो।

धन्यवाद।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की सभी बातों का उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि उससे विषयान्तर हो जायेगा लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। मान्यवर, संघर्ष गति की निशानी है और संघर्ष एक तरफा ही नहीं है। हमारे यहां जवान लड़ गये तो आपके यहां बूढ़े एक दूसरे को निकाल रहे हैं। हमारे नाना पंडित कमला पति त्रिपाठी को उमाशंकर दीक्षित ने पददलित करके बाहर कर दिया और हमारे यहां स्वास्थ्य मंत्री को पददलित करने दूसरे दीक्षित जी आ गये। तो यह संघर्ष चलेगा, यह लड़ाइयां चलेंगी। हमें अपने को देखना चाहिये। मान्यवर, जहां तक अनुपूरक बजट का सम्बन्ध है सारी बातों को भाई शतरुद्र प्रकाश जी ने रखा है लेकिन मैं 2–4 बातें आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं। जो अच्छी सरकार हुआ करती है वह वित्तीय अनुशासन रखती है। जब वित्तीय अनुशासन नहीं रह जाता है तो अनुपूरक मांगें बार-बार लायी जाती हैं। अनुपूरक मांग को लाये जाने को मैं बहुत ज्यादा अनुचित नहीं मानता हूं लेकिन ऐसी मांग जो प्रदेश के विकास के लिये हो, जिससे लोगों की उन्नति हो ऐसी अनुपूरक मांग स्वीकार भी हो सकती है। लेकिन ऐसी अनुपूरक मांग जो किसी विशेष क्षेत्र के लिये, विशेष व्यक्ति के लिये अनुपूरक के रूप में सदन के समक्ष रखी जाय वह उचित नहीं है इससे वित्तीय अनुशासन नहीं रह जाता। होता यह है कि मंत्री लोग सदन नहीं चलाते लिहाजा इनकी छवि धूमिल होती है इस धूमिलपन को समाप्त करने के लिये वह जहां पहुंचते हैं वहां घोषणा करते हैं कि यहां पर डाक बंगला बनेगा, यहां पर सड़क बनेगी और यहां पर नहर बनेगी। इससे वित्तीय अनुशासन नहीं रह जाता है। उन वादों को पूरा करने के लिये अनुपूरक मांगें लायी जाती हैं तो यह उचित नहीं है। इसमें सुल्तानपुर के लिये वहां की सिंचाई प्रणाली के लिये वहां प्रतिकर की व्यवस्था की गयी है, वहां पर नहरों के लिये करोड़ों रुपयों का आवंटन किया गया है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना है जिसकी लागत पहले 3 अरब, 72 करोड़ रुपये थी और जिसको 1977–85 में पूरा हो जाना चाहिये था उस परियोजना को समय से पूरा न किये जाने के कारण आज उसकी लागत बढ़कर 7 अरब रुपये हो गयी है। उसके लिये पैसा नहीं है। हमारे जो मंडलीय विकास निगम हैं जो रोजगार सृजित करते थे उनकी दशा खराब है। मंडलीय विकास निगम इसलिये बनाये गये थे कि वह संसाधन बढ़ायेंगे और प्रदेश के रचनात्मक विकास में योगदान देंगे वह आज धनाभाव के कारण बन्द पड़े हैं। न केवल गोरखपुर मंडल बल्कि सारे मंडलों में देख लें, इन निगमों की जो फैक्टरियां लगी थीं वह बंद पड़ी हैं धनाभाव के कारण।

अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वह चले गये हैं। वह कह रहे थे कि मुनाफे के लिये काम नहीं किये जाते। लेकिन मान्यवर, जब सरकार व्यापार करती है और अगर व्यापार में मुनाफा नहीं होता है और किसानों से जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं अगर उस पैसे से घाटे की पूर्ति की जाती है तो यह अनुचित है। दुर्व्यवस्था के कारण, मिस मैनेजमेंट के कारण अगर विकास के कार्य रुकते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस बजट में मंडलीय विकास निगमों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों के लिये प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिये। हमारे प्रदेश की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं उनसे प्रदेश की तरक्की होगी उनके लिये पैसा नहीं दिया जाता। इसी तरह से जो 10-10 लाख रुपये की छोटी-छोटी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पैसा देना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। यही नहीं जब हमारा विनियोग विधेयक पारित होता है और पैसा खर्च करने का अधिकार मिल जाता है तो विनियोग विधेयक के पारित होने के एक सप्ताह के अन्दर धन की वित्तीय स्वीकृति चली जानी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पुनर्विनियोग के लिये लाया जाता है क्योंकि सरकार के निकम्मेपन के कारण, विभाग के निकम्मेपन के कारण वह पैसा खर्च नहीं हो पाता है। यह संवैधानिक संकट है। यह बात सही है कि घुमाफिराकर अधिकार दे दिया गया है। क्या आप ऐसा निरन्तर उन अधिकारों का दुरुपयोग करते रहेंगे पुनर्विनियोग के माध्यम से ? जब आप बजट रखते हैं, तो उसमें प्राथमिकता निर्धारित रहती है, क्योंकि उसमें आप पक्षपात करते हैं, तो पकड़ में आ जाते हैं। इसलिये धनों को विभिन्न मदों से बचाकर अपने मनचाहे मदों में खर्च करते हैं और उसी को पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुपूरक के रूप में यहां पर प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय अनुशासनहीनता है। तो इसकी आलोचना होगी और इनके मुंह में कालिख पोती जायगी। मैं आपके माध्यम से मंत्रि मंडल, कार्यपालिका और मुख्य मंत्री सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें प्राथमिकता निर्धारित की जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप समय से वित्तीय स्वीकृति नहीं देते, इसके नाते धनराशि का उपयोग नहीं हो पाता है। जो आप किसी मद का रुपया उस मद में खर्च नहीं करते हैं और दूसरे मद में खर्च कर डालते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता है, उसे वित्त विभाग छिपाता है। जब आडीटर जनरल की रिपोर्ट पी0 ए0 सी0 के माध्यम से सदन के पटल पर रखी जाती है, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर यह वित्तीय स्वीकृति समय से मिल जाय, मई-जून के महीने में जारी हो जाय, तो पूरे वर्ष काम हो सकता है। केन्द्र से जो हमको सूखे के लिये सहायता मिलनी चाहिए, वह अपेक्षाकृत अन्य प्रदेशों को हमको नहीं मिल रही है, जितना कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को मिल रही है। इसके लिये कौन दोषी है ? यह मंत्रि मण्डल अन्तर्द्वन्द से ग्रसित है। हमारे कृषि मंत्री बयान जारी करते हैं कि हमारा

लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन हो जायेगा और राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में 44 जिलों में सूखा है। किस मुंह से कहते हैं कि हम सूखे से पीड़ित हैं, हमको सहायता दी जाय, जब कृषि मंत्री कहेंगे कि सूखा ही नहीं है, लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन है, तो राजस्व मंत्री को किस हैसियत से केन्द्र सरकार ज्यादा धन देगा। मैं आपके माध्यम से मंत्रि मंडल के सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि ये एक अनुशासित मंत्री की तरह अपने विभाग की विशेषता बताने में ऊल-जलूल बयान न जारी करें। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो हमारी अनुपूरक मांगें हैं, यह जो बजट लाये हुए हैं, इससे विषमता फैलेगी और इससे ऐसी ज्वाला निकलेगी, जिसमें हम लोग जल कर राख हो जायेंगे।

मान्यवर, आर्थिक विषमता को आदमी बरदाश्त कर लेगा, लेकिन विकास की विषमता नहीं बरदाश्त कर सकता है। इनसे प्रदेश में क्रान्ति होने लगेगी और यह अनुपूरक विकास की विषमता है सुल्तानपुर के अकेले डाक बंगले के लिए, जिस पर विगत वर्षों से 80 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। जब से नये मुख्य मंत्री हुए हैं, तब से इन्होंने 80 लाख रु0 के करीब अपने विवेकाधीन कोष में ले लिया है और खुद तो लिया है और महामहिम राज्यपाल को भी 11 लाख रु0 दिया है। लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री को एक मरीज को भी लाभ पहुंचाने के लिये एक पैसा भी नहीं दिया है। इसलिये यह जो विवेकाधीन कोष का पैसा है, इसका हिसाब होना चाहिए। मैंने कई बार इस बारे में पूछा कि मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष का पैसा किसको-किस दिया गया, मान्यवर, कभी भी मुझे नहीं बताया गया।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो आप धनराशि जिलों को दे रहे हैं, जिलों के आंकड़े मंगा लीजिए। 13 करोड़ की हमारे जिले में योजना थी और 9 करोड़ का खर्च हुआ था, 16 करोड़ की योजना थी और 11 करोड़ खर्च हुआ था, इसी तरह से सभी जिलों का है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको समय से दिया जाय। यहां पर वित्त मंत्री जी हैं नहीं, लोक पति जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं वह बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं। अतः जो भी धनराशि है उसको समय से पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, चौथी बात कहनी है कि यह जो इनकी ट्रान्सफर नीति है, यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। हमारे जिले में, ड्रेनेज बाढ़ शहरों को बचाने के लिए बाढ़ की जो रकम है उसका आधा भी गांवों के कटाव के लिए नहीं दिया गया। यह कैसी विषमता है जो आप चला रहे हैं। यह विषमता एक क्रान्ति को जन्म देगी और ऐसी ज्वाला निकलेगी जिसमें आप सब जलकर राख हो जायेंगे। इसलिए विकास की विषमता न करिये।

मान्यवर, हमारे जिले में एक इंजीनियर है ड्रेनेज विभाग के जिनका नाम है के0 एन0 गुप्ता। इनके ऊपर इतने गम्भीर आरोप हैं, उसने लाखों रुपये का घपला किया है। उसका ट्रान्सफर एक बार विधायकों की रिक्वेस्ट पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया और अब उसका स्टे कर रहे हैं, उसी समय कह देते कि ट्रान्सफर नहीं करेंगे, हमने तो कहा नहीं आपके ही विधायकों ने कहा था।

इसमें जब नेता सदन और नेता विरोधी दल पर अंगुली उठने लगेगी तो जनतंत्र खतरा पैदा हो जायेगा । मान्यवर, मैं अन्त में फिर कहूंगा कि आप विषमता को समाप्त करिये ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन का कार्य बड़ा व्यवहारिक होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है । कभी-कभी ऐसी भी बात उत्पन्न होती है जिसको हम चाहते भी हैं लेकिन कुछ कठिनाई ऐसी उत्पन्न होती है कि अपने मन के मुताबिक नहीं हो पाता । कभी-कभी कुछ रास्ते चलते हुए भी हम उस हद तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पहुंचना चाहिए लेकिन, प्रयास नेक-नीयती के साथ बराबर चलता रहता है यही हमारी कार्य प्रणाली है । विकास की मंजिल का कोई अंत नहीं है, आज जितना हम चल चुके हैं यही कल चलेंगे और इतना ही चलना हमेशा बाकी रहेगा । जिस कदर विकास आज हम कर चुके हैं यही कल करेंगे इतना विकास करना हमेशा बाकी रहेगा । इस मंजिल को हम सब को तय करने की जरूरत है। आपसे मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में जितने देश 1947 के बाद हमारे साथ स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथनिंग रिमार्केबिल इस मुल्क ने प्राप्त की है हर क्षेत्र में और यह टेस्टिफाई होता है । पूरी तरह से दुनिया के लोग इस बात को टेस्टिफाई करते हैं । कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में इत्यादि जितने भी क्षेत्र हैं उसमें भारतवर्ष अपना एक रिसपेक्टेबिल एक सम्मानजनक स्थान दुनिया में प्राप्त कर चुका है। जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर इस विकास को तेज करें । अभी हमारे माननीय सदस्य ने बहुत आकड़े दिये, आकड़े शायद आप, बहुत दिनों में इसको प्राप्त किये होंगे । मुझे एक किस्सा याद आता है । एक बहुत बड़ा राजा था उनको कहीं कुछ बोलना था, भाषण देना था उन्होंने अपने मंत्री जी से कहा कि कुछ मुझे आंकड़े दीजिए । उसने कहा, महाराज, आंकड़े तो 5-6 महीने लगेंगे देने में। उन्होंने कहा, किया जाय। लेकिन उन्होंने भाषण तैयार किया जैसा अभी माननीय सदस्य ने तैयार किया, घंटे 2 घंटे कहा और खूब आंकड़े दिये, लोगों ने पूछा आंकड़े कैसे मिल गये, कैसे यह जाना तो कहने लगे छानबीन करें 5-6 महीने, जो लोग सुन चुके हैं । तो आपको मिला भी 5-6 महीने में और खोज के लिए भी 5-6 महीने । आंकड़ों से काम नहीं चलता है। जिस कदर आप कहना चाहते हैं बराबर कह सकते हैं लेकिन देखें कि मौके पर किस कदर की प्रगति हुई है और किस कदर की आत्मनिर्भरता का हमारा लक्ष्य था, उसकी पूर्ति हुई है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस कदर सड़के बनी हुई हैं शायद ही कभी बनी हो इस सातवीं पंचवर्षीय योजना तक ऐसा लक्ष्य है, कि कोई भी गांव ऐसा बाकी न रह जाय जो मेन रोड से जुड़ न जाय । मान्यवर, एक-एक क्षेत्र आप देखें, आप कृषि के क्षेत्र में देखें । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की हालत में और आज की हालत में जमीन आसमान का फर्क है और हर आदमी गांव का बेहतर कहीं पढ़ रहा है, रह रहा है, कपड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं और उसकी जरूरतें कहीं ज्यादा हैं। मान्यवर, अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं, जरूरत पड़ती है तो अनुपूरक मांगें पेश होती हैं। कभी-कभी कुछ फन्ड डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी पैसा देना पड़ता है। तो जितने बड़े विकास के कार्य चल रहे हैं इसमें अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करना जरूरी है और जरूरत के मुताबिक अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। हमारे माननीय सदस्य ने अभी बहुत ही अन्तरद्वन्द की बात कही, थोड़ा बहुत अन्तरद्वन्द तो चलता ही है इसके कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई अन्तरद्वन्द इस बात का नहीं है, देश को एक सूत्र में बांधने और एक लक्ष्य के प्रति उसको उठाने में हमारी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिर कह सकता हूं कि आज इस देश को कमजोर करने के लिए अपोजिशन पूरी तरह से लगा हुआ है। सन् 47 से मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कान्सट्रक्टिव सजेशन विरोध पक्ष की तरफ से नहीं आया है और एक भी रोल आपका इस देश को ऊपर ले जाने में इसको सम्मानजनक स्थान में पहुंचाने में नहीं है। इसकी मिसाल भी आपके सामने है। मान्यवर, मैं पालिटिक्स का विद्यार्थी होने के नाते कह सकता हूं कि यह भी क्या चीज होती है। विपक्ष चाहता है कि कुछ न कुछ होता रहे। प्रदर्शन की राजनीति, जेल की राजनीति, जेल एक पिलग्रिम बन गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, देश के सामने बहुत सी समस्या है और सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त मुल्क को मजहबी जुलूस से और उसका हमको आपको मुकाबला करने की आवश्यकता है। जिस अन्दाज में हम होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, वह अन्दाज ही बदल गया है। मजहबी ढंग बदल गया है। विरोध पक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि नवीनीकरण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। योरोप में जो हुआ था वह एक पावरफुल मूवमेंट था। भौतिक आन्दोलन था। आज यहां छोटे-छोटे मामलों को लेकर उनको भी जोड़ जज्बात फैलाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारा विरोध पक्ष जरा समझदारी से काम ले तो इससे देश की तरक्की होती है, इसका सम्मान बढ़ता है। हर व्यक्ति की इज्जत बढ़ती है और जो रवैया इस वक्त विरोध पक्ष ने अख्तियार किया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिन्ता का विषय है। आज सारे जनपदों में इस तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं। हमें यह देखना है कि वह कौन सी चीज है जो हमको और आपको जोड़ेगी। इस पर हमको बहुत ही तेजी से देखने की आवश्यकता है और हमारा ध्यान जाने की आवश्यकता है। सारी आर्थिक प्रगति इसी पर निर्भर करती है। हमें सौहाद्रपूर्ण वातावरण बनाने की आवश्यकता है नहीं तो हमारी भी वही स्थिति होगी जो लेबनान की है। वहां पर 4 ग्रुप हैं और सब गुट के लोग हैं। वहां पर ऐसा होता है कि 10 दिन सुलह हो गई, फिर टूट गई फिर लड़ाई शुरु हो गई। कहीं ऐसा न हो कि वही

स्थिति यहां हो जाय, हमारे देश में और धर्मान्धता के माध्यम से, जड़ता के माध्यम से कहीं यह स्थिति बिगड़ न जाय। आपने शतरुद्र प्रकाश जी ने कांग्रेस पार्टी की बात कही। मैं आपको बता कही। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह की पार्टी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं है और इससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। राष्ट्र को कांग्रेस ही बनायेगी। विपक्ष न तो बनाने की स्थिति में है और न ही बना सकता है, आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं। आप सिर्फ विघ्न पैदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। कोई भी मुल्क आदर्शों पर चलता है और बिना आदर्शों के कोई मुल्क नहीं रह सकता है। हमारे नेताओं ने सेकुलर राज्य की स्थापना की और उसका पूरा-पूरा समावेश हमारे संविधान में किया और हमारे कुछ आदर्श और सिद्धान्त थे। मैं चाहता हूं कि हम और आप एक होकर उन तत्वों से लड़ें जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। आज विपक्ष के पास कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह लोग हमारे साथ मिलकर देश को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक अनुदानों पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जो वैदिक युग से, प्राचीन काल से, आज तक एकता की दिशा निर्देशन करने वाली भूमि रही है, वेदों और उपनिषदों की भूमि रही है। जिसने दुनियां को वसुधैव कुटुम्बकम का नारा दिया था। आज यह राम और कृष्ण की जन्म-भूमि ऐसे विवादों को जन्म दे रही है, जिन पर चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, उनको ठंडे दिमाग से गहन चिन्ता करनी चाहिए, न केवल इस प्रदेश को एक रखने के लिये बल्कि सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिये। विडम्बना है कि वसुधैव कुटुम्बकम का नारा देने वाली भूमि से रामकृष्ण मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। दूर की बात छोड़ दीजिये-अगर हिन्दुस्तान में रहना है तो बन्देमातरम् कहना है। दारुलशफा की दीवारों में लिखा है कि उर्दू गधों की भाषा है। मेरा निवेदन है सरकार से और जो यहां जनता के मतों से चुन कर आये हैं, बैठे हैं। केवल सदन में बैठकर इधर की बातों का प्रतिवाद करके हम अपने दायित्वों से छुटकारा नहीं पा जाते। देश और दुनियां के सामने एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है।

साम्राज्यवादी ताकतें, युद्ध की ताकतें न केवल इस देश को, प्रदेश को बल्कि तमाम इन्सानियत को तबाह करने का रास्ता बना रही हैं। अगर हमने दुनियां में अमन कायम करने का रास्ता छोड़ दिया, देश में कोटम्बिक वातावरण पैदा करने का रास्ता छोड़ दिया, तो मैं समझता हूं कि हम इतिहास के साथ न्याय नहीं करेंगे। उर्दू को गधों की भाषा लिखने वालों से पूंछना चाहता हूं कि यह भावना कहां से आई–

दखेना है जोर कितना बाजुये कातिल में है . . . .
दरो दीवार पर नजर करते हैं . . . . .
सलामत रहे अहले वतन हम तो सफर करते हैं . . . .
सारे जहां से अच्छा से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा . . .
हम बुलबुले हैं इसकी वह गुलसिंता हमारा . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि इस भावना को नहीं पनपने देते हैं तो हम तबाह हो जायेंगे। देश तबाह हो जायेगा, दुनिया तबाह हो जायेगी, इन्सानियत तबाह हो जायेगी। जब तक अमन कायम नहीं रख सकेंगे, जब तक हिन्दू मुस्लिम एक-साथ नहीं रह सकेंगे, मन्दिर और मस्जिद को आजादी नहीं दिला सकेंगे, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। सरकार ऐसे छोर पर खड़ी हो गयी है, अपनी सुतुरमुर्गी पालिसी से, आंख मूदने की पालिसी से कि जीवन ही नष्ट हो चुका है। मैं साफ दिल से कहना चाहता हूं कि ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगानी चाहिये। जो मुजाहिरा पंजाब में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम बनाया, ऐसी जेहनियत के खिलाफ सारे देश को खड़ा होना चाहिये। इसी प्रकार से जो राम जन्म भूमि का बाबरी मस्जिद का सवाल है, उस पर हर दल के लोगों, हम सबको वहां जाना चाहिये और कहना चाहिये राम रहीम हम सबको पूज्य है। जो बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का विवाद खड़ा कर रहे हैं, वह हमारे देश के दुश्मन हैं। मान्यवर, 1857 से जलियां-वाला बाग तक हिन्दू, मुसलमान, सिख ईसाई सब का खून एक साथ बहा। आज कुछ लोग हमको एक दूसरे का दुश्मन बताते हैं। शासन द्वारा ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिये। जनता को भी एक जुट होना चाहिये। यह वह प्रदेश है जिसने भारत को चार प्रधान मंत्री दिये, वह प्रदेश है जहां गंगा, जमुना पैश्वरी, राम गंगा जैसी नदिया बहती हैं। इस प्रदेश की विकास की योजना से हम इस प्रदेश को नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेशों को खाद्यान्न आदि के मामले में मदद करते लेकिन तकलीफ की बात यह है कि हम आगे नहीं हैं, बल्कि पिछड़े-पन में हम आगे हैं। उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन तब तक दूर नहीं हो सकता है जब तक नियोजन में बुनियादी परिवर्तन न किया जाय।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश खेतिहर प्रदेश है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर नीतिगत भूलें हो रही हैं। मोमबत्ती बनाने वाले को तो हमारी सरकार उद्योग मानती है लेकिन इस प्रदेश के 86 प्रति-शत लोग खेती से लगे हैं, उनको उद्योग नहीं मानते हैं। मेरी मांग है कि कृषि को बुनियादी उद्योग माना जाय। खेती के लिये पानी देने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। प्रदेश में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। रूस की क्रान्ति के बाद लेनिन ने कहा था विद्युतीकरण का मत-लब है साम्यवाद, समाजवाद। वहां पर चन्द समय में विद्युतीकरण किया गया और आज हमसे गरीब देश दुनिया की महाशक्तियों के रूप में उभरा है। आजादी के मामले में वह जो भी देश लड़ रहे हैं उनकी मदद कर रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक छोटे उद्योग या भारी उद्योग विकसित नहीं होंगे तब तक आप बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे खुशी होती यदि इस बजट में घोषणा की जाती कि हम इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेरोज-गारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था लेकिन सत्ता में आने पर मुकर गई। लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता न दें।

मान्यवर, मैं केवल दो तीन बिन्दुओं पर अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था परन्तु संयोग से इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय कृषि मंत्री जी दोनों नहीं हैं कैबिनेट स्तर के कुछ मा0 मंत्रीगण बैठे

है, मैं उन तक ही अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं इस उम्मीद से कि मेरी बात उन तक अवश्य पहुंचा दी जायेगी। एक तो मान्यवर, यह कि हमारे बुन्देलखण्ड में सिंचाई के साधन उपयुक्त मात्रा में नहीं हैं और ज्यादा तर मध्य प्रदेश के बांधों से पानी हमारे यहां आता है, परन्तु वहां भी आज कल मत-भेद खड़े हो गये हैं, जिससे सिंचाई के साधन अत्यन्त प्रभावित हो रहे हैं। इसी सम्बन्ध में मान्यवर, मैंने पहले भी सदन में बात उठाई थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं इसकी कुछ व्यवस्था करूंगा परन्तु मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे यहां के ज्यादातर किसानों की फसलें सूख रही हैं और एक दूसरी समस्या की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भूमि सर्वेक्षण, अर्तरा व कर्वी के स्टाफ को 8 माह से वेतन नहीं दिया गया है और उस पर से मुझे कल तार मिला है कि इन लोगों को बिना वेतन दिए स्थानान्तरित कर रहे हैं। मान्यवर, इनके वेतन दिलाए जाने सम्बन्धी काफी प्रयास हो रहे हैं परन्तु अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है, इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस मसले का समाधान अब शीघ्र ही किया जाना चाहिए। और तीसरी एक बात का और निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह कि मान्यवर, शहरी जीवन व देहाती जीवन में परिवर्तन लाने की बात यहां पर बहुत होती है, परन्तु नगर आवासीय सम्बन्धी मामलों का अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है और न ही नगर व कस्बों में सड़कों के बनाने का पर्याप्त समाधान हो सका है। इस प्रकार का कोई काम नहीं हो रहे हैं और जो भी रुपया आ रहा है वे उस रुपयों को यह अधिकारीगण अनाप-शनाप खर्च करके गोलमाल करेंगे। मान्यवर, बांदा जनपद की सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं कोई गर्भवती महिला यदि वहां की सड़कों पर रिक्शे से होकर गुजर जाए जो वह घर न पहुंचकर सीधे अस्पताल को ही पहुंचेगी। (हंसी)

एक माननीय सदस्य—

आपको कैसे मालूम?

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं रोजाना वहां की इन सड़कों से गुजरता हूं और अपनी आंखों से यह सब देखता हूं और यही नहीं मान्यवर, वहां की तपती रेत में धूप और लू में वहां की महिलाएं जब 8-8 मील की दूरी से पीने के पानी को अपने सिर पर रखकर लाती हैं तो यह गीत जो वहां का लोक गीत बन गया है, गाती हैं, कि "गगरी न फूटे मेरी, चाहे बलम मर जाए।" तो मान्यवर, वहां पर पीने के पानी की बहुत जटिल समस्या है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह सरकार कम से कम वहां पर पीने के पानी की ही व्यवस्था कर दे रोटी कपड़े और मकान की बात छोड़ दीजिए। अन्त में मैं पुनः इस बात पर बल देते हुए कि यदि सरकार बांदा में (अर्थात् बुन्देलखण्ड में) पीने के पानी जो वहां की बुनियादी समस्या है, की व्यवस्था करा दे तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूंगा।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, अभी हमारे विरोधपक्ष के भाई श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मात्र मा0 मुख्य मंत्री जी के व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही रखा गया है। इससे तो मान्यवर, मैं यही समझा हूं कि

इन्होंने शायद इस बजट को गम्भीरता पूर्वक नहीं देखा हालांकि इसकी कापियां सभी माननीय सदस्यों को वितरित हुई हैं, जिसमें सारे विभागों के आंकड़े रखे गये हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे यह बात सामने आए कि यह बजट केवल मा0 मुख्य मंत्री के व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही है। इस पुस्तक को हम लोगों ने भी पढ़ा है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर कोई बात ऐसी है तो हम लोगों को बतावें कि कहां पर है?

मान्यवर, जहां हमारी सरकार इस प्रदेश के विकास के लिये कृत संकल्प है और राजीव गांधी के नेतृत्व में जहां देश के भविष्य के बारे में सोच रही है, उसी प्रकार हमारी पार्टी और नेताओं को इस बात की भी चिन्ता है कि विपक्ष का इस समय क्या हाल है और यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो शासन को उसका पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा। इनके नेता चौधरी चरण सिंह बीमार हैं। मैं अपने इस भाषण के माध्यम से ईश्वर से कामना करता हूं कि वह चौधरी चरण सिंह को स्वस्थ करे और वे विपक्ष को मजबूत करने की प्रक्रिया चलाएं। वरना जिस अंधकार की ओर विपक्ष जा रहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी उसके बारे में ज्यादा चिंतन कर रही है। विपक्ष के लोग चौधरी चरण सिंह को इस समय धोखा दे रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे प्रदेश की प्रगति हुई है।

हम 20 सूत्री कार्यक्रम को ही ले लें। हम पूछना चाहते हैं कि जब 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंगें होती हैं तो किस तरह से हम अपने क्षेत्र के विकास के लिये पैसा मांगते हैं। क्या इस अनुपूरक बजट से जो पैसा मिलेगा, उसकी मांग ये विपक्ष के लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिये नहीं करेंगे। इससे पता लगता है कि इस बजट को न तो इन्होंने पढ़ा है और न गम्भीरता से सोचा है। सदन के इतने समय में जिसमें हमारे क्षेत्र की तमाम समस्याएं आ सकती थीं, लेकिन ये सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। यह विपक्ष का सही रोल नहीं है। विपक्ष को तो अनुपूरक बजट में और धन की मांग करनी चाहिए थी। यहां पर अनुसूचित और समाज कल्याण मंत्री बैठी हैं इनको विभाग में कहना चाहिये था कि हरिजनों के विकास के लिये धन कम है, इसको और बढ़ा दें, अगर ये ऐसा करते तो हमको भी खुशी होती। लेकिन ये तो हरिजनों के बारे में घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मैं इस बजट के माध्यम से मांग करता हूं कि हरिजन विभाग के बजट में बढ़ोत्तरी की जाय।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में, किशनपुर पम्प का शिलान्यास स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया था, लेकिन वह अधूरा पड़ा है। वहां पर दोआबा में विकास नहीं हो रहा है क्योंकि पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है तो इस क्षेत्र में किशनपुर पम्प सिंचाई विभाग के बजट में और धन जोड़ा जाय तो मेरे क्षेत्र दोआबा के लिये बहुत बड़ी बात होगी। मान्यवर, हमारी सरकार ने हरिजनों के लिये तमाम योजनाएं बनाई हैं, उसके लिये भी धन की जरूरत पड़ेगी। अभी सदन में भारतीय जनता पार्टी नेता श्री राजेन्द्र गुप्ता जी बख्शी तीदी से अपने सरस्वतीमूक बधिर स्कूल के लिये धन की मांग कर रहे थे। कह रहे थे कि इस संस्था के लिये धन दे दीजिये। तो एक तरफ तो विपक्ष कहता है कि यह अनुपूरक बजट बेकार है और दूसरी तरफ धन की मांग करता है।

अब मैं विवेकाधीन कोष के बारे में बताना चाहता हूं। माता प्रसाद पाण्डेय जी ये कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने सुल्तानपुर के लिये विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किया है। तो क्या विवेकाधीन कोष से विपक्ष के लोग धन नहीं लेते।

अभी कुछ देर पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी जो लोकदल के हैं कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र के कुछ लोग मारे गये, उनको 10-10 हजार रुपया मा0 मुख्य मंत्री जी के कोष से दिलवाया जाय। तो ये पैसा ले भी रहे हैं और शोर भी मचा रहे हैं। जबकि हम शासन के लोग चुप बैठे हैं। हम अपने अधिकारों की मांग की बात करते ही नहीं हैं। तो ऐसा सिलसिला खत्म होना चाहिये। जो लोग उद्दंडता करते हैं, उसकी बात मान ली जाती है जो नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के साथियों को सद्बुद्धि मिले, ताकि वह रचनात्मक आलोचना कर सकें। इसी के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य विपक्षी सदस्यों को बुद्धिहीन और विवेकहीन बता रहे थे। मान्यवर, मुझे एक कहावत याद आ रही है। एक बार एक डाक्टर साहब एक मरीज जिसकी कुछ बुद्धि खराब हो गयी थी, ब्रेन आपरेशन करने चले गये। जब उन्होंने उसकी खोपड़ी खोली, आपरेशन किया, तो बाद में ब्रेन लगाना भूल गये और खोपड़ी उसकी सिल दी। बहुत दिनों के बाद जब वह मरीज डाक्टर साहब को मिला, तो डाक्टर साहब ने उससे कहा कि तुम अपना ब्रेन ले जाओ। उस पर उस मरीज ने डाक्टर साहब से कहा कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं कांग्रेसी हो गया हूं। यह तो मैंने कहावत बतायी, किसी पर आरोप नहीं लगाया। लेकिन, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों के पास कोई बुद्धि नहीं है। मान्यवर, अब मैं इस अनुपूरक बजट पर आता हूं। मान्यवर, यह जो बजट पेश किया गया है, यह बिल्कुल एक हवाई महल की तरह है। कुछ लोग मंत्री जी के पास आये कि हवाई महल बनाना है, मंत्री जी को उत्सुकता हुई कि नया काम है, हो जाय, उन्होंने हवाई महल बनाने के लिये काफी पैसा दे दिया हवाई महल बनाने के लिये, पक्षी पाले गये, वहां सिखाया गया। जब मंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिये वहां गये, तो वहां कहा जाने लगा ईंटा लाओ, बालू लाओ, सीमेंट लाओ, मंत्री जी को यह हुआ कि काम बहुत तेजी से चल रहा है, वह अनुपूरक बजट ले आये। यह उसी तरह से हो रहा है जैसे हवाई महल बन रहा है, कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं है, कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है।

यहां पर जो यह बजट पेश किया गया है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा और आवास के लिये काफी पैसा इसके अन्दर दिया गया है। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर खेलकूद विभाग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। उसको केवल 15 लाख रु0 अनुदान के रूप में उपलब्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश के खेलकूद के स्तर को बढ़ाने के लिये मैंने पिछली बार भी कहा था कि

यहां एस्ट्रोटर्फ नहीं है और इसी मजबूरी में इन्दिरा गोल्ड कप हाकी टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली में कराया गया था। अगर एस्ट्रोटर्फ की सुविधा यहां उपलब्ध होती, तो उक्त टूर्नामेंट निश्चय ही यहां पर होता, दिल्ली में न होता । मान्यवर, एक एस्ट्रोटर्फ बनाने के लिये एक करोड़ रु0 चाहिये, यहां केवल 15 लाख रु0 पूरे खेलकूद विभाग को अनुदान के रूप में मिल रहे हैं । इस धनराशि का क्या होगा ? मान्यवर, खेलकूद के क्षेत्र में भी जितने भी हास्टल खुले हैं, आप देखें उनके अन्दर क्या सुविधा मिलती है। वह एक तरह से सरकारी धर्मशालायें चल रही हैं। 15 लाख रु0 जो अनुदान स्वरूप दिया गया है, इसका कोई मकसद प्रतीत नहीं होता है ।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग को देखें । स्वास्थ्य की जो सुविधाएं अंग्रेजों के जमाने में उपलब्ध थीं चाहे उनके पास सीमित साधन थे, वह आवश्यक मिक्सचर आदि बना लिया करते थे, लेकिन जनता की निशुल्क सेवा करते थे । आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि न तो पहले ही सरकारी अस्पतालों में पूर्ण सुविधा उपलब्ध थी, आज यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अस्पतालों के अन्दर कोई सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी 10 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट के तौर पर दिये जा रहे हैं। परिवार नियोजन के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। आज प्रदेश की 82 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। छठी व 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों व उच्चीकृत अस्पतालों का लक्ष्य रखा गया था, उसमें से केवल 5 प्रतिशत ही बन पायी है। आज गांवों में चिकित्सा के नाम पर कोई सुविधा नहीं है, मरीजों को आवश्यक दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। यदि किसी को सांप काट ले तो 60 किलोमीटर दूर उच्चीकृत अस्पताल में ही शायद ही उस मरीज के लिए दवाई मिल पाय । हां, बोगस दवाइयां मिल सकती हैं । यदि किसी को टिटनेस हो जाय, या डिपथीरिया हो जाय तो इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइयां मुहैया नहीं हो पाती हैं। आज आप स्वयं वहां जाकर देखें तो इन स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत बहुत ही दयनीय है। यही कारण है कि कन्धे में झोले डाले डाक्टर आज गांवों में आपको कई मिलेंगे । रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर (आर0 एम0 पी0) के नाम पर, जिनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल भी नहीं है, गांवों में जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग के पास दवाइयों की जांच हेतु ड्रग इन्सपेक्टर नहीं हैं। 56 जिलों के अन्दर केवल 30 ड्रग इन्सपेक्टर हैं। क्या ये दवाइयों की सही जांच कर पायेंगे । इसलिए आज दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रीज मनमाने ढंग से दवाइयों का निर्माण कर रही हैं जो स्तरहीन हैं ।

अब मैं सांस्कृतिक विकास की ओर आता हूं। इसके नाम पर सरकार ने 71 लाख रुपये दिये हैं। संस्कृति के विकास का मतलब होता है कि हम अपने भारत की पुरानी संस्कृति की कैसे रक्षा करें। हमारे जो नृत्य हैं, संगीत हैं और जो मान्यूमेन्ट्स हैं, इनकी रक्षा हम कैसे करें यह सब संस्कृति के विकास के तहत आता है। हमारे लखनऊ के अन्दर ही कई मकबरे हैं, लेकिन उनका कोई मेन्टीनेन्स आज नहीं हो रहा है । आज ये सब जर्जर अवस्था में

पड़ी हुई हैं । लखनऊ में भातखण्डे विश्वविद्यालय है। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक अय्याशी का अड्डा है। वहां पर बड़े-बड़े मंत्रियों को बुलाकर कत्थक नृत्य दिखा दिया जाता है । इससे हमारी भारतीय संस्कृति का विकास नहीं होगा । हमारे प्रदेश में थारू लोगों की अपनी संस्कृति है, कर्मा नृत्य हमारे यहां है, और बुन्देलखण्ड की अपनी एक संस्कृति है, इनका आप विकास करें। केवल नाच-गाने के नाम पर संस्कृति का विकास नहीं हो सकता है। इलाहाबाद में एक भी आडीटोरियम नहीं है। लखनऊ में अब एक आडीटोरियम बनने जा रहा है वह भी यहां से 20 कि0मी0 दूर । सुरक्षा व्यवस्था से तो आप सभी लोग अवगत होंगे । जो यहां से वहां जायेगा तो क्या वह सुरक्षित रहेगा । यह आडीटोरियम मात्र एक अय्याशी का अड्डा बन जायेगा ।

अल्प बचत के नाम पर पैसा दिया जा रहा है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यह तो एक केन्द्रीय योजना है। नेशनल सेविंग जो है वह पोस्ट आफिस व बैंक के माध्यम से होता है लेकिन उत्तर प्रदेश में अल्प बचत के नाम पर, जिलाधिकारियों से कहा जाता है कि तुम मार्च के महीने में जैसे फर्जी बाउचर बनाकर पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि राज्य बचत में अल्प बचत में कोई कार्यालय नहीं है बैठने के लिये कोई स्थान नहीं है । लोग बैंकों में पोस्ट आफिस में जाते हैं। वहां पर कोई सम्मान नहीं मिलता है क्योंकि आपके पास कोई कार्यालय नहीं है । अल्प बचत के नाम पर जो पैसा दे रहे हैं उसका क्या उपयोग है ? इसके साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं की बात की जाती है। अगर कहीं पर सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो स्वास्थ्य विभाग भी काम करता है और वह पैसा तब जाता है जब सूखा या बाढ़ समाप्त हो जाती है। वहां के अधिकारी अपनी गाड़ियों में और जीपों में बैठकर हवा में बात करते हैं। यह पैसा कभी भी वास्तविक रूप में दैवी आपदा से पीड़ितों के लिये खर्च नहीं होता है।

खनिज और मिनरल्स की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहां जो खानें हैं, जो मिनरल्स हैं, मिर्जापुर में जाकर देखें, झांसी में देखें, बुन्देलखण्ड में खुदाई हुई थी। हमारे यहां से लोग 500 कि0ग्रा0 यूरेनियम लेकर चले गये । मंत्री जी को पता ही नहीं था कि यह किस काम आती है। वे इस यूरेनियम को रेत के नाम पर ले गये । जब पता चला तो मालूम हुआ कि यह तो सबसे कीमती चीज है ।

छोटे उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा, पंडित जी बैठे हुए हैं जो कि बनारस के हैं, बनारसी साड़ियों का उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लघु उद्योग है और हिन्दुस्तान की सारी सिल्क यहां तैयार होती है, साउथ इण्डिया तक में यहां की 90 प्रतिशत सिल्क की खपत होती है । सिल्क उद्योग को बढ़ायें जिससे किसान को भी 60 प्रतिशत फायदा होगा, बुनाई वाले को फायदा होगा, कताई वाले को फायदा होगा । गरीब जनता के पैसे से फिजूलखर्ची को बन्द करें। आज किसान तरस रहा है बिजली के लिये, पानी के लिये, ट्यूबवेल के लिये, सड़कों के लिये, इनकी आप व्यवस्था करें । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय शतरुद्र

प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री फूल सिंह सौदाई–

मान्यवर, आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

यह एक विकासशील प्रदेश है। विकास के लिये जरूरत होती है पैसे की। अगर पैसा नहीं देंगे तो विकास की कोई योजना नहीं चल पायगी। विपक्ष के माननीय सदस्य बता रहे हैं कि हवा में हवा महल बनायेंगे। हवा महल नहीं हम तो गरीबों की झोपड़ियां बनाना चाहते हैं जिनके पास सर ढकने के लिये जगह नहीं है, उनको भूमि आवंटित करना चाहते हैं, जिनके पास बैठने की जगह नहीं है। हम समाज के उन वर्गों को देखना चाहते हैं जहां गरीबी है, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। इस प्रकार का जो नजरिया है यह उनके लिये है जो 80 प्रतिशत देहात में रहते हैं, उनको बीज, सिंचाई के लिये पानी, ट्यूबवैल के लिये बिजली तथा निवेश, जिसमें धन इकट्ठा करके वे अपनी खेती में लगा सकें, इसकी नितान्त जरूरत है। इसीलिये संस्थागत वित्त के अन्तर्गत धन मांगा गया है। बिजली के ट्यूबवैल को बिजली देने की बात कह रहे हैं, सड़कों को बनाने की बात कह रहे हैं ताकि किसान अपनी फसल को बाजार तक ला सके। उन दरियाओं पर पुल बनाना चाहते हैं, उन नालों को खुदवाना चाहते हैं, जहां का पानी किसान को परेशान कर रहा है।

तो यह सब चीजें जो कि विकास का आधार हैं, हम उनके लिए पैसे की बात कर रहे हैं और वह उचित ढंग से खर्च हुआ है। यह कोई आज की बात नहीं है, आजादी मिले 40 वर्ष व्यतीत हो गये हैं तब से देश का विकास का कार्य ऐसे ही चल रहा है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने तो अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर दिया क्योंकि उन्हें तो विरोध करना ही था, लेकिन मैं इन सब बातों को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं हूं, प्रगति के कार्य किए जा रहे हैं और उसी के लिए धन की मांग भी की जा रही है। यह जन सेवा के लिए धन मांगने की बात है और यह बहुत जरूरी भी है।

अभी यहां पर स्वास्थ्य विभाग की बात कही गयी, यह सही है कि हम परिवार कल्याण को गांव-गांव तक ले जाना चाहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को और बढ़ा कर उप-केन्द्र बना रहे हैं। आपको तो मालूम ही है कि हमारा प्रदेश परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पा चुका है, अब यदि हम उसको धन नहीं दे पायेंगे तो उसके सारे कार्य अधूरे रह जायेंगे, इसलिए यहां भी धन देने की आवश्यकता है।

शिक्षा के क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि स्कूल नहीं हैं, स्कूल की छत नहीं है, वहां पर टाट नहीं है, तो यदि इन सबके लिए पैसा नहीं रखा जायेगा तो फिर यह सब चीजें कैसे पूरी होंगी ? इसलिए धन को प्राप्त करना जरूरी है। माननीय वित्त मंत्री ने अनुपूरक के रूप में धन मांगा है। आप सबको चाहिए कि उसके लिए स्वीकृति प्रदान करें और प्रोत्साहन के लिए रास्ता बतायें कि कहां पर हमसे भूल हो गयी है ताकि उसको आगे सुधारा जा सके।

अभी यहां पर नगरों की बात की गयी कि नगरों में गन्दगी बहुत हो गयी है। मैं इसके लिए कहना चाहता हूं क्योंकि सफाई करने वाले लोगों से मेरा संबंध है कि जहां आप सफाई चाहते हैं वहां क्या आप यह नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखते कि सफाई करने वालों की कितनी संख्या है ? पहले जहां सफाई के कर्मचारियों की संख्या 40 थी, वहीं पर आज उनकी संख्या केवल 4 रह गयी है । टाउन एरिया में ऐसे ही नगरपालिका में जहां सफाई करने वालों की संख्या 50 थी वहां आज उनकी संख्या केवल 30 रह गयी है । मैं पूछता हूं कि सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की मांग किसी ने की है ? इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । चार आदमी कैसे इतना सारा सफाई का काम कर पायेंगे ? उनकी भर्ती बढ़ाई जानी चाहिए ।

अभी 18 फरवरी को माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि सर पर जो मैला ढोया जाता है इस प्रथा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए । मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए वे उत्तर प्रदेश के 24 राज्यों में इस प्रथा को समाप्त कराने का प्रबन्ध करें, इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष –

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री हरेन्द्र सिंह –

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय शत-रुद्र प्रकाश द्वारा रखे गये अनुपूरक अनुदान के ऊपर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि जो उसने यह अनुपूरक मांग रखी है यदि इसके बजाय वे भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करें, मितव्ययिता की बात करें तो शायद इससे प्रदेश का कल्याण होता, अन्यथा वर्ष प्रति वर्ष के लिए इन्होंने परम्परा बना ली है कि जो पहले बजट रखा जाता है उसे मितव्ययिता या कमीशन के रूप में ये डकार जाते हैं, उसके बाद अनुपूरक अनुदान की मांग करते हैं । प्रदेश के हर विकास कार्य में 92 प्रतिशत तक ये लोग कमीशन के रूप में ले लेते हैं । जब किसी तथ्य की जानकारी की जाती है तो पता चलता है कि जे0 ई0 से लेकर मुख्य मंत्री तक हिस्सा जाता है ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

यह आप ही लेते होंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं बचा हूं, ऊपर तक लेते हैं । मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटा जाता है और उसके नाम पर धन की बरबादी की जा रही है । इसकी दो एक मिसाले मैं अपने जनपद की देना चाहता हूं । मान्यवर, गरीब लोगों के आवास के लिए आवास योजना चालू की गयी और कहा गया कि इससे गरीबों का उत्थान होगा, लेकिन एक भी जगह पूरे प्रदेश में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है, जिससे किसी भी गरीब भाई को आवास मिला हो, शायद ही कोई आदमी हो जो इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये आवासों में रहता हो ।

मान्यवर, रोजगार देने की बात कही जाती है, लेकिन जो भी कार्य कराये जाते हैं वह ठेकेदारों से कराये जाते हैं । पेय जल के लिए जो भी नलकूप लगाये हैं, उनकी आप जांच करा लें कोई भी काम नहीं कर रहे हैं । हमारे जिले के अधिशासी अभियन्ता जल निगम ने एस0 डी0 एम0 की परमिशन के बिना स्वीकृत स्थल को बदल दिया और अपने मन चाहे स्थान पर नलकूप को लगाया और उसमें निम्न स्तर की सामग्री को लगा दिया ।

मान्यवर, तहसील बुढ़ाना में टांडा माजरा, मदीनपुरा और सीरों में जो विद्यालय के भवन हैं, जिनके निर्माण का कार्य 1985-86 में होना था, उनका निर्माण आज तक नहीं हुआ है । उनका कार्य आज तक प्रारम्भ ही नहीं हुआ है । मान्यवर, गढ़ी पुख्ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में पानी की टंकी का निर्माण होना था, लेकिन उसका निर्माण कार्य आज तक नहीं हुआ है, पिलर खड़े हुए हैं, परन्तु टंकी नहीं बनी है। भोला शंकर मौर्य जी हमारे जनपद में गये थे उन्होंने जो भी एक टाइम बाउन्ड समय दिया था कि वह टंकी बन जाये, परन्तु इसके बावजूद भी वह टंकी आज तक नहीं बनी है। यह विकास की बात करते हैं, परन्तु विकास के नाम पर विनाश का कार्य करते हैं। मान्यवर, इनकी जो ला एन्ड आर्डर पोजीशन है, वह भी ठीक नहीं है, धर्म निरपेक्षिता यह कायम नहीं रख पा रहे हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर में सिखों को भड़काने का काम सरकार कर रही है, ताकि वे हिन्दुओं से लड़ें। किसानों को खाद, पानी और बीज सुलभ हो जाये तो उनको राहत मिल सकती है, लेकिन सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, सिंचाई के लिए पक्की नालियों की आवश्यकता है, परन्तु सरकार उनको बना नहीं पा रही है जिससे किसानों को सिंचाई में बड़ी असुविधा हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं आप से आग्रह करना करना चाहता हूं कि इस अनुपूरक अनुदान के बजट को वापस ले लिया जाये और जो सीमित संसाधन हैं, उन्हीं में ही काम चलाया जाये।

श्री वीर बहादुर सिंह –

मान्यवर, अभी यहां पर आपके सामने जो अनुपूरक अनुदान 1986-87 का प्रस्तुत किया गया है, वह 768.54 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 330.60 करोड़ रुपये आयोजनेत्तर है और 437.94 करोड़ रुपये योजनागत है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसी मदें हैं जिन पर खर्च करना आवश्यक है और बिना इन पर खर्च के काम नही चल सकता है। कुछ नयी स्कीमें आती हैं जिनको पूरा करना होता है और कुछ स्कीमें हैं जिनको भारत सरकार दे देती है और पैसा भी देती है, तो उन में सबको बजट में रखा जाता है। जो राजस्व प्राप्तियां हैं और जो खर्चे हैं, उनको अनुपूरक अनुदान के रूप में प्रस्तुत करना होता है। जो हमारा प्लान है वह 437.94 करोड़ रुपये का है। इसमें से आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि हमारे प्रदेश के उत्थान के लिये, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये बहुत जरूरी थी, जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। कभी कोई स्कीम भारत सरकार की आ गई है। जैसे भूमि सुधार के अन्तर्गत हमें 3.44 करोड़ रुपये का प्राविधान करना पड़ा। इसी तरह लघु सीमान्त कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक दवायें आदि देने के लिये हमको आवश्यकता पड़ी उसके लिए हमको रुपये की व्यवस्था करनी पड़ी। यह बहुत आवश्यक थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें मन्डी का विकास करना है, वह आवश्यक है क्योंकि किसानों की पैदावार के लिये मार्केटिंग की व्यवस्था, उनके उत्पाद की चीजों की बिक्री की व्यवस्था करने के लिये हमें पैसे की व्यवस्था करनी पड़ी। सुखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिये हमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता पड़ गई जिससे वहां का काम चले, लोगों को काम मिले। इसी तरह से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से जो पैसा आता है उसमें प्रदेश सरकार को भी शेयर देना पड़ता है। इस तरह से हमें उसमें 26.86 करोड़ रुपया देना पड़ा। इसी तरह से बाढ़ से प्रभावित जो कृषक थे, उनके गोदामों को नुकसान हो गया था, उनके क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मत के लिए पैसा खर्च करना पड़ा। इसी तरह से लघु सिंचाई कार्यक्रम में पैसा खर्च करना पड़ा। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जगहों

पर जैसे आगरा, मथुरा, बुन्देलखन्ड, मिर्जापुर, बनारस इलाहाबाद जो जिले सामान्यतया सूखे से प्रभावित रहते हैं वहां से यह मांग होती है कि चूंकि वहां पर पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है, नलकूप बनाने की मांग होती है, छोटी-छोटी बंधियों की मांग होती है तो उसके लिये अलग से प्रोवीजन करना पड़ता है। ये ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते हैं और हमें उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन चीजों पर हमें पैसा खर्च करना पड़ा। इसी तरह से स्थानीय निकाय हैं। कहीं पर सड़कें ड्रेन, सीवर आदि खराब हो जाते हैं। उसके लिए हमें 11.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ी। रोज मांग आती थी कि हमारे शहर में गन्दगी है, पीने के पानी की समस्या है, उसके लिये हमें व्यवस्था करनी पड़ी। इसी तरह से जहां हमें छोटे-छोटे उद्योग लगाने की आवश्यकता है, उनके लिये इन्फ्रा-इन्सट्रक्चर की, कुछ सुविधायें देने की, उसके लिये हमें पैसा खर्च करना पड़ा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लाकों में छोटे-छोटे एरियाज को हम इस तरह से डेवलप करें जिससे वहां पर आवश्यक उद्योग लग सके और उससे पहले जो आवश्यक सुविधायें हम उन्हें दे सकें, वह दें ताकि वहां पर उद्योग लग सकें। इसी तरह से बुनकरों को भी हम सब्सिडी देते हैं, बिक्री पर सब्सिडी देते हैं। हमें उसके लिए 8 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ी।

बुनकर हमारे प्रदेश में एक बड़ी संख्या में हैं। वे बहुत गरीब हैं। उनको मजदूरी देने में देर करते हैं तो एक समस्या पैदा हो जाती है। उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ी। इसी तरह से जो हमारा बिजली बोर्ड है जो जेनरेशन का काम करता है, आप देख रहे हैं कि आज रोज बिजली की मांग बढ़ रही है। उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, और आप 8 घन्टे, बारह घन्टे, चौबीस घन्टे बिजली चाहते हैं। जब बिजली होगी तभी तो मिलेगी। इसलिए बिजली ज्यादा जेनरेट की जाये तभी हम बिजली दे सकते हैं। इसके लिए हमने काफी योजना बनायी है और हम काम भी कर रहे हैं। इस साल इसमें हमने लगभग 200 करोड़ रुपये की इसके लिए मांग रखी है।

यह बहुत बड़ा आइटम है दो सौ करोड़ रु0 विद्युत जनरेशन के लिये दिया गया है। बड़े-बड़े आईटम मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन को कुछ दिया है इक्वीटी के रूप में क्योंकि यह पूरे देश में सबसे अच्छा काम कर रहा है इस लिए इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।

उत्तर प्रदेश चर्म विकास निगम जो आगरा तथा दूसरी जगहों में काम कर रहा है उसको बढ़ावा देने के लिये भी पैसा दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पैसा दिया है।

गरीब लोगों को तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवास मिल सकें इसके लिये 12 करोड़ रुपया दिया है। बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना बनाई है जिसमें 1.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

बुंदेलखंड में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये पैसे का इंतजाम किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विस्तार हेतु तमाम चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए 2.23 करोड़ रुपया, अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 13.07 करोड़ रुपये, बेसिक शिक्षा परिषद् के लिये 28.02 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस प्रकार यह बड़े-बड़े आईटम मैं बता रहा हूं। बृद्धावस्था पेंशन के लिये इसमें व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार कोआपरेटिव

यूनियन को लैवी चीनी के वितरण के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ी है।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों तथा पुलों के निर्माण के लिये पैसे की व्यवस्था की गयी है। बृहद् एवं मध्यम तथा बाढ़ सिंचाई परियोजनाओं के लिये 19.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इतना बड़ा प्रदेश है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है तो यह पैसा कम है। इन सब चीजों को हमें देखना है। लिफ्ट सिंचाई के लिये 9.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। तो यह बहुत सी मदें हैं जो प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक हैं जिन पर हमें खर्च करना आवश्यक है। नान-प्लान में भी आपको मालूम है कि सड़कों की मरम्मत के लिये पैसा रखा गया है। सिंचाई योजना में नहरों आदि के रखरखाव के लिये भी पैसा दिया गया है। तथा बाढ़ राहत कार्यों के लिये भी काफी पैसा खर्च होता है लगभग उसमें 30 करोड़ रखा गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

शहरों में ज्यादा खर्च करते हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

वह गांव में जाता है। इसी तरह कर्मचारियों को अंतरिम सहायता दी गयी उसमें 121 करोड़ रुपया देना पड़ा। इसी प्रकार अध्यापकों को इंटरिम रिलीफ तथा मंहगाई भत्ता आदि दिया गया उसमें भी करीब 50 करोड़ खर्च आता है। तो यह सब चीजें हैं जिन पर खर्च होना है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि पैसा कहां जायेगा। यह बड़े-बड़े आईटम मैं इसलिये बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो। यद्यपि किताब में सब दिया गया है लेकिन फिर भी चूंकि श्री शतरुद्र प्रकाश जी बोल रहे थे तो मैंने कहा था कि आप बिना पढ़े बोल रहे थे, यदि पढ़ लिया होता तो इस प्रकार से न कहते, इसलिये मुझे कहना पड़ा।

मान्यवर, दूसरी बात जो हमने पेश किया है 768.54 करोड़ रुपये उसमें से 428 करोड़ रुपये समायोजन का है। इस प्रकार कुल करना है, घटाकर शुद्ध व्ययभार 267.21 करोड़ रुपया होगा।

मान्यवर, जहां तक इन्होंने कहा कि घाटे का 88 करोड़ रुपये का जो इस वर्ष कहा था, यह प्रयास हमारा रहा है कि हम उसको बढ़ने न दें। उन्होंने जो कहा कि वित्तीय व्यवस्था खराब हो गयी है, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए हर तरह से प्रयास किया है। एक बात जरूर है जो आवश्यक काम है जैसे कर्मचारियों की मांग आयी, शिक्षकों की मांग आयी उनके एरिएर की मांग आई तो यह सब देना पड़ा। यह तो बढ़ता ही, इसके लिये पहले से कैसे सोच सकते कि कर्मचारी हड़ताल करेंगे और उसके लिये व्यवस्था पहले से ही करलें। इसलिये हमको देखना है कि यह सब चीजें हैं जिसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं और जो आपने कहा कि स्वीकृतियां समय से जानी चाहिए, इसको मैं मानता हूं कि इसमें विलम्ब न होने पाये और जहां विलम्ब हुआ है कहा है कि उसको देखें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो आपके सामने रखा गया है बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक थीं और इसलिये यह लाया गया है, मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इसको पास करें।

श्री देव कुमार यादव–

मानयवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बुन्देलखंड की एक समस्या महत्वपूर्ण है वह है मध्य प्रदेश जल विवाद के संबंध में मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसे हल करेंगे। मान्यवर, हमारे जनपद की सिंचाई फसलों की नहीं हो पा रही है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं

कि आपने इस संबंध में क्या कार्यवाही किया या क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह बात सही है कि बुन्देलखंड में मध्य प्रदेश से जो नदियां आती हैं बिना मध्य प्रदेश की सरकार की अनुमति के हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसलिये बुन्देलखंड में जो काम करना चाहते हैं उसमें परेशानी होती है। मान्यवर, भोपाल हम गये थे तो मुख्य मंत्री जी से और लोगों से बात हुई है लेकिन अभी सब बातें फाइनल स्टेज पर नहीं हो पायी हैं। दोनों तरफ के अधिकारी बैठकर बात कर रहे हैं। वह बात कर लेगें उसके बाद हम लोग बैठकर देखेगें और चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो योजनायें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की रुकी हैं उनको जल्दी से स्वीकृति मिल जाय।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, सलेमपुर योजना का इसमें कोई जिक्र नहीं किया है जबकि आप घोषणा करके आये थे। पिछले बजट में 12 करोड़ रुपये था जो खर्च नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसका जवाब दे देंगें।

1986-87 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अंतर्गत 1,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अंतर्गत 1,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह–)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अंतर्गत 14,18,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत 14,18,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अंतर्गत 38,00,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अंतर्गत 38,00,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान और खनिज)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अंतर्गत 2,73,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अंतर्गत 2,73,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अंतर्गत 3,84,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अंतर्गत 3,84,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत 9,54,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत 9,54,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत 20,52,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत 20,52,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 91,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अंतर्गत 91,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,22,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत 1,22,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उतस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,99,47,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,99,47,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,79,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,79,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12—कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 19,59,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 19,59,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 25,53,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 25,53,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 69,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 69,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुधन राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,06,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

के अन्तर्गत 4,06 98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

पशुधन राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 58,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 58,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

मत्स्य विकास राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 22,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 22,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 6,16,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 6,16,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेत राम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 8,14,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 8,14,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20– कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 55,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20– कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 55,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–21 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21– कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 50,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21– कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 50,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–22 खाद्य तथा रसद विभाग।

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22– खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,38,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22– खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,38,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–23 खेल विभाग

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23– कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–खेल विभाग के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1,09,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1,09,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–25 गन्ना विकास (चीनी उद्योग)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गन्ना विकास (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 4,42,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गन्ना विकास (चीनी उद्योग) के अंतर्गत 4,42,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-97 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (कारागार)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 4,37,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 4,37,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (पुलिस)

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव

करता हूं कि अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 27,99,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 27,99,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 47,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वितीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 47,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 9,55,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 9,55,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ))

अनुदान संख्या-30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30— गोपन (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष1986-87 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सालय विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,61,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,61,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 57,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 57,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 74,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 74,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35– चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत 2,97,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 2,97,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 3,52,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 3,52,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,79,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,79,10, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग

उर्जा एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग के अंनर्गत 2,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग

उर्जा एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुदान मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 3,00, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—नियोजन

विभाग के अन्तर्गत 80,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 80,56,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 6,62,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 6,62,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफ से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 20,40,77,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 20,40,77,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,57,51,000 रुपए की अनुपूरक मांग वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,57,51,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 91,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्र यह है कि अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 91,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 17,99,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 17,99,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 2,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 2,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 4,31,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 4,31,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 1,01,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत

1,01,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,93,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,93,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 52—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 23,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 23,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—वन विभाग

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—वन विभाग के अन्तर्गत 3,25,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—वन विभाग के अन्तर्गत 3,25,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,50,01,000 रुपये की

अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 56—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 72,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 72,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 27,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 27,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या—60 विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 10,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 10,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

विज्ञान एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 68,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 68,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 64–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 5,24,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 5,24,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 17,98,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 17,98,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 66–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 30,73,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 30,73,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 68–शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 24,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68–शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 24,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69–शिक्षा विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 3,91,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69–श्रम विभाव (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 3,91,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–70 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 5,05,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 5,05,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 31,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 31,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 17,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 17,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,20,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,20,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 25,32,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 25,32,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत

12,10,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 12,10,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अंतर्गत 63,91,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अंतर्गत 63,91,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत 2,72,96,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत 2,72,96,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अंतर्गत 2,48,000 रुपए का अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 2,48,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–संस्थागत वित्त

विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 46,09,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 46,09,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,68,61,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,68,61,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 83–सतर्कता विभाग

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 85–सांस्कृतिक कार्य विभाग

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 85-सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 71,12,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85-सास्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 71,12,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 86–सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सामान्य

प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 87–सार्वजनिक उद्यम विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार–)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 1,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 1,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88–सूचना विभाग

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 88–सूचना विभाग के अन्तर्गत 4,37,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–सूचना विभाग के अंतर्गत 4,37,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 89–सैनिक कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 89–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 81,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 81,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव

करती हूं कि अनुदान संख्या 90–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,65,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,65,65,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब प्रतियां वितरित कर दी जायं ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश विनियोग वर्ष 1986-87 की सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स का जो विधेयक लाया गया है, मैं समझता हूं कि इसमें जो रकम का प्राविधान 7,68,54,08,000 रुपये का किया गया है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें इस वर्ष के अपने कर्तव्य का निर्वहन वह पूरा करेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में यह अनुपूरक बजट लाया गया है और विनियोग विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आपके माध्यम से वर्तमान शासन से कहना चाहूंगा कि जितनी धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, उसका सारा धन 15 मार्च तक सारे जनपदों तक पहुंचने की व्यवस्था करें जिससे 31 मार्च तक इसका सदुपयोग हो सके । अन्यथा इस धन का दुरुपयोग होगा और जिस मकसद से इस धन की मांग की गयी है, वह पूरा नहीं होगा और अधिकारीगण इस पैसे को समय से खर्च नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पैसे को समय से पहुंचाने की व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987

31 मार्च, 1987 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1987 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1986-87 के लिए 7,68,54,08,000 रुपए का दिया जाना।

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1987 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लाई जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 7,68,54,08,000 रुपये (सात अरब, अड़सठ करोड़, चौवन लाख, आठ हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
1	आबकारी विभाग	.. राजस्व	1,19,000	..	1,19,000
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	.. राजस्व	1,08,97,000	..	1,08,97,000
		पूंजी	13,10,00,000	..	13,10,00,000
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	37,80,92,000	..	37,80,92,000
		पूंजी	20,00,000	..	20,00,000
4	उद्योग विभाग (खान और खनिज)	.. राजस्व	15,70,000	10,000	15,80,000
		पूंजी	2,58,00,000	..	2,58,00,000
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	.. राजस्व	1,28,14,000	..	1,28,14,000
		पूंजी	2,56,10,000	6,29,000	2,62,39,000
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	.. राजस्व	8,24,38,000	..	8,24,38,000
		पूंजी	1,30,45,000	..	1,30,45,000
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	.. राजस्व	3,74,00,000	..	3,74,00,000
		पूंजी	16,78,88,000	2,53,000	16,81,41,000
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	.. राजस्व	91,06,000	..	91,06,000
		पूंजी	51,000	..	51,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) ..	राजस्व	4,74,000	..	4,74,000
		पूंजी	1,17,98,000	..	1,17,98,000
10	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	1,000	..	1,000
		पूंजी	1,99,47,50,000	..	1,99,47,50,000
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,00,18,000	1,61,000	1,01,79,000
		पूंजी	79,05,000	..	79,05,000
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ..	राजस्व	17,99,96,000	..	17,99,96,000
		पूंजी	1,59,26,000	..	1,59,26,000
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..	राजस्व	25,06,39,000	..	25,06,39,000
		पूंजी	47,00,000	..	47,00,000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	69,44,000	..	69,44,000
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ..	राजस्व	2,93,53,000	2,000	2,93,55,000
		पूंजी	1,13,45,000	..	1,13,45,000
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	86,000	..	86,000
		पूंजी	57,81,000	..	57,81,000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) ..	राजस्व	22,93,000	..	22,93,000
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ..	राजस्व	41,74,000	..	41,74,000
		पूंजी	5,74,72,000	80,39,000	6,55,11,000
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व	5,64,99,000	..	5,64,99,000
		पूंजी	2,50,00,000	..	2,50,00,000
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	25,21,000	..	25,21,000
		पूंजी	30,00,000	..	30,00,000
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) ..	राजस्व	..	1,000	1,000
		पूंजी	50,66,000	..	50,66,000
22	खाद्य तथा रसद विभाग ..	राजस्व	2,38,17,000	2,57,00,000	4,95,17,000
23	खेल विभाग ..	राजस्व	15,00,000	..	15,00,000
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ..	राजस्व	1,09,74,000	..	1,09,74,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..	राजस्व	2,85,000	48,02,000	50,87,000
		पूंजी	4,40,00,000	5,99,000	4,45,99,000
26	गृह विभाग (कारागार) ..	राजस्व	4,37,44,000	..	4,37,44,000
27	गृह विभाग (पुलिस) ..	राजस्व	27,98,31,000	..	27,98,31,000
		पूंजी	1,27,000	..	1,27,000
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	47,63,000	..	47,63,000
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ..	राजस्व	9,55,72,000	..	9,55,72,000
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	20,00,000	..	20,00,000
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) ...	राजस्व	..	50,000	50,000
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) ..	राजस्व	3,61,22,000	..	3,61,22,000
		पूंजी	1,000	..	1,000
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	57,85,000	..	57,85,000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) ..	राजस्व	74,62,000	..	74,62,000
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	2,97,10,000	..	2,97,10,000
		पूंजी	1,000	..	1,000
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	राजस्व	1,14,05,000	..	1,14,05,000
		पूंजी	2,38,49,000	..	2,38,49,000
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..	राजस्व	1,79,10,000	57,000	1,79,67,000
38	नागरिक उड्डयन विभाग ...	राजस्व	2,76,000	..	2,76,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
39	नियुक्ति विभाग ..	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
40	नियोजन विभाग ..	राजस्व	80,56,000	..	80,56,000
42	न्याय विभाग ..	राजस्व	6,51,000	79,36,000	85,87,000
		पूंजी	11,000	..	11,000
43	परिवहन विभाग ..	राजस्व	2,49,000	1,01,000	3,50,000
		पूंजी	20,38,28,000	..	20,38,28,000
44	पर्यटन विभाग ..	राजस्व	31,62,000	..	31,62,000
		पूंजी	2,25,89,000	..	2,25,89,000
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग ..	राजस्व	82,63,000	..	82,63,000
		पूंजी	8,50,000	..	8,50,000
47	पर्वतीय विकास विभाग ..	राजस्व	8,70,06,000	6,85,000	8,76,91,000
		पूंजी	9,29,38,000	4,19,000	9,33,57,000
48	मुस्लिम वक्फ विभाग ..	राजस्व	2,20,000	..	2,20,000
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन, ..	राजस्व	3,83,18,000	18,000	3,83,36,000
		पूंजी	48,19,000	..	48,19,000
50	राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत)	पूंजी	1,01,00,000	..	1,01,00,000
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	4,93,98,000	..	4,93,98,000
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	राजस्व	23,53,000	..	23,53,000
53	वन विभाग ..	राजस्व	3,25,25,000	50,000	3,25,75,000
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	1,000	..	1,000
		पूंजी	1,50,00,000	1,00,00,00,000	1,01,50,00,000
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	राजस्व	32,55,000	..	32,55,000
		पूंजी	40,30,000	..	40,30,000
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	5,18,000	..	5,18,000
		पूंजी	22,77,000	..	22,77,000
60	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1,27,000	..	1,27,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
			रु0	रु0	रु0
61	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	10,26,000	60,000	10,86,000
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	68,98,000	..	68,98,000
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	5,15,89,000	..	5,15,89,000
		पूंजी	8,82,000	..	8,82,000
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	17,85,62,000	80,55,000	18,66,17,000
		पूंजी	13,02,000	..	13,02,000
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	30,73,74,000	...	30,73,74,000
68	शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	24,50,000	..	24,50,000
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	3,91,37,000	..	3,91,37,000
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	4,94,68,000	..	4,94,68,000
		पूंजी	10,41,000	..	10,41,000
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	..	9,26,000	9,26,000
		पूंजी	31,96,000	..	31,96,000
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	98,000	17,49,000	18,47,000
		पूंजी	16,02,000	1,23,000	17,25,000
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	पूंजी	1,20,61,000	..	1,20,61,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	4,50,00,000	..	4,50,00,000
		पूंजी	20,82,30,000	56,42,000	21,38,72,000
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5,08,73,000	..	5,08,73,000
		पूंजी	7,02,18,000	..	7,02,18,000
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	23,51,47,000	20,000	23,51,67,000
		पूंजी	40,40,24,000	4,01,000	40,44,25,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3		
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	..	राजस्व	2,06,77,000	..	2,06,77,000
			पूंजी	66,19,000	..	66,19,000
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)		राजस्व	2,48,000	..	2,48,000
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	..	राजस्व	46,09,000	..	46,09,000
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	..	राजस्व	2,68,61,000	..	2,68,61,000
83	सतर्कता विभाग	..	राजस्व	45,000	2,91,000	3,36,000
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	..	राजस्व	71,12,000	..	71,12,000
86	सामान्य प्रशासन विभाग	..	राजस्व	1,70,000	..	1,70,000
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग	..	राजस्व	1,02,000	..	1,02,000
88	सूचना विभाग	..	राजस्व	4,20,61,000	..	4,20,61,000
			पूंजी	16,55,000	..	16,55,000
89	सैनिक कल्याण विभाग	..	राजस्व	81,78,000	..	81,78,000
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	..	राजस्व	1,61,45,000	..	1,61,45,000
			पूंजी	4,20,000	..	4,20,000
	योग		राजस्व	2,97,48,22,000	5,06,74,000	3,02,54,96,000
			पूंजी	3,64,38,07,000	1,01,61,05,000	4,65,99,12,000
	कुल योग			6,61,86,29,000	1,06,67,79,000	7,68,54,08,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मद संख्या 18 और 19 को ले लिया जाये ।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं ।

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के मामलों में श्री अध्यक्ष के निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

अब कुछ सूचनायें हैं, जिनको मैं देना चाहता हूं । विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के 15 मामलों में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है, पहली श्री मनोहर लाल की दिनांक 24-2-86 की, दूसरी श्री जय नारायण तिवारी, श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री मोहम्मद अबरार अहमद, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी तथा लाल प्रताप सिंह आदि की दिनांक 13-3-86 की, तीसरी श्री मुईद अहमद, श्री अम्बिका सिंह, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री लाल चन्द्र निषाद, श्री राम सकल तिवारी, श्री नेक चन्द्र पाण्डे आदि की दिनांक 14-3-86 की, चौथी श्री मुलायम सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश आदि की दिनांक 4-9-86 तथा 18-9-86 की, पांचवी श्री अनुग्रह नारायण सिंह की दिनांक 9-9-86 की, छठी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की दिनांक 18-9-86 की, सातवीं श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां की दिनांक 18-9-86 की, आठवीं श्री महेन्द्र भाटी की दिनांक 29-9-86 की, नवीं श्री बदन सिंह की दिनांक 1-11-86 की, 10वीं श्री हर्षवर्धन की दिनांक 22-11-86 की, 11वीं श्री परमाई लाल की दिनांक 1-1-87 की, 12वीं श्री राम सजीवन की दिनांक 7-1-87 की, तेरहवीं श्री विष्णु देव द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 31-1-87, चौदहवीं श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी द्वारा

प्रस्तुत सूचना दिनांक 2-2-87, पन्द्रहवीं श्री काशी सिंह एरी द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 9-2-87 की है।

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचनायें आग्राह्य कर दी गई हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

(मा0 अध्यक्ष के निर्णयों के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 82 पर।)

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई तदुपरान्त 4 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 1987-88 का आय-व्ययक एवं एक भाग के लिए लेखानुदान

*मुख्य मंत्री (श्री बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं वर्ष 1987-88 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं . . .

(बजट भाषण पढ़ा गया।)

यह मात्र अंतरिम बजट है जिसमें केवल वचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। इस समय सम्पूर्ण बजट प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि राज्य की वर्ष 1987-88 की योजना को प्रदेश की जनता की विकास की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अन्तिम आकार दिये जाने में कुछ समय लगा है। वर्ष 1987-88 का सम्पूर्ण बजट, व्यय की नयी मदों तथा नई योजनाओं का समावेश करते हुए विस्तृत अनुमानों सहित यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।

अन्तरिम बजट के आधार पर चार महीने की अवधि का एक लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके साथ एक श्वेत-पत्र भी प्रस्तुत है जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आवश्यक सूचना उपलब्ध हो जायगी।

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1987-88 की प्राप्तियां 6980·34 करोड़ रुपये होंगी जिसमें 4580·43 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां, 2305·49 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां तथा 94·42 करोड़ रुपये की ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत राज्य के अपने कर राजस्व से 1656·58 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व के रूप में 517·45 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 1517·25 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 889·15 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। लोक ऋणों से प्राप्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्य 925·99 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतों से 1397·50 करोड़ रुपये के ऋण सम्मिलित हैं।

बजट वर्ष के दौरान 7315·32 करोड़ रुपये का कुल वचनबद्ध व्यय अनुमानित है जिसमें से 2075·51 करोड़ रुपये आयोजनागत पक्ष में तथा 5239·81 करोड़ रुपये आयोजनेतर पक्ष में होगा। कुल 5239·81 करोड़ रुपये के आयोजनेतर पक्ष के व्यय में 3724·82 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व लेखे तथा 1514·99 करोड़ रुपये पूंजी लेखे के अन्तर्गत अनुमानित है। पूंजी लेखे के आयोजनेतर व्यय में ऋणों के प्रतिवेदन के लिए 1444·12 करोड़ रुपये, ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिये 63·53 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत परिव्यय के लिये 7·34 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष 1987-88 में समेकित निधि में सम्प्रति कुल 334.98 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है जो लोक लेखे के अंतर्गत 260.33 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को सम्मिलित करने पर 74.65 करोड़ रुपये रह जायेगा।

बजट वर्ष के 74.65 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के आधार पर अगले वर्ष का अन्तिम शेष 224.67 करोड़ रुपये की ऋणात्मक राशि होने की सम्भावना है। किन्तु यह केवल एक अनन्तिम अनुमान है। अगले वर्ष के लिये अंतिम अवशेष का वास्तविक अनुमान सम्पूर्ण बजट को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही उपलब्ध हो पायेगा।

मैं इस समय माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि वे इस अन्तरिम बजट का अनुमोदन कर दें तथा प्रस्तुत लेखानुदान को पारित करने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं वर्ष 1987-88 का बजट तथा चार महीने की अवधि का लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

लेखानुदान की प्रतियां वितरित कर दी जांय ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1987-88 के माह अप्रैल, मई, जून, तथा जुलाई 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 10 मार्च, 1987 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 20, 30, 53,70,000 रुपये से अधिक न हो ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं बजट प्रस्तुत करता हूं तो मान्यवर, इसके पूर्व महामहिम राज्यपाल की अनुमति लेने की आवश्यकता थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति ली और क्या आपको सूचित कर दिया गया था और क्या यह निर्धारित कर दिया गया था कि यह 5 बजे पेश किया जायगा ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इसमें मान्यवर, अनुमति ली गयी है और वह आपके पास है । अगर चाहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा । संविधान के अनुच्छेद 206 को अगर देख लें तो सारी जिज्ञासा की तृप्ति हो जायगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आप 203 जो है उसको देखें । क्या मान्यवर, अनुमति आपके पास है ?

श्री उपाध्यक्ष–

है । 8 मार्च का पत्र गवर्नर साहब का है। अनुमति मिली हुई है।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, जिस लेखानुदान की अनुमति आपने माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सदन में दी है, वैसे तो मान्यवर, औपचारिक रूप से हमेशा ही संवैधानिक आपत्ति उठायी गयी है, लेकिन मान्यवर, आज जो लेखानुदान की अनुमति दी गयी है इस संबंध में मुझे आपसे कहना है कि इसकी अनुमति मुख्य मंत्री जी को नहीं दी जानी चाहिए ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका मुख्य कारण यह है कि मुख्य मंत्री जी ने जो अपना बजट संक्षेप में प्रस्तुत किया है उसमें कारण दर्शाये हैं कि यह मात्र अंतरित बजट है जिसमें केवल बचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। इस समय सम्पूर्ण बजट प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया है कि क्योंकि राज्य की वर्ष 1987-88 की योजना को प्रदेश की जनता की विकास की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अंतिम आकार दिये जाने में कुछ समय लगा है। तो मान्यवर, यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी बिना पर इनकी अनुमति दी जाय। यह ऐसा कारण नहीं है जिसकी बिना पर मुख्य मंत्री वर्तमान बजट को प्रस्तुत नहीं कर पाये। मैं समझता हूं कि आज तक जब भी बजट समय पर पेश नहीं हो सका है तो उसका कारण हमेशा यह रहा है कि कोई चुनाव हुआ है। एक महीने या 15 दिन पहले विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं जिसके कारण उपयुक्त समय नहीं मिल पाया और सरकार बजट तैयार नहीं कर पायी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार पूरा साल एक शांतिपूर्ण साल रहा है जिसमें कोई भी ऐसा कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है जिसके आधार पर मुख्य मंत्री जी इस बात को न्यायपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि प्रस्तुत करने के लिये समय दिया जाय।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज तक जब भी लेखानुदान प्रस्तुत किये गये हैं तो हमेशा बजट के दौरान प्रस्तुत किये गये हैं जिस समय बजट चलता है उस समय प्रस्तुत किये गये हैं। इसीलिये हमारे संविधान के आर्टिकिल 206 में यह प्राविधान किया गया है। जब बजट पेंडिंग हो उसके दरम्यान अगर आप यह समझते हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक अर्थात 31 मार्च तक आप अपना बजट पास नहीं करा पायेंगे तो उस समय आवश्यकता होती है आप अनुपूरक अनुदानों को रख सकते हैं। इसमें आपकी पीठ से भी निर्णय हुये हैं कि अगर कोई बजट प्रस्तुत भी कर दिया जाय और उसी दिन अगर अनुपूरक मांग रख दी जाय तो उसे पेंडिंग आफ बजट नहीं माना जाता है। बजट तथा आय-व्ययक के जो अनुमान हैं उनको लंबित होना नहीं माना जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1976 से लेकर अब तक का ब्यौरा मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें हमेशा आय-व्यय के अनुमान पहले रखे गये हैं और आय-व्ययक के अनुमानों पर जब सामान्य चर्चा चल रही होती है, तब शासन यह महसूस करता है कि बजट को 31 मार्च तक पास नहीं करा सकते हैं, तो हमेशा अनुपूरक मांगों की मांग की गयी और उस समय आय-व्ययक का ब्यौरा पहले दिया गया। 1977 में 25-3-77 को लेखानुदान मांगा गया और उसमें भी आय-व्ययक का ब्यौरा पहले दिया गया। 1978 में आय-व्ययक का ब्यौरा पहले दिया गया और लेखानुदान 22-3-78 को मांगा गया। 1979 में 12-3-79 को लेखानुदान मांगा गया और आय-व्ययक का ब्यौरा पहले दिया गया। 1980 में 16-7-80 को लेखानुदान प्रस्तुत किया गया और आय-व्ययक का ब्यौरा पहले दिया गया। 1981 में लेखानुदान 19-2-81 को प्रस्तुत किया गया। 1982 में 9-2-82 को लेखानुदान प्रस्तुत किया गया और आय-व्ययक का ब्यौरा पहले प्रस्तुत किया गया। इसी तरीके से 1983 में 10-2-83 को लेखानुदान प्रस्तुत किया गया और आय-व्ययक का ब्यौरा पहले रखा गया। आज तक इतिहास में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है कि लेखानुदान कहीं इस तरह से प्रस्तुत किया गया हो। इस तरह से

कभी भी संविधान की अवहेलना नहीं की गयी है । संविधान में यह प्राविधान है कि आप पहले आय-व्ययक का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, तब लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे । इन्होंने ऐसे समय में जब कि कोई भी औचित्यपूर्ण कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, जो कि संविधान की धाराओं का, संविधान की परम्पसओं का माननीय मुख्य मंत्री जी उल्लंघन कर रहे हैं ।

मान्यवर, इसी अध्यक्ष पीठ से 1969 के अंदर 25-3-1969 को यह व्यवस्था दी गई थी कि इस वर्ष सरकार की कठिनाई को देखकर लेखानुदान जो पेश किया गया है, वह ठीक है, फिर भी आइंदा परम्परा ऐसी होनी चाहिए कि बजट तैयार होकर जब उसका स्वरूप कुछ आम बहस होकर मालूम हो जाय, तभी लेखानुदान थोड़े समय के खर्च के लिए पेश किया जा सकता है । यह मान्यवर, आप ही की पीठ से व्यवस्था दी गयी थी । एक माह के अन्दर फौरन ही बजट पेश किया गया । यह कठिनाई थी, प्रदेश की योजनाओं, पंच वर्षीय योजनाओं का समावेश उसमें नहीं हो सकता था । यह मजबूरी सरकार की थी । लेकिन आज प्रदेश की प्रगति के नाम पर यह कहा जा रहा है कि हम प्रदेश की उन्नति के लिए यह बजट पेश कर रहे हैं । कम से कम इनको आज पूरा बजट पेश करना चाहिए था। आज इस प्रदेश के सामने, देश की जनता के सामने उसके भविष्य का क्या नक्शा आपने रखा है ? कोई असामान्य परिस्थिति भी न होने के कारण 4 महीने का लेखानुदान मांगना इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

मान्यवर, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट में स्पष्ट तौर पर यह अंकित है "सामान्य तौर से जो लेखानुदान है वह दो महीने का ही लिया जायगा और असामान्य परिस्थितियों में जब बजट दो माह में पास न हो पावे, या फिर सदन भंग होने वाला हो, तब उस समय लेखानुदान दो महीने से अधिक के लिए लिया जा सकता है ।" मान्यवर, उक्त पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर में दो परिस्थितियां बताई गयीं, अगर 31 मार्च तक बजट न पास होने वाला हो । पहली बात के संबंध में तो आपने उसकी जड़ ही तोड़ दी । दूसरा जो इसमें कारण दिया गया है, वह यह है कि अगर विधान सभा भंग होने की सम्भावना हो, इसे मुख्य मंत्री जी बेहतर समझ सकते हैं, उस स्थिति में लेखानुदान लिया जा सकता है । आज यह अन्दाज लगाया जा सकता है । पहली बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि आपने बजट पेश नहीं किया है जब बजट नहीं पेश किया गया है तो लेखानुदान पेश करने का इनको अधिकार नहीं था । दूसरी स्थिति यह आती है कि जब विधान सभा भंग होने का अन्देशा हो । यदि आपने बजट नहीं पेश किया है तो मैं समझता किसी माननीय सदस्य की समझ में बात आ सकती है लेकिन आज प्रदेश के अन्दर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है जिससे यह कहा जा सके कि विधान सभा भंग होने की परिस्थिति आ सकती है । इसलिए मुख्य मंत्री जी ने बहुत असंवैधानिक कार्य किया है ।

मान्यवर, जब भी लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है तो इसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था दी गयी है । लेखानुदान अगर एक महीने से अधिक समय के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए । 4 माह का लेखानुदान तो बहुत समय के लिए हो जाता है । पूरे वर्ष के लिए जो ब्यौरा प्रस्तुत

करते हैं उसका यह एक तिहाई भाग है, एक तिहाई भाग के लिए ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं और आपने बहस के लिए कोई समय नहीं रखा है। इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी और वर्तमान सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ायी हैं। उनको जो समुचित अवसर देना चाहिए बहस के लिए, वह नहीं दिया है। मान्यवर, इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यह आप देखें। लेखानुदान प्रस्तुत किया गया 26-3-76 को और पास किया गया 26-3-76 को लेखानुदान 25-3-77 को प्रस्तुत किया गया और पास हुआ 26-3-77 को, इसी तरह से मान्यवर, 1981 का देखें, प्रस्तुत किया गया 9-2-81 को और पास हुआ 20-2-81 और 1983 में लेखानुदान प्रस्तुत किया गया 10-2-83 को और पास हुआ है 15-2-83 को। मैं समझता हूं कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो रवैया अख्तियार किया है वह दिये गये निर्णय के पूर्णतया विरुद्ध है।

मान्यवर, मैं आपकी पीठ से दिये गये निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूं वह निर्णय दिया गया था 25 मार्च, 1969 को, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा 5 मास के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था उस समय सदस्यों ने लेखानुदान के विषय में अपना एतराज प्रकट किया था। उस समय निर्णय हुआ था "लेखानुदान के लिए पूरी प्रक्रिया जो बजट के समय होती है वह प्रक्रिया लागू होना सम्भव नहीं है। यह लेखानुदान जो सरकार ने उपस्थित किया है वह परम्परा के विपरीत नहीं है और न अनुच्छेद 206 की मंशा के विपरीत ही है। यह परम्परा जारी रहेगी जब तक सदन उसमें परिवर्तन न कर दे। फिर भी आइन्दा परम्परा ऐसी होनी चाहिए कि बजट तैयार होकर जब उसका स्वरूप कुछ समय आम बहस होकर मालूम हो जाय, तभी लेखानुदान थोड़े समय के खर्चे के लिए पेश किया जाय। और फिर लेखानुदान पर आम बहस की जरूरत नहीं होगी या केवल थोड़े समय की बहस काफी समझी जायेगी। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी आम बहस की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक माह से ज्यादा का खर्चा मांगा जा रहा है और चूंकि बजट पर जनरल डिसकशन नहीं हुआ है।" मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था दी गयी थी कि आपकी पीठ द्वारा। जब बजट पर सामान्य रूप से चर्चा का समय नहीं मिला है तो उसमें आवश्यकता इस बात की है कि जो लेखानुदान 4 माह के लिए है, इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी को कम से कम एक दिन, दो दिन का समय देना चाहिए ताकि जो 4 माह के खर्चे के लिए मांग कर रहे हैं उसके विषय में माननीय सदस्य इधर के और उधर के अपने विचार को व्यक्त कर पाते, आपकी जो नीतियां थी, उसकी आलोचना कर पाते। 4 माह का बजट जो इस लेखानुदान के द्वारा मांग रहे हैं वह कितना उचित है कितना अनुचित है, उस पर चर्चा हो जाती। आप इस लेखानुदान पर चर्चा के लिए कल सदन को बुलवा लें, कल माननीय सदस्य जो इधर-उधर बैठे हैं वह इस पर डिटेल्स से चर्चा कर सकें लेकिन मैं समझता हूं कि इससे संविधान के आर्टिकल 206 की पूर्णतया अवहेलना की जा रही है न तो आज आपका बजट पेंडिंग है और न आपने बजट प्रस्तुत किया है और न तो वह परिस्थितियां हैं जिनके तहत आप बजट प्रस्तुत नहीं कर सके। अब एक ही कारण हो सकता है कि या तो मुख्य मंत्री जी यह महसूस कर रहे हों कि विधान सभा भंग

होने वाली है इस तरह अनिश्चितता का वातावरण आप खुद पैदा कर रहे हैं। कोई कारण ऐसा नहीं था कि आप बजट प्रस्तुत नहीं कर सके।

हमारा पिछला अनुभव है कि मार्च के महीने में बजट पर चर्चा हमेशा हो जाती थी लेकिन आपने श्वेतपत्र प्रस्तुत कर दिया। ऐसे ही श्वेत पत्र के ऊपर 1982 में एतराज किया गया था। राजेन्द्र गुप्त जी तब भी सदस्य थे और आज भी सदस्य हैं। उस समय यह एतराज किया गया था कि श्वेत पत्र प्रस्तुत कर देना लेखानुदान के लिए काफी नहीं है। उसमें व्यवस्था दी गई थी कि मुझे प्रसन्नता है कि आप अपनी उदारता पर कायम हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बजट पेश करने के बाद ही लेखानुदान मांगा जाता है। इस पर पीठासीन अधिकारी ने इस बात की व्यवस्था की थी कि बजट पेश करने के बाद लेखानुदान मांगा जाता है और वह मांगा जाना चाहिए लेकिन आज मुख्य मंत्री जी ने उसकी जरूरत नहीं समझी और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद की धज्जियां उधेड़ी हैं और पूर्ण असंवैधानिक तरीके से इसे प्रस्तुत किया है इसलिये मेरा आग्रह है कि इनको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं और विद्वान हैं तथा बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं लेकिन मान्यवर, जिस अनुच्छेद का उन्होंने हवाला दिया है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसको हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ दूं, मान्यवर, अंग्रेजी में लिखा है कि "एनीथिंग कन्टेन इन दोज प्रोसीजर।" तथा 206(क) में उल्लिखित है कि किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के सम्बन्ध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद 204 के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारित होने तक पेशगी देने की", बात कही गयी है। इस प्रकार 204 के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जब रेगुलर बजट आता है तब लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। जो मदें स्वीकृत हैं शासन के द्वारा केवल उन्हीं मदों पर आगे आप खर्च स्वीकृत करते हैं। जो संविधान में लिखा है वह लिखा हुआ है कि वर्ष के एक भाग के लिए और मान्यवर, 4 महीने वर्ष का एक भाग है। यह संविधान में दिया हुआ है और उसके अनुरूप ही यह लेखानुदान यहां प्रस्तुत किया गया है। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे हमारे विद्वान नेता विरोधी दल भ्रमित हुए और उन्होंने कहा कि अनुपूरक मांग बिल्कुल गलत है लेखानुदान बिल्कुल गलत है। लेखानुदान के लिए प्रक्रिया 206 में निर्धारित है। 206 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है। इस चेप्टर में जो भी प्राविधान दिये गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि एक भाग के लिये लेखानुदान पेश होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि 4 माह बाद रेगुलर बजट आयेगा, उस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा।

दूसरी बात कही कि कोई परिस्थितियां नहीं हैं, क्यों लेखानुदान ले आये। परिस्थितियों का उल्लेख मा0 मुख्य मंत्री जी कर चुके हैं। किन परिस्थितियों में लाया गया बार-बार दोहराने से समय बर्बाद नहीं करना

चाहता । आप स्वयं भी अवगत हैं कि किन परिस्थितियों में लेखानुदान लाया गया । चुनाव की बात कही । केवल उसी बात के कारण अधिकांश विरोधी पक्ष के लोग सदन से बाहर चले गये । सदन से ज्यादा महत्व चुनाव का था। आप निराश न हों जल्दी ही रेगुलर बजट आयेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। मा0 मंत्री जी विद्वान वकील हैं, उन्होंने संविधान पढ़ा है। थोड़ा बहुत कानून हमने भी पढ़ा है। मंत्री जी ने साफ तरीके से कहा कि 203 से 206 का कोई वास्ता नहीं है। 203 अलग है, 206 अलग है । 206 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिये प्राक्कलनों के सम्बन्ध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिये मतदान के लिये अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक । 203 कहता है आय-व्यय की प्रक्रिया पूरी होने तक जब समय न रह जाये । मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि जो मैंने संवैधानिक आपत्तियां उठायी हैं वह तथ्यों से परे हैं; ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । दूसरी बात मंत्री जी ने कह दिया चुनाव की कि कुछ लोग सदन से वाक-आउट कर गये । ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं, चुनाव और बाई-एलेक्शन हुए । आपने यह भी नहीं कहा कि चुनाव क्यों नहीं कराये गये । कोई भी स्पष्ट कारण नहीं दिया आपने कि फलां मजबूरी के कारण बजट नहीं पेश कर पा रहे हैं। आपकी मजबूरी होती, प्रदेश की जनता समझती, सदन समझता । आपने सारी अस्पष्ट परिस्थितियों को लेकर सदन को गुमराह किया । मा0 मुख्य मंत्री जी इस काबिल नहीं हैं कि बजट प्रस्तुत कर पाते, ऐसा नहीं है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

उन्होंने यह नहीं कहा । चुनाव के लिये कहा गया है। बाई-एलेक्शन तो होते रहते हैं। उन्होंने कहा–आपकी तरफ के जिन लोगों ने सदन में बैठना उचित नहीं समझा, जिस काम के लिये यहां आये थे, जनता ने भेजा था, उन्होंने उसका निर्वहन नहीं किया । हमारी जो आज की प्राथमिकतायें हैं, किस तरह से गरीबों को, जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, उनको उठाया जा सके । उसके लिये हमें देखना है कि कहां-कहां मुश्किलें आ रही हैं, कहां-कहां कमियां हैं। कहां-कहां सुधार हुआ है, कहां करना है। नया 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें क्या करना है। हमको उन चीजों को प्राथमिकता देनी है–जिससे प्रदेश को आगे ले जा सकें। इसके लिये समय की आवश्यकता है । हमारा जो प्लान है उसमें देरी हुई है, जितना समय चाहिये, वह नहीं मिल पाया है। मैं प्रयास करूंगा कि बजट जल्दी हो और आप आने वाले बजट में देखेंगे कि कितनी अच्छी चीजें आयेंगी।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुसार बजट समय से न आना ही उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

नेता विरोधी दल नये नहीं हैं, पुराने मेम्बर हैं । पहले भी कई बार लेखानुदान आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष–

पूर्व परम्पराओं व अनुच्छेद 206 को देखते हुए आपत्ति निरस्त की जाती है, विशेषकर तब जब यह सदन लेखानुदान प्रस्तुत करने की पहले ही अनुज्ञा दे चुका

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1987-88 के माह अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 10 मार्च, 1987 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 20,30,53,70,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

विधेयक की प्रतियां वितरित कर दी जायं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 30

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो लेखानुदान रखा है और वह उसे अपनी संख्या बल पर पास भी करा लेंगे। केवल एक बात के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि तत्काल इसकी वित्तीय स्वीकृति जिलों के अन्दर भिजवा दें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जैसा कि श्री माता प्रसाद जी ने कहा है इस संबंध में मैं सभी अपने माननीय सदस्यों से यही अनुरोध करूंगा कि मेरी ओर से किसी भी प्रकार से कहीं भी पूरे प्रदेश के अन्दर काम में कमी नहीं होने पायेगी और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि काम में कमी न की जाए।

खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987

1 अप्रैल, 1987 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1987 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1987—88 के लिए 27,70,82,23,000 रुपए का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 1 अप्रैल, 1987 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किए जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ—3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 27,70,82,23,000 रुपए (केवल सत्ताइस अरब, सत्तर करोड़ बयासी लाख, तेइस हजार रुपए) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिए गए हैं।

अनुसूची
(धाराएं 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	1,54,17	3	1,54,20
		पूंजी	..	..	..
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) ..	राजस्व	3,14,22	2,48,67	5,62,89
		पूंजी	10,82,78	1,20,15	12,02,93
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	51,03,92	3	51,03,95
		पूंजी	1,79,17	..	1,79,17
4	उद्योग विभाग (खान और खनिज) ..	राजस्व	52,88	2	52,90
		पूंजी	60,00	..	60,00
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ..	राजस्व	7,34,38	9	7,34,47
		पूंजी	86,53	17	86,70
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ..	राजस्व	12,60,37	27	12,60,64
		पूंजी	81,26	30	81,56
7	उद्योग विभाग (भारी एव अन्य उद्योग) ..	राजस्व	94,89	46,11	1,41,00
		पूंजी	6,51,67	48,66	7,00,33
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) ..	राजस्व	5,32,58	..	5,32,58
		पूंजी	2	..	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) ..	राजस्व	3,96	..	3,96
		पूंजी	75,00	..	75,00
10	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	37,68	..	37,68
		पूंजी	85,33,33	..	85,33,33
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	5,12,73	2,33	5,15,06
		पूंजी	1,47,24	..	1,47,24
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ..	राजस्व	32,28,58	71	32,29,29
		पूंजी	25,86,88	17	25,87,05
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	1,25,99,61	3	1,25,99,64
		पूंजी	5,92,04	..	5,92,04
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ..	राजस्व	17,92,87	7	17,92,94
		पूंजी	33	..	33
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ...	राजस्व	11,57,48	3	11,57,51
		पूंजी	63,04	..	63,04
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	51,40	1,20	52,60
		पूंजी	13,34	2,00	15,34
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) ..	राजस्व	1,48,55	1	1,48,56
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ..	राजस्व	2,85,38	1,79,22	4,64,60
		पूंजी	10,48,75	2,03,11	12,51,86
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) ..	राजस्व	14,16,68	..	14,16,68
		पूंजी	2,70,00	..	2,70,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	54,20	..	54,20
		पूंजी	29,98	..	29,98
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) ..	राजस्व	..	57,41	57,41
		पूंजी	39,98	..	39,98
22	खाद्य तथा रसद विभाग ..	राजस्व	6,17,78	1,69,97	7,87,75
		पूंजी	2,16,97,33	15,00,17	2,31,97,50
23	खेल विभाग ..	राजस्व	99,65	..	99,65
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ..	राजस्व	4,99,09	53	4,99,62
		पूंजी	1,00,00	1,62	1,01,62
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..	राजस्व	6,02,33	5,68,12	11,70,45
		पूंजी	10,52,00	56,69	11,08,69
26	गृह विभाग (कारागार) ..	राजस्व	7,05,33	1	7,05,34
		पूंजी	2,21,62	..	2,21,62
27	गृह विभाग (पुलिस) ..	राजस्व	1,04,88,09	13,20	1,05,01,29
		पूंजी	8,11,71	11,84	8,23,55
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	4,03,48	..	4,03,48
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ..	राजस्व	5,52,67	..	5,52,67
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	14,07	..	14,07
		पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) ..	राजस्व	..	15,39	15,39
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	39,21,13	33	39,21,46
		पूंजी	5,39,17	..	5,39,17
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	5,79,36	1	5,79,37
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) ..	राजस्व	1,78,82	..	1,78,82
		पूंजी	14,06,22	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व		8	14,06,30
		पूंजी	..	..	..
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	राजस्व	25,68,99	13	25,69,12
		पूंजी	..	..	..
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..	राजस्व	21,91,33	17	21,91,50
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग ..	राजस्व	71,83	..	71,83
		पूंजी	3,00	..	3,00
39	नियुक्ति विभाग ..	राजस्व	6,23	..	6,23
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग ..	राजस्व	3,01,69	..	3,01,69
		पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग ..	राजस्व	82,66	..	82,66
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग ..	राजस्व	11,60,74	1,51,92	13,12,66
		पूंजी	..	..	..
43	परिवहन विभाग ..	राजस्व	10,08,44	4	10,08,48
		पूंजी	1	..	1
44	पर्यटन विभाग ..	राजस्व	30,36	..	30,36
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

45	प्रशासनिक सुधार विभाग ..	राजस्व	9,94	..	9,94
		पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग ..	राजस्व	9,63,06	1	9,63,07
		पूंजी	66,93	..	66,93
47	पर्वतीय विकास विभाग ..	राजस्व	40,97,47	7,34	41,04,81
		पूंजी	23,93,94	4,00	23,97,94
48	मुस्लिम वक्फ विभाग ..	राजस्व	11,04	91	11,95
		पूंजी	..	..	..
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ..	राजस्व	10,93,49	12	10,93,61
		पूंजी	..	..	..
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	3,83,63	5,47,02	9,30,65
		पूंजी	47,41	7,79	55,20
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	34,68,73	46,34	35,15,07
		पूंजी	24	83,84	84,08
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	राजस्व	17,57	..	17,57
		पूंजी	50	..	50
53	वन विभाग ..	राजस्व	18,09,00	7	18,09,07
		पूंजी	7,23	..	7,23
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	66,67,68	2,29,37,49	2,96,05,17
		पूंजी	4,68,37	4,60,63,93	4,65,32,30
55	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) ..	राजस्व	33,84,19	5,12	33,89,31
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3		
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	राजस्व	2,40,02	..	2,40,02
		पूंजी	18,33	..	18,33
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ..	राजस्व	16,83,34	..	16,83,34
		पूंजी	..	..	..
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ..	राजस्व	3,77,46	1	3,77,47
		पूंजी	..	..	..
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ..	राजस्व	3,20	2,84,92	2,88,12
		पूंजी	..	..	
60	विधान परिषद् सचिवालय ..	राजस्व	46,55	1,13	47,67
		पूंजी	..	..	..
61	विधान सभा सचिवालय ..	राजस्व	1,50,64	1,50	1,52,14
		पूंजी	..	..	..
62	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	2,48,67	..	2,48,67
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग ..	राजस्व	2,38,86	..	2,38,86
		पूंजी	..	..	..
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ..	राजस्व	26,98,09	5,28	27,03,37
		पूंजी	10,00	..	10,00
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) ..	राजस्व	1,14,24,68	1,92,18	1,16,16,86
		पूंजी	23,37	..	23,37
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) ..	राजस्व	1,58,43,10	3,66,67	1,62,09,77
		पूंजी	..	..	..
67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) ..	राजस्व	3,89,53	..	3,89,53
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

68	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	63,16	..	63,16
		पूंजी	..	..	..
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ..	राजस्व	8,88,47	1	8,88,48
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (सेवायोजन) ..	राजस्व	5,31,70	7	5,31,77
		पूंजी	3,02	..	3,02
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	21,36,09	2	21,36,11
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	1,73,58	6	1,73,64
		पूंजी	3,80,60	33	3,80,93
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) ..	राजस्व	1,21,19	6,92	1,28,11
		पूंजी	1,54,66	17	1,54,83
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ..	राजस्व	2,19,76	7	2,19,83
		पूंजी	6,44,74	1,08	6,45,82
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार सधन) ..	राजस्व	29,29,17	3	29,29,20
		पूंजी	49,17,56	17	49,17,73
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	1,38	..	1,38
		पूंजी	..	..	..
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	22,43,57	3	22,43,60
		पूंजी	22,79,47	..	22,79,47
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	1,07,86,68	16,70	1,08,03,38
		पूंजी	1,27,96,36	41,84	1,28,38,20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची (क्रमशः)

1	2			3	
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	10,70	1	10,71
		पूंजी	1,25	..	1,25
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	7,35,05	13	7,35,18
		पूंजी	....	....	..
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)	राजस्व	35,01	...	35,01
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ..	राजस्व	1,40,41	1	1,40,42
		पूंजी	..	..	..
82	सचिवालय प्रशासन विभाग ..	राजस्व	6,89,38	1	6,89,39
		पूंजी	..	..	..
83	सतर्कता विभाग ..	राजस्व	71,85	3,94	75,79
		पूंजी	..	..	..
84	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग ..	राजस्व	7,64	2	7,66
		पूंजी	6,66	17	6,83
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग ..	राजस्व	75,71	1	75,72
		पूंजी	..	...	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग ..	राजस्व	4,41	1	4,42
		पूंजी	..	..	..
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग ..	राजस्व	6,37	..	6,37
		पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग ..	राजस्व	2,31,56	..	2,31,56
		पूंजी	..	..	..
89	सैनिक कल्याण विभाग ..	राजस्व	31,62	1	31,63
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(समाप्त)

1	2		3		
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)।	.. राजस्व	32,57,05	1	32,57,06
		पूंजी	..	..	..
91	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	.. राजस्व	11,30,88	1	11,30,89
		पूंजी	..	..	..
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)।	.. राजस्व	66,93	1	66,94
		पूंजी	80	..	80
	योग ..	राजस्व	13,86,17,41	2,58,80,33	16,44,97,74
		पूंजी	6,44,36,29	4,81,48,20	11,25,84,49
	कुल योग ..		20,30,53,70	7,40,28,53	27,70,82,23

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 अनुसूची खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत केवल दो सूचनाएं आज प्राप्त हुयी थीं जो अस्वीकार कर दी गयीं।

सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल व अन्य सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि यह सदन को संचालित करने में और इसको ठीक से चलाने में आप लोगों का पूरा-पूरा योगदान रहा। एक बात और बहुत जरूरी है वह यह कि जब हम सदन में आते हैं और सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो सबसे पहले हमें जनता की समस्याओं को, जिसके लिए हम लोग यहां चुनकर आए हुए हैं सर्वोपरि रखते हुए उनके पूरे-पूरे समाधान का हम प्रयास जितना कर सकते हैं, करते हैं और हम सब इसके लिए अपनी-अपनी जगह जिम्मेदार भी हैं। साथ ही हमारे कुछ मा0 नेतागण व मा0 सदस्यगण विरोधी पक्ष के सदन की पूरी बैठक में किन्हीं कारणोवश नहीं साथ रह सके और सदन का त्याग करके चले गये हालांकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। यहां के अपने अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए था। अब मैं पुनः नेता विरोधी दल और सभी अन्य मा0 सदस्यों को धन्यवाद देते हैं और होली के लिए भी आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और यह आशा करता हूं कि हम सभी लोग होली मिलन आपस में मिलकर करेंगे और प्रदेश को आगे ले जाने में भी सहयोग देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, नेता सदन ने जो विचार इस संबंध में व्यक्त किए हैं, मैं भी उनसे पूर्णतया सहमत हूं और मा0 नेता सदन जब यह कह रहे थे कि आप लोगों के सहयोग से यह सदन सुचारु रूप से चला तो कुछ माननीय सदस्य यह अहसास करने लगे कि जैसे कि हम लोगों ने उन्हें सहयोग नहीं दिया या हमारे सहयोग में किसी प्रकार की कमी रही। लेकिन हमारा यह उत्तरदायित्व कुछ इस किस्म का कठिन है, जिससे हम प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को यहां पर ठीक से रख सकें, यह हम अपना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व समझते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रजातांत्रिक तरीकों से रखना अपना सबसे बड़ा दायित्व समझते हैं और उस दायित्व को निभाने में मान्यवर, कहीं-कहीं ऐसा कार्य हो जाता है, जिसे हम दिल से नहीं करना चाहते । मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम शालीनता के साथ रचनात्मक आलोचना करने के पक्षधर हैं ।

मान्यवर, किसी भी तरफ से सदन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे आप जैसे जो हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमारी ओर से कोई शिकायत हो, अथवा उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो । मान्यवर, हम पूरा सम्मान आपकी पीठ के लिये देना चाहते हैं और हम सभी विपक्ष के लोग पूरा सम्मान इस सदन को और आपको देने का आश्वासन देते हैं । इस होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो मुबारकबाद दी है, उससे अपने को भी सम्बद्ध करते हुए हम विपक्ष की ओर से भी उत्तर प्रदेश की जनता को मुबारकबाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाली होली पूर्ण सद्भावना के साथ व्यतीत होगी, क्योंकि पिछले साल कुछ ऐसी घटनाएं हो गयीं, जो हमारे और आपके लिये दुर्भाग्य की बात थीं । मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी । मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि विपक्ष के लोग इसके लिये सतत प्रयत्नशील रहेंगे कि प्रदेश में कोई ऐसी घटना न हो जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाय। मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता सदन और नेता विरोधी दल ने आज इस अल्प अधिवेशन के आखिरी समय में जो सद्भावना यहां व्यक्त की है, इस अल्प अधिवेशन में कुछ तनाव भी रहा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पीठ को न किसी से कोई शिकायत होती है और न खुशी होती है । पीठ के सामने जो कठिनाइयां होती हैं, उसमें काफी कुछ सोचना समझना पड़ता है, इसलिये पीठ को किसी से कोई दुर्भावना नहीं होती । मा0 नेता सदन और मा0 नेता विरोधी दल ने होली के पर्व पर जो मंगलकामनाएं की हैं उससे मैं अपने को जोड़ते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सहयोग दिया । मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका हमेशा ऐसा आशीर्वाद बना रहेगा। जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी देर सबेर तक रुके और उन्होंने कठिन परिश्रम किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
10 मार्च, 1987

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

क्रम सं0	स्कूल का नाम	विकास खण्ड का नाम	निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि और यदि शेष है तो कब तक पूरा होगा
1	जूनियर हाई स्कूल, गौरा	सुमेरपुर	दिसम्बर, 1982	शेष है। जून, 1987 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2	प्राइमरी स्कूल, रामपुर खरही।	सुमेरपुर	दिसम्बर, 1982	जनवरी, 1987 में पूरा हो गया।
3	प्राइमरी स्कूल, रूद्रपुर	बीघापुर		(अभी तक भूमि नहीं प्राप्त हुई है)
4	प्राइमरी स्कूल, भैरमपुर	बीघापुर		जनवरी, 1987 में भूमि प्राप्त हुई है। कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। सितम्बर, 1987 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
5	प्राइमरी स्कूल, त्रिलोकपुर	बीघापुर	अक्तूबर, 1983	शेष है। जून, 1987 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

नोट—(1) क्रम सं0 1 तथा 2 पर उल्लिखित स्कूल राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत स्कूलों में सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत 15-3-82 को 5.00 लाख, 14-4-82 को 19.44 लाख तथा 26-4-82 को 8.562 लाख अर्थात कुल 33.002 लाख रूपए सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हुए हैं।

(2) क्रम सं0 3, 4 व 5 पर उल्लिखित स्कूल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत स्कूलों में सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत 16-2-83 को 5.336, 7-3-83 को 6.267, 26-3-83 को 5.814 तथा 18-2-84 को 20.780 अर्थात कुल 37.397 लाख रुपए सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हुए हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 167 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर)

जिला स्तरीय चयन समिति गोरखपुर द्वारा चयनित टंकक पद हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची ।

क्रमांक नाम व पिता का नाम

1–कु0 बीना रानी पुत्री श्री मुकुन्द लाल जी
2–परमेश्वर पुत्र श्री राजा राम
3–विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल
4–देवेन्द्र नाथ पुत्र श्री वीरेन्द्र नाथ
5–सुनील कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री दीनानाथ लाल श्रीवास्तव
6–शिव बहादुर पुत्र श्री अष्ट भुजा
7–राम सिंह पुत्र श्री दल सिंगार सिंह
8–विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशन चन्द्र गुप्ता
9–संजय कुमार पुत्र श्री राधे श्याम सिंह
10–राधे श्याम पुत्र श्री बनारसी
11–शम्भूनाथ पुत्र श्री राम दुलारे गुप्त
12–अभय कुमार अग्रहरि पुत्र श्री ठाकुर लाल अग्रहरि
13–सुरजीत सिंह पुत्र श्री पद्म सिंह गौड़
14–अरविन्द कुमार पुत्र श्री पंच देव पाठक
15–नरसिंह बहादुर पुत्र श्री चन्द्र बली सिंह
16–जसोदा नन्द पुत्र श्री रामअधारे लाल श्रीवास्तव
17–शत्रुघन शर्मा पुत्र श्री गोरखप्रसाद शर्मा
18–कु0 रतन श्रीवास्तव पुत्री श्री हरिशंकर श्रीवास्तव
19–हरी नारायण पुत्र श्री शत्रुघ्न पाण्डेय
20–अशोक सिंह पुत्र श्री शिवकुमार सिंह
21–कुसुम लता श्रीवास्तव पुत्री श्री चन्द्रिका लाल श्रीवास्तव
22–हरि शंकर मिश्र पुत्र श्री अक्षयवर मिश्र
23–बजरंग सहाय पुत्र श्री गिरधारी लाल श्रीवास्तव
24–केशव प्रसाद पुत्र श्री रामबेलास
25–अशोक कुमार पुत्र श्री दयाशंकर लाल
26–गोरखनाथ श्रीवास्तव पुत्र श्री सीताराम लाल
27–राम सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह
28–अनिल कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बालेश्वर लाल श्रीवास्तव
29–इन्द्र मणि पाण्डेय पुत्र श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पाण्डेय
30–ब्रज नन्दन सिंह पुत्र श्री सुख नन्दन सिंह
31–संतोष कुमार अवस्थी पुत्र श्री राम नरेश
32–अली हुसैन पुत्र श्री मकबूल हुसैन
33–अफरोज पुत्र श्री अब्दुल मन्नान
34–दूध नाथ मिश्र पुत्र श्री राधे मिश्र

योग–34

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 160 पर)

(1) श्री मनोहर लाल, सदस्य, विधान सभा ने, दिनांक 24 फरवरी, 1986 को विशेषाधिकार भंग की एक सूचना दी है। उक्त सूचना में कहा गया है कि दिनांक 24 फरवरी, 1986 को जब वह कानपुर से अपनी कार में सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आ रहे थे तो थाना बन्थरा के पास उन्हें लगभग एक घंटे तक पुलिस कर्मियों द्वारा रोक लिया गया जिसके कारण वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु लगभग 35 मिनट देर से पहुंचे।

इस मामले में शासन से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तिथि को कानपुर व्यापार मण्डल के लोग सड़क मार्ग द्वारा रैली में भाग लेने हेतु लखनऊ आ रहे थे। व्यापारियों की गाड़ी रोकने के लिए बंथरा थाने के पुलिस कर्मियों को आदेश दिये गये थे। उक्त सूचना में यह भी कहा गया है कि माननीय सदस्य स्वयं ही बंथरा थाने पर रुककर उक्त व्यापारियों से बात करने लगे और फिर स्वेच्छा से लखनऊ चले आये। उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

विशेषाधिकार अवहेलना की उक्त सूचना को हमने ध्यान से पढ़ा है। उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रश्नगत सूचना किस व्यक्ति के विरुद्ध है। माननीय सदस्य ने यह अवश्य सूचित किया है कि मौके पर श्री भटनागर तथा अन्य मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। किन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि प्रश्नगत सूचना श्री भटनागर तथा उक्त मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध दी गई है।

वर्णित परिस्थितियों में मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।

(2) श्री जय नारायण तिवारी, श्री सुरेन्द्र प्रताप मिश्र, श्री अबरार अहमद, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी तथा श्री लाल प्रताप सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 13 मार्च, 1986 को श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री जगवीर सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, सदस्यगण, विधान सभा और "मुजफ्फरनगर बुलेटिन" के प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक (श्री उत्तम चन्द्र शर्मा) के विरुद्ध विशेषाधिकार-भंग तथा सदन की अवमानना की सूचना दी है। सूचना में माननीय सदस्यों का कहना है विधान सभा के वर्ष 1986 के प्रथम सत्र के लिए श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री जगवीर सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह भाटी द्वारा जिला परिषदों के डाक बंगलों को आवासीय प्रयोजनार्थ दिये जाने के सम्बन्ध में एक प्रश्न की सूचना दी गयी थी, और उस प्रश्न के सदन में उत्तरित होने से पूर्व ही मुजफ्फरनगर से प्रकाशित दैनिक "मुजफ्फरनगर बुलेटिन" के दिनांक 6-3-86 के अंक में उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि श्री हरेन्द्र सिंह मलिक ने जिला परिषद् के निरीक्षण भवन के बारे में प्रश्न पूछ रखा है। विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देने वाले उक्त माननीय सदस्यों का अभिकथन है कि उपर्युक्त प्रश्नकर्ता सदस्यों तथा "मुजफ्फरनगर बुलेटिन" के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक श्री उत्तम चन्द्र शर्मा ने उक्त प्रश्न की विषय वस्तु को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 50 का उल्लंघन किया है, जो सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है।

इस मामले में दोषारोपित सदस्यों तथा दैनिक "मुजफ्फरनगर बुलेटिन" के मुद्रक, सम्पादक तथा प्रकाशक से उनका अभिकथन मांगा गया । दोषारोपित तीनों सदस्यों ने उक्त प्रश्न के बारे में "मुजफ्फरनगर बुलेटिन" में प्रकाशन हेतु हेतु कोई सूचना देने से इनकार किया है सम्बन्धित समाचार-पत्र के सम्पादक श्री उत्तम चन्द्र शर्मा ने इस सम्बन्ध में खेद व्यक्त करते हुए यह कहा है कि सदन और उसके सदस्यों की अवमानना करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था और न ही उन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की जानकारी थी ।

इस प्रसंग में मैं एक समान दृष्टान्त का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा । दिनांक 6 फरवरी, 1948 को केन्द्रीय असेम्बली में श्री अनन्तशयनम आयंगर द्वारा पृच्छित एक अल्पसूचित प्रश्न उत्तर हेतु लगा था। उक्त तिथि के एक दिन पूर्व उपरोक्त प्रश्न से सम्बन्धित सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गयी थी। तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने उसके बारे में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा था कि जहां तक सदन में लिये जाने वाले प्रश्नों का सम्बन्ध है, उन्हें प्रेस द्वारा उस समय तक प्रचारित नहीं किया जाना चाहिये जब तक वह प्रश्न सदन में उत्तरित न हो जायं । केन्द्रीय असेम्बली के अध्यक्ष महोदय ने प्रेस द्वारा ऐसा प्रचार किये जाने को विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान का प्रश्न नहीं माना था बल्कि उसे संसदीय परम्परा का उल्लंघन मानते हुए सदन और प्रेस का केवल ध्यान आकृष्ट किया था।

अतएव वर्णित स्थिति में मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं । पर इसके साथ ही माननीय सदस्यों तथा पत्र-प्रतिनिधियों से अनुरोध भी करूंगा कि प्रश्नों से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन उनके उत्तर के पूर्व न किया करें ।

(3) श्री मुईद अहमद, श्री अम्बिका सिंह, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री लाल चन्द्र निषाद, श्री राम सकल तिवारी, श्री नेकचन्द्र पाण्डेय, आदि माननीय सदस्यों ने श्री मूल चन्द्र, श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री कमलेश पाठक, श्री आसान सिंह, श्री मोहम्मद आजम खां, श्री बदन सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री रेवती रमण सिंह, सदस्यगण, विधान सभा के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार-भंग एवं अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 14 मार्च, 1986 को दी थी। सूचना में माननीय सदस्यों का यह कहना है कि दिनांक 6 मार्च, 1986 को सदन में उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक पर विचार आदि के प्रस्तावों पर विवादांत की प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर उपरोक्त सदस्यों ने व्यवधान उत्पन्न किया । श्री रेवती रमण सिंह को छोड़कर उक्त सभी माननीय सदस्यगण सदन के "वेल" पर आ गये, अशोभनीय नारे लगाने लगे तथा उन्होंने अध्यक्ष पीठ की ओर कागज के गुल्ले भी बनाकर फेंके । उक्त सूचना में यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त सदस्यों ने तत्कालीन माननीय अधिष्ठाता को उत्पीड़ित करने का प्रयास किया और उनकी अवमानना की।

प्रश्नगत सूचना की प्रतिलिपि उपर्युक्त सभी सदस्यों को भेजी गयी थी, जिनमें से केवल श्री मूल चन्द्र तथा श्री विजय सिंह राणा का अभिकथन प्राप्त हुआ है। शेष माननीय सदस्यों ने अनेक बार स्मरण कराये जाने के बावजूद अपना उत्तर नहीं उपलब्ध कराया है।

दिनांक 6 मार्च, 1986 की उक्त घटना से सम्बन्धित विधान सभा की कार्यवाही का अध्ययन करने और इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस दिन कुछ माननीय सदस्यों का व्यवहार अत्यन्त अशोभनीय था। कदाचित सम्बन्धित माननीय सदस्यों को भी इसबात का एहसास हो गया होगा। कुछ अधिक न कह कर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यह सदन एक पवित्र स्थल है और अध्यक्ष पीठ पर आसीन सदस्य को कार्यवाही के संचालन में पूरे सदन का सहयोग अपेक्षित है। अध्यक्ष-पीठ के असम्मान से पूरे सदन की छवि धूमिल होती है। इसलिए अध्यक्ष पीठ का सम्मान एवं सदन की गरिमा बनाये रखना प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्तव्य है और मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे इस सदन की गरिमा को ठेस लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रश्नगत मामले को समाप्त करता हूं।

4—तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की एक सूचना दिनांक 4-9-86 को प्राप्त हुई थी जिस पर श्री मुलायम सिंह, श्री रेवतीरमण सिंह, श्री रमाशंकर कौशिक, श्री रामचन्द्र बक्स सिंह तथा 7 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इस सूचना में कहा गया है कि दिनांक 3-9-86 को सदन में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर जो आरोप लगाये गये थे उनके संबंध में श्री सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया था कि उपरोक्त आरोप कर-चोरों द्वारा की गई साजिश का परिणाम है और जिन लोगों के यहां उन्होंने छापे डलवाये उन्हीं लोगों ने विधान सभा में यह सवाल उठवाया। मा0 सदस्यों के अनुसार 4-9-86 के अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ और इससे उनके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 के अनुसार यदि विशेषाधिकार हनन की कोई शिकायत किसी लेख्य पर आधारित हो तो उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नियम 79 में भी यह प्राविधान है कि यदि विशेषाधिकार हनन का मामला किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उठाया जाय जो किसी अन्य सदन का सदस्य हो तो उस लेख्य का अवलोकन करना आवश्यक है। सूचना देने वाले सदस्यों ने किसी समाचार पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है। मा0 सदस्यों ने यह भी नहीं कहा है कि संवाददाता सम्मेलन में वे स्वयं मौजूद थे और उन्होंने श्री सिंह के कथन को स्वयं सुना है। वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत सूचना ग्राह्य नहीं प्रतीत होती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा दैनिक जनवार्ता के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की एक दूसरी सूचना दिनांक 18-9-86 को श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री रामशरण दास तथा श्री मलिक मो0 कमाल युसुफ द्वारा भी दी गई है। इस सूचना में श्री विश्वानाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध लगभग वही बातें कही

गई है जो प्रथम सूचना दिनांक 4-9-86 में अंकित है । दैनिक जनवार्ता के सम्पादक के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने समाचार पत्र के दिनांक 10-9-86 के अंक में सम्पादकीय के माध्यम से यह विचार व्यक्त किया कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही गयी बातों से सदन के विशेषाधिकारों का उल्लघंन नहीं होता । मा0 सदस्यों के अनुसार जब विशेषाधिकार अवहेलना का मामला मा0 अध्यक्ष के निर्णयार्थ लम्बित था तो सम्पादक को मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी करना सदन की अवमानना है ।

मैं मा0 सदस्यों के कथन से सहमत नहीं हूं । संविधान में वाणी तथा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसका हमें आदर करना चाहिए । सार्वजनिक विषयों पर अपना अभिमत प्रकट करने का अधिकार सम्पादकों को होना चाहिए । मेरी राय में जनवार्ता के सम्पादक ने उस सीमा का अतिक्रमण नहीं किया जिसके अधीन रहते हुए उन्हें विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त है ।

दिनांक 24 लगायत 30 जुलाई, 1983 की अंग्रेजी पत्रिका "सन्डे" में श्री कुलदीप नैयर ने "पार्लियामेन्ट मस्ट बी गिवेन शम डिग्निटी" शीर्षक से एक लेख लिखा था जिसमें पीठासीन अधिकारियों के संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें अंकित थी। राज्यसभा के मा0 सभापति ने यह कहते हुए विशेषाधिकार भंग की सूचना खारिज कर दिया था कि हम सदन की कार्यवाही का संचालन पत्रों के सम्पादकों को खुश करने के लिए नहीं करते । इसी प्रकार दिनांक 7-12-81 के टाइम्स आफ इण्डिया में मा0 सदस्यों के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी और राज्यसभा के मा0 सभापति ने कहा था कि ऐसी तुच्छ बातों का संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए ।

इस संबंध में यह भी इंगित करना चाहूंगा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सिंह संसद सदस्य हैं और प्रक्रिया नियमावली के नियम 79 के अनुसार विशेषाधिकार का यह मामला उस सदन के पीठासीन अधिकारी को निर्दिष्ट करना होगा जिसके श्री सिंह सदस्य हैं । मेरी राय में प्रश्नगत मामला ऐसा नहीं है कि नियम 79 के अन्तर्गत कार्यवाही करना मुनासिब समझा जाय ।

वर्णित परिस्थितियों में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की उपरोक्त दोनों सूचनाओं को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

5—श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा ने श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री के विरुद्ध प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 9 सितम्बर, 1986 को दी है। मा0 सदस्य का कथन है कि विधान सभा के वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या—10 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री ने वास्तविक तथ्य को छिपाने का प्रयास करके सदन को गुमराह किया है जिससे निश्चित ही सदन के विशेषाधिकार का हनन होता है।

प्रश्नगत मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व मैंने मा0 हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री का अभिकथन भी प्राप्त किया । मा0 हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ने अपने अभिकथन में प्रायः उन्हीं बातों को दुहराया है, जो उन्होंने उक्त

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में कही थीं । उन्होंने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि "मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मंत्रि परिषद् का निर्णय अति-गोपनीय होता है । वह न आपको मालूम होना चाहिए न इधर किसी को मालूम होना चाहिए । उसकी गोपनीयता भंग करने की क्षमता मुझमें नहीं है।" मा0 मंत्री ने आगे यह भी कहा था कि "अब बात हो गयी कि मेरे कक्ष में आ जायें। सब अधिकारी भी आयेंगे, बात हो जायेगी।" उपरोक्त कथन में तथ्यों को छिपाने की बात ध्वनित नहीं होती ।

मेरे विचार से प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अव-मानना का आरोप सही नहीं प्रतीत होता और इस सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 18 सितम्बर, 1986 को महालेखाकार (द्वितीय), श्री महाजन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन व सदन की अवमानना की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कथन है कि जब से 15 सितम्बर, 1986 को प्रातः 11.45 बजे जन प्रतिनिधि होने के नाते महालेखाकार (द्वितीय), श्री महाजन से मिलने के लिये गये थे, तो श्री महाजन ने उनसे मिलने से मना कर दिया तथा सदन एवं उनके लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जिससे सदन की अवमानना एवं माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ ।

इस सम्बन्ध में श्री महाजन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जो उनके पत्र दिनांक अक्टूबर, 1986 द्वारा प्राप्त हुआ । श्री महाजन ने अपने अभिकथन में कहा कि दिनांक 15 सितम्बर, 1986 को उनकी माननीय सदस्य से आमने-सामने बातचीत हुई ही नहीं इसलिये कटु या अवमानना भरे शब्दों के प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता है। उनका यह भी कथन है कि माननीय सदस्य की शिकायत कुछ गलतफहमी पर आधारित है । श्री महाजन ने माननीय सदस्य की भावनाओं को किसी प्रकार का आघात पहुंचने के लिये खेद भी प्रकट किया है ।

माननीय सदस्य की सूचना एवं महालेखाकार के स्पष्टीकरण पर समुचित रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य महालेखा-कार (द्वितीय), श्री महाजन से मिलने के लिए सदन या उसकी किसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में नहीं गये थे और उक्त श्री महाजन के कथित व्यवहार से माननीय सदस्य अथवा सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन व सदन की अवमानना की सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

(7) श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, सदस्य, विधान सभा ने माननीय शिक्षा मंत्री, श्री सिब्ते रजी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 18-9-1986 को दी थी । मा0 सदस्य का कथन है कि मा0 शिक्षा मंत्री ने वर्ष 1985 के विधान सभा के तृतीय सत्र के चौथे सोमवार को श्री कलीमुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर में तथ्य को छिपाकर सदन को गुमराह किया है ।

वर्ष 1985 में विधान सभा का तीसरा सत्र हुआ ही नहीं । अतः इस तकनीकी आधार पर विशेषाधिकार की प्रश्नगत सूचना अग्राह्य करने योग्य है । यदि यह मान भी लिया जाय कि मा0 सदस्य का आशय विधान सभा के द्वितीय सत्र में पृच्छित प्रश्न से था तो भी विशेषाधिकार अवहेलना की उपरोक्त सूचना एक वर्ष से अधिक समय के उपरान्त प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है जो सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 65 (I) (क) के प्रतिकूल है ।

वर्णित परिस्थितियों में मा0 सदस्य की प्रश्नगत सूचना अस्वीकार की जाती है ।

(8) श्री महेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 29 सितम्बर, 1986 को उन्हें उनके साथियों के साथ पुलिस द्वारा तहसील दादरी जाते समय तहसील प्रांगण में गिरफ्तार कर लिए जाने पर विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है, जो 7 अक्टूबर, 1986 को प्राप्त हुई।

प्रश्नगत सूचना किसके विरुद्ध है, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त इस सूचना में गिरफ्तार बताये गये साथियों की संख्या में विरोधाभास है। सूचना के साथ आर0 आई0, पुलिस लाइन, गाजियाबाद को श्री भाटी द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति संलग्न नहीं की गयी है, और इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि माननीय सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना किन कारणों से हुई।

अतः प्राग्दर्शन में अस्पष्टता एवं साक्ष्यों के अभाव में उक्त सूचना को अस्वीकार किया जाता है।

(9) श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने अधिशासी अभियन्ता, जल निगम आगरा, श्री खन्ना के विरुद्ध विशेषाधिकार–हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 1 नवम्बर, 1986 को दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को 1 बजे अपराह्न जब वे उक्त अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में पेयजल संबंधी समस्याओं के बारे में कुछ व्यक्तियों के साथ उक्त अभियन्ता से मिलने के लिये गये तो उन्होंने चपरासी से कहकर माननीय सदस्य को सहायक अभियन्ता के कार्यालय में बैठा दिया, जहां माननीय सदस्य एक घण्टे तक बैठे रहे और इस अवधि के दौरान अधिशासी अभियन्ता द्वारा उन्हें न बुलाये जाने पर उठकर चले आये।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य ने स्वयं यह कहा है कि वे उक्त अभियन्ता से पेय जल संबंधी समस्याओं के बारे में मिलने गये थे, इससे यह स्पष्ट है कि वे सदन या उसकी किसी समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में उक्त अभियन्ता से मिलने के लिए नहीं गये थे। इसलिए इस मामले में विशेषाधिकार–हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इस मामले में माननीय नगर विकास राज्य मंत्री से भी वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी और इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा माननीय विधायक को तुरन्त अपने कक्ष में न बुलाये जाने की भूल के लिए उन्हें सचेत किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः मैं प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार–हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

10–श्री हर्ष वर्धन, सदस्य, विधान सभा ने श्री संजय श्रीवास्तव, जिला धिकारी, मुंगेर (बिहार) के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 22 नवम्बर, 1986 को तार द्वारा तथा दिनांक 1 दिसम्बर, 1986 को उक्त तार के क्रम में पत्र द्वारा दी है। मा0 सदस्य का कथन है कि जब वह बिहार के मुंगेर जिले के जिलाधिकारी से दिनांक 22 नवम्बर, 1986 को मुंगेर स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले में मिलने गये तो जिलाधिकारी, मुंगेर ने उनके अंगरक्षक का शस्त्र (रिवाल्वर) जमा करा लेने का आदेश दिया, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था समाप्त हो गयी और उनके जनकार्य में भी रुकावट हुई। माननीय सदस्य की शिकायत है कि जिलाधिकारी, मुंगेर के उक्त कृत्य से उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ।

श्री हर्ष वर्धन की सूचना से यह ज्ञात नहीं होता है कि दिनांक 22 नवम्बर, 1986 को वह मुंगेर के जिलाधिकारी के पास उत्तर प्रदेश विधान सभा या उसकी किसी समिति के कार्य से गये थे। इस प्रसंग में यदि जिलाधिकारी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से उनके अंगरक्षक का रिवाल्वर जमा करा लिया गया, तो इस कृत्य से प्राग्दर्शन में माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है।

अतः मैं प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

11–श्री परमाई लाल, सदस्य विधान सभा (हरदोई) ने थाना इंचार्ज सुरसा, जिला हरदोई के विरुद्ध दिनांक 1-1-1987 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना देते हुए यह सूचित किया है कि जब वे ग्राम चमराहिया हरदोई के कुछ निवासियों की शिकायत पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक, हरदोई से मिलने के लिए उनके कार्यालय जा रहे थे तब उक्त थाना इंचार्ज ने उन्हें उक्त कार्यालय के प्रवेश द्वार पर रोका और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया तथा यह धमकी भी दी कि मा0 सदस्य को विधान सभा जाने के लायक नहीं रखूंगा।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य का पुलिस अधीक्षक, हरदोई से मिलने जाना सदन या उसकी किसी समिति के सदस्य के रूप में उनके कृत्यों के निर्वहन के संबंध में नहीं था। इसलिए इस मामले में माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है। विशेषाधिकार हनन का प्रश्न तभी उठ सकता है जब सदन या उसकी समिति के सदस्य के रूप अपेक्षित कार्यों में कोई गतिरोध पैदा किया जाय। अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की इजाजत नहीं देता हूं, परन्तु मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर अवश्य आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे जनपद हरदोई के पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी करने का कष्ट करें।

12—श्री राम सजीवन, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 7 जनवरी, 1987 को दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक "जनसत्ता" के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना दी है। माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में कहा है कि दिनांक 6 दिसम्बर, 1986 को दिल्ली के दैनिक "जनसत्ता" में "जाति के नाम पर नेता और डाकू गठजोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में माननीय सदस्य के एक डकैत गिरोह से खुले आम सम्पर्क के उल्लेख द्वारा सदन की अवमानना की गई है।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ दैनिक "जनसत्ता" दिनांक 6 दिसम्बर, 1986 की एक प्रति संलग्न की है। मैंने उस समाचार पत्र को पढ़ा है। इस समाचार पत्र में जो कुछ भी लिखा गया है वह इस आदरणीय सदन या उसके किसी सदस्य के कर्तव्यों के विषय से सम्बन्धित नहीं है।

कौल एवं शकधर की पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 246 पर वह मत व्यक्त किया गया है कि किसी संसद सदस्य के संबंध में कोई अपमान लेख तभी विशेषाधिकार भंग माना जा सकता है जब कि उसमें सदस्य होने के नाते उसके आचरण या चरित्र पर आक्षेप किया गया हो और वह उन विषयों पर आधारित होना चाहिए जो सभा के कार्य के संचालन में उठते हों। यदि सदस्यों पर सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य हैसियत से आक्षेप किया जाय तो वह सभा का विशेषाधिकार भंग या अवमान नहीं होता।

वर्णित परिस्थितियों में, मैं प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

(13) श्री विष्णु देव, सदस्य, विधान सभा ने श्री आर0 एन0 कालरा, अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मंडल, गोरखपुर के विरुद्ध अवमानना की शिकायत दिनांक 31 जनवरी, 1987 को की है। माननीय सदस्य का कथन है कि जब वह श्री कालरा से मिलने उनके निवास स्थान पर गये तो वह उनसे (माननीय सदस्य से) नहीं मिले और उन्होंने जानबूझ कर उनकी अवमानना की।

श्री विष्णु देव की प्रश्नगत शिकायत से विदित होता है कि वे श्री कालरा से जिस कार्य के सम्बन्ध में मिलने गये थे, वह कार्य सदन या उसकी किसी समिति के सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं था। अतएव प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना का प्रश्न अन्तर्गस्त प्रतीत नहीं होता है। फिर भी मैंने माननीय सदस्य की शिकायत की प्रति माननीय मुख्य मंत्री को यथोचित प्रशासनिक कार्यवाही हेतु भिजवा दी है।

उपरोक्त परिस्थिति में मैं श्री विष्णु देव द्वारा अभिसूचित प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

(14) श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 2 सितम्बर, 1986 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विरुद्ध सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 2 फरवरी, 1987 को दी है। मा0 सदस्य का कथन है कि सचिव, माध्यमिक

शिक्षा परिषद् ने सदन को गुमराह करने, भ्रामक सूचना देने, वास्तविक तथ्य प्रस्तुत न करने एवं निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु अनियमित ढंग से हाईस्कूल परीक्षाफल घोषित कराया।

इसी प्रकार की एक सूचना वर्ष 1985 में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 301 की सूचना का उत्तर भ्रामक होने के आधार पर दी गयी थी। उक्त अभिसूचित मामले को अध्यक्ष ने सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी थी और उसे इस आधार पर अग्राह्य कर दिया था कि मा0 मंत्री ने मा0 सदस्य को जो लिखित उत्तर भेजा वह सदन में नहीं दिया गया था और न ही उसकी कार्यवाही का अंग बना है।

प्रश्नगत मामले में भी मा0 सदस्य को माननीय मंत्री द्वारा भेजा गया लिखित उत्तर सदन में नहीं दिया गया और न ही वह सदन की कार्यवाही का अंग बना है। अतएव सदन को गुमराह करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं श्री विद्यार्थी द्वारा अभिसूचित मामले को विशेषाधिकार हनन को सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

(15) श्री काशी सिंह एरी, सदस्य, विधान सभा ने मा0 मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध दिनांक 9-2-87 को विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1985 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के लिखित पूरक प्रश्न अर्थात वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र के अतारांकित प्रश्न सं0 161 का उत्तर गलत, भ्रामक एवं अस्पष्ट दिये जाने के कारण माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया है।

माननीय श्री एरी की उक्त सूचना वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र के संदर्भित प्रश्नोत्तर की तिथि के लगभग 5½ माह के उपरान्त विलम्ब से दी गयी है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में समय-समय पर विधान सभा की अध्यक्ष पीठ से दिये गये अन्य निर्णयों में कहा गया है कि जानबूझकर गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने पर ही विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है। एक अन्य निर्णय में कहा गया है कि किसी मंत्री ने किसी प्रश्न का जानबूझ कर गलत उत्तर दिया हो तो इसका प्रमाण देने पर ही विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है।

माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की जो शिकायत की है, उसके समर्थन में उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त प्रश्न का गलत उत्तर जानबूझ कर दिया है।

उपर्युक्त स्थिति में मैं श्री काशी सिंह एरी द्वारा अभिसूचित इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

पी0एस0यू0पी0–एल0 328 विधान सभा (659)–1987–813 ।